



उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

हल्द्वानी

पुस्तकालय एवं सचना विज्ञान के आधार

(Foundations of Library and Information Science)

BLIS- 101

प्रस्तुकालय एवं सचना विज्ञान विद्याशाखा

I SEMESTER



पाठ्यक्रम समिति

| | |
|---|---|
| प्रोफेसर एच० पी० शुक्ल निदेशक, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी डॉ० देवेश कुमार मिश्र सहायक आचार्य, संस्कृत विभाग उ०मु०वि०वि०, हल्द्वानी डॉ० नन्दन कुमार तिवारी असिस्टेन्ट प्रोफेसर, ज्योतिष विभाग समन्वयक(अतिरिक्त प्रभार) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी | प्रोफेसर वी० पी० खरे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झाँसी प्रोफेसर जे०ए० गौतम पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर प्रोफेसर आर०के० सिंह पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग, डॉ० राम मनोहर लोहिया अवधि विश्वविद्यालय, फैजाबाद डॉ० टी०ए० दूबे पुस्तकालयाध्यक्ष, उत्तरप्रदेश राजपर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, इलाहाबाद |
|---|---|

पाठ्यक्रम समन्वयक एवं संयोजन

| |
|--|
| डॉ० नन्दन कुमार तिवारी असिस्टेन्ट प्रोफेसर, ज्योतिष विभाग समन्वयक(अतिरिक्त प्रभार) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विभाग उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी |
|--|

सम्पादन

| |
|--|
| डॉ० शकुन्तला सिंह लाइब्रेरियन, बेरेली कॉलेज बेरेली |
| सहसम्पादन प्रीति शर्मा असिस्टेन्ट प्रोफेसर (ए.सी.) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विद्याशाखा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी |

इकाई लेखन

खण्ड

इकाई संख्या

| | | |
|--|-----|----------------|
| डॉ० संजीव सर्वाफ उपपुस्तकालयाध्यक्ष काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी | 1,2 | 1, 2, 3, 4,5,6 |
| डॉ० एस०एस० चन्देल एम०पी० इन्स्टीच्युट ऑफ सोशल साइंसेज उज्जैन, मध्यप्रदेश | 3,4 | 7,8,9,10,11,12 |

कॉर्पोरेइट @उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रकाशन वर्ष – 2018 प्रकाशक- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।

मुद्रकः -

नोट : - (इस पुस्तक के समस्त इकाईयों के लेखन तथा कॉर्पोरेइट संबंधी किसी भी मामले के लिये संबंधित इकाई लेखक जिम्मेदार होगा । किसी भी विवाद का निस्तारण नैनीताल स्थित उच्च न्यायालय अथवा हल्द्वानी सत्रीय न्यायालय में किया जायेगा ।)

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधार

अनुक्रम

| प्रथम खण्ड – आधुनिक समाज एवं पुस्तकालय | पृष्ठ - 1 |
|--|------------------|
| इकाई 1: पुस्तकालय: परिभाषा एवं भूमिका | 2 -14 |
| इकाई 2: सूचना समाज की अवधारणाएँ एवं विशेषताएँ | 15-27 |
| इकाई 3: पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र | 28-46 |
| द्वितीय खण्ड - पुस्तकालय विकास एवं प्रकार | पृष्ठ 47 |
| इकाई 4 : भारत में पुस्तकालयों के विकास में आयोग एवं समितियों का योगदान | 48-67 |
| इकाई 5: पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति (एन०पी०एल०आई०एस) तथा ज्ञानआयोग के प्रमुख प्रावधान | 68-89 |
| इकाई6: पुस्तकालयों के प्रकार: राष्ट्रीय, सार्वजनिक, शैक्षणिक एवं विशिष्ट पुस्तकालय | 90-106 |
| तृतीय खण्ड – पुस्तकालय अधिनियम एवं संगठन | पृष्ठ 107 |
| इकाई 7: भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम: तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं उत्तरप्रदेश के विशेष सन्दर्भ में | 108-134 |
| इकाई 8: पुस्तकालयों के विकास में पुस्तकालय संघों की भूमिका:आई०एल०ए० आइसलिक के विशेष सन्दर्भ में | 135-154 |
| इकाई 9: पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न भारतीय संस्थाओं का योगदान: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग: राजा राम मोहनराय लाइब्रेरी फाउण्डेशन (आर०आर०एल०एफ०)निसकेयर (NISCAIR) एवं नासडॉक (NAASDOC) | 155-177 |
| चतुर्थ खण्ड - पुस्तकालय सहभागीकरण एवं विस्तार कार्य | पृष्ठ 178 |
| इकाई 10: पुस्तकालय सहभागीकरण :अवधारणा, आवश्यकता एवं स्वरूप | 179-193 |
| इकाई 11: पुस्तकालय विस्तार कार्य | 194-204 |
| इकाई12: बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं सेन्सरशिप | 205 –218 |

B.L.I.S. - 21

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में स्नातक
(BLIS -101)
प्रथम सेमेस्टर -प्रथम पत्र

खण्ड - 1

आधुनिक समाज एवं पुस्तकालय

इकाई –1 पुस्तकालय : परिभाषा एवं भूमिका

इकाई की रूपरेखा

- 1.1 प्रस्तावना
- 1.2 उद्देश्य
- 1.3 पुस्तकालयों का इतिहास
 - 1.3.1 प्राचीन काल में पुस्तकालयों की स्थिति
 - 1.3.2 मध्यकाल में पुस्तकालयों की स्थिति
 - 1.3.3 आजादी के पूर्व पुस्तकालयों की स्थिति
 - 1.3.4 आजादी के बाद पुस्तकालयों की स्थिति
- 1.4 पुस्तकालय की अवधारणा व परिभाषा
- 1.5 पुस्तकालयों की भूमिका
 - 1.5.1 सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में
 - 1.5.2 शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में
 - 1.5.3 विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में
 - 1.5.4 शोध एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में
 - 1.5.5 मनोरंजन के क्षेत्र में
 - 1.5.6 सांस्कृतिक धरोहर व दुर्लभ प्रलेखों के संरक्षण में
 - 1.5.7 सूचना प्रसारण के क्षेत्र में
- 1.6 सामाजिक परिवर्तन एवं पुस्तकालय
- 1.7 सारांश
- 1.8 शब्दावली
- 1.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 1.10 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 1.11 उपयोगी पुस्तकें
- 1.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1.1 प्रस्तावना

पुस्तकालय का शब्दिक अर्थ है पुस्तक + आलय अर्थात् जहाँ पुस्तकों को संग्रहित किया गया हो। प्राचीनकाल में पुस्तकालय का स्वरूप एवं भूमिका एक संग्रहालय के रूप में थी। पुस्तकालय में संग्रहीत पुस्तकों मात्र पुस्तकालय की शोभा बढ़ाती थीं तथा जनसामान्य के पहुँच के बाहर थीं। समय बीतने के साथ उपरोक्त सौच में परिवर्तन आया। डा. रंगनाथन ने ग्रंथालय के पांच मूल सूत्र का प्रतिपादन किया, उसमें से प्रथम सूत्र “पुस्तकों उपयोग के लिए हैं” से पुस्तकों का जनसामान्य तक पहुँच हो सके, इसका समर्थन करता है।

सिन्धु घाटी की सभ्यता से मिले प्रमाणों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राचीन समय में शिलालेख वगैरह भण्डारण के लिए भण्डार गृह बनाये गये थे, उन्नीसवीं एवं बीसवीं शताब्दी में पुस्तकालय का महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ता गया। न केवल शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालयों की अनिवार्यता को लागू किया गया, बल्कि सार्वजनिक पुस्तकालयों की भी स्थापना की गयी। हमारे देश के राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित होने से पुस्तकालयों का प्रचार-प्रसार बढ़ता ही गया। गांवों में सार्वजनिक पुस्तकालय खुलने के पीछे भी पुस्तकालय अधिनियम है। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, का भी सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास में सराहनीय योगदान रहा है। शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 1957 में डा. एस. आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में पुस्तकालय समिति की स्थापना की। तदुपरान्त 1964–66 में यू.जी.सी. ने कोठारी आयोग की स्थापना की, इस आयोग की सबसे महत्वपूर्ण सिफारिश थी कि ‘विकासशील विभाग के लिए अपने पुस्तकालयों के गठन व अत्याधुनिक बनाने के लिए अधिक अनुदान दिया जाना चाहिए।’

आज वर्तमान युग में जहाँ प्रत्येक विषय पर सूचनाओं का वृहत् साहित्य प्रकाशित हो रहा है, वहीं इसको संग्रहीत करके उसका प्रबन्धन करना और पाठकों तक उपयुक्त सूचना प्रदान करना एक बेहद श्रमसाध्य एवं समयसाध्य है। पुस्तकालयों व सूचना केन्द्रों के हमेशा ही प्रयास रहे हैं कि प्रयोक्ता को उसकी आवश्यकता की सूचना, प्रलेख इत्यादि समय पर उसी क्रम में मिल सके, जिससे उस सूचना व प्रलेख की उपयोगिता बनी रहे।

1.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह बता सकेंगे कि –

- पुस्तकालयों का इतिहास क्या है।
- पुस्तकालय की अवधारणा एवं परिभाषा क्या है।

- पुस्तकालयों की भूमिका क्या है, और
- पुस्तकालयों का सामाजिक परिवर्तन में क्या योगदान है।

1.3 पुस्तकालयों का इतिहास

भारत में पुस्तकालयों का महत्व व उपयोगिता प्राचीनकाल से ही रही है, परन्तु वर्तमान में पुस्तकालय के स्वरूप व उसके द्वारा दी जाने वाली सेवायें पूरी तरह बदल गयी हैं। खासकर सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से पुस्तकालय का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है।

1.3.1 प्राचीनकाल में पुस्तकालयों की स्थिति –

प्राचीनकाल में ग्रन्थों, शिलालेखों के भण्डारण के लिए भण्डारगृह बनाये गये थे जैसा कि सिन्धु घाटी सभ्यता से मिले प्रमाणों से पता चलता है। नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का उल्लेख चीनी यात्री फाहान (399–414) द्वारा अपने लेख में किया गया है। प्राचीनकाल के सर्वाधिक चर्चित नालन्दा पुस्तकालय “धर्मगंज” के विषय में चीनी यात्री व्वेनसांग (675–685) ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। इसमें तीन बहुत बड़ी इमारतें थीं जिन्हें रत्न सागर, रत्नोदधि और रत्नरंजक कहा जाता था। प्रत्येक इमारत में तीन सौ कमरों का उल्लेख किया गया है। इस पुस्तकालय को खिलजी ने वर्ष 1205 में आग लगा दी थी।

1.3.2 मध्यकाल में पुस्तकालयों की स्थिति –

भारतीय इतिहास के मध्यकाल में पठान एवं मुगल शासकों ने पुस्तकालयों के विकास पर जोर दिया। प्रत्येक राजा के महल में एक पुस्तकालय होता था जिसे राजा अपने स्वाध्याय अर्थात् खुद के पढ़ने के लिए रखते थे। प्रत्येक मदरसों के पुस्तकालय होते थे। फिरोज तुगलक पुस्तक प्रेमी था और उसने अपने राज्य में कई पुस्तकालयों की स्थापना की थी। इम्पीरियल ग्रन्थालय की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अमीर खुसरो को जलालुद्दीन खिलजी ने अपने शाही पुस्तकालय का पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया था और उसे महफिले कुरान की पढ़वी दी थी। बाबर एवं हुमायूं भी पुस्तक प्रेमी थे तथा उन्होंने मदरसों में पुस्तकालयों की स्थापना की तथा हुमायूं की मौत तो पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसलकर हुई थी। अकबर को पुस्तकों से विशेष लगाव था तथा उसके कार्यकाल में पुस्तकों का अलग महकमा बनाया गया था जिसके निदेशक को नाजिम कहा जाता था। शाहजहां एवं अंतिम मुगल सम्राट बहादुरशाह जफर द्वारा बहुत से पुस्तकालयों की स्थापना का विवरण भी प्राप्त होता है।

1.3.3 आजादी के पूर्व पुस्तकालयों की स्थिति –

15 वीं सदी में प्रेस मशीन के आविष्कार के साथ पुस्तकालयों की तस्वीर ही बदल गयी। पुस्तकों, समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं के प्रकाशन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में इम्पीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की गयी। कुछ वर्षों तक तो यह पुस्तकालय केवल विशिष्ट व्यक्तियों के उपयोग तक सीमित था। परन्तु सन् 1930 में सर्वसाधारण के उपयोग की स्वीकृति दी गयी। कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी मद्रास में तथा एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुम्बई में खुली। इन पुस्तकालयों के विकास में अंग्रेजों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। परन्तु ये पुस्तकालय भारतीय नागरिकों के लिए बहुत उपयोगी नहीं थे क्योंकि इसमें रखी गयी अधिकतर पुस्तकें विदेशी भाषाओं में थीं। यद्यपि पुस्तकालय का प्रयोग केवल पढ़े-लिखे लोगों द्वारा खासकर जिन्हें विदेशी भाषाओं का ज्ञान था, किया जाता था। फिर भी भारत की आजादी में इन पुस्तकालयों का महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे दूसरे देशों की शासन व्यवस्था व आजादी की बात पुस्तकों में पढ़कर आजाद होने की भावना जागृत होती थी।

1.3.4 आजादी के बाद पुस्तकालयों की स्थिति –

वर्तमान में पुस्तकालयों का तेजी से विकास हुआ है। चाहे शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालयों की अनिवार्यता की बात हो अथवा सार्वजनिक पुस्तकालयों की विभिन्न स्तरों पर स्थापना जैसे जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर एवं ग्रामीण स्तर पर। जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया है। वहां पुस्तकालयों का विकास तेजी से हो रहा है। पुस्तकालय शिक्षा पर सरकार अधिक जोर दे रही है। विश्वविद्यालय स्तर पर ग्रन्थालय एवं सूचना विभाग खोला गया है। दूरवर्ती शिक्षा पद्धति में भी पुस्तकालय विज्ञान विभाग उपलब्ध है जहां से पुस्तकालयों में कार्यरत कर्मचारी अपनी उच्च शिक्षा जारी रख सकते हैं।

भारतीय पुस्तकालय संघ, आइसलिक व राज्यों के पुस्तकालय संघ तथा राष्ट्रीय प्रलेखन केन्द्र, निसकेयर तथा डेसीडॉक पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों के विकास के लिए संगोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन आदि का आयोजन करते रहते हैं। आज पुस्तकालय नई सूचना संचार प्रौद्योगिकी को अपनाकर उपयोगकर्ताओं की अलग-अलग प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास करते हैं। पुस्तकालय आपसी सहयोग के माध्यम से भी उपयोगकर्ताओं को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। भारत के ग्रन्थालय विज्ञान को एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्रदान कराने में डा. एस. आर. रंगनाथन का विशेष योगदान है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने डा. एस.आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास के लिए पुस्तकालय समिति भी बनायी। इस समिति के सुझावों ने पुस्तकालयों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। तदुपरान्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोठारी आयोग का गठन 1964 में किया, जिसका सबसे महत्वपूर्ण सुझाव था कि प्रत्येक विश्वविद्यालय के पास एक केन्द्रीय पुस्तकालय के साथ-साथ प्रत्येक विभाग के लिए विभागीय पुस्तकालय भी होना चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने

प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में सन् 1991 में सूचना व ग्रन्थालय नेटवर्क (INFLIBNET) की स्थापना की जिसका उद्देश्य शैक्षणिक पुस्तकालयों का विकास करना है और पुस्तकालयों की बीच आपसी सामंजस्य हो ताकि पुस्तकालयों में संचालित होने वाले कार्यों की पुनरावृत्ति न हो, शैक्षणिक पुस्तकालयों के कार्यों में एकरूपता बनी रहे तथा सूचना संचार तकनीक का प्रयोग अधिकतम हो।

विकसित देशों की अपेक्षा भारत में पुस्तकालय का विकास धीमी गति से हुआ है इसके पीछे मुख्य कारण अशिक्षा है। अशिक्षा के कारण यहाँ के लोगों में पुस्तकालय के प्रयोग व उनके उपयोग की भावना विकसित नहीं हो पायी। दूसरा मुख्य कारण अनुदान की कमी। आज भी अधिकांश राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो पाया है, इसीलिए पुस्तकालयों के लिए अनुदान मिलने में कठिनाई आती है। जहाँ पुस्तकालय अधिनियम पारित हो गया है वहाँ पुस्तकालयों की स्थिति बेहतर है।

1.4 पुस्तकालय की अवधारणा व परिभाषा

पुस्तकालय अंग्रेजी शब्द Library का हिन्दी रूपान्तर है। Library शब्द लैटिन भाषा के Libraria (House of Book) से बना है। कई देशों में Library के स्थान पर Bibliotheek शब्द का प्रयोग प्रचलन में है, परन्तु पुस्तकालय से तात्पर्य पुस्तकों का संग्रह व उनके रख-रखाव से है। अतः पुस्तकालय वह स्थान है जहाँ विविध प्रकार के ज्ञान व सूचना के स्रोत विभिन्न स्वरूपों (पुस्तकें, पत्र-पत्रिकाएं, मानवित्र, हस्तलिखित ग्रन्थ, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, फिल्म इत्यादि) में संग्रहीत रहते हैं।

परिभाषाएं :

कैम्ब्रिज इण्टरनेशनल डिक्शनरी के अनुसार – “पुस्तकालय एक भवन अथवा संगठन है जहाँ विशेष रूप से लोगों के पढ़ने के लिए पुस्तकों का भण्डार रखा हो तथा सभी सेवायें निःशुल्क प्रदान की जाती हो।

लैक्सीकोन विश्वकोष के अनुसार : “पुस्तकालय पुस्तकों तथा अन्य सूचनाप्रद सामग्रियों का एक व्यवस्थित संग्रह है जो ज्ञान के समस्त क्षेत्रों अथवा उसके किसी एक भाग को आच्छादित करता है, पुस्तकालय सभी के लिए अथवा किसी विशेष समूह के लिए हो सकता है।”

रीडर्स डाइजेस्ट के अनुसार : “पुस्तकालय वह भवन है जिसमें पुस्तकें व पत्र-पत्रिकाएं आम लोगों के उपयोग के लिए अथवा किसी विशेष संस्था के सदस्यों के उपयोग के लिए रखी जाती हैं।

उपरोक्त सभी परिभाषाओं में पुस्तकालय में पाठ्य सामग्रियों का संग्रह तथा संग्रहीत पाठ्य सामग्रियों का उपयोग पाठकों द्वारा किया जाना समाहित है। अतः पुस्तकालय में पुस्तकें एवं अन्य सूचनाप्रद सामग्रियों को व्यवस्थित ढंग से रखा जाता है जिससे पाठ्य सामग्रियों का उपयोग सरलता से किया जा सके।

आक्सफोर्ड इंगिलिश डिक्शनरी के अनुसार : “पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था है, जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह का देखभाल रखना है तथा उसको पाठकों के आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराना है।”

यहाँ पर पुस्तकालयों को एक सार्वजनिक संस्था माना गया है, अर्थात् पुस्तकालय सभी लोगों के लिए है। पुस्तकालय में रखे संग्रहों की देखभाल होने के साथ-साथ उसे पाठकों तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो।

डा. रंगनाथन के अनुसार : “पुस्तकालय एक सार्वजनिक संस्था या स्थापना है, जिसका कार्य पुस्तकों के संग्रह की देखभाल व रख-रखाव करना तथा व्यवस्था कर पाठकों को नियमित पाठक के रूप में बदलने का कार्य करना है।”

डा. रंगनाथन ने भी पुस्तकालय को एक सार्वजनिक संस्था माना है तथा उसके कार्य में संग्रह का रख-रखाव तथा व्यवस्था कर पाठकों तक वांछित सूचना प्रदान करना। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया है कि पुस्तकालय के उपयोग के प्रचार-प्रसार के माध्यम से अनियमित पाठकों को नियमित पाठक बनाया जाय जिससे पुस्तकों का अधिकतम उपयोग हो सके।

अभ्यास प्रश्न 1

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. डा. एस. आर. रंगनाथन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुस्तकालय समिति की स्थापना किस वर्ष में की।
2. राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू होने में किस संस्था का अहम् योगदान है।
3. नागार्जुन विद्यापीठ के पुस्तकालय का वर्णन किस विदेशी यात्री ने किया है।
4. लेटिन में पुस्तकालय को क्या कहते हैं।

1.5 पुस्तकालयों की भूमिका

वर्तमान समाज की पुस्तकालय पर निर्भरता पूर्व की अपेक्षा बढ़ी है इसके पीछे सूचना प्रौद्योगिकी का पुस्तकालय पर अनुप्रयोग तथा जन-जागरूकता महत्वपूर्ण कारक हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों के उद्भव से समाज की निर्भरता पुस्तकालयों पर बढ़ी है। जे.एच.

शेरा ने इस सम्बन्ध में उल्लेख किया है 'पुस्तकालय हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता का उत्पाद है।' अर्थात् पुस्तकालयों का विकास हमारी सांस्कृतिक समृद्धि का द्योतक है।

प्राचीनकाल में पुस्तकालय का सामाजिक दृष्टिकोण आज के दृष्टिकोण से भिन्न है। पहले पुस्तकों सजावट के लिए अथवा समाज के विशेष वर्गों के उपयोग तक सीमित था, परन्तु आज पुस्तकों सभी वर्गों के उपयोग के लिए हैं। आज सामाजिक चेतना की संवृद्धि में पुस्तकालयों की भूमिका बढ़ती जा रही है।

1.5.1 सार्वजनिक पुस्तकालय के रूप में :

सार्वजनिक पुस्तकालयों के उद्भव एवं विकास के फलस्वरूप ग्रामीण समाज की पुस्तकालय पर निर्भरता में निरन्तर वृद्धि हो रही है। किसानों को कुशलतापूर्वक खेती करने के लिए नई तकनीक, उचित मात्रा में उर्वरक, मिट्टी की जाँच व अन्य जरूरत के लिए पुस्तकालय की आवश्यकता पड़ती है। ग्रामीण महिलाओं को अपनी पसन्द की पुस्तकों पढ़ने, पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से तरह-तरह की जानकारियाँ हासिल करना जैसे- बच्चों के जन्म, पालन-पोषण, बीमारियों का घरेलू उपचार तथा बच्चों को संतुलित आहार कैसे दिया जाये आदि के बारे में पुस्तकालय का सहारा लेती हैं। प्रौढ़ शिक्षा के प्रचार-प्रसार में सार्वजनिक पुस्तकालयों की भूमिका असीमित है। पुस्तकालय के माध्यम से प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के द्वारा लाखों लोग साक्षर हुए हैं। अतः सार्वजनिक पुस्तकालय चाहे ग्रामीण स्तर पर हो अथवा जिला स्तर पर हो सर्वांगीण विकास में एक स्तम्भ की तरह है। इसलिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक सार्वजनिक पुस्तकालय होना ही चाहिए। इसके लिए पुस्तकालय अधिनियम सभी राज्यों में पारित होना चाहिए ताकि सार्वजनिक पुस्तकालयों का विकास हो सके।

1.5.2 शैक्षणिक पुस्तकालय के रूप में :

शैक्षणिक पुस्तकालयों की भूमिका सार्वजनिक पुस्तकालय की भूमिका से बिलकुल भिन्न है। शैक्षणिक पुस्तकालयों का महत्व पाठकों में अध्ययन की रुचि बढ़ाने, शिक्षा के स्तर को ऊँचा उठाने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके पाठ्यक्रम के इतर भी शिक्षा प्रदान करने में होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय, प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य रूप से होना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थाओं के अन्तर्गत आने वाले महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के पुस्तकालय न केवल पाठ्यक्रम के अनुसार ज्ञान देने में सहायक हैं, बल्कि इसके इतर अन्य पाठ्य सामग्रियाँ प्रदान करते हैं ताकि विद्यार्थियों का समुचित विकास हो सके।

शैक्षणिक पुस्तकालय स्नातक, परास्नातक तथा शोध छात्र-छात्राओं को उनके विषयानुसार सूचना प्रदान करते हैं। विशेषकर शोध छात्राओं को नवीन सूचनायें प्रदान करने के लिए Current awareness service CAS तथा Selective Dissemination of

Information SDI के माध्यम से यूजर प्रोफाइल तथा डाक्युमेन्ट प्रोफाइल बनाकर आवश्यकतानुसार सही उपयोगकर्ता को सही सूचना प्रदान करते हैं।

1.5.3. विशिष्ट पुस्तकालय के रूप में :

अनुसंधान एवं विकास तथा उद्योग व व्यापार के प्रचार-प्रसार में विशिष्ट पुस्तकालयों की महात्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश का विकास वहाँ के उद्योगों और व्यापार निर्भर करती है। उद्योगों के विकास के लिए निरन्तर अनुसंधान की जरूरत पड़ी है जैसे— लागत कम दिया जा सके, उत्पादित माल का उचित तरीके से वितरण हो सके, उत्पाद गुणवत्ताप्रक हो, पर्यावरणीय क्षति बिलकुल न हो इत्यादि। इस तरह उद्योग व व्यापार की ज्ञानप्रक सूचनायें देने का कार्य विशिष्ट पुस्तकालय ही करते हैं। अतः विशिष्ट पुस्तकालय किसी विशिष्ट समूह के लिए उनके आवश्यकतानुसार पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाते हैं जैसे—उद्योग एवं व्यापार, शोध एवं तकनीकी विकास आदि के पुस्तकालय। वैज्ञानिकों को अपने शोध कार्यों में लगे रहने के कारण उनके पास समयाभाव रहता है। अतः नवीन प्रकाशित सूचनायें उनके आवश्यकतानुसार छाँटकर पुस्तकालय ही प्रदान करता है। इस तरह ये पुस्तकालय विषयानुसार सूचनाओं को अलग करके उनको सम्बद्ध प्रयोगकर्ताओं तक पहुँचाते हैं।

1.5.4 शोध तथा तकनीकी विकास के क्षेत्र में :

विकसित देशों में विकासशील देशों की अपेक्षा अधिक शोध कार्य होते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे विकसित देशों के पीछे शोध की महत्वपूर्ण भूमिका है। नये शोध के परिणामस्वरूप उस देश के निवासियों का जीवन स्तर तो सुधरता जा रहा है साथ ही साथ वही तकनीक अन्य देशों में हस्तान्तरित हो जाने से अन्य देशों को भी लाभ पहुंचता है। अतः पुस्तकालय नवीन शोधों के बारे में विभिन्न माध्यमों से अद्यतन जानकारी अपने उपयोगकर्ताओं तक पहुंचाते रहते हैं। डिजिटल लाइब्रेरी के इस युग में शोधकर्ता अपने विषय पर पुस्तकें व पत्र-पत्रिकायें न केवल अपने देश के पुस्तकालयों से सूचना प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अन्य देशों के पुस्तकालयों से भी आवश्यक सूचनायें प्राप्त कर सकते हैं।

1.5.5 मनोरंजन के क्षेत्र में :

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण मनोरंजन उसका अभिन्न अंग है। मनोरंजन न हो तो व्यक्ति का जीवन नीरस हो जाता है। व्यक्ति को स्फूर्ति प्रदान करने में मनोरंजन की विशेष आवश्यकता पड़ती है। मनोरंजन एकमात्र साधन है, जिससे मनुष्य अपने नियमित कार्यों से थका देने वाली प्रक्रियाओं से निजात दिलाती है। ऐसे पुस्तकालय जहाँ मनोरंजक व हास्य-व्यंग्य की पुस्तकें प्रचुर संख्या में उपलब्ध रहती हैं, अपने पाठकों को ज्ञान के साथ-साथ मनोरंजन भी प्रदान करते हैं। अतः पुस्तकालय मनोरंजन के क्षेत्र में बेहद उपयोगी साबित होते हैं।

1.5.6 सांस्कृतिक धरोहर व दुर्लभ प्रलेखों के संरक्षण में :

समाज तथा पूरे राष्ट्र की उन्नति के लिए सांस्कृतिक धरोहरों व दुर्लभ प्रलेखों का संरक्षण जरूरी है। पुस्तकालय राष्ट्रीय तथा विदेशी साहित्य का संरक्षण करते हैं जिसमें उस राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहरों के विषय में जानकारी दी गयी हो। पुराने समय में मन्दिर, मदरसों एवं मठों के पुस्तकालय ही संस्कृति और ज्ञान के संरक्षण के एकमात्र साधन थे। प्राचीनकाल में विभिन्न लिपियों में हस्तलिखित अभिलेख जिन्हें हम पांडुलिपि कहते हैं, को संरक्षित करने के लिए पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करके केवल कागज अथवा ताड़पत्र जिस पर भी लिखित होता था, को बचाने का प्रयास करते थे, परन्तु नवीन सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों द्वारा प्रलेखों व पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन करके वर्तमान तथा भावी पीढ़ी के उपयोगार्थ सुरक्षित रखा जा सकता है। इस प्रकार पुस्तकालय सांस्कृतिक धरोहरों व दुर्लभ प्रलेखों का संरक्षण करता है।

1.5.7 सूचना प्रसारण के क्षेत्र में :

पुस्तकालय अपनी संग्रहीत सूचनाओं को पाठकों के मांग के अनुरूप उन तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं तथा पुस्तकालय विस्तार सेवा के तहत घर-घर जाकर, पुस्तक प्रदर्शनी लगाकर व अन्य प्रकार से अपने संग्रह का प्रचार-प्रसार करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके सार्वजनिक पुस्तकालय किसानों, मजदूरों, गृहणियों व अन्य तक विडियो के माध्यम से उनके जरूरत की चीजें, रोजगार तथा रहन-सहन के बारे में विस्तार पूर्वक बता सकते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय की सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके अपने उपयोगकर्ताओं व शोधार्थियों तक आवश्यक सूचना पहुँचाते हैं।

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. कोठारी आयोग की स्थापनामें हुई।
2. फ्रेंच में लाइब्रेरी कोकहा जाता है।
3. मध्यकाल मेंने इम्पीरियल लाइब्रेरी की स्थापना की।
4. प्राचीन काल में नालंदा वि. वि. के पुस्तकालय का नामथा।
5. अकबर के समय में पुस्तकालयों के निदेशक कोकहते थे।
6. अंग्रेजों ने कोलकाता मेमे इम्पीरियल सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की।
7. इनफिलबनेट की स्थापनामें हुई।

8.के अनुसार पुस्तकालय हमारी सांस्कृतिक परिपक्वता का उत्पाद है।
9. विभिन्न लिपियों के हस्तलिखित अभिलेख कोकहते हैं।
10. नालंदा वि. वि. के पुस्तकालय कोने 1205 में आग लगा दी थी।

1.6 सामाजिक परिवर्तन एवं पुस्तकालय

प्राचीन काल में मनुष्य केवल खाने-पीने व सोने में समय व्यतीत करता था, परन्तु वर्तमान में हमारे जीवन शैली, रहन-सहन, कार्यपद्धति, शिक्षा व संस्कृति में व्यापक बदलाव आया है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हम समाज में परिवर्तन इस प्रकार बांट सकते हैं :

औद्योगिक क्रन्ति के पहले का समाज जब मनुष्य केवल कृषि करने, शिकार करने व अन्य गतिविधियों से जुड़ा रहता था।

औद्योगिक क्रन्ति के बाद मनुष्य के जीवन शैली में व्यापक बदलाव आया। मनुष्य द्वारा औद्योगिक उत्पादन उद्योगों के माध्यम से बढ़ता ही गया। कपड़ा उद्योग, कास्मेटिक्स उत्पादन व आरामदेह संसाधनों का व्यापक उत्पादन और उपयोग बढ़ता ही गया।

वर्तमान युग अथवा सूचना युग में तो मनुष्य घर में बैठे-बैठे अपना आफिस कार्य, अपने देश अथवा विदेशों में रह रहे अपने क्लाइंट्स की समस्याओं का समाधान कर सकता है।

सूचना प्रौद्योगिकी जिस देश में जितना अधिक समृद्ध होगा, वह देश उतना ही विकास करेगा। अतः किसी राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक विकास में सूचना प्रणाली महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और सूचना प्रणाली को सशक्त बनाने में पुस्तकालय और सूचना केन्द्रों का मुख्य योगदान है। इस प्रकार आधुनिक समाज में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करके पुस्तकालय व सूचना केन्द्र सूचनाओं का संग्रहण करें, सम्बन्धित सूचनाएं शीघ्रता से प्राप्त कर सम्बन्धित उपयोगकर्ता को उपलब्ध करायें। इसके अतिरिक्त इन सूचनाओं को एक ऐसे प्रारूप में संरक्षित कर सकें ताकि भविष्य में आसानी से उन सूचनाओं का उपयोग हो सके।

अभ्यास प्रश्न 3

निम्नलिखित प्रश्नों का हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए।

1. नालंदा पुस्तकालय मे तीन बड़ी इमारते थी।
2. चीनी यात्री ह्वेनसांग ने नालंदा पुस्तकालय का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।
3. राजाराम मोहन राय फाउण्डेशन बैंगलौर मे स्थित है।
4. इम्पीरियल लाइब्रेरी की शुरुआत 100 पुस्तको के संग्रह से हुई।
5. प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में इनपिलबनेट की स्थापना हुई।

1.7 सारांश

प्राचीनकाल से लेकर अब तक पुस्तकालयों का उत्तरारोत्तर विकास हुआ है। आज पुस्तकालय में संग्रहित पुस्तकें सजावट के लिए नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों के उपयोग के लिए उपलब्ध हैं। पुस्तकालयों के तीव्र विकास के लिए समाज के सभी वर्गों को आगे आना चाहिए, विशेषकर पुस्तकालय से सम्बन्धित छात्रों, अध्यापकों व अन्य कर्मचारियों तथा पुस्तकालय संगठनों को।

आधुनिक पुस्तकालय ज्ञान एवं सूचनाप्रद सामग्री का अधिग्रहण करके उनको इस तरह व्यवस्थित करें ताकि सूचनाओं का अधिकतम उपयोग हो सके। पुस्तकालय न केवल पठनीय सामग्री से भरपूर बल्कि पुस्तकालय भवन भी सुविधा सम्पन्न होना चाहिए ताकि पाठकों को आकर्षित कर सके। सूचना संचार एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके पुस्तकालयों के सेवाओं को कम्प्यूटरों तथा दूरसंचार नेटवर्क के माध्यम से अन्तिम उपयोगकर्ता तक सूचना की पहुँच हो सके, यहीं पुस्तकालयों की आधुनिक अवधारणा है।

1.8 शब्दावली

भण्डारण संग्रह

श्रमसाध्य कठिन

धर्मगंज नालंदा वि.वि. के पुस्तकालय का नाम

नाजिम अकबर के समय पुस्तकालय के निदेशक का पद

अधिनियम कानून

पांडुलिपि हस्तलिखित ग्रंथ

सार्वजनिक सभी के लिए

पालन—पोषण देख—भाल

संरक्षित रक्षा करना

शोध अनुसंधान

1.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1—(1) वर्ष 1957 (2) राजाराम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन (3) चीनी यात्री फाहयान (4) लाइब्रेरिया (Libraria)

अभ्यास प्रश्न 2 — 1.1964-662. बिल्लोथेक (bibliothèque) 3. अलाउद्दीन खिलजी 4. धर्मगंज 5. नाजिम 6. सन् 1891 7. सन् 1991 8. जे.एच.शेरा 9.पांडुलिपि 10. ब्रह्मत्यार खिलजी

अभ्यास प्रश्न 3 — क (हाँ) ख (हाँ) ग (नहीं) घ (नहीं) ड. (हाँ)

1.10 संदर्भ ग्रन्थ सूची

- 1- Agarwal S.D. Library and Society, Jaipur, RBSA Publishers, 1996.
- 2- Khanna, J.K. Library and Society, Kurukshetra, Research Publication, 1987.
- 3- पाण्डेय, एस.के. शर्मा. पुस्तकालय और समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995।
- 4- त्रिपाठी, एस.एम., ग्रन्थालय समाज एवं ग्रन्थालय विज्ञान के पाँच सूत्र तथा प्रौढ़ शिक्षा में ग्रन्थालयी की भूमिका, आगरा, वाई.के. पब्लिशर्स, 1999।
- 5- सैनी, ओमप्रकाश, ग्रन्थालय एवं समाज, आगरा, वाई.के. पब्लिशर्स, 1999।
- 6- अनिरुद्ध प्रसाद, पुस्तकालय विज्ञान के चौदह अध्याय, दिल्ली, मोतीलाल बनारसीदास, 1996।
- 7- पुस्तकालय और समाज, बी.लिब.आई.एस.सी—01, उ.प्र.राजर्षि टंडन मुक्त वि.वि., इलाहाबाद।

1.11 उपयोगी पुस्तकें :

- 1- पाण्डेय, एस.के.शर्मा., पुस्तकालय और समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995।
- 2- त्रिपाठी, एस.एम. ग्रन्थालय समाज एवं ग्रन्थालय विज्ञान के पाँच सूत्र तथा प्रौढ़ शिक्षा में ग्रन्थालयी की भूमिका, आगरा, वाई.के. पब्लिशर्स, 1999।
- 3- Kumar, P.S.G. Foundation of Library and Information Science, Delhi, B.R. Publishing, 2013.
- 4- बगरी, एन.डी., पुस्तकालय पद्धति, इलाहाबाद, नीलाभ प्रकाशन, 1973।

1.12 निबंधात्मक प्रश्न

- 1.पुस्तकालय को परिभाषित करते हुए इसके इतिहास पर प्रकाश डालिए।

-
- 2. पुस्तकालयों की भूमिका की चर्चा कीजिए।
 - 3. सामाजिक परिवर्तन में पुस्तकालय अहम भूमिका निभा सकते हैं। समझाइए।

इकाई- 2 सूचना समाज की अवधारणायें एवं विशेषताएँ

इकाई की रूपरेखा

- 2.1 प्रस्तावना
- 2.2 उद्देश्य
- 2.3 सूचना की अवधारणा
 - 2.3.1 सूचना की मुख्य विशेषताएँ
 - 2.3.2 पुस्तकालय एवं सूचना प्रावधान
 - 2.3.3 सूचना प्रबंधन व पुस्तकालय
 - 2.3.4 सूचना स्त्रोतों के रूप में अन्य संरथाएँ
- 2.4 सूचना समाज की अवधारणा
 - 2.4.1 सूचना समाज का अर्थ
 - 2.4.2 सूचना समाज का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव
 - 2.4.2.1 शिक्षा पर प्रभाव
 - 2.4.2.2 व्यापार व व्यवसाय पर प्रभाव
 - 2.4.2.3 अनुसंधान एवं विकास पर प्रभाव
 - 2.4.2.4 राजनीति पर प्रभाव
 - 2.4.2.5 व्यक्ति के दैनिक जीवन पर प्रभाव
 - 2.4.2.6 मनोरंजन एवं संस्कृति पर प्रभाव
 - 2.4.2.7 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र पर प्रभाव
 - 2.4.3 सूचना समाज की विशेषताएँ
 - 2.4.4 सूचना उपयोगकर्ता
 - 2.4.5 सूचना प्रयोग में अवरोधक तत्त्व
- 2.5 सारांश
- 2.6 शब्दावली
- 2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 2.8 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 2.9 सहायक व उपयोगी पुस्तकें
- 2.10 निबन्धात्मक प्रश्न

2.1 प्रस्तावना

समाज के कल्याण के लिए मनुष्य सदैव चिन्तन करता है। किसी समस्या के समाधान के लिए नये विचार मस्तिष्क में आते हैं, परिकल्पनायें जन्म लेती हैं तथा नये तथ्य उत्पन्न होते हैं। इन्हीं विचारों, परिकल्पनाओं अथवा तथ्यों को क्रमबद्ध करके अन्य को संप्रेषित करते हैं, यही सूचना कहलाती है। किसी राष्ट्र की आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, शैक्षणिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में सूचना सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने—अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ती है। जिस देश की सूचना प्रणाली अच्छी हो, सूचना का भण्डारण हो तथा आवश्यकतानुसार सूचना जन—सामान्य तक पहुंच सके, तभी उस देश का बहुमुखी विकास संभव है। अनुसंधान का सूचना से गहरा संबंध है। किसी भी विषय या क्षेत्र में अनुसंधान का निष्पादन इस बात पर निर्भर करता है कि उस विषय पर सूचनात्मक पाठ्य सामग्रियां उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध हैं कि नहीं। इसलिए सूचना को सर्वशक्तिमान कहा जाता है। आज आधुनिक पुस्तकालयों व सूचना केन्द्रों का मुख्य कार्य उपयुक्त सूचना, उपयुक्त व्यक्ति को, उपयुक्त समय पर उपलब्ध कराना होता है।

सूचना समाज शब्द का प्रयोग विगत 50 वर्षों से होता आ रहा है, परन्तु पिछले कुछ वर्षों में खासकर नवीन सूचना प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रयोग से यह शब्द विशेष लोकप्रिय हुआ। कृषि व उद्योग के क्षेत्र में जो क्रांति हुई उसके पीछे भी सूचना एक महत्वपूर्ण तत्व है। औद्योगिक क्रांति व हरित क्रांति के इस दौर को हम सूचना क्रांति कहें तो अतिशयोक्ति न होगा। हमारे देश की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर भी सूचना का प्रभाव पड़ा है। आज हम सूचना प्रधान समाज की तरफ तेजी से अग्रसर हो रहे हैं।

2.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह बता सकेंगे कि –

- सूचना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं।
- सूचना स्रोतों के रूप में अन्य संस्थाओं का क्या योगदान है।
- सूचना समाज की अवधारणा क्या है तथा इसका क्या प्रभाव है।
- सूचना प्रयोग के अवरोधक तत्व क्या हैं।

2.3 सूचना की अवधारणा

मानवीय समस्याओं के समाधान अथवा उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शोध की आवश्यकता पड़ती है तथा शोध के लिए सूचना। व्यापक अर्थ में सूचना शब्द का तात्पर्य उस ज्ञान से है जो किसी विशेष तथ्यों, घटनाओं तथा विषयों से सम्बन्धित हों तथा इस

प्रारूप में हो ताकि उसका सम्प्रेषण किया जा सके। सामान्य अर्थों में सूचना से तात्पर्य सूचित करना, जानकारी देना, समाचार देना, ज्ञान देना आदि है। इन्फॉर्मेशन शब्द **formatia** या **forma** से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, किसी वस्तु को आधार एवं स्वरूप प्रदान करना। डाटा और सूचना लगभग समानार्थी शब्द है, फिर भी डाटा के विषय में कहा जा सकता है कि इसको क्रमबद्ध करके सूचना के प्रारूप में प्रयोग कर सकते हैं।

परिभाषाएं :

सूचना को सीमित शब्दों में परिभाषित करना संभव नहीं है फिर भी कुछ परिभाषाएं इस प्रकार हैं—

शेरा (J.H.Shera)के अनुसार— “सूचना का आयोग जिस रूप में जीव-वैज्ञानिक एवं ग्रन्थालयी करते हैं, उसे तथ्य कहते हैं। यह एक उत्तेजना है जिसे हम अपनी ज्ञानेन्द्रियों द्वारा प्राप्त करते हैं। यह मात्र एक प्रकार का तथ्य हो सकता है अथवा तथ्यों का सम्पूर्ण समूह हो सकता है ”

बेनर (Norbert Wiener) के अनुसार— बाह्य जगत के साथ जो विनियम होता है, तथा जब हम इसके साथ सामंजस्य स्थापित करते हैं, और अपने सामंजस्य को जिस पर अनुभव करते हैं, उसकी विषय-वस्तु के नाम को सूचना कहते हैं। सक्रियता एवं प्रभावशाली ढंग से जीने का अभिप्राय ही सूचना के साथ जीना है।

बोर्क ने सूचना विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी है— सूचना विज्ञान एक अर्न्तविषयी विज्ञान है जो सूचना की प्रकृति एवं विशेषताओं, सूचना के प्रवाह एवं उपयोग को प्रभावित करने वाली शक्तियों तथा सूचना के अधिकाधिक संग्रह, पूर्णप्राप्ति एवं संचार और सम्प्रेषण करने की श्रमपूर्ण एवं यान्त्रिक विधियों का अन्वेषण करता है।

अतः सूचना विज्ञान एवं सूचना कार्य वस्तुतः प्रलेखन कार्य एवं सेवा के ही रूप हैं, और इसका विकास आधुनिक प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप हुआ है, जिसमें यन्त्रीकरण की स्थिति में सूचना के प्रसार एवं स्थानान्तरण में किसी भी प्रकार की कठिनाई न हो।

2.3.1 सूचना की मुख्य विशेषताएं

- सूचना का सार, निष्कर्ष अथवा संक्षिप्तीकरण किया जा सकता है।
- सूचना का हस्तान्तरण, प्रसारण तथा विश्लेषण किया जा सकता है।
- सूचना को प्रतिस्थापित किया जा सकता है।

- सूचना का संक्षेपीकरण व अनुवाद किया जा सकता है।
- सूचना को संरचनात्मक व क्रियात्मक किया जा सकता है।
- सूचना हमेशा गतिमान रहती है।
- सूचना स्थिर न होकर गतिशील होती है।
- सूचना मूल्यांकन करने योग्य हो सकती है।
- यह अन्य प्रकार के माध्यमों से परिवर्तित की जा सकती है।

2.3.2 पुस्तकालय एवं सूचना प्रावधान—

पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना अद्यतन, बिना भेदभाव के तथा उपयोगकर्ता के समझ के अनुरूप होनी चाहिए। इसके लिए पुस्तकालय कर्मी को प्रशिक्षण की जरूरत होती है जैसे पुस्तकालय में उपलब्ध सेवायें व संसाधन का ज्ञान तथा उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता की समझ होनी चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से हम अपने उपयोगकर्ताओं को परम्परागत तरीकों से हटकर तथा कुछ बेहतर करके संतुष्ट कर सकते हैं। इन्टरनेट पर बहुत सारी सूचनायें उपलब्ध होती हैं, परन्तु ये सूचनायें क्रमबद्ध तथा प्रबन्धात्मक नहीं होती हैं, न तो ये सूचनायें विषय पर होती हैं। यदि पुस्तकालय इन सूचनाओं का वर्गीकरण करके उपयोगकर्ताओं तक पहुँच सुनिश्चित कराते हैं तो न केवल पुस्तकालयाध्यक्ष अपनी भूमिका बढ़ा सकता है बल्कि उपयोगकर्ताओं को भी लाभ होगा। हम इंटरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को विषयवार करके पुस्तकालय के वेबसाइट पर लिंक कर दें तो किसी विषय के उपयोगकर्ता को उसके अध्ययन अनुरूप सामग्री प्राप्त हो सकती है।

अब पुस्तकालयाध्यक्ष व सूचना वैज्ञानिकों को नई तकनीक जैसे बेब 2.0 वेब 3.0 तथा सीमेन्टिक वेब का प्रयोग करके इन्टरनेट पर उपलब्ध सूचनाओं को विषयानुसार संगठित करना चाहिए।

2.3.3 सूचना प्रबन्धन व पुस्तकालय :—

पुस्तकालयों व सूचना केन्द्रों पर उपलब्ध सूचनाओं का प्रबन्ध बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। सार्वजनिक पुस्तकालय अपनी सेवायें समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रदान करती है। अतः सार्वजनिक पुस्तकालयों में उपलब्ध सूचनाओं का प्रबन्धन इस प्रकार हो ताकि किसी भी क्षेत्र से जुड़ा उपयोगकर्ता यहां से लाभान्वित हो सके। विशिष्ट पुस्तकालय जो किसी विशेष विषय अनुसंधान केन्द्र व अपने उद्गम संस्थान से जुड़े हैं, उनके उपयोगकर्ताओं के आशानुरूप वहां उपलब्ध सूचनाओं का प्रबन्धन हो सके ताकि उसका अधिकाधिक लाभ

लिया जा सके। इन पुस्तकालयों को CAS, SDI, Indexing & Abstracting, e-journals, e-books आदि सेवाओं के माध्यम से अपने उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए।

2.3.4 सूचना स्रोतों के रूप में अन्य संस्थाएं –

पुस्तकालय व सूचना केन्द्रों के अलावा अन्य संस्थायें भी सूचना स्रोत के रूप में विद्यमान हैं, यथा— शिक्षण संस्थायें, प्रकाशन संस्थायें, शोध संस्थायें तथा उनके माध्यम से आयोजित होने वाले Conferences, Seminars & Workshops की Proceedings में प्रकाशित व अप्रकाशित सूचनायें उपलब्ध होती हैं। यदि ये संस्थायें अपने निर्धारित लक्ष्यों को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मानदण्डों का अनुपालन करते हैं तो वर्तमान सूचना समाज के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। यद्यपि ये संस्थायें वित्तीय संसाधन के लिए सरकारी अनुदानों पर निर्भर होती हैं, फिर भी ये विभिन्न सूचनाओं व ज्ञान का उत्पादन कर सकती हैं। ये संस्थायें अपने यहां से सृजित सूचनायें पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों, Annual Report इत्यादि माध्यमों से प्रकाशित करती हैं। परन्तु कुछ सूचनायें संस्था की फाइलों में दबी रह जाती हैं। संस्थाओं की निर्देशिकाओं का अध्ययन करके उनके कार्यों, प्रकाशनों व अन्य गतिविधियों के विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

हम इन संस्थाओं को इनके कार्यों के आधार पर तीन समूहों में बांट सकते हैं।

(क) ज्ञान अथवा सूचना को सृजित करने वाली संस्थायें

(ख) ज्ञान अथवा सूचना को प्रसारित करने वाली संस्थायें

(ग) ज्ञान अथवा सूचना की सेवा में संलग्न संस्थायें

अभ्यास प्रश्न 1

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. किसी राष्ट्र की आर्थिक सामाजिक औद्योगिक शैक्षणिक राजनीतिक एवं सांस्कृतिक प्रगति में कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है।

2. सूचना समाज शब्द का प्रयोग किस अवधि से प्रारम्भ हुआ।

3. किसके अनुसार सूचना—विज्ञान एक अंतर्विषयी विज्ञान है।

4. किसके अनुसार सूचना समाज में श्रम व बौद्धिकता को प्राथमिकता दी जाती है।

2.4 सूचना समाज की अवधारणा

सूचना को आज एक शक्ति के रूप में जाना जाने लगा है। आज हमारे सभी क्रियाकलापों का संचालन सूचना के माध्यम से ही संभव हो रहा है। इसलिए आज के समाज को सूचना का समाज कहना अतिशयोक्ति न होगा। सूचना का प्रभाव व्यापार, उद्योग-धंधों, शिक्षण संस्थाओं आदि के साथ मनुष्य की सामाजिक व आर्थिक स्थिति पर भी पड़ा है। मनुष्य के जीवन स्तर के यथा खान-पान एवं आज हमारे सभी दैनिक क्रियाकलापों का संचालन सूचना के माध्यम से ही संभव हो रहा है। इसका प्रभाव व्यापार, उद्योग-धंधों व शिक्षण संस्थाओं पर भी पड़ा है। इसके प्रयोग से लोगों की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में व्यापक बदलाव आया है। मनुष्य की जीवन शैली यथा रहन-सहन, खान-पान आदि में भी सूचना के कारण बदलाव आया है। सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभाव के कारण समाज की दिशा व दशा बदल गयी है, इसलिए आज के समाज को सूचना का समाज कहने में अतिशयोक्ति न होगी।

2.4.1 सूचना समाज का अर्थ

सूचना समाज शब्द दो अन्तर्विषयी, सूचना विज्ञान व सामाजिक विज्ञान का संयोजन है। इस तरह सूचना विज्ञान का समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ा है।

डब्लू. जे. मार्टिन ने सूचना को आर्थिक एवं औद्योगिक शक्ति माना है जो सामाजिक क्रम एवं स्तर में परिवर्तन ला सकती है।

मर्डन कोचन के अनुसार सूचना समाज समुदाय के मस्तिष्क से संसार के मस्तिष्क के विकास का एक स्तर है।

बलेज क्रोनीन के अनुसार सूचना समाज में श्रम व बौद्धिकता को प्राथमिकता दी जाती है।

इस तरह सूचना समाज में श्रम, बौद्धिकता व प्रौद्योगिकी सभी तत्व सम्मिलित होते हैं।

2.4.2 सूचना समाज का विभिन्न क्षेत्रों पर प्रभाव

सूचना उत्पाद और प्रक्रिया दोनों है इसका प्रभाव समाज के प्रत्येक क्षेत्र पर पड़ा है। सूचना समाज में सूचना प्रौद्योगिकी को एक हथियार के रूप में प्रयुक्त किया गया है। नीचे दिये गये कुछ विशेष क्षेत्रों पर सूचना समाज का व्यापक प्रभाव पड़ा है।

2.4.2.1 शिक्षा पर प्रभाव

प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर सामान्य शिक्षा तथा विश्वविद्यालयी स्तर पर विशेष शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक प्रणाली विकसित की गयी है। सूचना प्रौद्योगिकी का साथ मिलने के बाद शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव आया है। प्राथमिक स्तर पर ऑडियो विजुअल के माध्यम से छोटे-छोटे बच्चों को सामान्य ज्ञान-विज्ञान के प्रश्नों को रोचकपूर्ण ढंग से समझाया जा सकता है। विश्वविद्यालयीय स्तर पर छात्र पुस्तकालय के माध्यम से ई-बुक्स, ई-जर्नल्स, इन्टरनेट आदि की सहायता से अल्प अवधि में अपने विषय से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से शैक्षणिक व्यवस्थाओं में व्यापक बदलाव आया है।

2.4.2.2 व्यापार व व्यवसाय पर प्रभाव

समाज में व्यापार व व्यवसाय के विभिन्न प्रारूप हैं। यदि हम किसी विशेष क्षेत्र की आवश्यकता व उस क्षेत्र के निवासियों के अभिरुचि के बारे में सूचना एकत्रित कर सके तो उसके अनुरूप वहां व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। इसी तरह हमारा सूचना समाज हमें हमारा व्यवसाय चुनने में भी मदद कर सकता है।

2.4.2.3 अनुसंधान एवं विकास पर प्रभाव

अनुसंधान का किसी देश के विकास में व्यापक योगदान है। अनुसंधान समाज की आवश्यकता व जनहित को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। यही कारण है कि विकसित देश अनुसंधान पर अधिक धन खर्च कर रहे हैं। अनुसंधान के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग उच्चस्तर को सूचना सेवाओं एवं व्यवसायिक अनुसंधानकर्ताओं के कारण इसकी गुणवत्ता में वृद्धि हुई है।

2.4.2.4 राजनीति पर प्रभाव

राजनीति पर सूचना समाज का व्यापक असर है। राजनीतिज्ञ न केवल सूचना का उपयोग करते हैं, बल्कि वे लोग सूचना के उत्पादक भी हैं। सरकारी एजेंसियां डेटा का संग्रहण, व्यवस्थापन व प्रसारण करती हैं, जिससे सरकारी योजनाओं की सूचनायें प्राप्त हो जाती हैं। हमारे देश में नेशनल इंफार्मेटिक सेंटर का नेटवर्क, कम्प्यूटर आधारित सूचनाओं को विभिन्न सरकारी एजेंसियों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।

2.4.2.5 व्यक्ति के दैनिक जीवन पर प्रभाव

आज हर एक व्यक्ति को अपने दैनिक कार्यों हेतु सूचना की जरूरत पड़ती है। दुकानदार को गल्ले का भाव, किसान को किसी विशेष फसल को उगाने के लिए विधि, गृहणियों को विशेष व्यंजन बनाने आदि के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ती है। इस ढंग

से सूचना समाज के लोगों का रहन—सहन व जीवनस्तर के वृद्धि के रूप में अपना प्रभाव डाला है।

2.4.2.6 मनोरंजन एवं संस्कृति पर प्रभाव

मनोरंजन एवं संस्कृति पर सूचना का असर विद्यमान है। मनोरंजन के क्षेत्र में व टेलिफोन, कम्प्यूटर, मोबाइल आदि के माध्यम से हम अनेक मनोरंजक कार्यक्रमों का आनन्द उठा सकते हैं।

2.4.2.7 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र पर प्रभाव

पुस्तकालय व सूचना केन्द्र अपने—अपने संग्रह की सूचनायें, सूची अथवा प्रसूची के माध्यम से अपने उपयोगकर्ता तक पहुँचाते हैं। यह परम्परागत तरीका अपनाकर पुस्तकालय की सेवायें केवल पुस्तकों के आदान—प्रदान तक सीमित रह सकता है। जबकि सूचना प्रौद्योगिकी के आगमन से पुस्तकालय व सूचना केन्द्रों की सेवाओं में विस्तार हुआ है। यद्यपि सूचना सृजन की मात्रा के कारण सूचना विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। पुस्तकालय व सूचना के क्षेत्र में कार्यरत मानवशक्ति पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के मूल सिद्धान्तों का परिपालन करके व सूचना प्रौद्योगिकी का अनुमोदन करके न केवल सूचना विस्फोट की स्थिति से बच सकते हैं बल्कि अन्य पुस्तकालय सेवाओं में विस्तार दे सकते हैं।

आज उपयोगकर्ता अपने घर बैठे विभिन्न पुस्तकालयों व सूचना केन्द्रों से जरूरी सूचना प्राप्त कर सकता है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों में वांग्यात्मक एवं अवांग्यात्मक डेटाबेसों तक ऑनलाईन पहुँच सुनिश्चित हो पाया है।

2.4.3. सूचना समाज की विशेषताएं –

1. वांछित सूचना उपयोगकर्ता को सही समय पर मिलना,
2. सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना समाज में रोजगार के नये अवसर मिलना,
3. विभिन्न संचार माध्यमों से सूचना का संप्रेषण,
4. सूचना का आर्थिक शक्ति के रूप में उभरना,
5. दूर संचार पर आधारित सूचना सेवायें

2.4.4. सूचना उपयोगकर्ता

पुस्तकालय सूचना सामग्रियों का संग्रह करके, उपयोगकर्ता तक उन सूचनाओं का आसानी से पहुँच सुनिश्चित करती है ताकि उपयोगकर्ता लाभान्वित हो सके। अल्प विकसित देश विभिन्न प्रारूपों में निहित सूचनाओं का अधिग्रहण करते हैं। सूचना उपयोगकर्ता, अनुसंधनकर्ता, अध्यापक, विद्यार्थी, व्यापारी, किसान कोई भी हो सकता है।

2.4.5. सूचना प्रयोग में अवरोधक तत्व

किसी अवरोध के कारण कोई सूचना हम तक पहुँच नहीं पा रही हो अर्थात् सूचना प्रवाह में विभिन्न रुकावटें आती हों, यही सूचनाओं के प्रयोग में अवरोधक तत्व है।

2.4.5.1. भाषा

हम अपने विचारों को विभिन्न भाषाओं में प्रकट करते हैं। हमारे देश में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। किसी भी व्यक्ति के लिए सभी भाषाओं का सीखना असंभव है। यदि माँगी गयी सूचना और उसके अनुरूप दिखती सूचना की भाषा में अन्तर है तो उस सूचना का कोई महत्व नहीं है। सूचना के संप्रेषण में भाषा सबसे प्रमुख समस्या है।

2.4.5.2. समय

सूचना समाज के आधार पर समय भी सूचना के प्रवाह में मुख्य अवरोधक है। एक तो सूचना समय पर प्रकाशित नहीं होती है। किसी सूचना की उपयोगिता उसके सृजन व प्रकाशन के समयान्तराल के कारण खत्म हो जाती है। दूसरा सूचना के प्रकाशन के बाद भी उसकी पहुँच समय पर उसके उपयोगकर्ता तक नहीं पहुँच पाती।

2.4.5.3. आर्थिक समस्या

पुस्तकालयों की आर्थिक स्थिति स्थिर बनी हुई है, जबकि अद्यतन सूचनायें (पुस्तक, पत्र-पत्रिकाएँ, ई-बुक, ई-जर्नल्स के रूप में) महंगी होती जा रही हैं। विदेशी पत्र-पत्रिकाओं की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है। परिणामस्वरूप शोधकर्ता अपने शोध में अद्यतन सूचनाओं का उपयोग महंगी होने के कारण नहीं कर पाते हैं। इस तरह महंगी सूचनाओं का संप्रेषण नहीं हो पाता है, भले ही वह सूचना कितना भी महत्वपूर्ण क्यों न हो।

2.4.5.4. प्रक्रियात्मक जटिलताएं

यदि किसी महत्वपूर्ण सूचना का सृजन परम्परागत प्रारूप में हुआ है तो उसका संप्रेषण बहुत कठिन होता है। उदाहरणार्थ विदेशी प्रकाशनों को अधिग्रहण करने में विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यथा विदेशी विनिमय मंगाने की।

2.4.5.5. प्रशिक्षित मानव शक्ति का अभाव

सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग सूचना के सृजन से लेकर संप्रेषण तक प्रत्येक स्तर पर हो रहा है। सूचनाओं का संग्रहण मशीन पठनीय प्रारूपों में हो रहा है, जैसे-पैन ड्राइव, डी.वी.डी., /सी.डी. रोम इत्यादि। सूचनाओं का संप्रेषण भी विभिन्न प्रारूपों के माध्यम से हो रहा है जैसे- पी.डी.एफ., पेजमेकर तथा स्लाइड इत्यादि। उपरोक्त के सूचना प्राप्त करने

हेतु किसी भी व्यक्ति को न केवल कम्प्यूटर का ज्ञान बल्कि विभिन्न सॉफ्टवेयरों का भी ज्ञान आवश्यक है। यदि इन तकनीकों के बारे में जानकारी नहीं हो तो आवश्यक व उपयोगी सूचना के उपलब्ध होते हुए भी हम उसका उपयोग नहीं कर सकते।

2.4.5.6. सूचना सम्प्रेषण के माध्यमों का आपसी सामंजस्य

सूचना सम्प्रेषण के अत्याधुनिक उपकरण व संसाधन उपलब्ध हैं लेकिन इन संसाधनों के मध्य सामंजस्य का अभाव है। यदि कोई सूचना किसी विशेष प्रारूप में हो परन्तु उपयोगकर्ता उस प्रारूप से अनभिज्ञ है। तथा उसको अन्य मशीन पठनीय प्रारूप में करना चाहते हैं जिसका ज्ञान उपयोगकर्ता को है। यदि उपरोक्त दोनों प्रारूपों में सामंजस्य नहीं है अर्थात् सूचना का प्रारूप बदल नहीं सकता। इस तरह इस उपलब्ध सूचना तक उपयोगकर्ता अपने सामंजस्य के अभाव के कारण नहीं पहुंच सकता।

2.4.5.7. अन्य बाधाएं

1. सूचना विस्फोट के कारण सूचना का कुप्रबन्धन।
2. पुस्तकालय अथवा सूचना केन्द्रों के कर्मियों की निष्क्रियता।
3. जनसंख्या के अनुपात में पुस्तकालय व सूचना केन्द्रों की सीमित संख्या।
4. सूचना के प्रचार व प्रसार में कमी।
5. उपयोगकर्ताओं का जागरूक न होना।
6. पुस्तकालय व सूचना केन्द्रों पर नई तकनीकों की पहुंच न हो पाना।
7. सूचीकरण पद्धति की त्रुटियां।

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. वर्ष आते—आते सूचना समाज ने अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया।
2. समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने—अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ती है।
3. के अनुसार सूचना का उपयोग जिस रूप से ग्रंथालयी करते हैं उसे तथ्य कहते हैं।
4. सूचना वैज्ञानिक को नई तकनीकि जैसे Web 2.0, Web 3.0 तथा ----- का प्रयोग विषय अनुरूप संगठित करने हेतु करना चाहिए।
5. पुस्तकालयों व सूचना केन्द्रों पर उपलब्ध सूचनाओं काबहुत ही महत्वपूर्ण है।

6. संस्थाओं की का अध्ययन करके उसके कार्य प्रकाशन एवं अन्य गतिविधियों विषय में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
7. सूचना समाज शब्द दो अन्तर्विषयी, सूचना विज्ञान व का संयोजन है।
8. भारत में का नेटवर्क कम्प्यूटर आधारित सूचनाओं को विभिन्न सरकारी एजेन्सियों तक पहुंच सुनिश्चित करता है।
9. सूचना प्रवाह में जो रुकावटें, समस्यायें और अवरोध आते हैं उन्हें हम सूचना सम्प्रेषण के कहते हैं।
10. पुस्तकालयों की आर्थिक स्थिति स्थिर बनी हुयी है जबकि (पुस्तक, पत्र-पत्रिकाएं, ई-बुक्स, ई-जर्नल्स) महंगी होती जा रही है।

अभ्यास प्रश्न 3

निम्नलिखित प्रश्नों का हां या नहीं में उत्तर दीजिए।

1. सूचना समाज शब्द का प्रयोग 1990 की अवधि से प्रारम्भ हुआ।
2. समाज के प्रत्येक व्यक्ति को अपने उददेश्य पूर्ति के लिए सूचना की आवश्यकता पड़ती है।
3. सूचना शब्द का शाब्दिक अर्थ ही किसी वस्तु को आकार एवं स्वरूप प्रदान करना।
4. बेनर के अनुसार सक्रियता एवं प्रभावशाली ढंग से जीने का अभिप्राय ही सूचना के साथ जीना है।
5. सूचनाओं का आदान-प्रदान सिर्फ पुस्तकालयों का दायित्व है।

2.5 सारांश

यदि हम समाज के लोग वास्तविक सूचना की सहायता लेकर अपने परिवार व समाज की भलाई करते हैं तभी सूचना प्रौद्योगिकी व सूचना समाज का सही अर्थों में प्रयोग माना जायेगा। औद्योगिक क्रान्ति के बाद सूचना क्रान्ति से ही हमारे समाज में व्यापक बदलाव आया है। सूचना प्रौद्योगिकी में यद्यपि पुस्तकालयों व सूचना केन्द्रों पर सबसे अन्त में प्रभाव डालना शुरू किया, लेकिन उक्त केन्द्रों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा।

पहले ज्यादातर पाठक पुस्तकालयों पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब पाठकों के पास अन्य साधन मौजूद हैं यथा, इंटरनेट, मोबाइल आज मोबाइल का व्यापक उपयोग हो रहा है। लगभग सभी कार्य मोबाइल के प्रयोग से सम्भव हो सकता है। यथा स्कैनिंग, इन्टरनेट का प्रयोग, फोटोग्राफी इत्यादि परन्तु पुस्तकालय व सूचना केन्द्रों के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से सूचनाओं का प्रबन्ध न होने के कारण उनका समुचित उपयोग नहीं कर सकते हैं। अतः

पुस्तकालयाध्यक्ष और सूचना वैज्ञानिकों के लिए यह अवसर भी है और आवश्कता भी है कि अन्य स्रोतों पर सूचनाओं का वर्गीकरण कर जिससे वह सूचना उपयुक्त उपयोगकर्ता तक पहुंच सके।

2.6 शब्दावली

| | |
|-------------|---------------------------|
| अवधारणा | विचार |
| परिकल्पना | अनुमान करना |
| भण्डारण | संग्रह |
| अनुसंधान | शोध |
| सृजन | निर्माण |
| अतिशयोवित | बढ़ा—चढ़ा कर बताना |
| अन्तर्विषयी | अलग—अलग विषयों से संबंधित |
| संप्रेषण | संचार |
| अद्यतन | नवीन |
| प्रावधान | नियम—कायदा |
| व्यापकता | विस्तृत |

2.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1—(1) सूचना (2) वर्ष 1970 (3) बोर्को (4) मर्डन कोचन

अभ्यास प्रश्न 2 — 1. वर्ष 20002. सूचना 3. शेरा 4. सिमेन्टिक बेव 5. प्रबंधन 6. निर्देशिकाओं 7. सामाजिक विज्ञान 8. नेशनल इन्फारमेटिक सेन्टर 9. अवरोध तत्व 10. अद्यतन
सूचनाएँ

अभ्यास प्रश्न 3 — क (हाँ) ख (हाँ) ग (हाँ) घ (हाँ) ड. (नहीं)

2.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. सैनी, ओमप्रकाश, ग्रंथालय तथा समाज, आगरा, वाई.के.पब्लि., 1999।
2. मांगे राम, सूचना एवं समाज, आगरा, एसोशिएटिड पब्लिशिंग हाउस, 2009।
3. त्रिपाठी, एस.एम., संदर्भ एवं सूचना सेवा के नवीन आयाम, आगरा, वाई.के.पब्लिशर्स, 2000।
4. Parasher,R.G. Information and its communication, Ludhiana, Medallion Press,2003.
5. Kumar, PSG. Foundations of Library and Information Science. Delhi, B.R.Pub.,2003.
6. Guha, B. Documentation and Information. Calcutta, Word Press, 2003.
7. पुस्तकालय और समाज, बी.लिब.आई.एस.सी-01, उ.प्र.राजर्षि टंडन मुक्त वि.वि., इलाहाबाद।

2.9 सहायक व उपयोगी पुस्तकें

1. पाण्डेय एस.के.शर्मा, पुस्तकालय और समाज, नई दिल्ली, ग्रंथ अकादमी, 1995.
2. सी. लाल, ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, नई दिल्ली, एस.एस.पब्लिकेशन, 1994.
3. सुन्देश्वरन, के.एस., ग्रंथालय और समाज, नईदिल्ली, एस.एस.पब्लिकेशन, 1998.

2.10 निबंधात्मक प्रश्न

1. सूचना की अवधारणा बताते हुए सूचना की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
2. सूचना समाज का अर्थ क्या है, सूचना समाज की विशेषताएँ बतलाइए।
3. सूचना प्रयोग में अवरोधक तत्वों की चर्चा कीजिए।

इकाई – 3 पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र

इकाई की रूपरेखा

- 3.1 प्रस्तावना
- 3.2 उद्देश्य
- 3.3 पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र
 - 3.3.1 प्रथम सूत्रः पुस्तके उपयोग के लिए है
 - 3.3.2 द्वितीय सूत्रः प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले
 - 3.3.3 तृतीय सूत्रः प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले
 - 3.3.4 चतुर्थ सूत्रः पाठकों का समय बचायें
 - 3.3.5 पंचम सूत्रः पुस्तकालय निरंतर वर्धनशील संस्था है
- 3.4 सारांश
- 3.5 शब्दावली
- 3.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 3.7 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 3.8 उपयोगी पुस्तकें
- 3.9 निबन्धात्मक प्रश्न

3.1 प्रस्तावना

ग्रन्थालय विज्ञान के मौलिक सिद्धान्तों का उद्भव एवं विधिवत प्रतिपादन डॉ० रंगनाथन ने किया था। सन् 1924 में अपने प्रशिक्षण के दरम्यान उन्होने ग्रेट ब्रिटेन के अनेक पुस्तकालयों का भ्रमण किया। वस्तुतः इस नवीन प्रकार की अवधारणा का सूत्रपात उनके मस्तिष्क में उसी समय हो गया था। डॉ. रंगनाथन ने प्रशिक्षण के दौरान अनुभव किया कि पुस्तकालयों में प्रयोग एवं प्रविधियों में कही एकरूपता स्थापित नहीं हैं। साधारणतः भिन्न-भिन्न पुस्तकालयों में अलग-अलग प्रयोग एवं प्राविधियाँ हैं। सन् 1925 में जब डॉ. रंगनाथन भारत लौटे, तब विदेश के पुस्तकालय में प्रचलित प्रयोग एवं प्राविधियों को कुछ संशोधन करके मद्रास विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में लागू किया। पाठकों की प्रतिक्रिया एवं आवश्यकता के आधार पर क्रमशः उनमें परिवर्तन किया जाता रहा। परन्तु सैद्धांतिक स्तर पर सिद्ध करने के लिए मौलिक सिद्धान्तों का उदय अभी नहीं हुआ था। वे इसकी खोज में लगे रहे। वे चाहते थे कि कुछ मौलिक सिद्धान्त हो जो स्थिर हो, जिसके प्रयोग से ग्रन्थालय के सब कार्य एवं विषयों को पुस्तकालय विज्ञान की संज्ञा दी जा सके। दिसम्बर 1928 ई. में दक्षिण भारतीय शिक्षक संघ ने डॉ. रंगनाथन को चिदम्बरम में एक प्रान्तीय शिक्षा सम्मेलन में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया। व्याख्यान दिसम्बर माह में देना था लेकिन उन्हे निमंत्रण जुलाई मे प्राप्त हो गया था। डॉ. रंगनाथन को व्याख्यान का विषय स्वयं निश्चित करना था उन्होनें सोचा कि क्यों नहीं व्याख्यान पुस्तकालय विज्ञान पर ही दिया जाय। परिणामतः पुस्तकालय विज्ञान विषय पर उन्होने चिन्तन शुरू कर दिया। सर्वप्रथम उन्होने द्वितीय एवं तृतीय सूत्र को एक युग्मक के रूप मे सूत्रपात किया इसके बाद चतुर्थ एवं पंचम सूत्र का सूत्रपात किया। प्रथम अर्थात् आधारभूत सूत्र को मूर्तरूप न दे सकने के कारण उनका मन चिंतित था। एक दिन उनके भूतपूर्व प्राध्यापक B.Ross ग्रन्थालय मे रंगनाथन के पास आये। रंगनाथन को चिंतित मुद्रा मे पाकर चिंता का कारण पूछे। कारण ज्ञात होने के पश्चात वे भी गंभीर चिंतन में डूब गये। थोड़ी देर बाद वे जाने लगे। डॉ. रंगनाथन द्वार तक छोड़ने गए। अचानक प्राध्यापक का चेहरा खिल उठा और रंगनाथन से पूछा कि “Books are for use” क्या इसे ही आप खोज तो नहीं रहे थे? रंगनाथन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस प्रकार प्रथम सूत्र का उदय हुआ। इस प्रकार चार सूत्र का प्रादुर्भाव हुआ। कोलन क्लासिफिकेशन मे संख्या चार रोग का सूचक है जिसे शुभ नही माना जाता है तथा संख्या पांच शक्ति का प्रतीक है। अतः मौलिक सिद्धान्त कम से कम पाँच होने चाहिए। परन्तु पूर्व में प्रतिपादित चार सूत्र थे फलस्वरूप युग्मक द्वितीय सूत्र को विभाजित कर द्वितीय एवं तृतीय सूत्र को प्रतिपादित किया गया इस प्रकार पांच सूत्रों का प्रतिपादन हुआ परिणामतः 1931 ई. मे पाँच सूत्रों को मार्गदर्शक कांति के रूप मे प्रकाशित किया गया।

3.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह बता सकेंगे कि –

पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों का प्रतिपादन किस प्रकार हुआ।

पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों की आवश्यकता क्या है।

पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्र कौन से हैं।

3.3 पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्र

- 1 पुस्तके उपयोग के लिए है।
 - 2 प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले।
 - 3 प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले।
 - 4 पाठकों का समय बचाएं।
- इसका उपसूत्र –कर्मचारियों के समय को बचाएं।
- 5 ग्रन्थालय निरतंर वर्धनशील संस्था है।

इन पाँच सूत्रों ने पुस्तकालय जगत में क्रान्ति ला दी। इन सूत्रों ने पुस्तकालय के नाम से प्रसिद्ध विषय को पुस्तकालय विज्ञान का नाम दिया।

3.3.1 प्रथम सूत्र : पुस्तके उपयोग के लिए है

डॉ. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित यह सूत्र विज्ञान के नियमों की भाँति अकाट्य सत्य है जिस पर किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। डा रंगनाथन द्वारा विरचित प्रथम सूत्र यह कहता है कि ग्रन्थालयों के ग्रंथ उपयोग के लिए होते हैं न कि मात्र संरक्षण के लिए होते हैं। वर्तमान शताब्दी के पूर्वार्ध की अवधि में ग्रन्थों को अलमारियों में बन्द करके रखा जाता था। उस समय पुस्तकालय को पुस्तकों के संग्रहित एवं सरक्षित करने का साधन माना जाता था इस विचार धारा का एक मात्र उद्देश्य ग्रन्थ को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना था परन्तु वर्तमान समय में इस अवधारणा को नकार दिया गया है। उस समय आधुनिक मुद्रणलयों के अभाव में पुस्तके उतनी मात्रा में मुद्रित नहीं होती थी इसलिए उस समय पुस्तकों को पुस्तकालय में आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना स्वाभाविक प्रतीत होता है परन्तु आधुनिक मुद्रणलयों के आविर्भाव से पर्याप्त मात्रा में पुस्तकों के उत्पादन से पुरानी अवधारणाओं में काफी बदलाव आया है। डॉ. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित प्रथम सूत्र यह कहता है कि पुस्तकालयों के ग्रंथ उपयोग के लिए होते हैं न कि मात्र संरक्षण के लिए। पुस्तकालयों में उपलब्ध पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए रंगनाथन ने यह प्रतिपादित किया कि यदि पुस्तकालयों में निम्नलिखित बिन्दुओं का ध्यान

रखा जाये तो ग्रन्थों का अधिक से अधिक उपयोग हो सकता है –

- 1 पुस्तकालय स्थिति
- 2 पुस्तकालय समय
- 3 पुस्तकालय भवन तथा फर्नीचर
- 4 प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारी
- 5 हवा, प्रकाश वातावरण और अन्य सुविधायें तथा
- 6 मुक्त प्रवेश प्रणाली

1 पुस्तकालय स्थिति :

पुस्तकालयों में पुस्तकों के अधिकाधिक उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु पुस्तक एवं पुस्तकालय की स्थापना ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहाँ लोग सरलतापूर्वक पहुँच सके। ग्रन्थालय की स्थिति ऐसे स्थान पर होनी चाहिए जहाँ अधिक से अधिक लोग एकत्रित होते हों। किसी निर्जन एवं दूरस्थ स्थान में ग्रन्थालयों की स्थापना नहीं करनी चाहिए, जहाँ असुविधा के कारण लोग जाना पसन्द न करें। विकसित देशों में पुस्तकों एवं पुस्तकालयों के प्रयोग को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से पुस्तकालय ऐसे सार्वजनिक स्थान पर स्थापित किये जाते हैं जहाँ पाठक आसानी से पहुँच सके, जहां आवागमन के साधन हो। जन ग्रन्थालय या केन्द्रीय ग्रन्थालय नगर के मध्य में स्थापित हो जहाँ अधिक से अधिक लोग आते जाते हों।

पुस्तकालय कहाँ स्थित होना चाहिए इस सम्बन्ध में दो मत हो सकते हैं एक मत यह है कि पुस्तकालय कहाँ दूर एकांत स्थान पर होना चाहिये। ऐसा होने से केवल रुचि रखने वाले गंभीर पाठक ही पुस्तकालय में आयेगे। इससे पुस्तकालय में पढ़ने का वातावरण बनेगा परन्तु यह धारणा रुद्धिवादी है ऐसा करने से गिने चुने लोग ही पुस्तकालय में आयेगें जिससे पुस्तकों के उपयोग में कमी आयेगी इसके विपरीत दूसरी धारणा यह है कि पुस्तकालय केन्द्र स्थान में होने चाहिए। जहां लोग आसानी से पहुँच सके। इससे अधिक से अधिक पाठक पुस्तकालय में पहुँचेंगे तथा पुस्तकों का उपयोग बढ़ेगा। डा रंगनाथन इसी मत के समर्थक थे अतः किसी सार्वजनिक पुस्तकालय को शहर या कस्बे के केन्द्र में तथा विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विश्वविद्यालय के बीचोंबीच खोलना चाहिए इससे अधिक से अधिक लोग पुस्तकालय में आते हैं, जिससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है तथा प्रथम सिद्धान्त की मॉग पूरी होती है।

2 पुस्तकालय समय :

पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम सूत्र का अक्षरशः पालन करने के लिए यह आवश्यक है कि पाठकों की सुविधा एंव मॉग के अनुसार पुस्तकालय को अधिक से अधिक समय तक खुला रखें। इससे पुस्तकों का उपयोग निश्चित रूप से बढ़ता है। सबसे पहले संभवतया यूनिवर्सिटी कालेज लंदन का पुस्तकालय 24 घंटे पाठकों के लिए खोला गया इस सूत्र की मॉग के सन्दर्भ में डा रंगनाथन ने इस बात पर बल दिया है कि पुस्तकालय को उस समय तो अवश्य खुलना चाहिए जब पाठकों के पास खाली समय हो जैसे किसी सार्वजनिक पुस्तकालय को सायंकाल अवश्य खुलना चाहिए क्योंकि उसके पाठकों के पास शाम का समय खाली होता है इसी प्रकार शैक्षिक पुस्तकालयों को विश्वविद्यालय या महाविद्यालय समय अर्थात् जिस समय तक उसके कार्यालय खुले होते हैं तथा कक्षों चलती रहती है, के बाद भी खोला जाना चाहिए परीक्षाओं के कुछ दिन पहले से इनके खुलने के घंटे बढ़ा देना चाहिए इससे पुस्तकों का उपयोग बढ़ता है और प्रथम सूत्र संतुष्ट होता है।

3 पुस्तकालय भवन तथा फर्नीचर :

पुस्तकों के अधिकाधिक प्रभावशाली ढंग से उपयोग के प्रोत्साहन में पुस्तकालय भवन, साज-सज्जा के उपकरण अर्थात् फर्नीचर भी सहायक सिद्ध होते हैं। पुस्तकालय भवन देखने में आकर्षक तथा अंदर से क्रियात्मक होना चाहिए इसमें प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। साज-सज्जा आकर्षक होनी चाहिए तथा पीने के पानी और प्रसाधन की सुविधाएँ भी होनी चाहिए।

पुस्तकालय भवन में प्रथम सूत्र की मॉग के अनुरूप निम्नलिखित विशेषताये होनी चाहिए:-

1. बंद आलमारियों का व्यवहार न कर खुले रैको का व्यवहार करना चाहिए जिससे पाठकों तथा पुस्तकों के बीच कोई रुकावट न आए।
2. रैकों की ऊँचाई उतनी ही होनी चाहिए जितनी ऊँचाई तक पाठकों के हाथ आसानी से पहुँच सके, अधिक ऊँचाई वाले रैको के ऊपरी खानों में रखी पुस्तकों का उपयोग घट जाता है।
3. दो रैकों के बीच इतनी खुली जगह होनी चाहिए कि पाठक आसनी से आ जा सकें।
4. कुर्सियों ऐसी हो जिन पर पाठक आराम से बैठ सके तथा सुविधापूर्वक पढ़ाई कर सकें टेबल पर पुस्तक आदि रखने की पर्याप्त जगह होनी चाहिए। उस पर ट्यूब लाइट लगी हो तो अधिक श्रेयस्कर रहता है।

4 प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारी :

पुस्तकालय केसभी कार्यों को प्रभावशाली ढंग से करने के लिए प्रशिक्षित एवं योग्य कर्मचारी नियुक्त करने चाहियें। पुस्तकालय के वास्तविक निर्माता उसके कर्मचारी होते हैं अतः किसी ग्रन्थालय के कर्मचारी जितने ही योग्य एवं प्रशिक्षित होंगे, वह पुस्तकालय उतना ही अधिक विकासोन्मुख होगा किसी भी पुस्तकालय की उपयोगिता एवं लोकप्रियता का आधार उस ग्रन्थालय के ग्रन्थालयी तथा कर्मचारी के व्यक्तित्व, उनकी योग्यता तथा कार्य करने की शैली पर निर्भर कहता है। अतः प्रथम सूत्र की पुष्टि हेतु योग्य विशिष्ट अभिरुचि तथा अनुशासन वाले कर्मचारी की नियुक्ति करनी चाहिए। कोई पुस्तकालय चाहे कितना भी बड़ा सुव्यविस्थृत सुंदर एवं संपन्न क्यों न हो परन्तु योग्य एवं प्रशिक्षित कर्मचारी के सहयोग के प्रथम सूत्र का पालन नहीं हो सकता।

एक पुस्तकालय कर्मचारी में निम्नलिखित गुण होने चाहिये।

1 पुस्तकों तथा पाठकों के प्रति प्रेम

2 सेवाभाव 3 मृदुभाषी 4 प्रशासनिक क्षमता तथा 5 बुद्धिमान

पुस्तकालय व्यवसाय वस्तुतः सेवा का व्यवसाय है अतः पुस्तकों की उपयोगिता बढ़ाने के लिए पुस्तकालय कर्मचारियों में उपरोक्त पाँच गुण अवश्य होने चाहिए

5 हवा प्रकाश वातावरण एवं अन्य सुविधाएँ :

पुस्तकालय में अध्ययन के लिए पुस्तकालयों के चारों तरफ का वातावरण स्वच्छ शुद्ध एवं शांत होना चाहिए। शुद्ध हवा एवं प्रकाश के कृत्रिम एवं प्राकृतिक दोनों प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके लिए जगह-2 पर खिडकियाँ तथा वातायन बने होने चाहिए साथ ही साथ पुस्तकालयों के पास जलपान गृह की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

6 मुक्त प्रवेश प्रणाली :

पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग हो इसके लिए मुक्त प्रवेश प्रणाली को अपनाना चाहिए जिसके अन्तर्गत पाठकों को पुस्तकों तक पहुँचने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस प्रणाली में पाठकों और पुस्तकों के बीच किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए। इसके विपरीत बंद प्रवेश प्रणाली में पाठकों की पुस्तकों तक सीधी पहुँच नहीं होती, इससे पुस्तकों का उपयोग कम होता है।

3.3.2. द्वितीय सूत्र : प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले

प्रथम सूत्र पाठ्य सामग्रियों की उपयोगिता की सिद्धि में जहां एक ओर कांतिकारी धारणा को जन्म देता है वहाँ पर द्वितीय सूत्र ने ग्रन्थालय के उपयोगकर्ता के क्षेत्र में कांतिकारी भावना का जन्म दिया। प्रथम सूत्र, ग्रंथ की दृष्टि से पुस्तक एवं पुस्तकालय पर विचार करता है वही द्वितीय सूत्र पाठकों की दृष्टि से उन पर प्रकाश डालता है। डा. रंगनाथन का द्वितीय सूत्र यह प्रतिपादित करता है कि ग्रन्थालय में आने वाले प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पुस्तक मिलनी चाहिए अतः इस सूत्र से यह स्पष्ट है कि पुस्तकों सभी के लिए है। द्वितीय सूत्र एक पाठक को अपनी रूचि की पुस्तक पाने का अधिकार देता है। यह अधिकार कुछ विशेष पाठक तक ही सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक पाठक को समान रूप से अधिकार देता है। द्वितीय सूत्र के लिए सभी का अर्थ वास्तव में सभी है, केवल वे ही नहीं जो पढ़ सकते हैं। शिक्षा एवं ज्ञान सार्वजनिक है जब तक इन्हें सबके लिए नहीं बनाया जायेगा व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। जनता ही वास्तव में किसी देश की सम्पत्ति है जिस देश की जनता जितनी ही शिक्षित होगी वह देश उतना ही प्रगति करेगा चाहे वह प्रगति अर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक हो। इस सिद्धान्त का उद्देश्य मानव जाति को शिक्षित, साक्षर एवं योग्य बनाना है। अब यहाँ यह प्रश्न विचारणीय है कि प्रत्येक पाठक को समान रूप से पुस्तकों उपलब्ध कैसे कराई जाएँ? द्वितीय सूत्र इस प्रश्न का उत्तर देता है कि यह कार्य सरकार, पुस्तकालय, प्राधिकरण, पुस्तकालय कर्मचारी तथा पाठकों के सम्मिलित प्रयास तथा सहयोग से ही पूरा हो सकता है इसलिए द्वितीय सूत्र इन चारों के अलग—अलग कर्तव्य निर्धारित करता है, इन कर्तव्यों की व्याख्या निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत की जा सकती है

1. सरकार के कर्तव्य
2. पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य
3. पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य तथा
4. पाठकों के कर्तव्य

1 सरकार के कर्तव्य प्रत्येक देश की सरकार का अपना नागरिकों के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। सबके पढ़ाने लिखाने की व्यवस्था करना भी सरकार का ही कर्तव्य है। पठन—पाठन पुस्तकों के बिना नहीं हो सकता? अतः सरकार का यह कर्तव्य है कि वह समाज के प्रत्येक व्यक्ति के लिए पुस्तकों की व्यवस्था करें इस कर्तव्य की पूर्ति के लिए सरकार को निम्न कार्य करने होंगे

- क अर्थव्यवस्था, वित्त
- ख पुस्तकालय अधिनियम तथा
- ग पुस्तकालय समन्वयन

क अर्थव्यवस्था, वित्त

सबके लिए पुस्तकों की उपलब्धता हेतु प्रचुर धन की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है। पुस्तकालयों के आर्थिक स्त्रोत के साधन किसी व्यक्तियों के बौद्धिक विकास के लिए उपार्जित संस्था है। कोई भी संस्था तब तक विकसित एंव उपयोगी नहीं बन सकती, जब तक की शासन की मान्यता, प्रोत्साहन एंव समर्थन प्राप्त नहीं होता है। धन की व्यवस्था सरकार दो तरीकों से कर सकती है।

1 अनुदान द्वारा

2 पुस्तकालय अधिकर द्वारा

सरकार का यह प्रथम कर्तव्य है कि इन दोनों स्त्रोतों के माध्यम से पुस्तकालय को धन उपलब्ध कराये, पहले तरीके में सरकार पुस्तकालय विकास के लिए निश्चित रकम तय कर देती है दूसरे तरीके के अन्तर्गत सरकार अधिनियम बनाकर स्थानीय प्राधिकरणों जैसे जिला परिषद, नगर पालिका, पंचायत को किसी विशेष प्रकार के कर शहरी संपति कर, आबकारी, मनोरंजन कर आदि कें ऊपर पुस्तकालय अधिकर लगाने का अधिकार देती है। इस अधिकर के लगाने से जो राशि वसूल की जाती है। उसे पुस्तकालय कोष में जमा कर दिया जाता है सामान्यतः अधिकर द्वारा वसूल की गई राशि के बराबर की राशि राज्य सरकार पुस्तकालय कोष में अनुदान के रूप में देती है। इस सम्मिलित राशि द्वारा समाज के उपयोग के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय चलाये जाते हैं। भारत में तीन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय ऐसी ही व्यवस्था के अन्तर्गत चलाए जाते हैं ये तीन राज्य हैं तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटक।

ख पुस्तकालय अधिनियम

सरकार का दूसरा कर्तव्य पुस्तकालय अधिनियम पारित करना है। पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है, समाज के विकास एंव कल्याण में पुस्तकालय का महत्वपूर्ण योगदान है। पुस्तकालयों की स्थापना तथा प्रसार तभी सम्भव है जब तक उसे सरकार की मान्यता एंव समर्थन प्राप्त नहीं होता है। अधिनियम के द्वारा ही सरकार ग्रन्थालयों को धन उपलब्ध कराती है। सरकार देश में राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करती है उदाहण स्वरूप भारत के कई राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू है। वैशिक स्तर पर सार्वजनिक ग्रन्थालय अधिनियम 14 अगस्त 1850 ई.में इंग्लैण्ड में पारित किया गया था

ग पुस्तकालय समन्वयन

पुस्तकालय समन्वयन का अर्थ है प्रत्येक पुस्तकालय तथा प्रत्येक स्तर के पुस्तकालय को एक-दूसरे से जोड़ना। सामान्यतः यह देखा जाता है कि हमारे देश में अधिकतर पुस्तकालय एक स्वंत्र इकाई के रूप में कार्य करते हैं। एक पुस्तकालय का दूसरे पुस्तकालय से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह स्थिति द्वितीय सूत्र की मांग के विरुद्ध है। समाज के प्रत्येक पाठक को उसकी पठन सामग्री की उपलब्धता कराना असम्भव है। यह कार्य केवल पुस्तकालय का जाल या एक दूसरे के समन्वयन द्वारा ही सम्भव हो सकता है। यदि किसी पाठक के काम की कोई पुस्तक उस शहर, जिला राज्य या देश के किसी अन्य

पुस्तकालय में नहीं है तो वह उसे प्राप्त नहीं कर पाता इसका कारण यह है कि पुस्तकालयों में आपसी तालमेल नहीं है कुछ पुस्तकालय अंतर्पुस्तकालय ऋण योजना के अंतर्गत आपसी सद्भाव के कारण एक दूसरे को पुस्तक देते हैं। पुस्तकालय समन्वयन की प्रक्रिया स्थानीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर की जा सकती है। इस प्रक्रिया को 4 ढंग से क्रियान्वित किया जा सकता है।

1. डॉ. रंगनाथन के अनुसार एक लाख या इससे अधिक जनसंख्या वाले शहरों में एक नगर केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित करे और प्रत्येक 2500 जनसंख्या वाले शहर में एक शाखा पुस्तकालय स्थापित किया जाये।
2. प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय स्थापित करना।
3. पुस्तकालयों के बीच सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करना।
4. देश के सभी ग्रन्थालय पद्धतियों का एकीकरण करना।

2 पुस्तकालय प्राधिकरण के कर्तव्य पुस्तकालयों की सुव्यवस्था एवं संतोषजनक सेवा प्रदान करना पुस्तकालय प्राधिकरण का मुख्य कर्तव्य है। द्वितीय सूत्र पुस्तकालय प्राधिकरण के भी तीन कर्तव्य निर्धारित करता है, ये हैं—

1 ग्रंथ चयन : किसी भी ग्रन्थालय की उपदेयता उसके संकलन में निहित उपयोगी ग्रन्थों पर निर्भर करती है। पुस्तकालय का आधार पुस्तक होते हैं क्योंकि ग्रन्थों के बिना किसी भी पुस्तकालय की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि पुस्तकालय को उत्तम बनाना है तो पुस्तकालय में संकलन हेतु उत्तम पुस्तकों का ही संकलन करना चाहिए। ग्रंथ चयन करते समय पाठक की अभिरुचियों एवं उनके विभिन्न प्रकार के स्तरों को ध्यान में रखते हुये करना चाहिए। ग्रंथ चयन के लिए कुछ उद्देश्य एवं सिद्धान्त होते हैं। मेलविल डेवी महोदय ने ग्रंथ चयन का सिद्धान्त अत्यंत ही संक्षेप में स्पष्ट रूप से निम्न प्रकार व्यक्त किया है — अधिकाधिक पाठकों को अल्पतम व्यय पर सर्वोत्तम पाठक सामग्री उपलब्ध कराना ही ग्रंथ चयन का मुख्य ध्येय है। एफ.डब्ल्यू.डयूरी ने कहा है कि ग्रंथ चयन का मुख्य उद्देश्य उपयुक्त पाठक को उपयुक्त समय पर उपयुक्त ग्रंथ प्रदान करना है। डा. रंगनाथन कहते हैं कि ग्रन्थालय के लिए पुस्तकों का चयन करते समय ग्रन्थालय विज्ञान के पॉच में से पहले तीन नियमों को ध्यान में रखकर पुस्तक चयन करना चाहिए। पुस्तकों का चयन करते समय पाठकों की आवश्यकता और मांग को ध्यान में भी रखना जरूरी है।

2 कर्मचारी : द्वितीय सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों के कर्तव्य का भी निर्धारण करता है। द्वितीय सूत्र पुस्तकालय कर्मचारियों से केवल तकनीकी और सैद्धांतिक ज्ञान की ही अपेक्षा नहीं रखता अपितु पुस्तकालय कर्मचारी को अपने पाठकों तथा पुस्तकालय में खरीदी गई पुस्तकों की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए। पुस्तकालय की समुचित व्यवस्था एवं पाठकों की बौद्धिक सेवा हेतु कर्मचारी परिसूत्र के अनुसार कुशल योग्य एवं परिश्रमी कर्मचारियों की नियुक्ति करना पुस्तकालय प्राधिकरण का दूसरा मुख्य कर्तव्य है। पुस्तकालय कर्मचारी के निम्नलिखित दायित्व हैं—

1. निर्धारित नियम एंव कार्यक्रम के अनुसार कार्य करना।
 2. पाठकों की आवश्यकता से अवगत रहना।
 3. पाठक एंव उसकी पुस्तक के बीच यथा समय सम्पर्क स्थापित करने के लिए अपने ज्ञान को बराबर बढ़ाना।
 4. सेवा की भावना से कार्य करना।
- 1 पाठक : द्वितीय सूत्र पाठकों के कर्तव्य का भी निर्धारण करता है इस सूत्र की मॉग के अनुसार पुस्तकें सबके उपयोग के लिए है। किसी एक या कुछ पाठकों के उपयोग के लिए नहीं। अतः प्रत्येक पाठक का यह कर्तव्य है कि वह पुस्तकों को गलत स्थान पर नहीं छिपाए। ऐसा करने से यह पुस्तक दूसरे पाठकों को नहीं मिल पाती और द्वितीय सूत्र भंग होता है। पुस्तकों की चोरी करना, उनके पन्ने फाड़ लेना उन्हे विलम्ब से लौटाना आदि कार्य भी द्वितीय सूत्र की मॉग के विरुद्ध हैं। पाठकों को पुस्तकालय कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए।

3.3.3 तृतीय सूत्र : प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले

यह सूत्र इस बात की घोषणा करता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, यह द्वितीय सूत्र का पूरक भी कहा जा सकता है। यदि पाठकों को पुस्तक पाने का अधिकार है तो पुस्तकों का भी उपयोग किये जाने का अधिकार है। जहाँ द्वितीय सूत्र प्रत्येक पाठक को उसकी अभीष्ट पुस्तक को खोजने की विधियों का उल्लेख करता है। वही तृतीय सूत्र प्रत्येक पुस्तक का उपयुक्त पाठक खोजने पर बल देता है लेखक जो भी पुस्तक लिखता है उसका सदुपयोग होना चाहिए इस तरह पुस्तकों का भाग्य पाठक पर निर्भर करता है, इसलिए ग्रंथालयी का यह कर्तव्य है कि प्रत्येक पुस्तक का उसका योग्य पाठक उपलब्ध कराये।

डा.रंगनाथन ने प्रत्येक पुस्तक के लिए पाठक उपलब्ध कराने हेतु निम्नांकित विधियों तथा साधनों का उपयोग करने का सुझाव दिया है

- 1 मुक्त प्रवेश प्रणाली
- 2 निधानी आंकलन व्यवस्था
- 3 ग्रंथ चयन
- 4 प्रसूची संलेख
- 5 संदर्भ कार्य
- 6 पुस्तकालय प्रचार

7 विस्तार—सेवा

8 पाठकों से सम्पर्क

1 मुक्त प्रवेश प्रणाली: मुक्त प्रवेश प्रणाली का तात्पर्य पुस्तकालय के संग्रहागार में पाठक को किसी भी स्थान पर किसी भी संकलन को देखने, खोजने तथा चयन करने की पूरी स्वतंत्रता होती है। मुक्त प्रवेश प्रणाली के अन्तर्गत पाठक निधानी तक जाते हैं अपने वांछित विषय की पुस्तकों का अवलोकन कर पुस्तकों का अधिक से अधिक उपयोग करते हैं अतः तृतीय सूत्र इस बात पर बल देता है कि पुस्तकालय में मुक्त प्रवेश प्रणाली को अपनाने से प्रत्येक पुस्तक या पाठक को उसकी आवश्यकता की चीजें आसानी से मिल सके।

2 निधानी आंकलन व्यवस्था: डा. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित तृतीय सूत्र के पालनार्थ निधानियों पर ग्रन्थों का व्यवस्थापन किसी वैज्ञानिक विधि के अनुसार होना चाहिए इसका तात्पर्य यह हुआ कि शेल्फ पर पुस्तकों को विषयानुसार व्यवस्थित करने से पाठकों को पुस्तक खोजनें में आसानी होगी।

3 ग्रन्थ चयन: पुस्तकों का चयन पाठकों की अभिरुचि एंवं मांग के अनुरूप होना चाहिए। ग्रन्थों का चयन करते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए:—

1. भाषा के आधार पर पुस्तकों का चयन करना चाहिए। इसका तात्पर्य अधिकांश पाठकों के भाषायी ज्ञान को ध्यान में रखकर ग्रन्थ चयन करना चाहिए उन भाषाओं में प्रकाशित ग्रन्थों का चयन नहीं करना चाहिए जिन्हें पाठक जानते ही नहीं हो।
2. उन पुस्तकों का चयन करना चाहिए जिसके उपयोग करने की सम्भावना अधिकाधिक हों।
3. ऐसी कीमती पुस्तकों का चयन नहीं करना चाहिए जिनका कदाचित् कभी—कभी उपयोग होता हो।
4. प्रसूची संलेख: किसी भी पुस्तकालय की प्रसूची उस पुस्तकालय का दर्पण होता है। ग्रंथालय प्रसूची एक ऐसा साधन अथवा उपकरण होता है, जो पाठक के विभिन्न अभिगमों को संतुष्ट करती है। इस प्रकार ग्रन्थालय प्रसूची एक अत्यन्त प्रभावकारी खोज उपकरण के रूप में पाठकों की सहायता करता है।
5. संदर्भ कार्य: पुस्तकालय विज्ञान के तृतीय सूत्र के पालनार्थ जितनी भी विधियों, उपकरणों तथा ग्रन्थालय साधनों का उपयोग किया जाता है। उनका पूर्णरूप से उपयोग एक सामान्य पाठक नहीं कर सकता। प्रारम्भ में पाठक के समय को बचाने के लिए पुस्तकालय के कर्मचारियों को व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए। पुस्तकालय की पाठ्य सामग्रियों का जितना ज्ञान स्टाफ को होता है, उतना सामान्य पाठक को

नहीं हो पाता। अतः प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले के पालनार्थ, प्रत्येक ग्रन्थालय में संदर्भ सेवा का प्रावधान होना चाहिए।

- 6 पुस्तकालय प्रचार:** पुस्तकालय प्रचार का सम्बन्ध गतिविधियों से है जिनके द्वारा पुस्तकालय, उसके पुस्तक संग्रह तथा सेवाओं से समाज के सदस्यों को परिचय कराया जाता है तथा पाठकों को पुस्तकालय का उपयोग करने के लिए आकर्षित किया जाता है। आज के व्यस्त समाज में तथा भारत जैसे विकासशील देश में ग्रन्थालय का प्रचार करना बहुत आवश्यक है। भारत की अधिकांश जनता धार्मिक प्रवृत्ति होने से डॉ. रंगनाथन का सुझाव है कि अध्ययन एवं ज्ञान के प्रति लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए कथा-कीर्तन के माध्यम से प्रचार कर लोगों को अध्ययन एवं ज्ञान प्राप्त करने के प्रति जागरूक किया जा सकता है।

पाश्चात्य देशों में समाचार पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविजन तथा प्रदर्शनी के माध्यम से प्रचार करने की व्यवस्था की जाती है। भारत में नवम्बर माह में 14–20 नवम्बर तक प्रत्येक वर्ष भूतपूर्व प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरू के जन्म दिवस पर ग्रन्थालय सप्ताह मनाया जाता है। जिससे अधिक से अधिक लोग ग्रन्थालय के प्रति आकर्षित हो एवं जानकारी प्राप्त कर सके।

- 7 **विस्तार सेवा:** विस्तार सेवा ग्रन्थालय को समाज में लोकप्रिय करने का एकमात्र साधन होती है। ग्रन्थालय के विस्तार सेवाओं से अर्थ प्रदर्शनी, भाषण, चलचित्र प्रदर्शन, संगीत अथवा नाटकीय कार्यक्रमों के द्वारा ग्रन्थालय का प्रचार एवं प्रसार करने से लगाया जाता है, जिससे पाठक ग्रन्थालय द्वारा प्रदत्त सेवाओं का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके।

पुस्तकालय में विस्तार सेवा दो प्रकार से पदान की जा सकती है—

(क) आन्तरिक विस्तार सेवा

(ख) बाह्य विस्तार सेवा ।

वे विस्तार सेवा जो ग्रन्थालय के अन्दर ही पाठकों को प्रदान की जाती है, जैसे—ग्रन्थालय के बारे में जानकारी, सूची के उपयोग के बारे में समझाना, पाठ्य सामग्री की जानकारी देना आदि। दूसरी विस्तार सेवायें वे होती हैं, जो ग्रन्थालय के अन्दर न दी जाकर ग्रन्थालय के बाहर जनता के बीच दी जाती हैं।

- 8 पाठकों से सम्पर्क:** पुस्तकालय में नियमित रूप से आने वाले पाठकों से सम्पर्क स्थापित कर पुस्तकालय व्यवस्था से उसकी सुविधा एवं असुविधा तथा उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर पुस्तकालय में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन कर पुस्तक तथा पुस्तकालय दोनों का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। पुस्तकों को खोजते समय आवश्यकता के अनुसार पाठकों का मार्गदर्शन करना चाहिए।

1.3.4 चतुर्थ सूत्र :पाठक के समय की बचत कीजिए।

ग्रन्थालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र पाठकों के समय की बचत हो, पाठकों के अमूल्य समय से सम्बंधित है। सामान्यतः चतुर्थ सूत्र, द्वितीय सूत्र के समान पाठकों की उनके बहुमूल्य समय को बचाने के लिए आवश्यक उपाय इंगित करता है। पुस्तकों का उपयोग, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक की धारणा को पूर्णतः पालन करने में सफलता मिल जाने के बाद भी पाठक के समय की समस्याओं को उपेक्षित नहीं किया जा सकता है।

पाठकों का समय बहुमूल्य होता है, इसलिए इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डॉ. रंगनाथन इस सूत्र के पालन हेतु निम्न उपायों का सुझाव दिया है:—

उपाय: पाठकों के समय को बचाने के लिए प्रत्येक पुस्तकालय में निम्नलिखित उपायों को अपनाना अनिवार्य है—

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| (1) पुस्तकालय का स्थान | (2) मुक्त प्रवेश प्रणाली | (3) वर्गीकरण, सूचीकरण तथा |
| शेल्फ व्यवस्था | (4) आदान-प्रदान प्रणाली | (5) प्रलेखन सेवायें। |

- 1 **पुस्तकालय का स्थान:** पाठकों की समय की बचत हो, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए ग्रन्थालय ऐसे स्थान पर होना चाहिए, जिससे पाठकों को पुस्तकालय आने-जाने में समय की बचत हो। इस दृष्टि से ग्रन्थालय केन्द्रीय स्थान पर हो, जहाँ अधिकाधिक लोगों का जमवाड़ा होता हो।
- 2 **मुक्त प्रवेश प्रणाली:** मुक्त प्रवेश प्रणाली की व्यवस्था होने से पाठक कम समय में अपने विषय पर उपलब्ध पुस्तकों का अवलोकन एवं चयन आसानी से कर सकते हैं। जबकि बन्द प्रवेश प्रणाली में पाठकों का समय व्यर्थ में नष्ट होता है। मुक्त प्रवेश प्रणाली का सबसे बड़ा लाभ स्वयं पाठक रट्टैक एरिया में जाकर स्वयं अपनी पुस्तक की तलाश करता है। यदि उसे वह पुस्तक नहीं भी मिलती है तो भी वह उस विषय पर तत्काल दूसरी पुस्तक प्राप्त कर सकता है।
- 3 **वर्गीकरण, सूचीकरण तथा शेल्फ व्यवस्था:** पाठकों का समय बचाने के लिए यह आवश्यक है कि पुस्तकों का वर्गीकरण सावधानीपूर्वक किया जाय, जिससे एक विषय से सम्बंधित सभी पाठ्य पुस्तक एक शेल्फ पर इकट्ठा हो जाय। इसी प्रकार सूचीकरण बनाते समय पाठकों के विभिन्न अभिगमों को ध्यान में रखते हुए लेखक, आख्या, विषय संदर्भ आदि प्रवृष्टिया बनानी चाहिए। चतुर्थ सूत्र की यह माँग है कि पुस्तकालय में उसी वर्गीकरण तथा सूचीकरण प्रणाली को लागू करना चाहिए। जिसमें पाठकों तथा पुस्तकालय-कर्मचारियों का समय कम खर्च हो। उस दृष्टि से Colon Classification तथा Classified Catalogue Code (CCC) अधिक उपयुक्त है। इसी प्रकार शेल्फ पर पुस्तकों की व्यवस्था ठीक से होनी चाहिए,

अर्थात् पुस्तक अपनी सही वर्ग संख्या पर रखी होनी चाहिए। इन सारे उपायों से पाठकों के समय की बचत होती है तथा चतुर्थ नियम संतुष्ट होता है।

- 4 **आदान—प्रदान प्रणाली:** पुस्तकालय में आदान—प्रदान की ऐसी प्रणाली प्रारम्भ करनी चाहिए, जिससे पुस्तकों के आदान—प्रदान में कम से कम समय लगता हो। अतः चतुर्थ सूत्र की मांग है कि रजिस्टर पर पुस्तकों का आदान—प्रदान न किया जाये। इससे काफी समय नष्ट होता है। विगत कई वर्षों से ग्रन्थालय में ब्राउन या नेवार्क (Brown or Newark) पद्धतियों द्वारा पुस्तकों को Issue & Return करने की प्रक्रिया अपनाई जाती रही है, जबकि वर्तमान समय में जो सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है। इसमें किताबों को बार कोड (Bar code) द्वारा Issue & Return किया जाता है, जिससे अल्प समय में उक्त कार्य को बड़ी सरलता से हो जाता है।
- 5 **प्रलेखन सेवायें:** पाठकों का समय बचाने के लिए पुस्तक में एस.डी.आई., सी.ए.एस. आदि प्रलेखन सेवायें चलाना आवश्यक है। इससे पाठकों के समय की बचत होती है और चतुर्थ नियम परिपूर्ण होता है।

3.3.5 पंचम सूत्र : पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है।

पुस्तकालय के चार घटक तत्व हैः— भवन या आकार, पुस्तक—संग्रह, पाठक तथा कर्मचारी। समय क्रम से इन चारों में वृद्धि होती रहती है। पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम चार सूत्र की धारणा पुस्तक, पाठक तथा कर्मचारियों को दृष्टि में रखते हुए पुस्तकालयों की कार्यपद्धति तथा कुशल संचालन पर प्रकाश डालते हैं। जबकि पंचम सूत्र ग्रन्थालय के स्वरूप पर प्रकाश डालता है। ग्रन्थालय एक वर्धनशील संस्था है, जो निरन्तर वर्धनशील संस्था है। यह एक सर्वस्वीकृत धारणा है कि ग्रन्थालय एवं उसकी सेवायें एक विकासशील तंत्र हैं। ग्रन्थालय एक संस्था के रूप में संवर्धनशील जीवंत प्रणाली तंत्र की समर्त गुणों से युक्त है।

डॉ. रंगनाथन के अनुसार जीवन तंत्र के विकास में वृद्धि दो प्रकार से होती है—

(1) शैशव विकास तथा (2) प्रौढ़ विकास।

रंगनाथन ने ग्रन्थालय में संग्रह व भण्डार की तुलना शैशव विकास से की है। ग्रन्थालय सेवाओं की तुलना में प्रौढ़ विकास से की है। ग्रन्थालय के संग्रह व भण्डारण में वृद्धि शैशव विकास के समान है तथा पुस्तकालय सेवा में विकास प्रौढ़ विकास की श्रेणी में आता है।

वृद्धि की पुस्तकालय सम्बन्धी धारणा: जैसाकि पहले कहा जा चुका है, पुस्तकालय के चार घटक हैं— आकार (भवन), पुस्तक संग्रह, पाठक तथा कर्मचारी। पुस्तकालय विज्ञान का

पंचम सूत्र इसी बात पर जोर देता है कि पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है जिसके तहत उपरोक्त चारों घटकों में वृद्धि स्वाभाविक है।

- 1 आकार और संग्रह में वृद्धि: पुस्तकालय में प्रत्येक वर्ष नई पुस्तकें आती है। अतः इसका पुस्तक संग्रह बढ़ता है। इसके परिणामस्वरूप पुस्तकालय का आकार भी बढ़ता है और भवन में विस्तार की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि पुस्तकालयों के आकार-प्रकार तथा डील-डौल में असीमित विस्तार की अनुमति नहीं दी जा सकती।
- 2 पाठक तथा कर्मचारियों का विकास: जिस प्रकार परिवर्तन प्रकृति का नियम है, ठीक उसी प्रकार से पुस्तकालय में पुस्तक संग्रह की वृद्धि के साथ-साथ पाठक तथा कर्मचारियों का भी निरन्तर विकास होता रहता है। कोई भी संस्था उत्तरोत्तर विकासोन्मुख होने से उसके पठन-पाठन करने वाले कर्मचारी तथा छात्र-छात्राओं में निरन्तर वृद्धि होती रहती है।
- 3 वर्गीकरण प्रणाली: वर्गीकरण पद्धति प्रत्येक पुस्तक के विषय एवं उसके भौतिक स्वरूप को सूचित करने तथा ग्रन्थागार में उसका सुनिश्चित स्थान निर्धारित करने वाला साधन है। अतः वर्गीकरण योजना भी विस्तारशील एवं सुविधाजनक होना चाहिए। जिससे नवीन विषयों के पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से उनके सूक्ष्मतम ज्ञातिक्रम में वर्गीकृत या व्यवस्थित किया जा सके। वर्गीकरण पद्धति लचीला तथा पूर्णरूप से संग्राहक होना आवश्यक है। डॉ. रंगनाथन द्वारा निर्मित कोलन क्लासिफिकेशन ड्यूबी द्वारा डेसिमल क्लासीफिकेशन पुस्तकों को वर्गीकृत क्रम में संयोजित करने के लिए उपयोगी तथा सहायक सिद्ध होती है।
- 4 परिचालन प्रणाली: पाठकों तथा पुस्तकों की संस्था में वृद्धि होने पर परिचालन के कार्यों में भी वृद्धि स्वाभाविक है। अतः परिचालन के कार्य में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए परिचालन विधि का नियोजन करना चाहिए। इसके लिए निम्नांकित व्यवस्था का होना आवश्यक है।
 - (1) परिचालन पद्धति: यांत्रिक गुणों से युक्त परिचालन पद्धति अपनाना चाहिए।
 - (2) मुक्त प्रवेश प्रणाली: अवरोधपूर्ण व्यवस्था की उपेक्षा मुक्त प्रवेश प्रणाली पाठक तथा कर्मचारियों के समय की बचत की दृष्टि से सर्वोत्तम प्रणाली है। अतः पुस्तकालय में इस प्रणाली का उपयोग होना चाहिए।
 - (3) पुस्तक वाहिनी: पुस्तकालय में पुस्तक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पुस्तकालय में पुस्तक वाहिनी होनी चाहिए।
- 5 कर्मचारी समिति: एक पुस्तकालय के समस्त कार्यों को प्रभावशाली ढंग से क्रियात्मक रूप देने के लिए पुस्तकालय समिति उपयोगी सिद्ध होती है। पुस्तकालय समिति का कार्य निम्नांकित है—

-
- (1) पुस्तकालय के समर्त कार्यों को प्रभावशाली एवं कुशलतापूर्वक व्यवस्थित ढंग से करने के लिए उपाय सुझाना।
 - (2) पुस्तकालय कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना एवं उसके समस्याओं का समाधान करना।
 - (3) पुस्तकालय के संसाधनों को बढ़ाने के लिए उपाय करना।
 - (4) पुस्तकालय सेवाओं में सुधार के उपाय बतलाना।
 - (5) प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार इसकी बैठक होनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न 1

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

- 1. पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों का प्रतिपादन किसने किया।
- 2. डा. रंगनाथन प्रशिक्षण हेतु किस देश गए थे।
- 3. प्रोलेगोमिना टू लाइब्रेरी सार्इस किस वर्ष में प्रकाशित हुई।
- 4. पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र क्या है।

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

- 1. डा. रंगनाथन वर्ष में विदेश से प्रशिक्षण उपरांत भारत लौटे।
- 2. डा. रंगनाथन को दक्षिण भारतीय शिक्षक संघ ने व्याख्यान हेतु वर्ष में आमंत्रित किया।
- 3. पाठक का समय बचाओं, पुस्तकालय विज्ञान का सूत्र है।
- 4. सार्वजनिक ग्रंथालय अधिनियम इंग्लैण्ड में पारित किया गया।
- 5. डा. रंगनाथन के अनुसार प्रत्येक जनसंख्या वाले शहर में शाखा पुस्तकालय स्थापित किया जाना चाहिए।
- 6. के अनुसार अधिकाधिक पाठकों को अल्पतम व्यय पर सर्वोत्तम पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराना ही ग्रंथ चयन का मुख्य ध्येय है।
- 7. डा. रंगनाथन के अनुसार पुस्तकों का चयन करते समय ग्रंथालय विज्ञान के नियमों को ध्यान में रखकर पुस्तक चयन करना चाहिए।
- 8. प्रणाली अपनाने से पाठक को उसकी पुस्तक आसानी से मिल जाती है।
- 9. भारत में नवम्बर माह की तारीख को ग्रंथालय सप्ताह मनाया जाता है।

-
10. डा. रंगनाथन के अनुसार जीवन तंत्र के विकास में वृद्धि प्रकार से होती है।

अभ्यास प्रश्न 3

निम्नलिखित प्रश्नों का हाँ या नहीं में उत्तर दीजिए।

1. कोलन क्लासीफिकेशन का निर्माण मेलविल ड्यूई द्वारा किया गया।
2. डेसीमल क्लासीफिकेशन का निर्माण डा. रंगनाथन द्वारा किया गया।
3. पुस्तके उपयोग के लिए है, पुस्तकालय विज्ञान का चतुर्थ सूत्र है।
4. ब्राउन/नेवार्क पद्धतियों द्वारा पुस्तकों को इश्यू/रिटर्न किया जाता है।
5. भारत में पुस्तकालय जगत का पिता डा. रंगनाथन को कहा जाता है।

3.4 सारांश

पुस्तकालय विज्ञान के पाँच सूत्रों का प्रतिपादन पुस्तकालय जगत् में क्रांतिकारी कदम है। इस प्रकार डॉ. रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित इन सूत्रों का अधिकतर क्षेत्र ग्रन्थालय विज्ञान का सम्पूर्ण क्षेत्र है। ये सूत्र ग्रन्थालय से सम्बंधित प्रत्येक क्रिया—कलाप तथा सेवाओं पर लागू होते हैं। दूसरे शब्दों में हम इस बात को इस प्रकार कह सकते हैं कि पुस्तकालय में पुस्तकों के चयन, परिग्रहण, वर्गीकरण, प्रसूचीकरण, आदान—प्रदान एवं अन्य आधुनिकतम सभी कार्य एवं सेवायें इन सूत्रों द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार ये सूत्र समस्त पुस्तकालय विज्ञान के मूल आधार हैं।

3.5 शब्दावली

| | |
|-----------|------------------|
| प्रतिपादन | निर्माण |
| मौलिक | मूल तत्व |
| अवधारणा | विचार |
| सूत्रपात | सूत्र |
| प्रविधि | उपयोगी विधि |
| वर्धनशील | सतत बढ़ने वाली |
| युग्मक | जोड़ा |
| मूर्तरूप | आकार प्रदान करना |
| अभिगम | पहुंच |
| अकाट्य | विकल्प न होना |
| संग्रहित | संग्रह |

| | |
|------------|------------------|
| संरक्षित | रक्षा करना |
| मुद्रणालय | प्रिटिंग मशीन |
| निर्जन | जन-साधारण से दूर |
| श्रेयस्कर | अच्छा |
| मृदुभाषी | अच्छी वाणी |
| शैशव | बाल रूप |
| प्रसूचीकरण | सूचना संकलन करना |

3.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1—(1) डा. रंगनाथन (2) ग्रेट ब्रिटेन (3) वर्ष 1931 (4) पाठक का समय बचाओ।

अभ्यास प्रश्न 2 —1. वर्ष 1925 2. वर्ष 1928 3. चतुर्थ 4. 14 अगस्त 1850 5. 25000 6. डयूरी 7. प्रथम तीन 8. मुक्त प्रवेश प्रणाली 9. 14 से 20 नवम्बर 10. दो प्रकार

अभ्यास प्रश्न 3 — क (नहीं) ख (नहीं) ग (नहीं) घ (हाँ) ड. (हाँ)

3.7 संदर्भ ग्रंथ सूची

- पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका, उमेश दत्त शर्मा, अनुवादक, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1963।
- पुस्तकालय और समाज, पाण्डेय०एस०के०शर्मा, ग्रंथ अकादमी, नईदिल्ली, 1995।
- ग्रंथालय, समाज एवं ग्रंथालय विज्ञान के पांच सूत्र तथा प्रौढ़ शिक्षा में ग्रंथालयी की भूमिका, एस.एम.त्रिपाठी, वाई०के०पब्लिशर्स, आगरा।
- ग्रंथालय और समाज, के.एस.सुन्देश्वरन, एस.एस.पब्लिकेशन, नई दिल्ली।
- पुस्तकालय और समाज, बी.लिब.आई.एस.सी—01, उ.प्र.राजर्षि टंडन मुक्त वि.वि., इलाहाबाद।

3.8 उपयोगी पुस्तकें

- दि पब्लिक लाइब्रेरी इन अमेरिकन लाइफ, इमेर्स्टीन रोज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1995।
- ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, सी०लाल, एस.एस.पब्लिकेशन, नईदिल्ली।
- पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका, उमेश दत्त शर्मा, अनुवादक, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1963।
- पुस्तकालय और समाज, पाण्डेय एस० के० शर्मा, ग्रंथ अकादमी, नईदिल्ली, 1995।

3.9 निबंधात्मक प्रश्न

1. पुस्तकालय विज्ञान के प्रथम तीन सूत्र पुस्तकों के चयन के लिए अति महत्वपूर्ण है।
2. पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र की समीक्षा कीजिए।
3. पुस्तकालय विज्ञान के पंचम सूत्र की वर्तमान परिस्थितियों में क्या उपयोगिता है।

खण्ड -2

पुस्तकालय विकास एवं प्रकार

इकाई- 4 भारत में पुस्तकालयों के विकास में आयोग एवं समितियों का - योगदान

इकाई की रूपरेखा

- 4.0 प्रस्तावना
- 4.1 उद्देश्य
- 4.2 पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न आयोग एवं समितियों का योगदान
 - 4.2.1 स्वतंत्रता से पूर्व गठित आयोग एवं समितियों का योगदान
 - 4.2.1.1 भारतीय शिक्षा आयोग (1882)
 - 4.2.1.2 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902)
 - 4.2.1.3 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917)
 - 4.2.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित आयोग एवं समितियों का योगदान
 - 4.2.2.1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)
 - 4.2.2.2 माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)
 - 4.2.2.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रंथालय समिति (1957)
 - 4.2.2.4 भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति (1957)
 - 4.2.2.5 शिक्षा आयोग (1964–66)
 - 4.2.2.6 राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (1972)
 - 4.2.2.7 पुस्तकालय पर राष्ट्रीय नीति (1985)
 - 4.2.2.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)
 - 4.2.2.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधन (1992)
 - 4.2.2.10 राष्ट्रीय योजनाएं
 - 4.2.2.11 आयुर्विज्ञान पुस्तकालय
- 4.3 सारांश
- 4.4 शब्दावली
- 4.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 4.6 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 4.7 उपयोगी पुस्तकें
- 4.8 निबन्धात्मक प्रश्न

4.1 प्रस्तावना

ग्रन्थालयों का इतिहास वस्तुतः लिपि के इतिहास (History of writing) के समानान्तर रहा है। अर्थात् दोनों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि साथ-साथ चलती रही है। भारत में प्राचीन काल से ही पुस्तकालय विद्यमान रहे हैं। प्राचीन काल से ही पुस्तकालयों का महत्व भारत में रहा है। भारत अपने प्राचीन गौरव एवं वैदिक ज्ञान भण्डार के लिए विश्व विख्यात रहा है। विदेशों से आए विभिन्न विद्वानों ने अपने लेखों में इनका वर्णन भी किया है। राजा, पूँजीपति और शासक आदि पुस्तकालयों के शौकीन थे। वैदिक काल, बौद्धकाल व मुगल काल में भी पुस्तकालयों की स्थापना हुई। देशी रियासतों के शासकों ने भी पुस्तकालयों के विकास पर बल दिया। परन्तु विदेशी शासकों के बार-बार आक्रमण से भारत के बहुमूल्य पुस्तकालय नष्ट होते रहे।

अंग्रेजी शासन काल में भारत में पुस्तकालयों को फिर से नवजीवन मिला। अंग्रेजों ने अपने शासन में शिक्षा और पुस्तकालय की नव स्थापना के साथ ही साथ विभिन्न रियासतों में भी शिक्षा और पुस्तकालय पर जोर दिया। अंग्रेजों ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास जो उस समय शासन के केन्द्र बिन्दु हुआ करते थे, ग्रन्थालयों की स्थापना की। सन् 1784 में बंगाल रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ने अपना पुस्तकालय स्थापित किया। सन् 1835 में कलकत्ता के जेओर्सो स्टाकेलर के प्रयत्नों से सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना हुई। इस प्रकार अंग्रेजी शासन काल में स्थापित विभिन्न समितियों व आयोगों ने ग्रन्थालय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

भारत की आजादी के बाद सिन्हा समिति, व अन्य विभिन्न आयोगों व यूजीसी० ने विभिन्न प्रकार के पुस्तकालयों के विकास में अपना योगदान दिया। पुस्तकालयों का समुचित विकास, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभिन्न समितियों व आयोगों की देन द्वारा ही मूर्तरूप ले पाया।

4.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह बता सकेंगे कि –

- स्वतंत्रता पूर्व भारत में पुस्तकालयों का विकास कैसे हुआ।
- स्वतंत्रता पूर्व भारत में पुस्तकालयों के विकास में आयोग एवं समितियों का योगदान क्या था।
- स्वातन्त्र्योत्तर काल में भारत में पुस्तकालयों के विकास में आयोग एवं समितियों का योगदान, और
- स्वातन्त्र्योत्तरकाल में पुस्तकालयों का समग्र विकास कैसे हुआ।

4.3 पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न आयोग एवं समितियों का योगदान

प्राचीन काल से ही भारत में पुस्तकालयों का अस्तित्व रहा है। प्राचीन समय में जब राजतंत्र हुआ करता था, तब राजा लोग अपने मनोरंजन हेतु पुस्तकालयों की स्थापना किया करते थे। जिसकी स्थापना व विकास हेतु अपने मंत्रियों की एक समिति बना दिया करते थे, जो पुस्तकालयों व शिक्षा से सम्बद्ध विद्वानों को बढ़ावा दे। लेकिन पुस्तकालय का मूर्तरूप अंग्रेजों के आगमन के बाद ही हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत में समय—समय पर पुस्तकालयों के विकास के लिए विभिन्न समितियों एवं आयोगों का गठन किया गया। इन समितियों ने शिक्षा को आमजन तक पहुँचाने हेतु पुस्तकालयों के महत्व पर बल दिया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात पुस्तकालयों के विकास में अभूतपूर्व कदम बढ़ाया गया। लेकिन इनके विकास में समितियों व आयोगों का योगदान ही महत्वपूर्ण था। नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई। शिक्षा के प्रचार व प्रसार में पुस्तकालयों के योगदान का महत्व समझा गया और पुस्तकालयों को उच्च शिक्षा एवं शोध की धुरी भी माना गया। प्रमुख समितियों एवं आयोगों के योगदान का वर्णन निम्नलिखित है।

4.3.1 स्वतंत्रता से पूर्व गठित आयोग एवं समितियों का योगदान

पूर्व के निष्कर्षों से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि स्वतंत्रता से पूर्व पुस्तकालयों का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाया। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। स्वतंत्रता से पूर्व भी भारत में अंग्रेजी शासन काल में शिक्षा के उत्थान के लिए बहुत से आयोग व समितियाँ बनी। इन सभी समितियों व आयोगों ने पुस्तकालयों के विकास हेतु सुझाव एवं संस्तुतियां दी। जिसका उल्लेख आगे किया जा रहा है—

4.3.1.1. भारतीय शिक्षा आयोग (1882) :

अंग्रेजी शासन काल में अनेक विद्वानों ने पुस्तकालय के विकास में अपनी भूमिका अदा की परन्तु लार्ड मैकाले को भारत में शिक्षा का अग्रदूत माना जाता है। उनके द्वारा ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की योजना 1833 ई. में बनाई गयी। तत्पश्चात सन् 1854 में वुड घोषणा पत्र जारी हुआ। इस घोषणा पत्र में शिक्षा और शैक्षणिक पुस्तकालयों के विकास की बात कही गयी थी। सन् 1854 के वुड घोषणा पत्र को कार्यान्वित किया गया था या नहीं, इसका निर्धारण करने के लिए सन् 1882 में वाइसराय लार्ड रिपन ने सर विलियम हण्टर की अध्यक्षता में भारतीय शिक्षा आयोग (Indian Education Commission) की स्थापना की। इस आयोग को हण्टर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने कुछ सुझाव व उपाय बताये जिससे की वुड घोषणा पत्र को स्वीकार किया जा सके। इस आयोग की प्रमुख संस्तुति यह थी कि पुस्तकालयों को अधिक

वित्तीय सहायता प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि पुस्तकालय संशोधनों से परिपूर्ण हों इस आयोग की संस्तुतियों में शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की संख्या बढ़ाने पर भी अधिक बल दिया गया।

4.3.1.2 भारतीय विश्वविद्यालय आयोग (1902)

इस आयोग के समय लार्ड कर्जन वाइसराय बन कर भारत आये थे। लार्ड कर्जन जो शिक्षा के प्रचार व प्रसार में विशेष रुचि रखते थे। वास्तव में शिक्षा का विकास लार्ड कर्जन के काल की ही देन थी उन्होंने शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया और विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा प्रणाली व गुणवत्ता दोनों को सुधारने को प्राथमिकता दी। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए उन्होंने 27 जनवरी सन् 1902 को सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। इस कमीशन को रैले कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग ने मुख्य रूप से शिक्षा में सुधार करना व विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना था। अंग्रेजी शासन काल में पहले से स्थापित शिक्षा प्रणाली का सुधार करके उसे दृढ़ बनाना व उसकी भावी उन्नति के लिए प्रयास करना भी इस आयोग का उद्देश्य था। इस आयोग ने अपना उद्देश्य पूरा करने के लिए व विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा को परिष्कृत करने के लिए पुस्तकालयों को सुदृढ़ बनाने हेतु अपनी संस्तुतियों को प्रस्तुत किया। इस आयोग ने इस बात पर अत्यधिक बल दिया कि प्रत्येक शैक्षणिक संस्था में अच्छे गुणवत्ता युक्त पुस्तकालय स्थापित होने चाहिए। जिस शैक्षणिक संस्था के पास अच्छा पुस्तकालय न हो उसे मान्यता बिलकुल न दी जाय। दूसरी संस्तुति पुस्तकालयों के सम्बन्ध में इस आयोग ने दी कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में अच्छे सन्दर्भ ग्रन्थ भी होने चाहिए। विषयवार ग्रन्थों के साथ सामान्य अध्ययन की अच्छी सन्दर्भ पाठ्य सामग्री का संकलन भी होना अनिवार्य है। आयोग की यह संस्तुतियां पुस्तकालयों के विकास के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हुआ।

4.3.1.3 कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग (1917)

इसे सैडलर कमीशन भी कहते हैं। इस आयोग के अध्यक्ष ब्रिटेन के यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के तत्कालीन कुलपति डा० एम० ई० सैडलर थे। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, उन्नयन एवं अनुसंधान के लिए यह आयोग सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग रहा जिसने सेकेण्ड्री स्कूल तथा उच्च माध्यमिक कालेजों (High School and Intermediate Colleges) को विश्वविद्यालयी शिक्षा से पृथक रखने और आवासीय शिक्षा पद्धति पर जोर दिया था। इस आयोग ने विश्वविद्यालयों से स्नातकोत्तर शिक्षा की वकालत की। सन् 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर विभाग की स्थापना की गई। इस आयोग ने इस बात पर बल दिया कि कलकत्ता विश्वविद्यालय या अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर शिक्षा दी जा सकती है या नहीं। इस आयोग को ये अधिकार भी दिये गये ये कि वह अन्य

विश्वविद्यालयों व कलकत्ता विश्वविद्यालय का तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। इस आयोग ने कलकत्ता विश्वविद्यालय व अन्य विश्वविद्यालयों की समस्याओं पर एक गहन अध्ययन किया और शिक्षकों की नियुक्ति, अन्य विषय, विभाग की स्थापना, पाठ्यक्रमों में सुधार, शिक्षा सम्बन्धित कार्यों, परीक्षा कार्य, आन्तरिक प्रशासन, उपाधि वितरण और व्यवसायिक शिक्षा के सम्बन्ध में सुझाव एवं संस्तुतियों को अपने प्रतिवेदन में प्रस्तुत किया।

पुस्तकालयों के विकास के लिए इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव व संस्तुतियां दी हैं—

(क) पुस्तकालयाध्यक्ष को विश्वविद्यालय में सर्वोच्च शैक्षणिक निकाय में एक प्रमुख स्थान दिया जाये।

(क) विद्वानों के मार्गदर्शन में अच्छे पुस्तकालय एवं शोध शालाएं स्थापित की जाये और उनके विकास के लिए वित्तीय सहायता भी सुचारू रूप से दी जाये।

अभ्यास प्रश्न 1

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. भारतीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई ?
2. वुड घोषणा पत्र कब जारी हुआ ?
3. भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब हुई ?
4. कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना कब की गई ?

4.3.2 स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात गठित आयोग एवं समितियों का योगदान

वैसे तो स्वतंत्रता से पूर्व भी बहुत से आयोग व समितियाँ बनी और इन समितियों एवं आयोगों ने अपने सुझाव एवं संस्तुतियां दी लेकिन इन पर ज्यादा अमल नहीं हो पाया। इसका प्रभाव पुस्तकालयों के विकास व गुणवत्ता पर भी पड़ा। पुस्तकालयों के विकास के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो समितियाँ एवं आयोग बने, उनकी संस्तुतियों को मूर्तरूप प्रदान किया गया।

4.3.2.1 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–49)

भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत में सन् 1948 में डा० राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् यह पहला शिक्षा आयोग था। इस आयोग ने ज्ञान विस्फोट की स्थिति और ज्ञान के विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रमों को 3 वर्षीय रखने पर जोर दिया था जो आज

प्रचलित है। इस आयोग ने शिक्षा एवं शिक्षण पद्धति को नया आयाम देने की कोशिश की व आधुनिक शिक्षण पद्धति और शिक्षा में पुस्तकालय को महत्वपूर्ण आधार बताया। साथ ही साथ इस आयोग ने विश्वविद्यालयों ग्रन्थालयों को विश्वविद्यालय का हृदय कहा है जिसके अभाव में शिक्षण कार्यक्रम सुदृढ़ नहीं हो सकता। पुस्तकालय के सन्दर्भ में आयोग ने निम्नलिखित सुझाव व संस्तुतियाँ दी हैं जो इस प्रकार हैं—

(क) प्रत्येक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय का होना अनिवार्य है। शैक्षणिक कार्य हेतु शिक्षक व विद्यार्थियों के लिए पुस्तकालय एवं शोधशाला का होना अति आवश्यक है।

(ख) इस आयोग ने सबसे अच्छी संस्तुति यह दी कि पुस्तकालयों के लिए संस्था के पूरे बजट का 6 प्रतिशत या 40 रूपये प्रति छात्र के हिसाब से अनुदान प्राप्त होना चाहिए। सन्दर्भ ग्रन्थों, सामान्य ग्रन्थों एवं अच्छे प्रकाशनों के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर विशिष्ट या अनावर्तक अनुदान पुस्तकालय को प्राप्त होना चाहिए।

(ग) पुस्तकालय को छात्रों के लिए कम से कम 12 घण्टे खुलना चाहिए जिससे छात्र-छात्राये पुस्तकालय का अधिकाधिक उपयोग कर सकें।

(घ) केन्द्रीय पुस्तकालय में, विभागीय पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री की सूची भी होनी चाहिए।

(ङ) आयोग ने मुक्त प्रवेश प्रणाली (Open Access System) की अनिवार्यता पर जोर दिया है जिससे प्रत्येक पाठक को पुस्तक की उपलब्धता आसानी से हो सके।

(च) प्रशिक्षित व पर्याप्त पुस्तकालय कर्मचारी होने चाहिए।

(छ) पुस्तकालयाध्याक्ष (Librarian) को छात्र-छात्राओं में पढ़ने की रुचि पैदा करने हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहना चाहिए।

(ज) प्रशिक्षित पुस्तकालय कर्मचारी की उपलब्धता के लिए हर प्रान्त में कम से कम एक विश्वविद्यालय में पुस्तकालय विज्ञान (Library) विभाग की स्थापना की जाये।

4.3.2.2 माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–53)

इसे सेकेण्ड्री एजुकेशन कमीशन या मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार ने डा० ए० लक्ष्मणस्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा को विकसित करने हेतु इस आयोग की स्थापना की थी।

इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के सभी पहलुओं का गहन अध्ययन किया और 29

अगस्त सन् 1953 को अपना 240 पृष्ठों का प्रतिवेदन विभिन्न संस्तुतियों के साथ भारत सरकार को सौंप दिया। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता बताई और कृषि शिक्षा, का पुनर्गठन करने की आवश्यकता बताई और कृषि-शिक्षा, सह-शिक्षा, आवासीय विद्यालयों की स्थापना, स्वास्थ्य शिक्षा, नैतिक शिक्षा, परीक्षा प्रणाली एवं सांस्कृतिक गतिविधियों इत्यादि पर अपना परामर्श एवं संस्तुतियां दी। इसके साथ इस आयोग ने पुस्तकालयों के विकास के सम्बन्ध में निम्न संस्तुतियां दी—

- (क) प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में पुस्तकालय का होना अनिवार्य है।
- (ख) पुस्तकालय को विद्यालय का आकर्षक केन्द्र बनाने पर बल दिया गया।
- (ग) छात्रों को ग्रन्थालयों का उपयोग करने में प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए प्रभावशाली एवं प्रज्ञापूर्ण ग्रन्थालय सेवा का प्रावधान किए जाने पर अधिक जोर दिया गया।
- (घ) पुस्तकालय में पुस्तक चयन हेतु शिक्षक एवं विद्वत्तजन को शामिल किये जाने पर बल दिया गया।
- (ङ) प्रत्येक पुस्तकालय में प्रशिक्षित पुस्तकालयाध्यक्ष और कर्मचारियों की नियुक्ति होनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. स्वतंत्र भारत में भारत सरकार द्वारा स्थापित पहला आयोग
..... था ?
2. विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन अध्यक्षता में किया गया ?
3. माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना हुई ?
4. राधाकृष्णन आयोग ने पुस्तकालयों के लिए विश्वविद्यालय के पूरे बजट में से ...
..... प्रतिशत की संस्तुति की ?
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू०जी०सी) की हुई?
6. सन् 1956 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे?
7. यू०जी०सी० द्वारा गठित पुस्तकालय समिति का गठन अध्यक्षता में किया गया?
8. यू०जी०सी० द्वारा गठित पुस्तकालय समिति में पुस्तकालय के अनुदान के आंकलन के लिए प्रति छात्र रूपये की संस्तुति की?

9. फैजी ग्रन्थालय विकास समिति ने प्रांत के सार्वजनिक पुस्तकालय पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था?
10. एजुकेशन कमीशन के प्रतिवेदन कोरिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है।

4.3.2.3 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ग्रन्थालय समिति (1957)

भारत सरकार ने शैक्षणिक ग्रन्थालयों के परिप्रेक्ष्य में सबसे अधिक परिपूर्ण, विस्तृत एवं महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय ग्रन्थालयों से सम्बन्धित प्रलेख यू०जी०सी० पुस्तकालय समिति का प्रतिवेदन है जिसके अध्यक्ष डा० एस.आर. रंगनाथन स्वयं थे। राधाकृष्णन आयोग 1948 की संस्तुतियों के आधार पर इस आयोग का गठन किया गया था।

इस आयोग की संस्तुति के अनुसार भारत सरकार ने सन् 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की। सन् 1956 में भारत सरकार की संसद ने एक विधेयक पारित किया और उसे वैधानिक रूप दिया। उस समय के प्रख्यात अर्थशास्त्री विद्वान डा० सी.डी. देशमुख को UGC का अध्यक्ष बनाया गया। इस आयोग ने शिक्षा सुधार को और आधुनिक तथा शैक्षणिक पुस्तकालयों को विकास की ओर उन्मुख किया। डा० देशमुख के नेतृत्व में यू०जी०सी० ने राधाकृष्णन आयोग की संस्तुतियों को विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के स्तर पर लागू करना शुरू कर दिया। इस समिति ने पुस्तकालयों का निरीक्षण विभिन्न स्तर पर किया और निम्न महत्वपूर्ण सुझाव एवं संस्तुतियां दी—

(क) नए विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को पुस्तकें संग्रह हेतु कम से कम तीन लाख रुपये अतिरिक्त अनुदान दिया जाना चाहिए।

(ख) प्रत्येक छात्र पर 15 रुपये और शिक्षक पर 200 रुपये के हिसाब से पुस्तकालयों के अनुदान का आंकलन किया जाना चाहिए और समय—समय पर इस आंकलन में बदलाव किया जाना चाहिए।

(ग) पुस्तकालय में पुस्तकों की प्रक्रियाकरण जल्द से जल्द करके पाठकों तक पहुँचाने हेतु कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। इस हेतु आयोग ने कुल अनुदान का 10 प्रतिशत कर्मचारियों पर व्यय करने की अनुमति करने की भी संस्तुति दी है।

(घ) पुस्तकों का क्रय पुस्तकालयों के अभिरूचि अनुरूप विषयानुसार एवं न्याय संगत होना चाहिए।

(द) विश्वविद्यालयों में नये विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने हेतु अतिरिक्त अनुदान की व्यवस्था करनी चाहिए।

(च) विश्वविद्यालय स्तर के पुस्तकालय में जहाँ विभिन्न विभागीय पुस्तकालय का भी अस्तित्व होता है एक संघ सूची होनी चाहिए जिससे पुस्तकालय आपस में अन्तर पुस्तकालय आदान-प्रदान कर सके और बेवजह के खर्च में कटौती हो सके।

(छ) छात्रों की संख्या के अनुसार कर्मचारियों का निर्धारण होना चाहिए।

(ज) प्रशिक्षित व योग्य पुस्तकालय कर्मचारियों की उपलब्धता के लिए पुस्तकालय विज्ञान के प्रमाण-पत्र स्तर की शिक्षा की व्यवस्था विश्वविद्यालय में शुरू होनी चाहिए। पुस्तकालय संघ इसमें सहायता कर सकते हैं।

(झ) पुस्तकालय भवन का निर्माण, पुस्तकालय उपस्कर व उपकरण निर्धारित मानकों के अनुरूप होने चाहिए और पुस्तकालयाध्यक्ष को इस तरह के क्रय समितियों में शामिल किया जाना चाहिए।

(ज) अनुपयोगी पुस्तकों को समिति द्वारा समय-समय पर अपलेखित किया जाना चाहिए।

(ट) पुस्तकालयों के मुक्त प्रवेश प्रणाली (Open Access System) होने की दशा में पुस्तकों का खोना स्वाभाविक है, इस हेतु कर्मचारियों को पुस्तकों के खोने का दोषी नहीं माना जाना चाहिए।

(ठ) विश्वविद्यालय व महाविद्यालय के संस्तुत योग्यताओं वाले व्यवसायिक (पुस्तकालय) कर्मचारियों को शिक्षक के समान ही वेतन मिलना चाहिए।

(ड) महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के लिए वित्त का भारत 1/5 एवं 4/5 के अनुपात से प्रादेशिक शासन एवं यू.जी.सी. को वहन करना चाहिए।

उपरोक्त सुझावों एवं संस्तुतियों के अतिरिक्त भी इस समिति ने बहुत सी संस्तुतियाँ दी हैं। यहाँ पर केवल प्रमुख संस्तुतियों पर जोर दिया गया हैं। यू.जी.सी. से रंगनाथन समिति को स्वीकार किया और उसके क्रियान्वयन पर जोर दिया।

4.3.2.4 भारत सरकार द्वारा स्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति (1957)

भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय समिति डॉ एस.आर.रंगनाथन की अध्यक्षता में गठित हुई। इस समिति में पुस्तकालय विकास योजना का 30 वर्षीय कार्यक्रम तैयार किया

था। इस समिति ने शैक्षणिक व सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास की योजना पर बल दिया था।

भारत सरकार ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति व विकास हेतु एक समिति डॉ० ए०पी० सिन्हा की अध्यक्षता में सन् 1957 में गठित की। इस समिति को सिन्हा समिति के नाम से भी जाना जाता है। इस समिति ने 12 नवम्बर सन् 1958 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति की संस्तुतियाँ इस प्रकार हैं—

(क) भारत के प्रत्येक राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित होना चाहिए।

(ख) प्रत्येक नागरिक को पुस्तकालीय सेवा निःशुल्क मिलनी चाहिए।

(ग) देश में पुस्तकालय संरचना इस प्रकार हो — राष्ट्रीय पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, राज्यों के केन्द्रीय पुस्तकालय, मण्डल पुस्तकालय, नगर पुस्तकालय, ब्लाक पुस्तकालय तथा पंचायत पुस्तकालय।

(घ) पुस्तकालय वित्त की व्यवस्था राज्य सरकारों द्वारा पुस्तकालय कर के रूप में की जानी चाहिए।

(ङ) स्थानीय निकायों द्वारा सम्पत्ति कर के रूप में वित्त की व्यवस्था हो। पुस्तकालयों को अद्यतन बनाने के लिए सरकार यू०जी०सी० और राजा राममोहन राय फाउन्डेशन (Raja Ram Mohan Rai Foundation) द्वारा धन की व्यवस्था कर रही है। IASLIC, ILA, NISCAIR, DESIDOC, UNESCO आदि पुस्तकालयों के विकास एवं प्रशिक्षण हेतु सेमिनार व संगोष्ठियों का आयोजन कर रहे हैं।

(च) दूरस्थ शिक्षा पद्धति द्वारा पुस्तकालय व अन्य विभागों में कार्यरत कर्मचारी भी अपनी शिक्षा जारी रख सकते हैं।

इस समिति की संस्तुतियों के कारण ही भारत के ज्यादातर राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू हो चुका हैं।

फैजी ग्रन्थालय विकास समिति (Bombay 1939 : Chairman- Fyzee) ने बम्बई प्रान्त में पुस्तकालयों को विकसित करने की एक योजना प्रस्तुत की जिसमें राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय को 6 श्रेणियों में स्थापित एवं विकसित करने की संस्तुति की गयी थी तथा 1000 जनसंख्या के ग्रामीण क्षेत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना पर जोर दिया।

इस समिति का मुख्य लक्ष्य बम्बई प्रान्त (Bombay State) में क्षेत्रीय एवं केन्द्रीय ग्रन्थालयों की स्थापना एवं विकास पर विस्तृत अध्ययन के साथ समुचित सुझाव एवं संस्तुति करना था।

न्यायमूर्ति गोपालराव एकबोटे समिति (Justice GopalRao Ekbote Committee)

आन्ध्र प्रदेश शासन द्वारा फरवरी 1976 ई0 में एक समिति का गठन न्यायमूर्ति गोपाल राव एकबोटे की अध्यक्षता में किया गया। जिसे आन्ध्र प्रदेश सार्वजनिक ग्रन्थालय अधिनियम 1960 के कार्य पद्धति की समीक्षा करनी थी और इसे अधिक सक्रिय बनाने के लिए आवश्यक संशोधन हेतु सुझाव प्रस्तुत करने थे। एकबोटे समिति ने 1977 ई0 में इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन आन्ध्र प्रदेश शासन को प्रस्तुत कर दिया। जुलाई 1978 ई0 में आन्ध्र प्रदेश शासन ने पुनः दूसरी समिति का गठन किया और वविलाला गोपालकृष्णया (Vavilala Gopalakrishnayya) को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया। इस समिति को व्यक्तिगत ग्रन्थालयों (Private Libraries) जिन्हें शासन द्वारा अनुदान दिया जाता था उनके उन्नयन एवं सक्रिय बनाने के उपायों के लिए सुझाव प्रदान करना था और उन ग्रन्थालयों को आर्थिक अनुदान प्रदान करने की एक पद्धति को सुनिश्चित करना था। इस प्रतिवेदन की अधिकांश संस्तुतियों को 1982 में मान्य कर लिया गया।

तमिलनाडु ग्रन्थालय पुनर्गठन समिति (Tamil Nadu Library Reorganising Committee) तमिलनाडु सरकार ने सन् 1974 में इस समिति का गठन बी0एन0 सुब्रामणियन की अध्यक्षता में किया गया। इस समिति ने सार्वजनिक पुस्तकालयों को सुव्यवस्थित करने हेतु महत्वपूर्ण संस्तुतियों को प्रस्तुत किया जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक जिले में एक जिला पुस्तकालय अधिकारी (District Library Officer) का पद सृजित किया गया।

4.3.2.5 शिक्षा आयोग (1964–66) :-

सन् 1964 में भारत सरकार ने डॉ डी0सी0 कोठारी (Dr. D.C. Kothari) आयोग की स्थापना की। इस एजुकेशन कमीशन के प्रतिवेदन को कोठारी कमीशन रिपोर्ट के भी नाम से जाना जाता है। इस आयोग ने उच्चशिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में पुस्तकालय की भूमिका एवं योगदान पर प्रकाश डाला है। इस आयोग के सुझाव एवं संस्तुतियों का विवरण इस प्रकार हैं—

(क) आयोग ने संस्तुति दी कि पुस्तकालय अनुदान का आंकलन प्रत्येक छात्र पर 200 रुपये और शिक्षक पर 300 रुपये के आधार पर करना चाहिए।

(ख) विश्वविद्यालयी अध्यापकों को पुस्तकालय द्वारा समय—समय पर उनके विषयानुसार आगे बढ़ने में सहायता करनी चाहिए।

(ग) संचालित पाठ्यक्रमों की सफलता हेतु पुस्तकालयी सेवाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।

(घ) विश्वविद्यालय के अनुसंधान व शोधों में पुस्तकालयों को संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।

(ङ) पुस्तकों, छात्रों एवं अध्यापकों में पुस्तकालय के द्वारा सामन्जस्य स्थापित करने चाहिए जिससे व्यक्ति की बौद्धिक जिज्ञासा शान्त हो और छात्रों एवं अध्यापकों को आगे के अध्ययन की प्रेरणा मिले।

(च) छात्रों को उत्साही अध्यापकों द्वारा पुस्तकालय के माध्यम से पुस्तकों के अध्ययन में रुचि जागृत करनी चाहिए। साथ ही साथ पुस्तकालय हेतु पुस्तकों का सही चयन होना चाहिए जिससे उनका उपयोग अधिकाधिक हो।

(छ) किसी भी स्तर की शैक्षणिक संस्था की स्थापना तब तक नहीं की जानी चाहिए जब तक वहाँ एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय की स्थापना न हो। यहाँ सुव्यवस्थित पुस्तकालय का अर्थ एक उत्तम संग्रह, भवन और प्रशिक्षित कर्मचारियों के साथ उपर्युक्त पुस्तकालय उपस्कर व उपकरण से है।

(ज) पुस्तकालयों की सेवाओं को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे उनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा पाठक कर सके। साथ ही साथ संस्था के छात्रों एवं अध्यापकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

उपरोक्त संस्तुतियाँ कोठारी आयोग की मुख्य संस्तुतियाँ हैं। कोठारी आयोग ने पुस्तकालय को किसी भी शैक्षणिक संस्था का अभिन्न अंग माना है। पुस्तकालय के उत्थान के बिना किसी भी शैक्षणिक संस्था चाहे वह महाविद्यालय या विश्वविद्यालय हो, उसकी प्रगति नहीं हो सकती। पुस्तकालय किसी भी ऐसी संस्था का धड़कता हुआ दिल है।

4.3.2.6 राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान(1972)

राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी संस्थान (Autonomous Institution) है। इसका गठन सन् 1972 में राजा राममोहन राय की स्मृति में किया गया था। इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यह संस्थान 'पश्चिम बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट' के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा भारत सरकार से इसे पूर्ण वित्तीय सहायता मिलता है। इस प्रतिष्ठान की स्थापना के उद्देश्य निम्न है –

क. राज्य सरकारों के सहयोग से समस्त भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रगति की योजना बनाकर पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना तथा तदर्थ राज्य सरकारों द्वारा गठित 'राज्य पुस्तकालय योजना समिति' (State Library Planning committee) के माध्यम से अनुदान देना।

ख. विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करने तथा अपनाने के लिए राज्य सरकारों को उत्साहित करना तथा इसके लिए प्रयास करना।

ग. राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति (National Library Policy) के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहना।

घ. अन्य ऐसी गतिविधियाँ चलाना जिससे देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा मिले।

ङ. पुस्तकालयों के विकास के लिए उन संस्थाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना जो पुस्तकालयों के विकास से जुड़ी हुई है।

इनके अतिरिक्त यह प्रतिष्ठान, पुस्तकालय आंदोलनों को गाँव—गाँव में ले जाने के साथ सार्वजनिक पुस्तकालयों, चल पुस्तकालय, बाल पुस्तकालय व जिला ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय खोलने व संचालन हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है। यह प्रतिष्ठान समय—समय पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण और पुस्तक प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है। भारत के ग्रामीण इलाकों में पुस्तकालय स्थापित करके जन चेतना व ज्ञान का प्रसार करना इस प्रतिष्ठान का उद्देश्य रहा है और अब तक बहुत से ऐसे पुस्तकालयों की स्थापना के लिए इसने वित्तीय सहायता प्रदान की है।

गतिविधियाँ : अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रतिष्ठान गतिशील है। इसकी गतिविधियों का विवरण निम्नलिखित बिन्दुओं के अन्तर्गत दिया जा सकता है—

1. पुस्तकालयों को आर्थिक एवं अन्य सहायता।
2. पुस्तकालय संघों को अनुदान।
3. पुस्तकालय अधिनियम।
4. राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति।
5. प्रकाशन— यह प्रतिष्ठान पुस्तकालयों से सम्बन्धित बहुत से प्रकाशन भी प्रकाशित कर रहा है। यह प्रतिष्ठान पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण करने के लिए भी प्रयासरत है, इस दिशा में इसने नेशनल इनफॉरमेशन सेन्टर से अनुबन्ध भी किया है।

4.3.2.7 पुस्तकालय पर राष्ट्रीय नीति (1985)

अक्टूबर 1985 ई0 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के संस्कृति विभाग (Govt. of India, Ministry of HRD, Department of Culture) ने एक समिति का गठन किया। जिसके अध्यक्ष प्रोफेसर डी.पी. चट्टोपाध्याय थे। पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति (NAPLIS) के पूर्ण प्रलेख को इस समिति ने तैयार किया और मई 1985 ई0 में भारत सरकार को इसका प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस समिति की प्रमुख संस्तुतियाँ निम्नलिखित हैं—

1. राष्ट्रीय गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सूचना का उपयोग तथा उन्हें उपलब्ध करने के लिए सभी प्रकार से प्रोत्साहन, सहायता, संरक्षण और समर्थन प्रदान करना।
2. पहले से स्थापित पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली को आधुनिक बनाना और राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम को प्रोत्साहित करना और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना।
3. ऐसी प्रणाली स्थापित करना जो पुस्तकालयों एवं सूचना सुविधाओं को पाठकों की जरूरत के मुताबिक प्रदान करें।
4. प्रत्येक व्यक्ति को नये ज्ञान की खोज हेतु प्रोत्साहित करना जो ज्ञान को संग्रहण करे और पुनः प्रसारण भी करे।
5. ग्रन्थालय एवं सूचना सेवाओं के आयोजन एवं सुव्यवस्था हेतु योग्य एवं सक्षम पुस्तकालय कर्मचारियों, व्यवसायियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना और उनको उत्साहित करना।
6. सामान्य रूप से देश के सभी नागरिकों के लाभ के लिए ज्ञान का संग्रहण करना और उसके यथोचित स्थान पर प्रयोग करना।
7. अनेक रूपों एवं स्वरूपों में उपलब्ध राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर एवं उपलब्धियों को सुरक्षित रखना और उनसे देशवासियों को अवगत कराना।

इस प्रस्तुत नीति प्रलेख की रूपरेखा में 10 प्रमुख अध्यायों में बँटा गया था जैसे

- (1) भूमिका
- (2) उद्देश्य
- (3) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली
- (4) शैक्षिक पुस्तकालय प्रणाली
- (5) विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली

- (6) राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली और वांगमय सूची सेवाएं
- (7) पुस्तकालय मानव संसाधन विकास एवं व्यवसायिक स्तर
- (8) पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण
- (9) सामान्य व्यवसायिक पक्ष
- (10) योग्य प्राधिकरण एवं वित्त व्यवस्था।

चट्टोपाध्याय समिति के प्रतिवेदन का प्रभाव— इस समिति के प्रतिवेदनों से प्रभावित होकर उसके क्रियान्वयन हेतु एक अधिकृत समिति (Empowerment Committee) का गठन तत्काल कर दिया जिसे प्रस्तुत संस्तुतियों के नीति प्रलेख का परीक्षण कर उसके परिणामों से शासन को उपयुक्त निर्णय लेने के लिए अवगत कराना था। इस अधिकृत समिति ने अपने प्रतिवेदन को मार्च 1988 में शासन को प्रस्तुत कर दिया। इस समिति की मुख्य संस्तुतियां इस प्रकार हैं—

1. अखिल भारत पुस्तकालय सेवा की स्थापना करना।
2. पुस्तकालयों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन करना जो पुस्तकालय नीति और उनके विकास के लिए कार्य कर सके।
3. सार्वजनिक पुस्तकालय विकास में केन्द्रीय सरकार का सक्रिय रूप से सहयोग एवं सहभागी होना अति आवश्यक है।
4. सामाजिक शिक्षा और ग्रामीण विकास आदि एजेन्सियों का सार्वजनिक ग्रन्थालय के विकास में सहयोग एवं सहायता करना।
5. राष्ट्रीय ग्रन्थालय, कलकत्ता को सशक्त एवं सक्रिय बनाया जाये।
6. राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली का विकास करना।

4.3.2.8 राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986)

भारत सरकार ने मई 1985 ई0 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Policy on Education) की घोषणा की जो एक प्रकार से वर्तमान स्थितियों में शिक्षा के सभी पहलुओं से सम्बन्धित रही है। इस शिक्षा नीति में दूरस्थ शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं स्वायत्तशासी महाविद्यालयों की पद्धति के अनुसरण करने पर अधिक जोर दिया गया है।

इस सब के साथ—साथ नई शिक्षा नीति में पुस्तकालयों के विकास के लिए भी सुझाव दिये हैं जो इस प्रकार है—

क. पुस्तकालय के समुचित विकास के लिए वित्त की व्यवस्था समुचित संकलन करना।

ख. छात्रों व शिक्षकों के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री का समुचित संकलन करना।

ग. सभी शैक्षणिक संस्थाओं में पुस्तकालयों की अनिवार्यता सिद्ध करना व उत्तम पुस्तकालय स्थापित करने के लिए प्रयास करना।

घ. पुस्तकालयों को अपना संग्रह विकसित करने के लिए वित्तीय सहयाता प्रदान करना।

ड. पुस्तकालयों में नवीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करना जिस से पाठकों को उत्तम सेवाएं कम से कम समय में मिल सके।

4.3.2.9 राष्ट्रीय शिक्षा नीति संशोधन (1992) :

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के पाँच वर्ष तक कार्यान्वयन करने के बाद नई—नई कमियाँ निकल कर आई जिसके फलस्वरूप कुछ संशोधन करके मई 1992 के बाद संशोधित शिक्षा नीति संसद के दोनों सदनों में रखी गई। इस नीति में भी पुस्तकालयों के सर्वांगीण विकास की बात कहीं गई है। इस नीति के तहत महसूस किया कि जब तक पुस्तकालय विकसित नहीं होगे तब तक शिक्षा नीति अधूरी रहेगी। इस नीति में पुस्तकालयों को नवीन सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने की वकालत की गई है। पुस्तकालयों के समुचित विकास के लिए वित्त की व्यवस्था करने की भी वकालत इस राष्ट्रीय शिक्षा संशोधित नीति में की गई। इस प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा संशोधित नीति 1992 ने पुस्तकालयों के विकास में योगदान दिया।

4.3.2.10 राष्ट्रीय योजनाएं :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के लिए समय—समय पर अपनी पंचवर्षीय योजनाओं द्वारा प्रयास किये गये हैं जो इस प्रकार हैं—

प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951–56) के अन्तर्गत एक करोड़ रुपये से भी अधिक का प्रावधान सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए सुनिश्चित किया गया। इस योजना के अन्तर्गत सार्वजनिक पुस्तकालयों में नेटवर्क स्थापित करके केन्द्रीय पुस्तकालयों को जनपदीय पुस्तकालयों से जोड़ना था। ग्रामीण पुस्तकालयों को प्रोत्साहित करना भी इसमें शामिल था। इस योजना की अवधि में महत्वपूर्ण अधिनियम 'ग्रन्थ निक्षेप डिलीवरी बुक्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954' पारित एवं लागू किया गया।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (1956–61) के अन्तर्गत केन्द्रीय, राज्य एवं जनपद पुस्तकालयों की स्थापना की योजना बनाई गयी, लेकिन इसमें संतोषजनक प्रगति देखने को नहीं मिली।

तृतीय पंचवर्षीय योजना (1961–66) के अन्तर्गत पुरानी दोनों पंचवर्षीय योजनाओं के अधूरे कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। इस योजना के अन्तर्गत जिला और ब्लाक स्तर के पुस्तकालयों की स्थापना की गई।

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना (1966–71) के अन्तर्गत पुस्तकालयों के विकास के लिए एक कार्यदल बनाया गया। इस कार्यदल ने सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक चरण योजना तैयार की थी।

आठवीं पंचवर्षीय योजना (1990–95) में पुस्तकालयों के विकास के लिए 1942 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया। इस योजना के अन्तर्गत सभी प्रकार के पुस्तकालयों के विकास की रूपरेखा तैयार की गई। सूचना प्रणाली को विकसित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा।

नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997–2002) के अन्तर्गत पुस्तकालयों की अनुवर्ती अनुसूची एवं विषय बनाने, सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने, पुस्तकालयों के आधुनिकीकरण, नेटवर्क, राष्ट्रीय एवं नगरीय डेटाबेस, आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग आदि की व्यवस्था की गई।

दसवीं पंचवर्षीय योजना (2002–2007) में भी पुस्तकालयों के विकास हेतु बहुत सी योजनाएं बनाई गई। पुस्तकालयों को अद्यतन करने और सूचना प्रणाली के विकास पर जोर दिया गया है। इसी योजना के दौरान ज्ञान आयोग (Knowledge Commission) की स्थापना प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई। ज्ञान आयोग ने पुस्तकालयों एवं पुस्तकालय विज्ञान शिक्षा और कर्मचारियों के शिक्षण के लिए बहुत सी संस्तुतियां की हैं।

4.3.2.11 आयुर्विज्ञान पुस्तकालय :

भारत में आयुर्विज्ञान के पुस्तकालयों एवं उपादेय सूचना प्रणाली को विकसित करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण संस्तुतियों को हेत्थ सर्वे एण्ड डेवलपमेंट कमेटी (Health Survey and Development Committee) के प्रतिवेदन खण्ड 2 में 1946 में प्रकाशित किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष डा० भोरे (Dr. J.Bhore) थे। भारत में कार्यरत सभी मेडिकल पुस्तकालयों की स्थिति का अध्ययन कर केन्द्रीय मेडिकल पुस्तकालय (Central Medical Library) की स्थापना की संस्तुति की थी।

इस समिति ने इस तथ्य का उल्लेख किया था कि भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज के ग्रन्थालय (DGHS Library) के अतिरिक्त देश के किसी भी मेडिकल लाइब्रेरी में 11,000 से अधिक पुस्तकों की संख्या नहीं थी। कालान्तर में उक्त पुस्तकालय को राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान ग्रन्थालय के रूप में परिणित कर दिया गया। परिणामतः

अमेरिका की भाँति भारत में भी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान ग्रन्थालय (National Medical Library) नई दिल्ली में कार्यरत है।

भोरे समिति (Bhore Committee) के 35 वर्ष के पश्चात् 1981 ई0 में एक समिति का गठन आयुर्विज्ञान ग्रन्थालयों (Medical Libraries) की स्थिति का अध्ययन करने और उपयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु किया गया जिसे संकरन समिति (Sankaran Committee) के नाम से जाना जाता है। इस समिति का प्रतिवेदन 1981 ई0 में प्रस्तुत किया गया जिसने देश में इस क्षेत्र की सूचना सेवा के लिए सशक्त ग्रन्थालय एवं सूचना सेवा नेटवर्क की स्थापना हेतु संस्तुति की थी। इसके परिणाम स्वरूप हेल्थ लिंग्वेचर लाइब्रेरी एण्ड इन्फॉरमेशन सर्विस नेटवर्क (HELLIS Network) की स्थापना की गयी है।

अध्यास प्रश्न 3

निम्नलिखित प्रश्नों का हां या नहीं में उत्तर दीजिए।

1. भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है।
2. डा. राधाकृष्णन आयोग ने स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रमों को पांच वर्षीय रखने पर जोर दिया।
3. मुदालियर कमीशन का प्रतिवेदन 240 पृष्ठों का था।
4. राजा राममोहन राय प्रतिष्ठान का गठन 2005 में किया गया।
5. भारतीय नेशनल मेडीकल लाइब्रेरी कलकत्ता में है।

4.3 सारांश :

अंग्रेजों ने भारत में राज करने की नीति के तहत शिक्षा और उससे सम्बन्धित पुस्तकालयों के प्रसार-प्रसार पर विशेष बल दिया। इसी के तहत अंग्रेजों ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में पुस्तकालयों की स्थापना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् जैसे पुस्तकालयों में एकदम से विकास की ओर अपना कदम बढ़ा दिया। लेकिन पुस्तकालयों के विकास में समितियों व आयोगों का महत्वपूर्ण योगदान था।

नई शिक्षा नीति की घोषणा हुई। शिक्षा में पुस्तकालयों के योगदान का महत्व समझा गया और पुस्तकालयों को उच्च शिक्षा एवं शोध की धुरी भी माना गया। वैसे तो स्वतंत्रता से पूर्व भी बहुत से आयोग व समितियाँ बनी और इन समितियों एवं आयोगों ने अपने सुझाव एवं संस्तुतियाँ दी लेकिन इन पर ज्यादा अमल नहीं हुआ। राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान भी सार्वजनिक पुस्तकालयों, चल पुस्तकालयों, बाल पुस्तकालय व जिला-ग्रामीण स्तर पर पुस्तकालय खोलने व संचालन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान

करता है। यह प्रतिष्ठान समय—समय पर कार्यशालाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और पुस्तक प्रदर्शनियों का भी आयोजन करता है।

आजादी के पश्चात् स्वतंत्रता भारत में भारत सरकार द्वारा समय—समय पर विभिन्न आयोगों का गठन किया गया। सभी आयोगों ने शिक्षा को सुदृढ़ रूप प्रदान करने हेतु पुस्तकालयों के विकास की बात कहीं है। इस प्रकार विभिन्न समितियों, संगठन एवं आयोगों ने पुस्तकालयों के विकास के लिए अपनी संस्तुतियों एवं सुझाव दिये, जिनके फलस्वरूप भारत में पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र विकास की ओर अग्रसर हैं।

4.4 शब्दावली :

| | |
|---------------|--------------------------|
| बहुमूल्य | कीमती |
| रियासत | प्रान्त (राज्य) |
| मूर्तरूप | स्वरूप प्रदान करना |
| समुचित | पूर्णरूप में |
| समग्र | हर दिशा में |
| राजतंत्र | राजा का शासन |
| संग्रहित | संग्रह (इकट्ठा) |
| संरक्षित | रक्षा करना |
| अभूतपूर्व | विस्मयकारी |
| उत्थान | विकास |
| अग्रदूत | अग्रणी भूमिका |
| उन्नति | विकास |
| संकलन | इकट्ठा करना |
| व्यावसायिक | रोजगार |
| ज्ञान विस्फोट | अत्यधिक मात्रा |
| अनिवार्यता | अनिवार्य रूप से |
| प्रशिक्षित | परीक्षण पर आधारित शिक्षा |
| पुनर्गठन | फिर से गठन |
| विद्वतजन | विद्वान (श्रेष्ठ) |
| परिपूर्ण | पूरी तरह से |
| अभिरूचि | इच्छा अनुरूप |
| नवजीवन | नया रूप |

4.5 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1—(1) वर्ष 1882 (2) वर्ष 1854 (3) वर्ष 1902 (4) वर्ष 1917

अभ्यास प्रश्न 2 — 1. वि. वि. शिक्षा आयोग 2. डॉ. राधाकृष्णन 3. वर्ष 1952—53 4. छह प्रतिशत 5. सन् 1956 6. डॉ. सी.डी.देशमुख 7. डॉ. रंगनाथन 8. पंद्रह रूपये 9. मुबार्क प्रांत 10. कोठारी कमीशन

अभ्यास प्रश्न 3 — क (हाँ) ख (नहीं) ग (हाँ) घ (नहीं) ड. (नहीं)

4.6 संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. Agarwal S.D. Library and Society, Jaipur, RBSA Publishers, 1996.
2. Isaac, K.A. and Devarajan, ed. Libraries in distance education.
3. Khanna, J.K. Library and Society, Kurukshetra, Research Publication, 1987.
4. Kumar, P.S.G. Foundation of Library and Information Science, Delhi, B.R. publishing, 2013.
5. पाण्डेय, एस.के. शर्मा. पुस्तकालय और समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995।
6. त्रिपाठी, एस.एम., ग्रन्थालय समाज एवं ग्रन्थालय विज्ञान के पाँच सूत्र तथा प्रौढ़ शिक्षा में ग्रन्थालयी की भूमिका, आगरा, वाई.के. पब्लिशर्स, 1999।
7. सैनी, ओमप्रकाश, ग्रन्थालय एवं समाज, आगरा, वाई.के. पब्लिशर्स, 1999।

4.7 उपयोगी पुस्तकें :

- 1 पाण्डेय, एस.के.शर्मा., पुस्तकालय और समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995।
- 2 त्रिपाठी, एस.एम. ग्रन्थालय समाज एवं ग्रन्थालय विज्ञान के पाँच सूत्र तथा प्रौढ़ शिक्षा में ग्रन्थालयी की भूमिका, आगरा, वाई.के. पब्लिशर्स, 1999।
- 3 Khanna, J.K. Library and Society, Kurukshetra, Research publication, 1987.
- 4 Kumar, P.S.G. Foundation of Library and Information Science, Delhi, B.R. Publishing, 2013.
- 5 बगरी, एन.डी., पुस्तकालय पद्धति, इलाहाबाद, नीलाभ प्रकाशन, 1973।

4.8 निबंधात्मक प्रश्न

1. भारत में स्वतंत्रता से पूर्व गठित आयोग एवं समितियों के योगदान की चर्चा कीजिए।
2. भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गठित आयोग एवं समितियों के योगदान की चर्चा कीजिए।
3. राजा राममोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए।

**इकाई – 5 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञानकी राष्ट्रीय नीति (एन०पी०एल०आई०
एस) तथा ज्ञान आयोग के प्रमुख**

इकाई की रूपरेखा

- 5.1 प्रस्तावना
- 5.2 उद्देश्य
- 5.3 विभिन्न राष्ट्रीय सूचना नीतियां
 - 5.3.1 वैज्ञानिक नीति संकल्प
 - 5.3.2 प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य
 - 5.3.3 शिक्षा की राष्ट्रीय नीति
 - 5.3.4 सूचना अधिकार अधिनियम 2005
- 5.4 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति
 - 5.4.1 सप्तम पंचवर्षीय योजना के प्रयास—
 - 5.4.2 योजना आयोग के कार्यबल का पुस्तकालय सेवाओं एवं सूचना विज्ञान पर प्रतिवेदन
 - 5.4.3 राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन द्वारा प्रस्तुत पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति
 - 5.4.4 इन्डियन लाइब्रेरी एसोशियेशन की पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति
- 5.5 सारांश
- 5.6 शब्दावली
- 5.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 5.8 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 5.9 सहायक व उपयोगी पुस्तकें
- 5.10 निबन्धात्मक प्रश्न

5.1 प्रस्तावना

आज के युग में सूचना को एक सशक्त साधन एवं वस्तु माना गया है। राष्ट्र के बहुमुखी विकास एवं प्रगति में अनुसंधान का योगदान अद्वितीय है और अनुसंधान की आधारशिला सूचना है। विश्व के प्रायः सभी देशों में प्रतिवर्ष करोड़ों रूपए अनुसंधान एवं विकास के क्रियाकलापों पर व्यय किए जा रहे हैं, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका अपना विशिष्ट स्थान रखता है। विकासशील देशों में भी अनुसंधान एवं विकास को राष्ट्रीय प्रगति का आधार माना जा रहा है और सूचना को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संसाधन माना गया है। राष्ट्रीय नीतियों को आर्थिक, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी तथा सामाजिक विकास एवं प्रगति का भी आवश्यक साधन माना गया है। परिणामतः ऐसे क्रियाकलापों पर पर्याप्त धन व्यय किया जा रहा है। लेकिन अनुसंधान एवं विकास के कार्य तभी सफल सिद्ध होंगे, जब पुस्तकालयों एवं सूचना सेवा प्रणालियों की सुव्यवस्था हो जो वस्तुतः राष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं पुस्तकालय नीतियों पर अत्यधिक निर्भर करता है। जिस प्रकार पुस्तकालयों के विकास से लिए पुस्तकालय अधिनियम की परमावश्यकता है, उसी प्रकार सर्वोत्तम सूचना एवं पुस्तकालय सेवा तथा सूचना के प्रसार हेतु इससे सम्बंधित नीति की भी आवश्यकता है।

प्रौद्योगिकी के विकास के परिप्रेक्ष्य में यह माना जा रहा है कि एक नवीन समाज का आर्विभाव हो रहा है। वह है— “सूचना उन्मुख समाज”। ऐसी भी कल्पना की जा रही कि “कागज विहीन समाज” का भी अभ्युदय हो रहा है। अतः पुस्तकालयों की व्यवस्था प्रणाली की धारणा, कार्य पद्धति, संगठन एवं व्यवस्था, संचालन एवं सेवाओं की पुरानी मान्यताओं के स्थान पर नवीन मान्यता प्रदान की जा रही है। और नवीन दृष्टिकोण विकसित हुए हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री की सलाह पर 13 जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना, ज्ञान को बढ़ावा देने, प्रबंध करने तथा ज्ञान संस्थाओं के विकास के लिए की गई। इस आयोग के द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के विकास के लिए बहुत सी संस्तुतियां दी गई हैं। यह राष्ट्रीय सूचना नीति, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का एक उन्नत रूप है।

5.2 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह बता सकेंगे कि –

- विभिन्न राष्ट्रीय सूचना नीतियां कौन–कौन सी हैं।
- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय सूचना नीति क्या है।
- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय सूचना नीति की संस्तुतियां क्या हैं।
- इंडियन लाइब्रेरी एसोशियेशन की पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय सूचना नीति क्या है।
- ज्ञान आयोग के प्रमुख प्रावधान क्या है।

5.3 विभिन्न राष्ट्रीय सूचना नीतियां

भारत ने एक राष्ट्र के रूप में यह अनुभव किया है कि वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी एवं आर्थिक प्रगति तथा विकास और श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय व्यवस्था प्रणाली को आधुनिक बनाना तथा सूचना प्रसार के लिए आवश्यक योजना अतिआवश्यक है। भारत सरकार ने यह स्वीकार किया है कि पुस्तकालय व्यवस्था का आधुनिककरण करना, एक सूचना उन्मुख समाज को विकसित करना है। जब तक सूचना तथा ज्ञान का उपयोग करने का जो व्यापक अन्तर विकसित एवं विकासशील देशों में है उसे दूर नहीं किया जाएगा, तब तक विकासशील देशों का सूचना के उपयोग पर प्रभुत्व बना रहेगा। अर्थात् सूचना अभावग्रस्त देश सूचना–सम्बृद्ध देशों से प्रगति एवं विकास में सदैव पीछे रहेंगे।

राष्ट्रीय विकास के संबंध में भारत सरकार ने अपने अनेक राष्ट्रीय नीतियों तथा नियोजन प्रलेखों में सूचना के महत्व एवं प्रभाव का उल्लेख किया है।

5.3.1 वैज्ञानिक नीति संकल्प

भारत सरकार ने 1958 में वैज्ञानिक नीति संकल्प को लागू किया था और यह निश्चय किया था कि उन्नत एवं अल्प विकसित देशों के अन्तर को विज्ञान की प्रगति के माध्यम से ही दूर किया जा सकता है। इस संकल्प का मुख्य उद्देश्य वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकी प्रगति को प्रोत्साहित करना था जिसमें देश का विकास निहित है।

वैज्ञानिक नीति संकल्प का निर्देश ग्रंथालय एवं सूचना सेवा के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित है—

- (1) शैक्षणिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में ज्ञान की प्राप्ति तथा प्रसार में व्यक्तिगत प्रयासों तथा कार्यों को प्रोत्साहित करना।

(2) सामान्य रूप से, वैज्ञानिक ज्ञान की प्राप्ति तथा अनुप्रयोग से जो लाभप्रद वस्तुएं उत्पन्न होती हैं उन्हें देश के लोगों के लिए संग्रह एवं प्राप्त करना।

5.3.2 प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य

भारत सरकार की जनवरी 1983 में घोषित प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य से यह स्पष्टः आभास होता है कि प्रौद्योगिकी सूचना के संकलन एवं विश्लेषण की दक्षतापूर्ण प्रणाली उपलब्ध हो सके।

5.3.3 शिक्षा की राष्ट्रीय नीति

भारत सरकार ने मई 1986 में नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाने की घोषणा की है, जिसके अंतर्गत कार्यरत पुस्तकालयों को उन्नत बनाने, नवीन पुस्तकालयों की संस्थापना तथा सभी संस्थाओं में समुचित पुस्तकालय सुविधाओं को उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

5.3.4 सूचना अधिकार अधिनियम 2005

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया है। इसके माध्यम से सूचनाओं को जनसूचनाएं बनाने पर जोर दिया है। इसके तहत कोई भी नागरिक निर्धारित शुल्क जमा करते हुए किसी भी कार्यालय से सूचना प्राप्त कर सकता है। यह अधिकार सूचना के समुचित उपयोग पर आधारित है।

अभ्यास प्रश्न 1

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. भारत सरकार ने किस वर्ष नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपनाने की घोषणा की।
2. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति किसकी अध्यक्षता में निर्धारित की गई।
3. किस पंचवर्षीय योजना ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान सेवाओं की व्यवस्था एवं आवश्यकताओं को पूर्ण मान्यता दी।
4. यूनेस्को ने किस संगठन द्वारा पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों को विकसित करने का कार्य किया।

5.4 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति

‘बैंकग्राउंड टू इवॉलविंग ए नेशनल इनफॉरमेशन पॉलिसी’ का जो प्रलेख है उसमें

वास्तविक एवं उपयुक्त जनतन्त्र प्रणाली की सफलता के लिए सूचना/ज्ञान को अति आवश्यक माना गया है, जिससे जन-समूह को सामयिक क्रियाकलापों तथा समस्याओं जैसे – राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, गणतांत्रिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी, औद्योगिक आदि से पूर्णतः अवगत रखना है। इस प्रसंग में इस प्रलेख में सार्वजनिक संचार एवं सम्प्रेषण, समाचार-पत्रों, लोकसभा, आकाशवाणी, दूरदर्शन, फ़िल्मों, प्रेस सूचना केन्द्रो, पब्लिकेशन्स डिविजन, अनुसंधान एवं संदर्भ विभाग की भूमिका एवं योगदान को स्पष्ट किया गया है। इनको सार्वजनिक सूचना का अति आवश्यक साधन एवं प्रणाली माना गया है।

अक्टूबर 1985 में भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति को निर्धारित करने के लिए प्रो.डी.पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। मई 1986 में समिति ने अपना प्रतिवेदन व्याख्या से प्रस्तुत किया।

इस प्रतिवेदन में दस अध्याय थे –

- (1) भूमिका
- (2) उद्देश्य
- (3) सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली
- (4) शैक्षिक पुस्तकालय प्रणाली
- (5) विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली
- (6) राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली और वांग्मय सूची सेवाएं
- (7) पुस्तकालय मानव संसाधन विकास एवं व्यवसायिक स्तर
- (8) पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों का आधुनिकीकरण
- (9) सामान्य व्यवसायिक पक्ष
- (10) योग्य प्राधिकरण एवं वित्त व्यवस्था।

इस नीति को सफल बनाने के प्रयास के रूप में प्रो.डी.पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में गठित समिति ने मार्च 1987 से कार्य करना प्रारम्भ किया और अपना कार्य मार्च 1988 में पूर्ण कर दिया। इसने निम्नांकित पुस्तकालय प्रणालियों तथा व्यवस्था की आवश्यकता को निश्चित किया—

- (1) सार्वजनिक पुस्तकालय व्यवस्था
 - (2) शैक्षणिक पुस्तकालय व्यवस्था
 - (3) विशिष्ट पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली
 - (4) राष्ट्रीय पुस्तकालय तथा वाड्मयात्मक सेवाएं इसका उद्देश्य भारत के पुस्तकालय आन्दोलन तथा सेवाओं को— (1) शिक्षा की राष्ट्रीय नीति (2) पुस्तकालय आन्दोलन (3) हमारे सांस्कृतिक वैभव को सुरक्षित रखने की आवश्यकता के अनुकूल बनाने का रहा है।
- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति के निम्नांकित उद्देश्य हैं—
- (1) राष्ट्रीय क्रियाकलापों के सभी क्षेत्रों में सूचना के संगठनों तथा सूचना की सुलभता तथा उपयोग को सभी प्रकार के प्रयुक्ति साधनों के माध्यम से प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना और संस्थापित करना।
 - (2) कार्यरत पुस्तकालय एवं सूचना प्रणालियों और सेवाओं को उन्नत एवं सुदृढ़ करना और नवीन सूचना प्रौद्योगिकी से लाभान्वित होने के लिए राष्ट्रीय आवश्यकता के अनुकूल नवीन कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना।
 - (3) पुस्तकालय एवं सूचनाकर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु तीव्रगामी कार्यक्रमों को प्रोत्साहित एवं प्रारम्भ करना, जिससे पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं का आयोजन एवं व्यवस्था हेतु योग्य कर्मी सुलभ हो सकें और ऐसी सेवाओं के लिए उनके कार्यों को महत्वपूर्ण मानना।
 - (4) राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों एवं स्तरों की सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुस्तकालय एवं सूचना सुविधाओं तथा सेवाओं को शीघ्रातिशीघ्र विकसित करने पर्याप्त मॉनीटरिंग तंत्रों को स्थापित करना।
 - (5) ज्ञानार्जन एवं ज्ञान-प्रसार तथा बौद्धिक स्वतंत्रता के क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों तथा क्रियाकलापों को प्रोत्साहित करना।

- (6) ज्ञानार्जन तथा ज्ञान के अनुप्रयोग के परिणामस्वरूप जो लाभ प्राप्त होते हैं, उन्हें देश के लोगों के लिए प्राप्त एवं संग्रह करना।
- (7) राष्ट्र के सांस्कृतिक वैभव को सुरक्षित रखना तथा उससे लोगों को अवगत रखना।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति की निम्नलिखित संस्तुतियां हैं :—

1. राष्ट्रीय गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में सूचना का उपयोग तथा उन्हें उपलब्ध करने के लिए सभी प्रकार से प्रोत्साहन, सहायता, संरक्षण और समर्थन प्रदान करना।
2. पहले से स्थापित पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली को आधुनिक बनाना और राष्ट्रीय स्तर के प्रोग्राम को प्रोत्साहित करना और आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी को लागू करना।
3. ऐसी प्रणाली स्थापित करना जो पुस्तकालयों एवं सूचना सुविधाओं को पाठकों की जरूरत के मुताबिक प्रदान करें।
4. प्रत्येक व्यक्ति को नये ज्ञान की खोज हेतु प्रोत्साहित करना जो ज्ञान का संग्रहण करे और पुनः प्रसारण भी करे।
5. ग्रन्थालय एवं सूचना सेवाओं के आयोजन एवं सुव्यवस्था हेतु योग्य एवं सक्षम पुस्तकालय कर्मचारियों, व्यवसायियों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करना और उनको उत्साहित करना।
6. सामान्य रूप से देश के सभी नागरिकों के लाभ के लिए ज्ञान का संग्रहण करना और उसे यथोचित स्थान पर प्रयोग करना।
7. अनेक रूपों एवं स्वरूपों में उपलब्ध राष्ट्र की सांस्कृतिक धरोहर एवं उपलब्धियों को सुरक्षित रखना और उनसे देशवासियों को अवगत कराना।

यूनेस्को ने राष्ट्रीय सूचना नीति का समर्थन किया है तथा सभी देशों के लिए कार्यक्रम तैयार किए हैं। यूनेस्को ने भारत में निसात के माध्यम से इसके क्रियान्वयन पर जोर दिया है।

5.4.1 सप्तम पंचवर्षीय योजना के प्रयास

पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं की व्यवस्था तथा आवश्यकता को सप्तम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत भारत सरकार ने पूर्ण मान्यता प्रदान की है और सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर जोर दिया है। योजना प्रतिवेदन में यह संस्तुति की है कि पुस्तकालय समुदाय को कम्प्यूटर के उपयोग से अवगत कराया जाये और प्रमुख पुस्तकालय कार्य को कम्प्यूटरीकृत किया जाये। इससे यह आभास होता है कि भारत सरकार पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली को समुन्नत करने हेतु कटिबद्ध है।

5.4.2 योजना आयोग के कार्यबल का पुस्तकालय सेवाओं एवं सूचना विज्ञान पर प्रतिवेदन पुस्तकालय सेवाओं एवं सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण करने के लिए योजना आयोग ने डा. एन. शेसागिरी की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया, जिसने अपना प्रतिवेदन व्याख्या से प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में पुस्तकालयों को सूचना का सबसे अधिक समृद्ध एवं मितव्ययी स्त्रोत के रूप में मान्यता प्रदान की गयी है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह सबसे कम समन्वित एवं नियोजित है। इस प्रतिवेदन में पुस्तकालयों से होने वाले अप्रत्यक्ष लाभ का उल्लेख करते हुए उनका आधुनिकीकरण करने, कम्प्यूटर नेटवर्क, माइक्रोफिल्म, कम्प्यूटर का रिप्रोग्राफी हेतु उपयोग करने, तथा सूचना प्रौद्योगिकी की सभी विधियों एवं साधनों का उपयोग किए जाने पर जोर दिया गया है। प्रलेखन सेवा को विस्तृत बनाने तथा संकलनों को समृद्धशाली बनाने पर भी जोर दिया गया है।

शैक्षणिक, सार्वजनिक एवं विशिष्ट पुस्तकालयों की आवश्यकता एवं विस्तार तथा मानव संसाधन की आवश्यकता पर भी इस प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया है। सन् 2000 तक कम्प्यूटर नेटवर्क को पूर्णतः स्थापित करने पर जोर दिया गया है जिससे सभी विशिष्ट पुस्तकालयों को एक साथ सम्बद्ध किया जा सके।

पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति के परिप्रेक्ष्य में राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन तथा इन्डियन लाइब्रेरी एसोशिएशन द्वारा प्रतिपादित एवं सूत्रबद्ध की गई नीतियों का उल्लेख आवश्यक प्रतीत होता है। क्योंकि वे अत्यंत विस्तृत हैं। दोनों की नीतियों का प्रकाशन राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन (कलकत्ता) द्वारा व्याख्या के अन्तर्गत 1985 में किया गया है।

5.4.3 राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन द्वारा प्रस्तुत पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति

राजा राममोहन राय लायब्रेरी फाउण्डेशन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य पुस्तकालय की राष्ट्रीय नीति को प्रतिपादित करना और केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा उसे लागू करने के लिए कार्य करना है।

फाउण्डेशन द्वारा प्रस्तुत नीति में प्रमुख 30 बिन्दु हैं। सम्पूर्ण नीति वक्तव्य को संक्षेप में यहां प्रस्तुत किया गया है—

- (1) सूचना को समाज एवं व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक संसाधन मानकर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए और अन्य एजेन्सियों से सहयोग प्राप्त करना चाहिए।
- (2) सभी प्रकार की सामग्रियों का समुचित संकलन तथा सूचना का प्रसार सूचना केंद्रों एवं पुस्तकालयों का प्रमुख कार्य है। अतः पुस्तकालयों का एक नेटवर्क स्थापित करना चाहिए।
- (3) पुस्तकालय एवं सूचना आवश्यकता की पूर्ति हेतु सभी राज्यों, विभागों एवं संस्थाओं को समन्वित करने और उपयुक्त कार्यक्रमों को प्रारम्भ करने एवं आर्थिक सहायता प्रदान करने का निर्देश देना जिससे पुस्तकालय एवं सूचना सेवा की व्यवस्था हो सके। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर की केन्द्रीय समन्वय परिषद् का गठन होना चाहिए।
- (4) भारतीय सूचना सामग्रियों तथा साहित्यिक वैभव को सुरक्षित रखने हेतु राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता, तीन केन्द्रीय संग्रह केन्द्र (पुस्तकालय) दिल्ली, मद्रास तथा बम्बई को सक्रिय एवं विकसित किया जाए तथा राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों के माध्यम से राज्य सरकारें भी साहित्य एवं संस्कृति की सुरक्षा हेतु इस प्रकार के कदम उठायें। इसके लिए बुक डिलिवरी एक्ट (1954) को संशोधित किया जाए।
- (5) राष्ट्र के बौद्धिक उत्पादन तथा उसके सूचना पुनर्प्राप्ति के लिए ग्रन्थात्मक नियंत्रण हेतु वांग्मयात्मक क्रियाकलापों को समन्वित करना तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय वांग्मयात्मक केन्द्र की स्थापना करना।
- (6) सन्दर्भ एवं सूचना आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संगठित प्रयास किया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय पुस्तकालय को एक प्रमुख सन्दर्भ सूचना केन्द्र की भूमिका अदा करनी चाहिए।
- (7) अध्ययन, अध्यापन, शिक्षा तथा अनुसंधान के लिए पुस्तकों के आदान-प्रदान हेतु राष्ट्रीय पुस्तकालय को अन्य पुस्तकालयों के सहयोग से नेतृत्व प्रदान करना चाहिए।

- (8) राष्ट्रीय पुस्तकालय को अपना दायित्व पूर्ण करने हेतु समुचित मान्यता एवं समर्थन प्राप्त होना चाहिए।
- (9) राष्ट्रीय विषय पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, आयुर्विज्ञान, कृषि कायम रहने चाहिए और उनकों अपना दायित्व पूरा करना चाहिए।
- (10) सार्वजनिक पुस्तकालय कल्याणकारी संस्थाओं का कार्य करते हैं और सार्वजनिक बौद्धिक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकता की पूर्ति बिना किसी भेदभाव के करते हैं, अतः राज्य सरकारें एवं केन्द्रीय सरकार इनके विकास तथा प्रशासन की समुचित व्यवस्था करें और ग्रन्थालय अधिनियम लागू करें।
- (11) विश्वविद्यालयी एवं महाविद्यालयी पुस्तकालयों को समृद्धशाली बनाने हेतु उनके वार्षिक बजट का 6 प्रतिशत उन पर व्यय किया जाना चाहिए।
- (12) स्कूल पुस्तकालयों को उपयुक्त एवं उपयोगी बनाने के ठोस कदम उठाने चाहिए।
- (13) विशिष्ट पुस्तकालयों का समुचित उपयोग करने हेतु उपयुक्त नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए, क्योंकि अनुसंधान के कार्यों में इनसे बड़ी सहायता प्राप्त होती है।
- (14) बाल पुस्तकालयों की भी स्थापना की जानी चाहिए और सभी सार्वजनिक पुस्तकालयों में बाल कक्ष आवश्यक रूप से व्यवस्थित किया जाना चाहिए।
- (15) विकलांगों तथा नेत्रहीन के लिए विशिष्ट प्रकार के पुस्तकालयों का आयोजन किया जाना चाहिए।
- (16) ग्रामीण एवं जनजातियों को पुस्तकालय सेवा उपलब्ध की जानी चाहिए।
- (17) प्राचीन साहित्य एवं सूचना स्त्रोंतों को सुरक्षित रखने हेतु राष्ट्रीय, राज्य तथा विशिष्ट प्रकार के अभिलेखागारों की सुव्यवस्था होनी चाहिए और उनको राष्ट्रीय सूचना प्रणाली का अभिन्न अंग मानना चाहिए।
- (18) पाण्डुलिपियां भी ज्ञान के प्रमुख साधन हैं, अतः इनको सुरक्षित रखने की सुव्यवस्था होनी चाहिए।
- (19) पुस्तकों के प्रकाशन को भी प्रोत्साहित करने के समुचित कदम उठाने चाहिए।
- (20) पुस्तकालयों में पारस्परिक रूप से सहकारिता तथा इसके लिए एक उपयुक्त रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए।

- (21) सभी प्रकार के पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों के लिए सेवाओं का मानक निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (22) उपयोगकर्त्ताओं के निर्देशन एवं शिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए।
- (23) आधुनिक प्रौद्योगिकी के सभी उपकरणों एवं साधनों का उपयोग किया जाना चाहिए।
- (24) पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों में उत्तम प्रकार की व्यवस्था तथा कुशल सेवा के आयोजन हेतु कर्मियों को प्रशिक्षित करने हेतु उत्तम प्रकार की प्रशिक्षण व्यवस्था आयोजित की जानी चाहिए।
- (25) योग्य कर्मियों को आकर्षित करने हेतु उत्तम वेतन, “स्टेट्स” तथा उत्तम सेवा शर्तें होनी चाहिए।
- (26) पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों के भवन उपयुक्त एवं कार्यकारी होने चाहिए।
- (27) पुस्तकालय आन्दोलन को सक्रिय बनाने हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर पुस्तकालय संघों को उपयुक्त भूमिका का निर्वाह अदा करना चाहिए और इन्हें राज्यों एवं शासन की ओर से प्रोत्साहन प्राप्त होना चाहिए।
- (28) सूचना प्रवाह एवं प्रसार तथा अन्तराष्ट्रीय नेटवर्क हेतु उपयुक्त एजेन्सी/संस्था को अन्तराष्ट्रीय एजेन्सियों से सम्पर्क एवं सहयोग स्थापित करने हेतु संगठित करना चाहिए।

इस प्रकार फाउन्डेशन ने प्रायः सभी पक्षों को राष्ट्रीय नीति के अन्तर्गत सम्मिलित किया है।

5.4.4 इन्डियन लाइब्रेरी एसोशिएशन की पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति
फाउन्डेशन की नीति की तुलना में इन्डियन लाइब्रेरी एसोशिएशन की नीति का दृष्टिकोण तथा सुझाव ठोस एवं क्रमबद्ध है। इसका संक्षेप में उल्लेख निम्नांकित है—

(1) राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली –

पुस्तकालय प्रमुख प्रभावशाली राष्ट्रीय संसाधन है और राष्ट्र के बहुमुखी विकास के आवश्यक आधार है। अतः राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली के विकास को अधिक वरीयता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे प्रत्येक नागरिक इनका लाभ उठा सकें।

(2) राष्ट्रीय सूचना नीति—

सूचना प्रसार सेवा के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्रीय पुस्तकालय सूचना नीति को निर्धारित करने की आवश्यकता है, जिसे निश्चित एवं सूत्रबद्ध किया जाना चाहिए। इसके लिए शासन को अधिनियम एवं नियमों को लागू करना चाहिए, जिससे सूचना अवश्यकता की पूर्ति होती रहे। इसके लिए आर्थिक, कार्मिक तथा संस्थाओं को सुलभ करने की नीति का निर्धारण किया जाना चाहिए।

सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों के एक अभिन्न अंग के रूप में भारतीय राष्ट्रीय सूचना नीति को मान्य किया जाना चाहिए तथा अन्य विषयों एवं क्षेत्रों की नीतियों की भांति संविधान के अन्तर्गत इसे स्थान दिया जाना चाहिए और पंचवर्षीय योजनाओं में इसे सम्मिलित किया जाना चाहिए।

उद्देश्य —

- (1) **पुस्तकालय मानक—** कम से कम पुस्तकालय सेवाओं का मानक पूरे देश के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए और $6^{1/4}$ प्रतिशत राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय बजट का भाग पुस्तकालय सेवा के लिए व्यय किया जाना चाहिए।
- (2) **पुस्तकालय : सूचना केन्द्र —** पुस्तकालय राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तरों पर सूचना केन्द्र का कार्य करें तथा वैधानिक सूचना, शासकीय प्रलेखों, सांख्यिकीय आधार-सामग्री तथा विकास प्रक्रियाओं की सूचना की सामग्रियों का निःशुल्क अभिगम प्रदान करें।
- (3) **मानवीय दृष्टिकोण—** पुस्तकालयों को सांस्कृतिक वैभव एवं सम्पदा का संग्रहालय भी माना जाता है। अतः इसके भवन का निर्माण सौन्दर्यपूर्ण एवं कार्यकारी रूप से किया जाना चाहिए।

सूचना आवश्यकताएं—

- (1) **सूचना संतुष्टि —** पुस्तकालय सेवाओं का लक्ष्य उपयोगकर्ता की संतुष्टि होना चाहिए। अतः पुस्तकालय की व्यवस्था तथा सेवा आयोजन उपयोगकर्ता की संतुष्टि को दृष्टिगत रखते हुए किया जाना चाहिए।

- (2) **बौद्धिक स्वतन्त्रता** –बौद्धिक स्वतन्त्रता की धारणा को पुस्तकालयों को अपनाना चाहिए और सूचना के अभिगम पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए, जैसा कि भारतीय संविधान में प्रावधान में किया गया है।
- (3) **स्कूल पुस्तकालय** –नेशनल काउन्सिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग स्कूल पुस्तकालयों की स्थापना एवं व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और राज्य सरकारें स्कूल पुस्तकालयों की स्थापना में उनको लागू करें और सभी स्कूलों के पुस्तकालयों के लिए मानक निर्धारित करें। स्कूल पुस्तकालय सामुदायिक केन्द्र का भी कार्य करें।
- (4) **शिक्षा नीति** –नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत 14 वर्ष के बालको के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा व्यवस्था को लागू करने पर जोर दिया गया है। व्यवसायिक शिक्षा पर भी इसके अन्तर्गत प्रावधान किया गया है। अतः प्रौढ़ शिक्षा हेतु उपयुक्त एवं पर्याप्त पुस्तकालय सुविधा सुलभ की जानी चाहिए।

विधिकरण –

- (1) **राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम**—आधुनिक आवश्यकता के प्रतिक्रिया में परिवर्तनशील पुस्तकालय वं सूचना की आवश्यकता की पूर्ति हेतु राष्ट्रीय पुस्तकालय अधिनियम लागू किया जाना चाहिए तथा राज्यों में भी पुस्तकालय अधिनियम पूरक के रूप में पारित किया जाना चाहिए।
- (2) **पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का राष्ट्रीय आयोग**—उपरोक्त पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का राष्ट्रीय उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके निम्नांकित कार्य क्षेत्र होने चाहिए—
 - (1) राष्ट्रीय नीतियों को लागू करने हेतु शासन को परामर्श देना।
 - (2) सूचना आवश्यकताओं का अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना, जिसमें विशेष रूप से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े एवं विकलांगों की आवश्यकता पर अधिक ध्यान देना।
 - (3) पुस्तकालय एवं सूचना स्त्रोतों तथा साधनों की उपयोगिता का मूल्यांकन करना।

- (4) राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना आवश्यकता की पूर्ति हेतु तथा सम्बन्धित कियाकलापों को समन्वित करनें के लिए रूपरेखा तथा योजनाएं विकसित करना।
- (5) पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के संबंध में राष्ट्रीय, राज्य, स्थानीय, सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत एजेन्सियों को परामर्श देने को अधिकृत करना।
- (6) नवीनतम प्रौद्योगिकी के उपकरणों तथा यंत्रों का उपयोग करने में सहायक सिद्ध होना।
- (7) पुस्तकालयों के माध्यम से सूचना, मनोरंजन तथा ज्ञान का अभिगम प्रदान करने हेतु सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना एवं विकास में योगदान करना। तथा
- (8) सम्बन्धित कियाकलापों एवं पुस्तकालय विज्ञान का प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत करना।

स्वैच्छिक संस्थाएं—

व्यवसायिक एवं स्वैच्छिक संस्थाएं पुस्तकालय आन्दोलन को सशक्त बनाने एवं प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। उन्हें उनके कार्यों को सम्पन्न करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिए।

डाक व्यय—

सूचना के मुक्त प्रसार एवं प्रवाह हेतु पुस्तकालयों को प्राप्त होने वाली डाक को डाक की दरों में छूट दी जानी चाहिए।

आकार तथा संगठनात्मक व्यवस्था—

- (1) **राष्ट्रीय नेटवर्क—** पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क अनेक प्रणालियों का होना चाहिए— अ. राष्ट्रीय पुस्तकालय ब. राज्य पुस्तकालय प्रणाली, स. सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली द. शैक्षणिक पुस्तकालय प्रणाली ई. अनुसंधान पुस्तकालय, तथा फ. शासकीय पुस्तकालय।
- (2) **शिखर पुस्तकालय—** शिखर ग्रन्थालय के रूप में डॉ. रंगनाथन द्वारा परिकल्पित

राष्ट्रीय पुस्तकालय की तीन श्रेणियां होनी चाहिए— नेशनल कापीराइट लाइब्रेरी, नेशनल डारमेट्री लाइब्रेरी तथा नेशनल सर्विस लाइब्रेरी।

- (3) **सार्वजनिक पुस्तकालय** —सार्वजनिक पुस्तकालय सामाजिक संस्थाएं हैं। सार्वजनिक संचार तथा शिक्षण, साक्षरता कार्यक्रम, प्रौढ़ शिक्षा की दृष्टि से केन्द्रीय राज्य, जिला, नगर तथा ग्राम पुस्तकालयों की स्थापना की जानी चाहिए।
- (4) **युवक पुस्तकालय** —राष्ट्रीय निर्माण में नवयुवकों की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय युवक पुस्तकालय प्रणाली की स्थापना की जानी चाहिए जिसके साथ केन्द्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय युवक पुस्तकालय होना चाहिए। ऐसे पुस्तकालयों का कार्य सामुदायिक केन्द्र का भी होगा।
- (5) **अभिलेखागार पुस्तकालय**— प्राचीन अभिलेखों, व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक प्रलेखों, पाण्डुलिपियों आदि को सांस्कृतिक महत्व की दृष्टि से सुरक्षित रखने एवं संग्रह करने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए तथा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर इनके अभिलेखागार पुस्तकालय होने चाहिए।
- (6) **अधिकृत प्रलेखों के निष्कोपागार**— राज्य एवं केन्द्रीय सरकारों के अधिकृत प्रकाशनों के निष्कोपागार राज्यों की राजधानी में संस्थापित करना चाहिए तथा जिला स्तर पर भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए।
- (7) **राष्ट्रीय वांग्मयात्मक केन्द्र**— राष्ट्रीय बौद्धिक उत्पादन की सूचना पुर्नप्राप्ति, अनेक एजेन्सियों के वांग्मयात्मक कियाकलापों को समन्वित करने, वांग्मयात्मक अनुसंधान करने, तथा शोधार्थियों को वांग्मयात्मक नियंत्रण रखने के लिए एक राष्ट्रीय वांग्मयात्मक केन्द्र की स्थापना की जानी चाहिए जो एक रेफरल केन्द्र का भी कार्य करे।
- (8) **प्रलेख वितरण प्रणाली**— आधुनिक सूचना सेवाएं, प्रलेख वितरण प्रणाली पर आधारित होती हैं, जिसमें प्रलेखों की प्रतियां प्रदान की जाती हैं। अतः प्रलेखों की वितरण प्रणाली को सशक्त बनाना चाहिए।

सूचना प्रौद्योगिकी—

- (1) **सूचना प्रबन्ध प्रणाली—** उपयोगकर्ताओं के साथ विश्वसनीयता स्थापित करने हेतु सभी प्रकार के पुस्तकालयों में आधुनिक सूचना प्रबंध की प्रविधियों का उपयोग करने पर जोर दिया जाना चाहिए और अनेक प्रकार की सेवाएं जैसे – सूचना के रिपैकेज, एस.डी.आई., सामयिक चेतना सेवा, रेफरल सेवा आदि का आयोजन किया जाना चाहिए। कम्प्यूटर एवं माइक्रोप्रोसेसर का उपयोग, छायाचित्रों की सुविधा आदि सुलभ किया जाना चाहिए।
- (2) **पुस्तकालय शिक्षा—** पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों की सुव्यवस्था के लिए मानव संसाधन की पूर्ति के लिए उत्तम प्रकार के प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए और समय–समय पर इसकी समीक्षा होनी चाहिए।
- (3) **पुस्तकालयों का स्थान —** ग्रन्थपालों को शैक्षिक स्थान एवं सम्मान दिया जाना चाहिए और इनके वेतन तथा अन्य सुविधाएं विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्कूल के शैक्षणिक कर्मियों के समान होनी चाहिए।
- (4) **उपयोगकर्ता का प्रशिक्षण —** उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा पुस्तकालयों के उपयोग के कार्यक्रमों के माध्यम से पुस्तकालयों के प्रति एक सामान्य चेतना जाग्रत कर इसकी उपयोगिता बढ़ाना चाहिए। स्थानीय समुदाय के नेताओं को पुस्तकालय प्रबन्ध से सम्बद्ध करना चाहिए।
- (5) **राष्ट्रीय केन्द्र —** उच्च कोटि की शिक्षा अनुसंधान तथा शैक्षणिक स्तर को उठाने की दृष्टि एक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान का राष्ट्रीय अनुसंधान एवं शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।
- (6) **क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग —** राष्ट्रीय पुस्तकालय प्रणाली के अन्तर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करने का एक अंग माना जाएगा और सम्प्रेषण हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का अनुसरण किया जाएगा।

कार्यान्वयन –

सभी स्तरों पर पुस्तकालय सेवा प्रदान के लिए कम से कम मानकों को निर्धारित किया जाएगा और उसे कार्यान्वित किया जाएगा। सेवाओं की मानिटरिंग के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी। यदि उपरोक्त नीतियों को कार्यान्वित एवं लागू कर दिया जाय तो निश्चय ही सूचना एवं सदर्भ सेवा को न केवल प्रोत्साहन प्राप्त होगा बल्कि, अनेक समस्या का समाधान भी तुरन्त होता रहेगा।

5.5 राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के प्रावधान

13 जून 2005 को भारत के प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य विशाल ज्ञान का समुचित उपयोग और ज्ञान समाज का निर्माण करना रखा गया। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्न पांच मुख्य बिन्दु रखे

1. पहुंच
2. विचार
3. उत्पन्न करना
4. लागू करना
5. ज्ञान के क्षेत्र में सेवाएं

इन्हीं पांच बिन्दुओं को आधार बनाकर राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने ज्ञान आधारित समाज बनाने का उद्देश्य रखा है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. ज्ञान का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निर्माण करना।
2. ज्ञान का कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ावा देना।
3. जो संस्थाएं बौद्धिक संपदा अधिकार में लगी हुई हैं उनके प्रबंध में सुधार करना।

ज्ञान आयोग ने प्रारंभ में ही निम्नलिखित विषयों को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है :–

1. शिक्षा का अधिकार
2. व्यवसायिक शिक्षा
3. उच्च शिक्षा
4. पुस्तकालय
5. अनुवाद
6. भाषा

-
7. ज्ञान का नेटवर्क
 8. राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान
 9. ई—गर्वनेंस

जैसा कि हम जानते हैं कि पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं का मुख्य उद्देश्य ही ज्ञान का निर्माण एवं उसका प्रसार है। ज्ञान का उपयुक्त उपयोग और ज्ञान को संरक्षित करना पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के माध्यम से ही संभव हो सका है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्ञान का प्रमुख संबंधित हिस्सा पुस्तकालय और सूचना प्रणाली है। वर्तमान समय में सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने पुस्तकालयों को इस योग्य बना दिया है जो सबकी पहुंच में जा सके और इसके चलते क्षेत्र के सभी दायरे कम हो गए हैं। इन सबके बावजूद भी भारत जैसे विविधताओं वाले देश में पुस्तकालयों एवं सूचना सेवाओं का विकास पूरी तरह नहीं हो पाया है। अतः यह समय की मांग है कि पुस्तकालय विकास की गति को बढ़ायें।

इस कारण से ही राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने सर्वप्रथम यथास्थिति का पता लगाने का निर्णय किया ताकि विकास के आगामी रास्ते बनाने जा सके। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग इस बात के लिए कठिबद्ध है कि एक ऐसी प्रणाली तैयार हो सके जिससे अधिक सूचना और कम सूचना प्राप्त करने वालों का दायरा कम हो सके। इस हेतु आयोग ने एक ढांचा तैयार करने पर बल दिया जो पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों व सेवाओं के मामलों में अच्छे ढंग से प्रस्तुत की जा सके। एक राष्ट्रीय उद्देश्य बनाने पर बल दिया जो कम से कम 3 वर्ष तक लगातार वित्त की व्यवस्था पुस्तकालीन सेवाओं के विकास के लिए करें। यही कारण है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने पुस्तकालयों पर काम करने वाले समूह की स्थापना की। इस समूह में वरिष्ठ पुस्तकालय विद्वान, तकनीकी विशेषज्ञ और सरकारी अधिकारी शामिल किए गए। जो अपनी संस्तुति के माध्यम से पुस्तकालीन सेवाओं को उन्नत बनाने के उपाय प्रस्तुत करें। पुस्तकालयों पर कार्य करने वाले समूह ने कुछ संदर्भ शर्तें पुस्तकालयों के संबंध में दी हैं, जिनकी चर्चा निम्नलिखित है:—

1. देश के पुस्तकालयों के उद्देश्यों को पुनः निर्धारित करना।
2. अवरोध, समस्याएं एवं आने वाली चुनौतियां जो पुस्तकालय के क्षेत्र में हैं, उनको पहचानना।
3. सुधारों एवं बदलाव की संस्तुति करना।
4. यथावत पुस्तकालयों को आधुनिक बनाना और सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी का लाभ लेना।
5. नये कार्यक्रम जो राष्ट्र की जरूरत हो उनकी संभावनाएं तलाशना और सूचनाओं के बीच का दायरा कम करना।

6. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के लिए नये मानक निर्धारित करना और पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में गुणवत्ता लाना और पुस्तकालय व्यवसायियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।
7. राष्ट्रीय स्तर के प्रलेखों को संरक्षित करने में सहायता देना।
8. ऐसी प्रणाली तैयार करना जिससे वहीं ज्ञान संग्रहित हो जो राष्ट्र के लोगों के काम आये।
9. दूसरे विषयों का निरीक्षण करना जो पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हो।

पुस्तकालयों पर काम करने वाले समूह ने वर्ष 2006 से अपना काम शुरू किया और बहुत बार विचार विमर्श करते हुए पुस्तकालयों की यथास्थिति, पूर्व स्थिति, उपलब्ध मानक, सुविधाएं, पुस्तकालयों की सेवाएं, उद्देश्य आदि को समझा। इस समूह का ऐसा मानना है कि पुस्तकालय और पुस्तकालयाध्यक्ष को सेवा देने को एक सामाजिक कार्य समझना चाहिए और समाज को संबंधित सूचनाएं समय पर देकर एक ज्ञान समाज की स्थापना करनी चाहिए। इस समूह का कहना है कि पुस्तकालय ही एक ऐसा साधन व गतिविधि है जो सूचना निर्भरता को जीत सकता है।

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल के अनुसार यदि आयोग को अपना उद्देश्य पूरा करना है तो उन्हें पुस्तकालय सूचना सेवाओं को उन्नत और उनका विकास करना ही होगा। इसलिए राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के कार्यदल ने निम्नलिखित संस्तुतियां दी हैं—

1. पुस्तकालयों पर एक आयोग का गठन करना
2. सभी पुस्तकालयों की जनगणना करना
3. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान शिक्षा, प्रशिक्षण और शोध सुविधाओं का पुनः निरीक्षण करना
4. पुस्तकालय कर्मचारियों का पुनः निर्धारण
5. केन्द्रीय पुस्तकालय वित्त की स्थापना करना
6. पुस्तकालय प्रबंध का आधुनिकीकरण करना
7. दीर्घ समूह/समाज को पुस्तकालय प्रबंधन के लिए प्रेरित करना
8. सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी को सभी पुस्तकालयों में लागू करना
9. निजी संग्रह के रख-रखाव व दान की व्यवस्था करना और
10. पुस्तकालयों के विकास के लिए सार्वजनिक व निजी सहभागिता को प्रोत्साहन देना।

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. भारत सरकार ने वर्ष में वैज्ञानिक नीति संकल्प को लागू किया।
2. भारत सरकार ने वर्ष में प्रौद्योगिकी नीति वक्तव्य घोषित किया।
3. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान सूचना नीति का गठन में हुआ।
4. राष्ट्रीय सूचना नीति का समर्थन ने किया।
5. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के आधुनिकीकरण के लिए योजना आयोग ने की अध्यक्षता में कार्यदल गठित किया।
6. प्रो.डी.पी.चट्टोपाध्याय समिति के प्रतिवेदन में अध्याय थे।
7. राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत नीति में बिन्दु हैं।
8. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को गठित किया गया।
9. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने प्रमुख बिन्दु रखे।
10. पुस्तकालय पर काम करने वाले समूह ने पुस्तकालयों पर से काम शुरू किया।

अभ्यास प्रश्न 3

निम्नलिखित प्रश्नों का हां या नहीं में उत्तर दीजिए।

1. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 मे पारित किया गया।
2. भारत में यूनेस्को ने डेसीडॉक के द्वारा सूचना नीति मे रूचि ली।
3. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन शिक्षा मंत्री की संस्तुति पर हुआ।
4. राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने 5 मुख्य बिन्दु रखे।
5. चट्टोपाध्याय समिति ने पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पर राष्ट्रीय नीति का प्रतिवेदन 31 मई 1986 को सरकार को सौंपा।

5.6 सारांश

आजकल सर्वत्र एवं सार्वभौमिक रूप से ज्ञान के प्रसार एवं स्थानांतरण तथा उसे उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के लिए पुस्तकालयों को एक आवश्यक सामाजिक संस्था माना गया है। कोई भी समुदाय, संस्था, संगठन तथा प्रतिष्ठान बिना किसी पुस्तकालय व्यवस्था के पूर्ण नहीं माना जाता है। यह बेहद दुखद है कि भारत में पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्रों का विकास आशातीत गति नहीं पकड़ सका है। अन्य विषयों पर बनी राष्ट्रीय नीति के प्रावधानों को लागू किया जा चुका है परन्तु पुस्तकालय विषय पर सूचना नीति को अभी भी लागू नहीं किया गया है। जिसके चलते पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली अपने सही स्थान

पर नहीं पहुंच पाई है। सारे संसार में इस समय ज्ञान सूचना की लड़ाई शुरू हो चुकी है, इसी के चलते भारत में भी जून 2005 को राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन हुआ है। इसने विभिन्न पहलुओं के आधार पर अपनी संस्तुतियां प्रदान की हैं, जिन्हें लागू किया जाना बेहद आवश्यक है ताकि पुस्तकालयों के अच्छे दिन आ सकें।

5.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1—(1) मई 1986 (2) प्रो. डी. पी. चट्टोपाध्याय (3) 7 वीं (4) निसात

अभ्यास प्रश्न 2 —1. वर्ष 1958 2. वर्ष 1983 3. अक्टूबर 1985 4. यूनेस्को 5. डा. एन. शेषागिरी 6. दस अध्याय 7. तीस बिन्दु 8. जून 13, 2005 9. पांच बिन्दु 10. अप्रैल 2006

अभ्यास प्रश्न 3 — क (हां) ख (नहीं) ग (नहीं) घ (हां) ड. (हां)

5.8 संदर्भ ग्रंथ सूची

- 1- पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका, उमेश दत्त शर्मा, अनुवादक, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1963।
- 2- पुस्तकालय और समाज, पाण्डेर एस० के० शर्मा, ग्रंथ अकादमी, नईदिल्ली, 1995।
- 3- ग्रंथालय, समाज एवं ग्रंथालय विज्ञान के पांच सूत्र तथा प्रौढ शिक्षा में ग्रंथालयी की भूमिका, एस.एम.त्रिपाठी, वाई०के०पब्लिशर्स, आगरा, 1999।
- 4- ग्रंथालय और समाज, के. एस. सुन्देश्वरन, एस. एस. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1988।
- 5- पुस्तकालय और समाज, बी.लिब.आई.एस.सी—०१, उ.प्र.राजर्षि टंडन मुक्त वि.पि., इलाहाबाद।
- 6- सूचना और समाज, मांगेराम, एसोशिएटिड पब्लि., आगरा, 2009।
- 7- Information and its communication, Parasher,R.G, Medallion Press, Ludhiana, 2003.
- 8- Foundations of Library and Information Science, Kumar PSG, B.R.Publication, Delhi, 2003.

5.9 सहायक व उपयोगी पुस्तकें

- 1- ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, सी० लाल, एस.एस.पब्लिकेशन, नईदिल्ली, 1994।

-
- 2- पुस्तकालय और समाज, पाण्डेय एस0 के० शर्मा, ग्रंथ अकादमी, नईदिल्ली, 1995।
 - 3- पुस्तकालय और समुदाय, ओमप्रकाश शर्मा, मोहित पब्लिशर्स, नईदिल्ली, 1995।
 - 4- Documentation and Information, Guha,B.Word Press, Calcutta,2003.

5.10 निबन्धात्मक प्रश्न

- 1- विभिन्न राष्ट्रीय सूचना नीतियों की चर्चा कीजिए।
- 2- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की राष्ट्रीय नीति पर प्रकाश डालिए।
- 3- राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउन्डेशन द्वारा प्रस्तुत पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली की राष्ट्रीय नीति का मूल्यांकन कीजिए।

इकाई - 6 पुस्तकालयों के प्रकार: राष्ट्रीय, सार्वजनिक, शैक्षणिक एवं विशिष्ट

- पुस्तकालय

इकाई की रूपरेखा

- 6.1 प्रस्तावना
- 6.2 उद्देश्य
- 6.3 पुस्तकालयों के प्रकार
 - 6.3.1. राष्ट्रीय पुस्तकालय
 - 6.3.1.1. राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य एवं कार्य
 - 6.3.1.2. भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय
 - 6.3.2. सार्वजनिक पुस्तकालय
 - 6.3.2.1. सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य
 - 6.3.2.2. भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति
 - 6.3.3. शैक्षणिक पुस्तकालय
 - 6.3.3.1. आवश्यकता
 - 6.3.3.2. विश्वविद्यालय पुस्तकालय
 - 6.3.3.2.1. विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य
 - 6.3.3.3. महाविद्यालय पुस्तकालय
 - 6.3.3.3.1. आवश्यकता
 - 6.3.3.3.2. महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्य
 - 6.3.3.4 विद्यालय पुस्तकालय
 - 6.3.3.4.1 विद्यालय पुस्तकालय के कार्य
 - 6.3.4. विशिष्ट पुस्तकालय
 - 6.3.4.1 विशिष्ट पुस्तकालयों के लक्षण
 - 6.3.4.2 विशिष्ट पुस्तकालयों के कार्य
- 6.4 सारांश
- 6.5 शब्दावली
- 6.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 6.7 संदर्भ ग्रंथ सूची
- 6.8 सहायक व उपयोगी पुस्तकें
- 6.9 निबन्धात्मक प्रश्न

6.1 प्रस्तावना

प्रत्येक देश की सरकार अपने देश के लिए विभिन्न स्तर पर पुस्तकालयों की स्थापना करती है यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी द्वारा संगठित की गई पुस्तकालय समिति ने अपनी रिपोर्ट में कई प्रकार के पुस्तकालयों की चर्चा की है जो निम्नलिखित है

1. राष्ट्रीय पुस्तकालय
2. सार्वजनिक पुस्तकालय
3. शैक्षणिक पुस्तकालय
4. विशिष्ट पुस्तकालय

भारतीय इतिहास में आंरभिक काल में भी पुस्तकालयों की जानकारियाँ मिलती है। नालन्दा विश्वविद्यालय, तक्षशिला और विक्रमशिला विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय उस समय ज्ञान के केन्द्र थे। इसका उल्लेख चीनी यात्री फाहयान 399–414 ई० तथा हवेन्सांग 7 वीं शताब्दी में भारत आये व यहाँ का पूरा विवरण अपनी पुस्तकों में लिखा उन पुस्तकों में भी उन्होंने इन विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों के बारे में पूरा वर्णन किया है पुराने समय के अनुसार पुस्तकालय, पुस्तकों, अभिलेखों का भण्डारण था। जिसे राजा या शाही परिवार के लोग सिर्फ अपने लिए बनवाते थे आज के युग में पुस्तकालय प्रणाली का पूरा स्वरूप बदल गया है समय के अनुसार पुस्तकालय की पूरी परिभाषा व अवधारणा भी बदल गई है, पुस्तकालय के चार मुख्य तत्व होते हैं:-

1. प्रलेखों/पुस्तकों का भण्डार
2. एक उपयुक्त भवन
3. योग्य कर्मचारी
4. पाठक गण

इस प्रकार पुस्तकालय जहाँ पुस्तकों/प्रलेखों का संग्रह एक उपयुक्त भवन में हो, जिनका रखरखाव योग्य कर्मचारियों द्वारा पाठकों के लिए किया जाता है सबसे मुख्य तत्व पुस्तकालय का पाठक है जिसके लिए समस्त गतिविधियाँ होती हैं पाठकों को सतुंष्ट करना पुस्तकालय का मुख्य कार्य है।

6.2 उद्धरण

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप यह बता सकेंगे कि –

- राष्ट्रीय पुस्तकालय की परिभाषा तथा कार्य क्या है।

- भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय की विशेषताएं क्या हैं।
- सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा एवं कार्य क्या है।
- भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय की क्या स्थिति है।
- विभिन्न शैक्षणिक पुस्तकालयों के क्या कार्य हैं।
- विशिष्ट पुस्तकालय के लक्षण एवं कार्य क्या हैं।

6.3. पुस्तकालयों के प्रकार

पुस्तकालयों के विभिन्न प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से पुस्तकालय चार प्रकार के होते हैं

- राष्ट्रीय पुस्तकालय
- सार्वजनिक पुस्तकालय
- शैक्षाणिक पुस्तकालय
- विशिष्ट पुस्तकालय

6.3.1 राष्ट्रीय पुस्तकालय

प्रत्येक देश की सरकार अपने देश के लिए एक राष्ट्रीय पुस्तकालय स्थापित करती है या किसी एक वर्तमान पुस्तकालय को राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित करती है राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना के पीछे, यह धारणा है कि देश में एक स्थान होना चाहिए जहाँ देश की बौद्धिक धरोहर जो पुस्तक रूप में प्रकाशित है को इकट्ठा किया जाय उसकी सुरक्षा की जाये तथा देश की वर्तमान एवं आने वाली पीढ़ियों को आवश्यकता के समय उपयोग के लिए उसे उपलब्ध कराया जाये। डा० एस. आर रंगनाथन ने इस बारे में कहा है कि ऐसा पुस्तकालय जिसका कर्तव्य देश के साहित्य का संग्रह करना और आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित करना यह एक केंद्रीय स्थान भी है जहाँ देश के साहित्य को संग्रह करके उसका रख रखाव करके उसे देश में कहीं भी प्रसारित करने में सक्षम होता है।

6.3.1.1 राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य तथा कार्य

पहले—पहले राष्ट्रीय पुस्तकालय का एक ही कार्य था देश में मुद्रित साहित्य को इकट्ठा कर उसे सुरक्षित रूप में रखना इसी कार्य को पूरा करने के लिए फांस में एक पुस्तकालय को सन 1795 ई० में राष्ट्रीय सम्पति घोषित किया गया बाद में यू०के० के ब्रिटिश म्यूजियम के प्रसिद्ध पुस्तकालयाध्यक्ष एंथोनी पैनिजी ने इस बात पर बल दिया कि ब्रिटिश म्यूजियम जो उस समय का राष्ट्रीय पुस्तकालय था, में अंग्रेजी साहित्य का उत्तम संग्रह तथा अन्य

देशों के साहित्य का उत्तम संग्रह भी होना चाहिए इस प्रकार पैनिजी ने एक नई परम्परा का सूत्रपात किया जिसमें यह माना गया है कि राष्ट्रीय पुस्तकालय केवल अपने देश में प्रकाशित साहित्य का एकत्रण तथा संरक्षण कर ही अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर सकता उसे अपने देश के विषय में दुनिया में कहीं भी प्रकाशित समस्त साहित्य इकट्ठा करना चाहिए साथ ही साथ उसे दुनिया के दूसरे देशों के साहित्य का प्रतिनिधि संग्रह भी अपने भण्डार में रखना चाहिए राष्ट्रीय पुस्तकालय नीचे दिये गये निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करता है।

1. संग्रह करना, देश में प्रकाशित समस्त साहित्य को इकट्ठा करना और इस प्रकार देश में मुद्रित साहित्य के डिपाजिटरी के रूप में कार्य करना।
2. कानूनी निक्षेप, उपहार तथा विनिमय द्वारा देश में प्रकाशित साहित्य के एक केन्द्रीय और विस्तृत संग्रह का निर्माण करना।
3. प्रबन्धन करना—देश में प्रकाशित व विदेशों के मुख्य ग्रन्थों की प्रतियों को स्थान दिया जाता है। ग्रन्थों की विषयानुसार वांगमय सूचियों तैयार करना भी इसका कार्य होता है।
4. अपने देश के उपर किसी भी भाषा या रूप में विदेशों में प्रकाशित साहित्य का अधिग्रहण करना।
5. चयनित हस्त लिखित ग्रन्थों तथा राष्ट्रीय प्रांसगिकता और महत्व के पुरालिखित अभिलेखों का संग्रह तथा परिरक्षण करना।
6. विदेशों में प्रकाशित ऐसे प्रलेखों का संग्रह करना जिनकी देश में मांग हो सकती है।
7. सेवाएं प्रदान करना—देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय होने के नाते यह देश के प्रत्येक नागरिकों की सेवाओं का दायित्व भी इस पर होता है सभी को सेवा प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय वांगमय सूची बनाना तथा प्रकाशित करना जिसमें समाज के अन्तिम व्यक्ति तक इन पुस्तकालयों के स्थापना की पूर्ति हो सके।
8. मौंग के समय वांगमय सूची सेवा/संदर्भ सेवा तथा अन्य सेवाएँ जिसके अन्तर्गत देश का प्रत्येक नागरिक लाभान्वित हो सकें।
9. देश के सभी प्रकार के पुस्तकालयों को नेतृत्व प्रदान करना।
10. प्रत्येक देश का राष्ट्रीय पुस्तकालय एक रेफरल केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है अर्थात् विशेष निर्देशिकाओं तथा सदर्भिकाओं में से सूचना के स्रोतों की प्राप्ति में पाठकों की सहायता करना।
11. अन्य कार्य —यूनेस्को ने 1970 ई0 में राष्ट्रीय पुस्तकालय के निम्नलिखित कार्य वर्णित किये हैं:

1. अपने देश के अलावा दूसरे देशों के साहित्यिक प्रकाशनों, पुस्तकों का संग्रह करना व देश का प्रतिनिधित्व करना
2. राष्ट्रीय वांगमय सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना
3. संयुक्त सूची तैयार करना
4. राष्ट्रीय अनुदर्शनात्मक वांगमय सूची प्रकाशित करना

6.3.1.2 भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय

भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है। इस पुस्तकालय का लंबा इतिहास रहा है और इसका नाम कई बार बदला गया। इसका इतिहास सन् 1835 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी से शुरू होता है। इसे मार्च सन् 1836 में आम जनता के लिए खोल दिया गया। सन् 1899 ई0 में भारत के तत्कालीन वायसराय और गवर्नर जनरल लार्ड कर्जन ने इस पुस्तकालय की दयनीय दशा को देखते हुये इसका स्वामित्व अधिकार खरीदा और तत्पश्चात् इसे सरकार द्वारा संपोषित इंपीरियल लाइब्रेरी के अन्तर्गत मिला दिया गया। इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी आफ इण्डिया को 30 जनवरी 1903 के दिन मेटकॉफ हाल में जनता के उपयोगार्थ खोल दिया गया। ब्रिटिश स्युजियम के जॉन मैकफार्लेन को इस नवीन इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आगे जाकर इसी इंपीरियल लाइब्रेरी को भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय होने का दर्जा प्राप्त हुआ।

6.3.2 सार्वजनिक पुस्तकालय

जो पुस्तकालय बिना किसी भेदभाव के, जाति के, रंग के और व्यवसाय के, सभी के लिए खुला हो उसे हम सार्वजनिक पुस्तकालय कहते हैं। अर्थात् ऐसा पुस्तकालय जो आम जनता के लिए खुला हो। पहले राजा—महाराजा, शाही परिवार के अपने निजी पुस्तकालय होते थे जो सिर्फ उनके लिए ही खुलते थे। अब समय बदल गया है, कल्याणकारी व प्रजातांत्रिक राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय का महत्व बढ़ गया है। सामान्य रूप से उस पुस्तकालय को सार्वजनिक पुस्तकालय माना जाता है जिसके दरवाजे बिना भेदभाव के सबके लिए खुले हों। और जिसकी सेवायें सभी को बिना किसी भेदभाव के समान रूप से उपलब्ध हो। परन्तु यूनेस्को द्वारा जारी किए गए सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए घोषणा—पत्र में सार्वजनिक पुस्तकालय के कुछ अन्य लक्षण भी गिनाए गये हैं। ये लक्षण निम्नांकित हैं

1. इसकी स्थापना कानून के आधार पर हुई हो।
2. इसकी वित्त व्यवस्था पूर्णरूपेण सरकारी कोष से होती हो।
3. किसी भी सेवा के लिए शुल्क न लिया जाता हो तथा

4. यह समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए समान और निःशुल्क उपयोग के लिए खुला हो।

डा० रंगनाथन ने भी सार्वजनिक पुस्तकालय की परिभाषा देते हुए लिखा है :

सार्वजनिक पुस्तकालय समुदाय द्वारा समुदाय के लिए चलाया जाने वाला एक ऐसा संस्थान है, जो समुदाय के प्रत्येक सदस्य के आजीवन स्वयं अध्ययन करने का आसान अवसर प्रदान करता है।

6.3.2.1 सार्वजनिक पुस्तकालय के कार्य

क. संग्रह करना— सार्वजनिक पुस्तकालयों को जन पुस्तकालय भी कहा जाता है। समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए बिना भेदभाव के तथा जहाँ तक संभव हो निःशुल्क पठन सामग्री उपलब्ध कराना जिससे कि व्यक्ति अनवरत रूप से अनौपचारिक शिक्षा और सूचना प्राप्त कर सकें।

ख. प्रबन्ध करना— सार्वजनिक पुस्तकालय के अन्तर्गत पाठक जिस पुस्तक को मॉगे उसे उपलब्ध कराना और उसकी मॉग के अनुरूप संग्रहित पाठ्य सामग्रियों का वर्गीकरण तथा सूचीकरण आदि प्रक्रिया करके उनको पाठकों के अनुरूप बनाना। सार्वजनिक पुस्तकालय अपने पाठकों के लिए वांगमय सूचियों नवीन संग्रह की सूची व अनुक्रमणिका भी तैयार करते हैं।

ग. प्रौढ़ शिक्षा में सहायक— जो मनुष्य लगातार शिक्षा प्राप्त न कर सकें। स्कूलों में न जा सकें उन सब के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराकर उनको शिक्षित करता है। प्रौढ़ शिक्षा में ही नहीं बल्कि आस पास के स्कूली छात्रों को उनके शिक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराकर सहायता करते हैं।

घ. मनोरंजन का साधन— सार्वजनिक पुस्तकालय खाली समय में ज्ञानवर्धक मनोरंजन का साधन है। स्वस्थ मनोरंजन साहित्य उपलब्ध कराकर खाली समय के सदुपयोग को बढ़ावा देना, वृद्ध व्यक्ति, रिटायर्ड आदमी, डॉक्टर, इन्जीनियर्स सभी के लिए जन पुस्तकालय एक ज्ञानवर्धक समय गुजारने का साधन है।

ड. प्रजातन्त्र में सहायक— सार्वजनिक पुस्तकालय सभी वर्गों, जातियों, व्यवसायियों आदि को सेवा प्रदान करता है लोग यहां पर सभी प्रकार की पुस्तकें पढ़ते हैं जिससे पाठकों में प्रजातन्त्र की भावना का विकास होता है, आपसी सहयोग की भी भावना भी बढ़ती है।

च. सांस्कृतिक केन्द्र – सार्वजनिक पुस्तकालय सांस्कृतिक केन्द्र के रूप में भी कार्य करता है अपने सभी पाठकों को विभिन्न देशों की संस्कृति उनके रहन–सहन, शासन व्यवस्था व पूर्वजों के बारे में जानकारी देता है। इतिहास में घटित घटनाओं की जानकारी भी सार्वजनिक पुस्तकालय अपने संसाधनों से अपने पाठकों को उपलब्ध कराते हैं। जिससे हमें अपनी संस्कृति के साथ – साथ विभिन्न संस्कृतियों की भी जानकारी मिलती है।

छ. अन्य सेवाये – जन पुस्तकालय अपने पाठकों को अपने पुस्तकालयों के संसाधनों से ही नहीं बल्कि अन्य पुस्तकालयों के संसाधनों से भी नेटवर्क के माध्यम से जुड़कर अन्तर्राष्ट्रीय ऋण के द्वारा अपने पाठकों को उनकी आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराते हैं। फोटोकापी सेवा, पुस्तकों का आदान–प्रदान, वांगमय सूची, पुस्तकों की समीक्षा सी0ए0एस0, एस0डी0आई0 तथा इन्टरनेट सेवा भी सार्वजनिक पुस्तकालय अपने पाठकों को उपलब्ध कराते हैं।

6.3.2.2 भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति –

आजादी के 70 वर्ष बीत जाने पर भी भारत के सभी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हो सका है। वर्तमान समय में अधिकांश राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित हो पाये हैं। भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थिति भी अच्छी नहीं है। छोटे कस्बों व गाँवों में तो पुस्तकालय ही नहीं हैं। जिन राज्यों में अधिनियम पारित नहीं हुआ है वहां अधिनियम पारित करने के लिए और प्रभावशाली कदम उठाने चाहिए।

पहले से स्थापित पुस्तकालयों के रख–रखाव और उनके अद्यतन के लिए नई सूचना तकनीकी व प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहिए। नये–2 पुस्तकालय खोलने चाहिए तथा योग्यता से परिपूर्ण कर्मचारियों की इन पुस्तकालयों में नियुक्ति करनी चाहिए।

अभ्यास प्रश्न 1

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

1. चीनी यात्री हवेनसांग किस शताब्दी में भारत आया।
2. भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर है।
3. किसके अनुसार राष्ट्रीय पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है जिसका रखरखाव राष्ट्र द्वारा किया जाता है।
4. कौन सा पुस्तकालय समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए समान और निःशुल्क उपयोग के लिए खुला रहता है।

6.3.3 शैक्षणिक पुस्तकालय –

किसी शिक्षा संस्थान से संलग्न पुस्तकालय को शैक्षिक पुस्तकालय कहा जा सकता है। शिक्षा संस्थान, शिक्षा और शोध के ऐसे संस्थान हैं जो किसी निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर किसी निश्चित स्तर, उपाधि या प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के लिए छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रदान करते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय के अन्तर्गत विश्वविद्यालय महाविद्यालय व विद्यालयी पुस्तकालय आते हैं।

शैक्षिक पुस्तकालय— शैक्षणिक संस्था से जुड़े रहते हैं। जिस स्तर की संस्था होती है, उसी स्तर के पाठकों को सेवा प्रदान करना शैक्षिक पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय पाठकों के साथ संस्था के अध्यापक व अन्य कर्मचारियों की सूचना आवश्यकतों की पूर्ति करते भी करते हैं। आज के युग में तो शैक्षणिक पुस्तकालय अब इंटरनेट व अपनी कम्प्यूटरीकृत सेवाओं द्वारा भी अपने पाठकों को संतुष्ट कर रहे हैं।

6.3.3.1 आवश्यकता—

प्रकाशनों की संख्या तथा मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि, नये-नये पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ, उच्चस्तरीय शिक्षा पर बल आदि कुछ ऐसे तत्व हैं, जिनके कारण प्रत्येक शिक्षण संस्थान में एक उत्तम पुस्तकालय का होना आवश्यक हो गया है। शिक्षण की प्रकृति में बीसवीं शताब्दी में जो बदलाव आया, उससे पुस्तकालयों का महत्व और भी बढ़ गया।

पहले की शिक्षा व्याख्यान पर आधारित थी। शिक्षक व्याख्यान देते थे और छात्र सुनते थे। पाश्चात्य देशों में शिक्षा इस प्रणाली पर आधारित नहीं है और भारत में भी इसमें बदलाव आ रहा है। आज की शिक्षा एक तरफा नहीं है। आज छात्र भी समान रूप से इसमें हिस्सा ले रहा है। शिक्षक छात्रों को विषय के मूल तत्वों की जानकारी देकर उन्हें पुस्तकालय में पुस्तके पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। पुस्तकालय अपने संसाधनों से ही नहीं बल्कि दूसरे पुस्तकालयों के संसाधनों से भी नेटवर्क द्वारा जुड़कर अपने पाठकों को सेवाएं उपलब्ध कराता है। स्कूल पुस्तकालय अपने पाठकों में पढ़ने की आदत डालते हैं, वे बच्चों के स्तर की मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक पत्रिकायें जैसे—शुभम, सौरव, चन्द्रामामा, चम्पक, लोट-पोट, जूनियर साइंस पत्रिकायें इत्यादि उपलब्ध कराते हैं।

6.3.3.2 विश्वविद्यालय पुस्तकालय—

विश्वविद्यालयों में छात्र-छात्रायें शोध में लगे रहते हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालय एक प्रकार का शोध पुस्तकालय ही है। जो अपने पाठकों, शोधकर्ताओं को उनकी रुचि के अनुसार, विषयानुसार, अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराता है। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को अपने संग्रह का विकास इस प्रकार से करना चाहिए। जो पाठकों को ज्यादा से ज्यादा

सुविधायें दे सके। इसी के साथ विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को नई—नई तकनीकों को भी अपनाना चाहिए। अपने परम्परागत तकनीकों पर ही नहीं चलना चाहिए। इनका कम से कम समय में अपने पाठकों को संतुष्ट करना ही मुख्य उद्देश्य है।

6.3.3.2.1 विश्वविद्यालय पुस्तकालय के कार्य—

क. ज्ञान का परीक्षण (Conversation of Knowledge)

ख. शिक्षण (Teaching)

ग. शोध (Research)

घ. प्रकाशन (Publication)

ड. शिक्षा—विस्तार (Extension of Education)

च. ज्ञान की व्याख्या (Interpretation)

विश्वविद्यालय पुस्तकालय के निम्न कार्यः—

क. ज्ञान का भण्डारण— विश्वविद्यालय पुस्तकालय पुस्तकों, पत्र—पत्रिकाओं, आडियो—विडियो टेप, सी.डी., डी.वी.डी. आदि का संग्रह करते हैं। अपने पाठकों की आवश्यकता एवं उनके स्तर के अनुसार संसाधनों का विकास करता है। पाठकों को उनके पाठ्यक्रम के पुस्तकों के साथ सहायक पुस्तक को तथा शोधकर्ताओं को उनके विषय पर संदर्भ एवं अन्य ग्रन्थ, उपलब्ध कराना ही विश्वविद्यालय पुस्तकालय का प्रमुख कार्य है।

ख. वर्गीकरण, सूचीकरण व वांगमय सूची तैयार करना— विश्वविद्यालय अपने पाठकों की सुविधाओं के लिए क्य किये हुए संसाधनों का वर्गीकरण कर उनको रैक में वर्गीकृत तरीके से लगाने के साथ ही साथ पाठकों के लिए सूची तैयार करता है। जो पाठकों को पुस्तके खोजने के लिए एक उपयुक्त माध्यम है। दूसरा विश्वविद्यालय विषयानुसार वांगमय सूचियों को भी तैयार करता है। जिससे पाठकों को अपनी विषय पर उपलब्ध अन्य प्रकाशन की जानकारी प्राप्त हो सके। कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय अपने पाठकों को ओपेक और वेब ओपेक की सहायता से अपने संग्रह तक पहुँचने का माध्यम उपलब्ध कराता है।

ग. अन्तर्पुस्तकालय ऋण सेवा— विश्वविद्यालय पुस्तकालय के पास यदि कोई भी पुस्तक या अन्य प्रलेख नहीं है, जो पाठक द्वारा मांगा जाता है तो वह दूसरे पुस्तकालयों से Inter Library Loan के माध्यम से मंगवाकर देता है। आजकल तो इंटरनेट की सहायता से

यह समस्या और आसानी से हल हो रही है। भारत में इस तरह की सेवा कई पुस्तकालय में DELNET के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही है।

सी.ए.एस./एस.डी.आई.— इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय पुस्तकालय अपने पाठकों को पुस्तकालय में क्या—क्या नया आया है, उनको प्रदर्शित करता है तथा एस.डी.आई. के अन्तर्गत पुस्तकालय पाठकों की रुचि के अनुरूप लिस्ट बनाता है। पुस्तकालयों के पास उपलब्ध उस विषय से संबंधित क्या है, का मिलान करता है और पाठकों को प्रदान करता है।

ड. पाठक शिक्षा सप्ताह का आयोजन करना— पुस्तकालय अपने नये पाठकों को प्रत्येक वर्ष के आरम्भ में पाठक शिक्षा सप्ताह का आयोजन करता है, जिसके अन्तर्गत पाठकों की सहायता के लिए विभिन्न प्रोग्रामों का आयोजन करता है। जिसमें पाठकों को पुस्तकालय के संग्रह, सेवाओं तथा नियम—कायदों के बारे में बताया जाता है। इसके अन्तर्गत पाठकों को पाठ्य सामग्री ढूँढ़ने में मददगार यंत्र जैसे वर्गीकरण और सूचीकरण द्वारा अमुक पुस्तक को ढूँढ़ना आसान बनाया जाता है। साथ ही साथ पुस्तकालयों की अन्य सेवायें जैसे— संदर्भ ग्रन्थ का विभाग, पाठ्य—पुस्तक विभाग, फोटोकापी सेवा विभाग व उनके प्रयोग इत्यादि के बारे में भी इसके तहत पाठकों को अवगत कराया जाता है।

च. पाठकों की अन्य सेवायें— जैसे फोटोकापी, प्रिन्टिंग सर्विस, इण्टरनेट व अनुवाद आदि सेवायें भी उपलब्ध कराना विश्वविद्यालय पुस्तकालय कार्यों के अन्तर्गत आता है। पुस्तकालय अपने प्रकाशन भी निकालते हैं, जैसे— वांगमय सूची व वार्षिक रिपोर्ट आदि। समय—समय पर पुस्तकालय अपने पाठकों के लिए सप्ताह प्रदर्शनी का भी आयोजन करते हैं।

6.3.3.3. महाविद्यालय पुस्तकालय—

महाविद्यालय के छात्रों के विभिन्न पाठ्यक्रमों से सम्बंधित पाठ्य पुस्तके तथा अध्यापकों को संदर्भ ग्रन्थों तथा पत्र पत्रिकाओं का संग्रह तथा आदान—प्रदान सेवायें महाविद्यालय पुस्तकालय में दी जाती है। लायल ने इस सम्बंध में कहा है कि कॉलेज पुस्तकालय सेवा, पुस्तक संग्रह तथा संचारण जैसे अन्य कार्यों से भी आगे बढ़ती है। कॉलेज पुस्तकालय केवल मात्र पुस्तकों के संग्रह एवं संचारण के लिए नहीं है अपितु संदर्भ सेवा द्वारा शैक्षणिक कार्यों में सहायता देने एवं सम्बंधित शैक्षणिक स्तर को उन्नत करने के लिए विभागीय सदस्यों को पुस्तकालय सेवा उपलब्ध कराने एवं विद्यार्थियों को अच्छी व अधिक से अधिक पुस्तके पढ़ने के लिए प्रोत्साहन करती है।

किसी महाविद्यालय का पुस्तकालय देखकर उस महाविद्यालय के बारे में जाना जा सकता है। कालेज पुस्तकालय का उद्देश्य छात्रों को निर्देशन व सहायता देने के साथ—साथ अध्यापकों को भी आगे बढ़कर अपनी विषय में रुचि बढ़ाने में सहायक होना है। अतः महाविद्यालय पुस्तकालय का गठन वैज्ञानिक ढंग से अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाते हुए अपने छात्र/छात्राओं के पाठ्यक्रम के अनुरूप पुस्तकों उपलब्ध कराना ही मुख्य कार्य की श्रेणी में आता है।

6.3.3.1 आवश्यकता—

वर्तमान समय में महाविद्यालय पुस्तकालयों की ज्यादा जरुरत महसूस की गई है। नित्य नवीन पाठ्यक्रमों का आगमन, प्रकाशन मूल्यों में बढ़ोत्तरी, जटिल विषयों पर शोध कार्य तथा प्रकाशन सामग्री में तीव्रता के कारण पुस्तकालय की आवश्यकता महसूस की गई है। आज एक छात्र, अध्यापक या शोधकर्ता के लिए यह जान सकना असम्भव है कि उनके विषय पर क्या—क्या मुद्रित हो रहा है। पुस्तकालय ही इस सम्बन्ध में अपने पाठकों की सहायता सूची, वर्गीकरण, वांगमय सूची आदि तैयार करके तथा सी.ए.एस. व एस.डी.आई. सेवाओं द्वारा कर सकते हैं। इसलिए आज पुस्तकालयों का महत्व बढ़ गया है।

6.3.3.2 महाविद्यालय पुस्तकालय के कार्य—

वैसे तो कालेज पुस्तकालय के कार्य विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों जैसे ही हैं परन्तु विश्वविद्यालय में शोध पर ज्यादा जोर दिया जाता है व बड़े स्तर पर पुस्तकालय का गठन किया जाता है। महाविद्यालय पुस्तकालय के निम्न कार्य हैं—

क. संग्रह करना— महाविद्यालय पुस्तकालयों में सर्वप्रथम कार्य अपने पाठकों के स्तर पर विभिन्न विषयों की पाठ्य पुस्तकों तथा सन्दर्भ ग्रन्थों का संग्रह करना है। महाविद्यालय यह संग्रह छात्रों के सुझावों व मुख्य रूप से अध्यापकों के सुझावों के आधार पर करता है।

ख. प्रबन्ध करना— दूसरा प्रमुख कार्य पाठ्य सामग्री का संग्रह पुस्तकों के चयन व खरीद द्वारा करना है। वर्गीकरण करना, सूचीकरण एवं वांगमय सूची इसके अन्तर्गत आते हैं। आजकल तो महाविद्यालय पुस्तकालय कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को अपनाकर यह काम बड़ी आसानी से व अच्छी तरह से कर रहे हैं। जिससे पुस्तकालय कर्मचारियों के समय की बचत के साथ छात्रों का भी लाभ हो रहा है।

ग. प्रदर्शन करना— पुस्तकालय सप्ताह तथा प्रदर्शनी द्वारा महाविद्यालय पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्रियों को अपने पाठकों से अवगत कराने का कार्य भी किया जाता है।

घ. पाठक सप्ताह— महाविद्यालय अपने नये पाठकों के लिए आरम्भ में पाठक सप्ताह का आयोजन करते हैं, जिससे पुस्तकालय कर्मचारी छात्रों को पुस्तकालय द्वारा दी जा रही सेवाओं, पुस्तकालय का भौतिक स्वरूप तथा कायदे—कानून के बारे में बताते हैं। आजकल पुस्तकालय सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से भी ऐसे कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं।

ड. अन्य कार्य— उपरोक्त कार्यों के साथ—साथ महाविद्यालय पुस्तकालय फोटो कापी सेवा प्रदान करता है तथा अपने पाठकों के विभिन्न विषयों पर वांगमय सूची भी तैयार करता है। **CAS/SDI** सेवाओं को भी पुस्तकालय देता है। सेवाये तो बहुत है किन्तु यह सब महाविद्यालय किस स्तर का है? उसकी वित्त व्यवस्था कैसी है? तथा पाठकों की संख्या व स्तर आदि पर निर्भर करता है।

6.3.3.4 विद्यालय पुस्तकालय—

बच्चे देश के कर्णधार होते हैं। आज के बच्चे कल के भविष्य के रूप में होते हैं। यदि उनका सर्वांगीण विकास नहीं होता तो यह बाते सच नहीं हो पायेगी। विद्यालय पुस्तकालय विविध प्रकार के बच्चों के सर्वांगीण विकास में होते हैं। पाठ्यक्रमों के साथ—साथ बच्चों की मनोरंजक, ज्ञानवर्धन व सामान्य ज्ञान की सामग्री प्रदान करना स्कूल पुस्तकालय का कार्य है।

स्कूल पुस्तकालय का मुख्य कार्य बच्चों में पढ़ने की अभिरुचि पैदा करना और पुस्तकालय का उपयोग कैसे करना सिखाता है। बच्चों के सामने चित्र युक्त ज्ञानवर्धक कहानियाँ पत्र पत्रिकाएँ आदि रखनी चाहिए। बच्चे रंगीन चित्रों वाली कहानियाँ अधिक पढ़ते हैं। जिससे उनमें पढ़ने की आदत का विकास होता है। बच्चों में अच्छा चरित्र निर्माण करना शिक्षा व पुस्तकालय दोनों का ही कर्तव्य है। देश भक्ति की भावना वीरता खेलकूद में प्रवीणता के साथ—साथ व्यावहारिक ज्ञान की भी जानकारी कराना विद्यालय पुस्तकालय का कार्य है।

6.3.3.4.1 विद्यालय पुस्तकालय के कार्य—

विद्यालय पुस्तकालय के कार्य निम्न है—

1. पुस्तकों पत्र—पत्रिकाओं तथा अन्य पाठ्य सामग्री कहानियों छोटे सन्दर्भ ग्रन्थ आदि का संग्रह करना।
2. पाठ्यक्रमों की पुस्तके तथा सहायक पुस्तकों को छात्रों के लिए जुटाना और पुस्तकालय में संग्रह करना।
3. पाठ्य पुस्तक व अन्य पाठ्य सामग्री का वर्गीकरण तथा सूचीकरण करना और बच्चों को पुस्तके खोजने के बारे में सिखाना जिससे बच्चे स्वयं पुस्तकालय का उपयोग करना सीखे।

4. बच्चों के लिए पुस्तकों के आदान—प्रदान की व्यवस्था करना तथा पत्र—पत्रिकाओं की व्यवस्था करना।
5. बच्चों को मनोरंजक व ज्ञानवर्धक पुस्तके व पत्रिकाएँ कहानियाँ देकर उनमें पढ़ने की रुचि पैदा करना।
6. समय—समय पर होने वाले प्रतियोगिता सम्बन्धी प्रोग्रामों के बारे में पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराकर बच्चों का मार्गदर्शन करना।
7. नये बच्चों को आर्कषित करने के लिए प्रदर्शनी लगाना तथा पुस्तकालय सप्ताह का आयोजन करना जिससे बच्चों को पुस्तकालय के बारे में पूरी जानकारी हो सके।

6.3.4 विशिष्ट पुस्तकालय –

कई बार विशिष्ट पुस्तकालय और शैक्षिक पुस्तकालय में भेद करना मुश्किल हो जाता है। इसका कारण यह है कि कोई शैक्षिक संस्थान एक विशिष्ट संस्थान भी हो सकता है जैसे इंजीनियरिंग और चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा देने वाले संस्थान को विशिष्ट संस्थान भी माना सकता है। ऐसे पुस्तकालय के पाठक विशेष होते हैं तथा संग्रह भी विशिष्ट प्रकार का होता है। वह विशिष्ट पुस्तकालय की श्रेणी में आता है। पुस्तक संग्रह तथा पाठक ये दो तत्व हैं जो पुस्तकालयों की प्रकृति और परिभाषा का निर्धारण करते हैं। विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा भी इन्हीं दो तत्वों में से एक पर आधारित हो सकती है। कई पुस्तकालय विशेषज्ञ पुस्तक संग्रह के आधार पर विशिष्ट पुस्तकालय की परिभाषा देते हैं। आई0इ0राइट ने विशिष्ट पुस्तकालय की ऐसी ही परिभाषा देते हुए लिखा है कि विशिष्ट पुस्तकालय एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें किसी विशेष विषय पर या विषयों पर साहित्य संकलित किया जाता है। इसीलिए राइट ने शैक्षिक पुस्तकालयों को भी विशिष्ट पुस्तकालय माना है क्योंकि इनकी रुचि भी किसी विशेष प्रकार या विषयों में होती है इस परिभाषा में संग्रह की विशेषता पर बल दिया गया है। वास्तव में संग्रह नहीं बल्कि पाठक पर आधारित परिभाषा विशिष्ट पुस्तकालय की प्रकृति को प्रकाश में लाती है। शैक्षिक पुस्तकालय के पाठक अपनी शिक्षा संबन्धी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पुस्तकालय का उपयोग करते हैं परन्तु विशिष्ट पुस्तकालय के पाठक उसका उपयोग अपने संस्थागत उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए करते हैं सरकारी कार्यालयों के पुस्तकालय विशिष्ट पुस्तकालय के उदाहरण हैं इसके पाठक सरकारी कर्मचारी होते हैं तथा पुस्तकालय की स्थापना का उद्देश्य कर्मचारी को सरकारी काम पूरा करने से सबंधित साहित्य उपलब्ध कराना है। डा० रंगनाथन ने विशिष्ट पुस्तकालय के लिए विशेषज्ञों का पुस्तकालय पद का उपयोग किया है। अतः विशिष्ट पुस्तकालय में संग्रह के साथ पाठक भी विशिष्ट प्रकार का होता है।

6.3.4.1 विशिष्ट पुस्तकालयों के लक्षण—

विशिष्ट पुस्तकालय के निम्नलिखित लक्षण या गुण होते हैं—

क. विशिष्ट संग्रह—विशिष्ट पुस्तकालय का संग्रह विशेष प्रकार का होता है जहाँ पाठक विशेष होंगे तो वहाँ का संग्रह भी उन्हीं अनुरूप विशेष ही होगा। यहाँ के प्रलेख सूचनाओं से ओत-प्रोत होते हैं। विशिष्ट पुस्तकालयों के पाठकों के पास समय कम होता है इसी को ध्यान में रखकर ही यहाँ का संग्रह और सेवाओं का व्यवस्थापन किया जाता है।

ख. विशिष्ट उपभोक्ता तथा सेवाएं—विशिष्ट पुस्तकालय के पाठक पुस्तकालय का उपयोग अपनी व्यक्तिगत आवश्यकता के लिए नहीं करते बल्कि अपनी संस्था के काम को पूरा करने में सहायता लेने के लिए करते हैं ये विशिष्ट पाठक जैसे— वैज्ञानिक डॉक्टर इन्जीनियर्स आदि हो सकते हैं।

ग. कर्मचारी तथा उपस्कर—विशिष्ट पुस्तकालयों में अपेक्षाकृत अधिक योग्य प्रशिक्षित तथा विषय के जानकर कर्मचारियों और विकसित यांत्रिक उपस्कर की जरूरत होती है। जिससे कि सूचना की व्यवस्था और पुनर्प्राप्ति कराई जा सके इन विशिष्ट कर्मचारियों को समय-समय पर नई-नई तकनीकों का ज्ञान प्रदान कराया जाये ताकि वे पाठकों को विशेष सेवाएं प्रदान कर सकें।

6.3.4.2 विशिष्ट पुस्तकालयों के कार्य—

सूचना एंव प्रलेखन संबंधी सेवाएं प्रदान करना विशिष्ट पुस्तकालय का प्रमुख कार्य है। प्रलेखन एंव सूचना सेवा के दो पक्ष हो सकते हैं—

1. प्रलेखन कार्य तथा
2. प्रलेखन सेवा।

इसके अन्तर्गत विशिष्ट पुस्तकालयों के निम्नलिखित कार्य आते हैं—

1. विशिष्ट सूचना का संकलन संगठन, सारणीकरण, अनुक्रमणीकरण तथा वर्गीकरण।
2. प्रलेखन सूचियों बनाना तथा
3. सूचना संचयन एंव पुनर्प्राप्ति के द्वारा पाठकों की सेवा करना।
4. विशिष्ट पुस्तकालयों में पुस्तकों के आदान-प्रदान के साथ-साथ पत्र पत्रिकाओं की भी सेवाएं दी जाती हैं। विशिष्ट पाठकों की सेवाओं के लिए तथा सेवाओं की जरूरत पड़ती है। जिसमें प्रलेख प्रोफाइल तथा पाठकों की जरूरतों को क्रमानुसार करके पाठक प्रोफाइल बनाई जाती है। फिर मिलान किया जाता है

तथा पाठकों को अवगत कराया जाता है। इन सारी सेवाओं के अतिरिक्त अन्तर्पुस्तकालय ऋण के अन्तर्गत दूसरे पुस्तकालयों से भी जरूरत के प्रलेखों को मँगवाकर पाठकों की जरूरत को पूरा किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न 2

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।

1. चीनी यात्री फाहयान में भारत आया।
2. मुख्य रूप से पुस्तकालय प्रकार के होते हैं।
3. देश की बौद्धिक धरोहर पुस्तकालय में इकट्ठा की जाती है।
4. भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पूर्व नाम लाइब्रेरी था।
5. के द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय के लिए घोषणपत्र जारी किया गया।
6. अन्य पुस्तकालयों के संसाधनों से भी नेटवर्क के माध्यम से जुड़कर के द्वारा आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है।
7. विश्वविद्यालय पुस्तकालय को विश्वविद्यालय का कहा जाता है।
8. कम्प्यूटरीकृत पुस्तकालय अपने पाठकों को के माध्यम से अपने संग्रह तक पहुँचाने का माध्यम उपलब्ध कराता है।
9. एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें किसी विशेष विषय साहित्य संकलित किया जाता है।
10. पुस्तक संग्रह तथा दो तत्व हैं जो पुस्तकालयों की प्रकृति और परिभाषा का निर्धारण करते हैं।

अभ्यास प्रश्न 3

निम्नलिखित प्रश्नों का हां या नहीं में उत्तर दीजिए।

1. प्राचीन भारत में नालंदा, तक्षशिला एवं विकमशिला ज्ञान के केन्द्र थे।
2. ब्रिटिश स्थूजियम के पुस्तकालयाध्यक्ष एंथोनी पैनिजी थे।
3. पुस्तकालय को संस्था का शरीर कहा जाता है।
4. राष्ट्रीय वाङ्मय सूची बनाना सार्वजनिक पुस्तकालय का कार्य है।
5. सामयिक अभिज्ञता सेवा में पाठकों की रुचि में अनुरूप लिस्ट बनाई जाती है।

6.4 सारांश

वर्तमान काल में पुस्तकालय की अवधारणा एवं परिभाषा में पूर्णरूपेण परिवर्तन आ गया है। प्राचीन काल में पुस्तकों को सिर्फ संग्रह की वस्तु समझा जाता था तथा उसे भावी पीढ़ी के संरक्षण के लिए संरक्षित किया जाता था परन्तु आज के समय में पुस्तकों को

उपयोग की वरतु समझा जाता है तथा अधिकाधिक पाठकों तक उसका लाभ कैसे पहुंचे इसकी योजना बनाई जाती है। इस कारण से वर्तमान में पुस्तकालयों पर काफी धन भी व्यय किया जा रहा है ताकि पाठकों को उनकी अभीष्ट सूचना प्राप्त हो सके। सभी प्रकार के पुस्तकालय चाहे वे राष्ट्रीय स्तर के हो या फिर सार्वजनिक पुस्तकालय हो या फिर शैक्षणिक पुस्तकालयों के अंतर्गत आने वाले वि.वि. स्तर के हो, या फिर महाविद्यालय या विद्यालय स्तर के हो या फिर विशिष्ट पुस्तकालय ही क्यों न हो, सभी में डिजिटल पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए नित नये प्रयोग किए जा रहे हैं तथा इस प्रकार के कार्यक्रम तैयार किये जा रहे हैं ताकि कम से कम समय में अधिक से अधिक पाठकों तक सूचना उपलब्ध कराई जा सके। सूचना प्रौद्योगिकी ने पुस्तकालयों को सबसे अधिक प्रभावित किया है अतः कर्मचारियों को उसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे कार्यकृतशतता के आधार पर उसे पुस्तकालय सेवाओं में लागू कर सके तथा सूचना प्रौद्योगिकी से परिचित हो जाये। हम भारत में पुस्तकालय विज्ञान के पिता डा. रंगनाथन के योगदान को कभी नहीं भूल सकते हैं जिनकी बदौलत ही आज पुस्तकालय उन्नत अवस्था में हैं तथा पाठकों की सेवा में कार्य कर रहे हैं।

6.5 शब्दावली

| | |
|-----------|-----------------|
| भण्डारण | संग्रह |
| अधिनियम | कानून |
| पांडुलिपि | हस्तलिखित ग्रंथ |
| सार्वजनिक | सभी के लिए |
| संरक्षित | रक्षा करना |
| शोध | अनुसंधान |
| संप्रेषण | संचार |
| अद्यतन | नवीन |
| प्रावधान | नियम-कायदा |
| व्यापकता | विस्तृत |

6.6 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1—(1) 7 वीं शताब्दी (2) कलकत्ता (3) अमेरिकन लाइब्रेरी संघ (4) सार्वजनिक पुस्तकालय

अभ्यास प्रश्न 2 — 1. ई. 399—414 2. चार 3. राष्ट्रीय 4. 14 इंपीरियल 5. यूनेस्को 6. अंतर्राष्ट्रीय ऋण 7. हृदय 8. ओपेक 9. विशिष्ट पुस्तकालय 10. पाठक

अभ्यास प्रश्न 3 — क (हाँ) ख (हाँ) ग (नहीं) घ (नहीं) ड. (नहीं)

6.7 संदर्भ ग्रंथ सूची

1. पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका, उमेश दत्त शर्मा, अनुवादक, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1963।
2. पुस्तकालय और समाज, पाण्डेय एस० के० शर्मा, ग्रंथ अकादमी, नईदिल्ली, 1995।
3. ग्रंथालय, समाज एवं ग्रंथालय विज्ञान के पांच सूत्र तथा प्रौढ़ शिक्षा में ग्रंथालयी की भूमिका, एस. एम. त्रिपाठी, वाई० के० पब्लिशर्स, आगरा, 1999।
4. ग्रंथालय और समाज, के० एस. सुन्देश्वरन, एस. एस. पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 1988।
5. पुस्तकालय और समाज, बी.लिब.आई.एस.सी—०१, उ.प्र.राजर्षि टंडन मुक्त वि.पि., इलाहाबाद।
6. पुस्तकालय विज्ञान के चौदह अध्याय, अनिरुद्ध प्रसाद, मोतीलाल बनारसी दास, दिल्ली, 1996।
7. सार्वजनिक पुस्तकालय संगठन, अग्रवाल एवं शर्मा, आर. बी. एस. ए. पब्लिशर्स, जयपुर, 1995।

6.8 सहायक व उपयोगी पुस्तकें

1. दि पब्लिक लाइब्रेरी इन अमेरिकन लाइफ, इमेस्टीन रोज, कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस, न्यूयार्क, 1995।
2. ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान, सी० लाल, एस.एस.पब्लिकेशन, नईदिल्ली, 1994।
3. पुस्तकालय विज्ञान की भूमिका, उमेश दत्त शर्मा, अनुवादक, एशिया पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1963।
4. पुस्तकालय और समाज, पाण्डेय एस० के० शर्मा, ग्रंथ अकादमी, नईदिल्ली, 1995।
5. पुस्तकालय पद्धति, एन. डी. बगरी, नीलाभ प्रकाशन, इलाहाबाद, 1973।
6. पुस्तकालय और समुदाय, ओमप्रकाश शर्मा, मोहित पब्लिशर्स, नईदिल्ली, 1995।

6.9 निबन्धात्मक प्रश्न

1. पुस्तकालय के प्रकार की चर्चा कीजिए।
2. राष्ट्रीय पुस्तकालय के उद्देश्य एवं कार्य पर प्रकाश डालिए।
3. विशिष्ट पुस्तकालय पर लेख लिखिए।

खण्ड- 3

पुस्तकालय अधिनियम एवं संगठन

इकाई – 7 भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम

- 7.1 प्रस्तावना
- 7.2 उद्देश्य
- 7.3 भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम
 - 7.3.1 पुस्तकालय अधिनियम का महत्व
 - 7.3.2 पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता
- 7.4 विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम
 - 7.4.1 तमिलनाडु
 - 7.4.2 आन्ध्रप्रदेश
 - 7.4.3 महाराष्ट्र
 - 7.4.4 पश्चिम बंगाल
 - 7.4.5 उत्तरप्रदेश
- 7.5 सारांश
- 7.6 शब्दावली
- 7.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 7.8 सन्दर्भ ग्रन्थसूची
- 7.9 उपयोगी पुस्तकें
- 7.10 निबन्धात्मक प्रश्न

7.1 प्रस्तावना (Introduction)

भारत में पुस्तकालयों की स्थापना का इतिहास भी काफी महत्वपूर्ण रहा है। पुस्तकालय कई प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय जनता से जुड़े होते हैं न कि किसी व्यक्ति विशेष से। अतः स्पष्ट है कि उन्हें जनता के हितों को ध्यान में रखकर स्थापित किया जाता है। सार्वजनिक पुस्तकालयों में संग्रहित सामग्री का रखरखाव एवं इसके सुचारू रूप से संचालन की जवाबदारी सरकार की होती है जिससे ग्रन्थालय संचालन हेतु अधिनियम की आवश्यकता होती है। इस तरह के अधिनियमों का निर्माण किसी राष्ट्र, राज्य या सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किये जाते हैं। अतः सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, संधारण एवं उसके विकास हेतु पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता सभी देशों के लिये अनिवार्य है। भारत में आज भी कई राज्य ऐसे हैं जहां सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम न तो पारित किये गये हैं और न ही कोई सकात्सक प्रयास इस सन्दर्भ में दिखायी दे रहे हैं।

7.2 उद्देश्य- (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की अवधारणा को समझ सकेंगे।

भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की रूपरेखा विकसित कर सकेंगे।

विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की वर्तमान स्थिति से अवगत हो सकेंगे।

7.3 भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम

विश्व के समस्त देशों में जनता का विकास करने में पुस्तकालयों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है लेकिन सार्वजनिक पुस्तकालयों का शासकीय सहयोग के अभाव में सुचारू रूप से संचालन करना कठिन होता है क्योंकि शासन ही एक सशक्त एवं प्रभुता सम्पन्न माध्यम है। यह राष्ट्र की जनसंख्या, भाषा, साक्षरता का स्तर, लोगों के व्यवसाय, अध्ययन की रुचि, यातायात साधनों, जलवायु इत्यादि का सर्वेक्षण करने के उपरान्त, उसके आधार पर पुस्तकालय अधिनियम की स्थापना की जा सकती है। शासन द्वारा पुस्तकालय अधिनियम की अनदेखी करके पुस्तकालयों को पोषित करने का एक और माध्यम अनुदान प्रदान करने का है, पुस्तकालय संचालन हेतु अनुदान सहायता तो प्रदान अवश्य करता है लेकिन पुस्तकालय सेवा को स्थायित्व प्राप्त नहीं हो पाता है। कभी –कभी अनुदान समय पर न मिलने के कारण पुस्तकालय की स्थिति खराब होती चली जाती है और भविष्य में यह क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती कि पुस्तकालय का संचालन व्यवस्थित रूप से पुनः किया जा सके।

सार्वजनिक पुस्तकालय के माध्यम से ही देश का सामाजिक, बौद्धिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर को ऊपर उठाया जा सकता है। विश्व में सार्वजनिक पुस्तकालय उनके अपने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। सार्वजनिक पुस्तकालय की

आवश्यकता राष्ट्रीय स्तर और प्रान्तीय स्तर पर हो सकती है। स्थानीय शासन के प्राधिकरण द्वारा भी अधिनियम को पारित किया जा सकता है। पुस्तकालय अधिनियमों को शासन, प्रशासन एवं प्राधिकरणों के बीच उचित समन्वय स्थापित करके और अधिक बेहतर बनाया जा सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों के मध्य भी उचित समन्वय स्थापित करके पुस्तकालयों की सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सकता है। समय के साथ—साथ, देश के कई राज्यों ने उनके अपने सामर्थ्य के अनुसार पुस्तकालय अधिनियम को पारित कर एक नई विधा में जुड़ने का प्रयास किया है।

भारत को सन् 1947 में स्वतंत्रता मिली और सन् 1950 में एक गणराज्य बना। स्वतंत्रता के बाद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। प्रशासन की सुगमता के लिए भारत को 29 राज्यों और 7 संघ शासित प्रदेश बांटा गया है। पश्चिमी भारत में स्वतंत्रता से पहले कोल्हापुर प्रिंसीली राज्य था, जहां सन् 1945 में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया गया था। बंगाल की महांद्रा देव राज महाशय ने 1927 में बंगाल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना की और बंगाल लाइब्रेरी अधिनियम को देने के लिए कड़ी मेहनत की। खान बहादुर असाहदुल्ला ने 1933 में इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की नींव के लिए बहुत से प्रयास किए। 1914 में आंध्र प्रदेश के बेजवाड़ा में पुस्तकालय कार्यकर्ताओं का पहला सम्मेलन और लाइब्रेरी आंदोलन में रुचि रखने वाले व्यक्तियों का आयोजन किया गया था। 1934 में मद्रास में पहली अखिल भारतीय पब्लिक लाइब्रेरी सम्मेलन आयोजित किया गया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद से निम्नलिखित राज्यों ने सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को पारित किया है

1. 1948 तमिलनाडु
2. 1960 आंध्र प्रदेश
3. 1965 कर्नाटक
4. 1967 महाराष्ट्र
5. 1979 पश्चिम बंगाल
6. 1988 मणिपुर
7. 1989 हरियाणा
8. 1989 केरल
9. 1993 मिजोरम
10. 1993 गोवा
11. 2001 ओडिशा
12. 2000 गुजरात
13. 2005 उत्तरांचल

-
14. 2006 राजस्थान
 15. 2006 उत्तर प्रदेश
 16. 2007 लक्ष्मीप
 17. 2008 बिहार
 18. 2009 छत्तीसगढ़
 19. 2009 अरुणाचल प्रदेश

अब तक, भारतीय सघ के केवल आधे राज्यों ने ही पुस्तकालय अधिनियम को पारित किया है, हालांकि, आने वाले कुछ सालों में बाकी राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम लागू करने की संभावना है। इनमें से पुदुचेरी राज्य एक है।

7.3.1 पुस्तकालय अधिनियम का महत्व

पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय की संरचना को निर्धारित करता है तथा एक आदर्श ढांचे के अन्तर्गत इसका विकास सुनिश्चित करता है।

अधिनियम राजनीतिज्ञों एवं प्रशासकों की अनियमितताओं पर रोक लगाता है।

अधिनियम स्थायी तथा क्रमिक रूप से पुस्तकालय हेतु वित्तीय सहायता की व्यवस्था करता है जिससे इसके सतत विकास में आर्थिक कमी न हो सके।

पुस्तकालय के प्रशासक के लिये उपर्युक्त सत्ता निर्धारित की जाती है। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि वह सत्ता विधान मण्डल एवं जनप्रतिनिधियों के प्रति भी उत्तरदायी हो।

7.3.2 पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता

पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकताओं के मुख्य अवयव निम्नलिखित हैं –

1. पुस्तकालय संरचना हेतु सुदृढ़ नीति का निर्धारण करना।
2. पुस्तकालय के विकास हेतु वित्तीय व्यवस्था करना।
3. पुस्तकालय तन्त्र की स्थापना करना।
4. पुस्तकालय सेवा की निरन्तरता एवं सुनिश्चतता निर्धारित करना।
5. जनता को निःशुल्क पुस्तकालय सेवा प्रदान करने में सहायक होना।
6. पुस्तकालय सहयोग के लिये आधार बनाने के लिये सहयोग प्रदान करना।
7. पुस्तकालय के विकास के लिये सुदृढ़ संचालक मण्डल का निर्माण करना।

7.4 विभिन्न राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम

19वीं सदी के मध्य तक, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के तीन प्रेसीडेंसी कस्बों में सार्वजनिक पुस्तकालय थे। इन पुस्तकालयों में इन शहरों में रहने वाले यूरोपीय लोगों द्वारा ज्यादातर वित्त पोषण किया गया था इनमें से 1835 में कोलकाता में पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना

सबसे महत्वपूर्ण थी। सदी के अंत तक, सभी प्रांतीय राजधानियां और कई जिला कर्सों में भी उनके सार्वजनिक पुस्तकालय थे। यहां तक कि कुछ राजवंशियों, जैसे इंदौर और त्रावणकोर—कोचीन के सार्वजनिक पुस्तकालयों की उनकी राजधानियों में होने का गौरव था। इस सदी में त्रिवेन्द्रम पब्लिक लाइब्रेरी (1847), सूरत (1850) की एण्ड्र्यूज लाइब्रेरी, (1855) की गया पब्लिक लाइब्रेरी, राजकोट की लाइब्रेरी (1856), मद्रास (1860) के कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी, जुनागढ़ का पुस्तकालय (1867) इत्यादि थे। इन पुस्तकालयों का इस्तेमाल समाज के छोटे, समृद्ध भाग तक सीमित था। 20वीं शताब्दी के पहले तीन दशकों को भारतीय पुस्तकालय प्रणाली के स्वर्ण युग के रूप में देखा जा सकता है।

यहां पर तमिलनाडु में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, महाराष्ट्र में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की चर्चा की जायेगी।

7.4.1 तमिलनाडु में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम

भारत में स्वतंत्रता के बाद यह पहला अधिनियम था, जिसे सन् 1948 में मद्रास राज्य में अधिनियमित किया गया था। मद्रास लोक पुस्तकालय अधिनियम, जिसे बाद में तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट के नाम से जाना जाने लगा। 'स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी' के रूप में कोनेमरा पब्लिक लाइब्रेरी इस अधिनियम के दायरे के तहत आने वाला पहला पुस्तकालय बन गया। इसके बाद, 1951 से पांच जिला पुस्तकालयों को पंचवर्षीय योजना के दौरान जोड़ा गया। यह अधिनियम एस. आर. रंगनाथन और मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के अनुसंधान और गतिविधि के आधार पर अधिनियमित किया गया था। अन्य राज्यों ने मद्रास पब्लिक पुस्तकालय अधिनियम पर आधारित सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियमों को लागू किया है।

रंगनाथन ने 1923 के आसपास लंदन में लाइब्रेरियन के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त किया था और वहां सार्वजनिक पुस्तकालय कानून की व्यवस्था से प्रभावित होकर भारत लौटने पर उन्होंने अपने ही देश में कुछ इसी तरह के लिए अभियान शुरू किया। कानून 'किसी भी देश में एक जरूरी आवश्यकता होती है' रंगनाथन ने इसे पहचान लिया था। विभिन्न प्रकार की सरकारों के अस्तित्व के कारण स्थिति जटिल थी, जिनमें प्रांतीय प्रांतों के शासन शामिल थे, जिनमें शासकों के नियंत्रण में ब्रिटिश राज और विभिन्न राज्यों का नियंत्रण था। 1930 में प्रथम अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन में परिणामस्वरूप उनके शोध और परामर्श को प्रस्तुत किया गया था। इस रिपोर्ट में प्रस्तावित मॉडल पुस्तकालय अधिनियम शामिल था।

यह सन् 1948 में मद्रास लोक पुस्तकालय अधिनियम द्वारा अनुपालन में लाया गया, जो भारत के नए स्वतंत्र गणराज्य में पारित होने वाला पहला अधिनियम बन गया था। अन्य क्षेत्रों में जैसे — केरल और हरियाणा में अधिनियमों का पालन किया गया था और आमतौर पर पहले के कानूनों में सुधार भी किया गया था। अधिनियम से पहले, मद्रास की प्रमुख पुस्तकालय कोनेमारा पब्लिक लाइब्रेरी थी, जिसे 1860 में खोला गया था और 1896 में एक सार्वजनिक पुस्तकालय बन गया था। यह 1948 में स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी और 1981 में एक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी बन गई।

प्रावधान

मद्रास लोक पुस्तकालय अधिनियम राज्य पुस्तकालय समिति द्वारा राज्य के अधीनस्थ शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में समग्र रूप से संचालित किया जाता है। समिति में विभिन्न क्षेत्रों से आजीवन सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधियों और राज्य लाइब्रेरी एसोसिएशन, साथ ही एक सचिव भी होता है। सार्वजनिक पुस्तकालय में एक निदेशक को नियुक्त करने का प्रावधान होता है।

राजस्व कर (Cess) के माध्यम से प्राप्त होता है, जो स्थानीय प्रशासनिक निकायों जैसे नगर पालिका और पंचायत द्वारा एकत्र किया जाता है। उन निकायों द्वारा अपने स्थानीय लाइब्रेरी एसोसिएशन (एलएलए) को टैक्स प्रेषित किया जाता है, जो मध्य स्तर वाले जिला प्रशासनिक स्तर पर एक संरक्षक संगठन के रूप में काम करता है। कराधान की दर कानून में तय होती है लेकिन राज्य सरकार इससे सहमत होने पर स्थानीय लाइब्रेरी एसोसिएशन से उच्च दर का अनुरोध कर सकती है। स्थानीय लाइब्रेरी एसोसिएशन अपने नियंत्रण में पुस्तकालयों में प्रवेश की शर्तों को निर्धारित करता है।

50,000 से अधिक आबादी वाले शहरों में स्वयं का एक केंद्रीय पुस्तकालय होना चाहिए और यदि शाखाओं की मांग की जाती है तो शाखा पुस्तकालयों और अन्य माध्यमों से उपयोग के विस्तार के लिए प्रावधान मौजूद हैं। पुस्तकालयों के अलावा जो स्थानीय लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा प्रशासित हैं, इस अधिनियम में अन्य पुस्तकालयों के लिए पंजीयन उपलब्ध होते हैं। यह डीपीएल द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिनके पास राज्य संसाधनों से अनुदान जारी करने की शक्ति होती है। इसके अतिरिक्त संसाधन अधिनियम द्वारा किए गए संशोधन प्राप्त किए जाते हैं। 1857 के प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ बुक्स एक्ट में कॉपीराइट संशोधन किया गया है, राज्य के सभी प्रकाशकों को अपने उत्पादन की पांच प्रतियां राज्य सरकार को प्रदान करने की आवश्यकता होती है, जो राज्य से केंद्रीय पुस्तकालय भेजी जाती हैं।

विकास

मद्रास पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट में कई कथित असफलताओं को बाद के अधिनियमों में कहीं और संबोधित किया गया है। उदाहरण के लिए, हैदराबाद कानून, जो बाद में आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम बन गया, इसके अनुसार पुस्तकालयों का संचालन करने के लिए सरकार का एक अलग विभाग होना चाहिए। राज्य पुस्तकालय समिति के प्रमुख (इस मामले में राज्य पुस्तकालय परिषद को बुलाया जाता है) को वर्तमान शिक्षा मंत्री के पोर्टफोलियो के मुकाबले कम से कम चुना जाना चाहिए, और यह कि सभी स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्रों के पास स्वयं के पुस्तकालय प्राधिकरण होना चाहिए।

एक महत्वपूर्ण रणनीति जो इस अधिनियम में लिखी गई थी, एक पदानुकमित प्रणाली का निर्माण किया गया था जिससे स्थानीय पुस्तकालयों को जिला पुस्तकालयों से जोड़ा गया था और वे, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय और राष्ट्रीय पुस्तकालय से जुड़े थे। केन्द्रीकृत अधिग्रहण और संसाधन साझा करने पर विचार किया गया था। इस रणनीति ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के एक हिस्से का गठन किया था लेकिन ऐसा लगता है कि इसे लागू नहीं किया जा सका था।

राष्ट्रीय स्तर पर वर्तमान स्थिति

2002 तक कुल 12 सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य किये गये थे, हालांकि इनमें से दो – हैदराबाद और कोल्हापुर के लिए – उन क्षेत्रों के प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन के कारण, और दो अन्य को लागू नहीं किया गया था। नरसिंह राजू ने माना कि इन अधिनियमों ने खराब वित्तपोषण, खराब प्रशासनिक ढांचे के संयोजन और कुछ राज्यों में, उनकी सरकारों के कमज़ोर और नकारात्मक रुख के कारण अप्रभावी साबित हुए। राजू ने तेजी से बदलते हुए प्रौद्योगिकी के साथ समस्याओं की पहचान की और कहा कि अधिकांश पुस्तकालय टेलीविजन, रेडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में विकास के लिए अनुकूल नहीं हो पाए हैं। भारतीय लाइब्रेरी एसोसिएशन ने मामलों को बेहतर बनाने के लिए अभियान चलाये, मुख्यतः उस कानून को बदलने के लिए नए कानून को बढ़ावा देने के द्वारा जो पहले से ही विद्यमान था और राजू ने कहा कि कानून की व्यवस्था एक टुकड़े के बजाय पूरे देश में मौजूद होना चाहिए।

तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1948

विषय – सूची।

- 1 लघु शीर्षक, सीमा और प्रारंभ।
- 2 परिभाषाएं।
- 3 राज्य पुस्तकालय समिति और इसके कार्य।
- 4 निदेशक की नियुक्ति और कर्तव्य।
- 5 स्थानीय पुस्तकालयों के अधिकारी।
- 6 स्थानीय पुस्तकालय अधिकारियों का निगमन।
- 7 स्थानीय कार्यकारी अधिकारियों की कार्यकारी समितियां और उप-समितियां।
- 8 पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली योजनाएं।
- 9 स्थानीय पुस्तकालय अधिकारियों की शक्तियां।
- 10 स्थानीय पुस्तकालय अधिकारियों में संपत्तियों का निपटारा।
- 11 लोकल से विनियम।
- 12 लाइब्रेरी उपकर।
- 13 लाइब्रेरी फंड।
- 14 खातों का रखरखाव।
- 15 लाइब्रेरी अधिकारियों के अधिग्रहण या पुर्णनिर्माण।
- 16 रिपोर्ट और रिटर्न।

17 पुस्तकालयों का निरीक्षण नियम।

18 नियम बनाने के लिए शक्ति

तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1948 तमिलनाडु राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना के लिए एक अधिनियम और इसमें एक व्यापक ग्रामीण और शहरी पुस्तकालय सेवा का संगठन शामिल है। जहां यह सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना के लिए उपयुक्त है, और मद्रास प्रांत में एक व्यापक ग्रामीण और शहरी पुस्तकालय सेवा का संगठन के लिये यह निम्नानुसार अधिनियमित किया गया है:

प्रारंभिक:

- लघु शीर्षक, सीमा और प्रारंभः

(1) इस अधिनियम को मद्रास लोक पुस्तकालय अधिनियम, 1948 कहा जा सकता है।

(2) यह मद्रास के पूरे (राज्य) तक फैली हुई है।

(3) यह खंड एक बार में लागू होगा, और इस अधिनियम के बाकी हिस्सों पर लागू होगा, ऐसी तारीख, जैसा कि सरकार, अधिसूचना द्वारा, नियुक्त कर सकती है।

- परिभाषायें –(Definitions):

इस अधिनियम में, जब तक कि इस विषय या संदर्भ में कुछ भी गलत न हो:

(1) 'सहायता प्राप्त पुस्तकालय' का अर्थ है कि निदेशक द्वारा घोषित एक पुस्तकालय सरकार से सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र होना चाहिए।

(2) 'निदेशक' का अर्थ है धारा 4 के तहत नियुक्त सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशक।

(3) 'जिला' का अर्थ है एक राजस्व जिला।

(4) 'सरकार' का अर्थ है राज्य सरकार।

(5) 'अधिसूचना' का अर्थ फोर्ट सेंट जॉर्ज गैजेट में प्रकाशित एक अधिसूचना है।

(6) 'निर्धारित' का अर्थ है इस अधिनियम के तहत किए गए नियमों के अनुसार।

(7) (राज्य) का मतलब है (राज्य) मद्रास का।

(8) 'पब्लिक लाइब्रेरी' का मतलब स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा स्थापित एक पुस्तकालय है, और ऐसे पुस्तकालयों की शाखाएं और डिलीवरी स्टेशन शामिल हैं, तथा

(9) 'वर्ष' का अर्थ वित्तीय वर्ष है।

राज्य पुस्तकालय समिति:

- राज्य पुस्तकालय समिति और इसके कार्यः

(1) पुस्तकालयों से संबंधित मामलों पर सलाह देने के उद्देश्य से सरकार द्वारा एक राज्य पुस्तकालय समिति गठित की जाएगी।

(2) अभ्यास, प्रदर्शन और इस तरह की अन्य शक्तियों और कर्तव्यों का निर्धारण समिति द्वारा किया जा सकता है।

निदेशक और उनके कर्तव्य

- **निदेशक की नियुक्ति और कर्तव्य:**

सरकार राज्य सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए निदेशक की नियुक्ति करेगी और वह इसके अधीन होंगे

उनका नियंत्रण –

(a) केन्द्रीय पुस्तकालय का प्रबंधन, एक पुस्तकालय जो केंद्र सरकार द्वारा गठित किया जाता है।

(b) सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित सभी मामलों के अधीक्षक और निदेशक।

(c) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार घोषित, सहायता के लिए कौन से पुस्तकालय पात्र हैं।

(d) इस अधिनियम के तहत सभी लोकल लाइब्रेरी अधिकारियों के काम को अधीक्षक और नियंत्रण।

(e) हर साल सरकार को इस अधिनियम के तहत पुस्तकालयों के काम पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(f) अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियम या इस तरह के अन्य कर्तव्यों का पालन करें और इस तरह से अन्य शक्तियों का प्रयोग करें।

स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण

- **स्थानीय पुस्तकालय अधिकारियों का गठन:**

(1) प्रशासन के उद्देश्य से राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के आयोजन और मद्रास शहर के लिए एक और, प्रत्येक जिले के लिए एक एक स्थानीय लाइब्रेरी अधिकारियों का गठन किया जायेगा।

(2) मद्रास शहर स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण में शामिल होंगे—

(a) मद्रास निगम द्वारा चुने गए तीन सदस्य

(b) जिनके नाम पर सरकार द्वारा नामांकित आठ सदस्य

(i) मद्रास शहर में स्थित पुस्तकालयों के तीन पदाधिकारी होंगे और सरकार की ओर से, इनको मान्यता प्राप्त होगी।

- (ii) दो मद्रास शहर में उच्च विद्यालयों के हेडमास्टर्स या हेडमिस्ट्रेस होंगे, और
- (iii) मद्रास शहर में एक कॉलेज का प्राचार्य होगा।
- (c) सरकार, समय—समय पर कार्यालय के लिये समय धारक निर्दिष्ट करें।
- (3) प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण—
- (a) निदेशक द्वारा नामित दस सदस्यों, जिनमें से—
- (i) जिले में स्थित पुस्तकालयों के सरकार द्वारा 3 मान्यता प्राप्त पदाधिकारी होंगे
- (ii) पांच उच्च विद्यालयों या कॉलेजों के प्रिसिपल के हेडमास्टर्स या हेडमिस्ट्रेस होंगे

जिला

- **स्थानीय पुस्तकालय अधिकारियों का निगमन:**

- (a) एक सदस्य का चुनाव प्रत्येक ताल्लुका में पंचायतों के अध्यक्ष।
- (b) जिलों में नगरपालिका परिषदों द्वारा चुने जाने वाले सदस्यों की संख्या।
- (c) संबंधित स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का सचिव होगा। हर स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण अपने सदस्यों में से एक को इसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा।
- (d) उप—धारा के प्रावधान, स्थानीय लाइब्रेरी प्राधिकरण के नामित या चुने हुए सदस्य के पद का कार्यकाल उनके नामांकन की वरीयता से तीन वर्ष तक हो सकता है, जैसा कि मामला हो। किसी सदस्य को किसी विशेष कार्यालय के धारक के रूप में अपनी क्षमता में नामांकित किया जाएगा, यदि वह उस कार्यालय का धारक होगा, तो वह स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का सदस्य होगा। स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का कोई कार्य नहीं समझा जाएगा। लोकल लाइब्रेरी अधिकारियों के सदस्यों को पुनः नामानिर्देशन या पुनः निर्णायक के लिए पात्र होने के लिए पात्रता होंगी।

- **स्थानीय पुस्तकालय अधिकारियों की कार्यकारी समितियां और उप—समितियां:**

एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण एक ऐसे कार्यकारी समिति की नियुक्ति कर सकता है जिसमें उसके सदस्यों की संख्या में सात से अधिक नहीं हो, क्योंकि यह उपयुक्त समझा जा सकता है और इस अधिनियम के तहत अपनी सभी शक्तियों या कर्तव्यों को इस समिति को सौंप देगी।

- **स्थानीय पुस्तकालय अधिकारियों की शक्तियां:**

एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण—

- (a) सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिये फर्नीचर, फिटिंग, सामग्री और उपयुक्तता के लिए उचित भूमि और भवन प्रदान करना आवश्यक है।

(b) पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, नवशो के साथ ऐसी पुस्तकालयों का स्टॉक, कला और विज्ञान, लालटेन स्लाइड, सिनेमा रीलों और किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उपयुक्त चीजों के नमूने।

(c) समय—समय पर इस तरह के पुस्तकालयों के लिए आवश्यक ऐसे कर्मचारियों के रूप में काम करना।

(d) सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय को बंद करना, साइट बदलना।

(e) निदेशक, सरकार की पिछली मंजूरी, पुस्तकों का कोई भी उपहार, या सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, किसी भी अन्य उपहार या एंडोमेंट के लिए स्वीकार करना किसी भी उद्देश्य से इसकी गतिविधियों के साथ जुड़े रहना।

(f) व्याख्यान और कक्षाओं का आयोजन इत्यादि।

(g) सभी संपत्ति—चल और अचल, अधिग्रहीत या किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय के उद्देश्य के लिए आयोजित उस क्षेत्र की स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण में निहित होगी।

- **स्थानीय पुस्तकालय अधिकारियों द्वारा विनियम:**

(1) इस अधिनियम के नियमों और विनियमों के अधीन एक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण आम तौर पर इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमों को बना सकता है।

(2) सरकार, अपने विवेक से, या उप—धारा (1) के तहत स्थानीय लाइब्रेरी प्राधिकरण द्वारा किए गए किसी भी नियम को रद्द कर सकती है।

- **वित्त और लेखा लाइब्रेरी, (सेस):**

प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण अपने क्षेत्र में एक पुस्तकालय उपकर के रूप में कर लगाएगा। मद्रास सिटी नगर अधिनियम, 1919, मद्रास जिले नगरपालिका अधिनियम, 1920 या मद्रास स्थानीय बोर्ड अधिनियम, 1920 के तहत ऐसे क्षेत्र में संपत्ति कर या घर कर लगाया जाता है।

- **पुस्तकालय फंड:**

प्रत्येक लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी 'लाइब्रेरी फंड' नामक एक निधि को बनाए रखेगी जिसमें से इस अधिनियम के तहत अपने सभी खर्च को पूरा किया जाएगा।

पुस्तकालयों का निरीक्षण निदेशक, या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति, किसी भी सार्वजनिक या सहायता प्राप्त पुस्तकालय या उसके साथ संलग्न किसी भी संस्था का निरीक्षण कर सकते हैं कि इस अधिनियम के प्रावधानों और नियमों और विनियमों के प्रावधानों को उवित रूप से किया जाता है।

तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की विशेषतायें

इस अधिनियम की कुछ विशेषतायें निम्नलिखित हैं –

1. अधिनियम में स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अधिकार बहुत सीमित हैं, वह विभिन्न प्रकार के शुल्कों की मांग नहीं कर सकता है।
2. अधिनियम में इस बात का उल्लेख नहीं है कि कौन स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का सचिव होगा यद्यपि जिला शिक्षा अधिकारी पदेन सचिव के रूप में कार्यरत है।
3. अधिनियम में सार्वजनिक पुस्तकालय विभाग एवं राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का प्रावधान नहीं किया गया है।
4. इस अधिनियम में अलग से सार्वजनिक पुस्तकालय निदेशक का प्रावधान है लेकिन व्यवहार में इसका उपयोग नहीं हो रहा है।
5. इस अधिनियम में राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रावधान नहीं है लेकिन राज्य पुस्तकालय परामर्श समिति का प्रावधान है जिसमें 17 सदस्य हैं।
6. इस अधिनियम में विकास और रख—रखाव जैसे आवश्यक शब्दों का नितान्त अभाव है।
7. प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण पुस्तकालय निधि स्थापित करेगा जिससे इस अधिनियम के अंतर्गत विभिन्न खर्च वहन किये जायेंगे।
8. मुद्रण एवं ग्रन्थ पंजीकरण अधिनियम 1967 में संशोधन के बाद प्रत्येक राज्य के प्रकाशक की जिम्मेदारी है कि वह प्रत्येक ग्रन्थ की पांच प्रतियां जमा करे।

7.4.2 आन्ध्रप्रदेश

पुस्तकालय अधिनियम सार्वजनिक पुस्तकालयों के सुचारू रूप से संचालित होने वाले कामकाज को सुनिश्चित करता है। आन्ध्रप्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम राज्य में वित्त, मानव संसाधन और अन्य संसाधनों के लिए प्रावधान भी करता है। राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास और कामकाज के लिए जब 1956 में आंध्रप्रदेश का गठन किया गया था, उस समय वहाँ दो पुस्तकालय अधिनियम लागू थे, पहला मद्रास सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम और दूसरा आंध्र क्षेत्र के तेलंगाना में हैदराबाद लोक पुस्तकालय अधिनियम। प्रशासन में कठिनाइयों से बचने के लिए एक ही एकीकृत और संशोधित अधिनियम होना चाहिये। डॉ. एस. आर. रंगनाथन के अनुसार, दोनों राज्य में एक ही एकीकृत और संशोधित अधिनियम हैं। आंध्रप्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एकट, 1960, एकीकृत अधिनियम के रूप में पारित किया गया था जो कि आंध्र प्रदेश में अप्रैल, 1960 पहले से पूरे में राज्य लागू किया गया था और इसे बाद में 1964, 1969, 1987 और 1989 में संशोधित किया गया था। इस अधिनियम द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालयों का एक नेटवर्क बनाया गया जो आंध्रप्रदेश राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिये शुरू हुआ था।

आन्ध्रप्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एकट, 1960 की मुख्य विशेषताएं

आंध्रप्रदेश एकमात्र राज्य है जिसमें सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए एक मंत्री है। राज्य पुस्तकालय समिति को सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में मंत्री है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास से संबंधित सभी पहलुओं पर सरकार, जिलाग्रन्थालय, केन्द्रीय

पुस्तकालय प्राधिकरण के निदेशालय, का ध्यान केन्द्रित होता है। हाउस / प्रापर्टी टैक्स पर प्रति रुपए प्रति रुपये 6 पैसे की दर से पुस्तकालय उपकर का प्रावधान है। सार्वजनिक पुस्तकालयों के निदेशालय को स्थापना व्यय का अधिकार प्राप्त होता है। आंध्रप्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. इस अधिनियम में राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय का प्रावधान है।
2. मद्रास पुस्तकालय अधिनियम के विपरीत इसमें राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण में राज्य पुस्तकालय समिति का प्रावधान है।
3. संशोधन अधिनियम 1969 के पश्चात् राज्य केन्द्रीय समिति के सदस्यों का कार्यकाल 3 से 5 वर्ष कर दिया गया है।
4. इस अधिनियम में तमिलनाडु अधिनियम से कुछ भिन्नता है जैसे इसमें अलग से सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम का प्रावधान है। इसके अलावा सार्वजनिक पुस्तकालय का निदेशक अलग होगा।
5. अधिनियम के अनुसार नगर केन्द्रीय पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष क्रमशः अपने स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के सचिव होंगे।
6. जिला पुस्तकालय संस्था के सदस्यों का कार्यकाल संशोधन पश्चात् 3 साल से 5 साल कर दिया गया है।
7. इस अधिनियम में राज्य पुस्तकालय समिति की संरचना एवं अधिकारों का उल्लेख नहीं है।

7.4.3 महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम, 1967

बॉम्बे एशियाटिक सोसायटी की लाइब्रेरी 1804 में अस्तित्व में आई। भारत में जनता के लिए पुस्तकालय के विकास में पहला महत्वपूर्ण वर्ष 1808 है। इसी वर्ष बॉम्बे सरकार ने पुस्तकालयों को पंजीकृत करने का प्रस्ताव दिया था।

डॉ. रंगनाथन के प्रयासों के फलस्वरूप महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम, 1967 लागू हुआ था। यह अधिनियम महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, रखरखाव, संगठन और विकास प्रदान करने के लिए था। महाराष्ट्र राज्य में सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना, रखरखाव, संगठन और विकास और पूर्वोक्त मामलों से जुड़े प्रयोजनों के लिए उपयुक्त था। यह भारत गणराज्य के अठारहवें वर्ष में निम्नानुसार अधिनियमित किया गया है:-

लघु शीर्षक, सीमा और प्रारंभ।

- (1) इस अधिनियम को महाराष्ट्र सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1967 कहा जाता है।
- (2) यह पूरे महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है।
- (3) यह अधिनियम एक तिथि पर लागू होगा, जैसा कि राज्य सरकार, अधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इसे नियुक्त कर सकती है, और इस राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में इस अधिनियम को लागू करने के लिए अलग-अलग तिथियां नियुक्त की जा सकती हैं।

परिभाषाएँ

इस अधिनियम में, जब तक अन्यथा संदर्भ की आवश्यकता नहीं है, —

- (a) 'ग्रन्थ' में किसी भी भाषा में खण्ड और पुस्तिका के प्रत्येक वॉल्यूम, भाग या डिवीजन्स और संगीत, मानचित्र, चार्ट या अलग—अलग मुद्रित या लिथोग्राफेड, अखबारों, पत्रिकाओं, चित्रकारी, फिल्मों, स्लाइड, डिस्क या प्रत्येक पत्रक शामिल हैं। ऑडियो—विजुअल जानकारी और ऐसी अन्य सामग्रियों के लिए उपयोग की जाने वाले टेप इत्यादि।
- (b) 'समिति' का अर्थ है धारा 13 के तहत नियुक्त एक पुस्तकालय समिति।
- (c) 'क्षतिपूर्ति भत्ता' का अर्थ है यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता या ऐसे अन्य भत्ते जो परिषद या समिति के सदस्यों को ऐसे परिषद या समिति की बैठकों में शामिल होने के लिए किए गए व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के उद्देश्य से भुगतान किया जाता है या इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे सदस्यों के रूप में किसी अन्य कार्य को निष्पादित करने में।
- (d) 'परिषद' का मतलब है धारा 3 के तहत गठित राज्य पुस्तकालय परिषद।
- (e) 'निदेशक' सेक्शन 8 के तहत नियुक्त पुस्तकालयों का निदेशक।
- (f) 'जिला' का मतलब एक राजस्व जिला।
- (g) 'प्रभाग' का अर्थ है महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 की धारा 4 के उप—धारा (1) के खंड (i) के तहत निर्दिष्ट एक राजस्व विभाजन।
- (h) 'नगर निगम' का मतलब मुंबई नगर निगम अधिनियम या बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 या शहर नागपुर निगम अधिनियम, 1948 के अधीन गठित एक नगर निगम है।
- (i) 'नगर परिषद' का अर्थ नगर निगम परिषद, नगर पंचायत और औद्योगिक टाउनशिप अधिनियम, 1965 के अधीन गठित की जाने वाली एक नगर परिषद का गठन है,
- (x) 'निर्धारित' इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित साधन।
- (j) 'सार्वजनिक पुस्तकालय' का अर्थ है, —
 - (i) जनता के उपयोग के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित और संधारित एक पुस्तकालय।
 - (ii) पुस्तकालय कोष से अनुदान सहायता के प्रयोजनों के लिए निदेशक द्वारा मान्यता प्राप्त एक पुस्तकालय, तथा
 - (iii) किसी भी अन्य पुस्तकालय, जिसे सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सार्वजनिक पुस्तकालय घोषित करती है।
- (iv) 'वर्ष' का अर्थ वित्तीय वर्ष है।

राज्य पुस्तकालय परिषद का संविधान

- (1) इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद, राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक परिषद का गठन किया जाता है जिसे राज्य पुस्तकालय परिषद कहा जाएगा।
- (2) परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनानी चाहिए, जो कहने के लिए है –
- (a) उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री, जो परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे,
 - (b) उच्च और तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री, जो पदेन उपाध्यक्ष होंगे,
 - (c) प्रधान सचिव या महाराष्ट्र सरकार, उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के सचिव,
 - (d) धर्मादाय आयुक्त या उनके नामांकित व्यक्ति सहायक धर्मादाय आयुक्त के पद से नीचे नहीं,
 - (e) कार्यालय में लगने वाले समय के लिए महाराष्ट्र राज्य के उच्च शिक्षा के निदेशक,
 - (f) महाराष्ट्र विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत महाराष्ट्र विधान सभा के दो सदस्य,
 - (g) महाराष्ट्र विधान परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित महाराष्ट्र विधान परिषद के एक सदस्य,
 - (h) महाराष्ट्र राज्य में काम कर रहे नगर निगमों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति,
 - (i) प्रत्येक प्रभाग में नगरपालिका परिषदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामित एक व्यक्ति
 - (j) उस प्रभाग में कार्य कर रहे जिला परिषदों का प्रतिनिधित्व करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नामांकित प्रत्येक प्रभाग का एक सदस्य
 - (k) महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ के रूप में जाना जाता है, निकाय का अध्यक्ष,
 - (l) प्रत्येक श्रेणी से महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघ द्वारा नामांकित एक सदस्य उस प्रभाग का प्रतिनिधित्व करने के लिए,
 - (m) निकाय पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 के तहत पंजीकृत एक सोसायटी साहित्य महामंडल के रूप में जाना जाता है, निकाय के अध्यक्ष,
 - (n) राज्य सरकार द्वारा उन लोगों के नामांकित चार सदस्य, जिन्होंने अपनी राय में, पुस्तकालय सेवा से जुड़े मामलों में विशेष ज्ञान या दिलचस्पी या व्यावहारिक अनुभव रखते हों,
 - (o) पुस्तकालय के निदेशक जो परिषद के सचिव भी होंगे।
- (3) एक व्यक्ति इस तरह निर्वाचित होता है कि उपर्युक्त (2) के पैराग्राफ (v) और (vii), यदि वह महाराष्ट्र विधान सभा या महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य बनना बंद कर देता है तो परिषद के सदस्य नहीं रहेंगे।

परिषद का कार्य

इस अधिनियम के प्रशासन से जुड़े सभी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देने के लिए परिषद का कार्य होता है।

परिषद के सदस्यों के कार्यालय और भत्ते की अवधि

(1) इस अधिनियम में अन्यथा उपलब्ध कराए जाने के रूप में सहेजें, परिषद के सदस्यों पर, पदेन सदस्य नहीं होने पर, उस तारीख को शुरू होने वाले तीन वर्षों के लिए पद धारण करेगा जो परिषद की पहली बैठक धारा 3 के उप-धारा (2) के तहत सदस्यों के नामांकन के बाद आयोजित की जाती है।

(2) परिषद के सदस्य ऐसे प्रतिपूरक भत्ते के हकदार होंगे और ऐसी दरों पर, जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

परिषद में आकस्मिक रिक्तियां

परिषद के नामांकित या निर्वाचित सदस्य कार्यालय में रिक्त, रिक्तियों को भरने के लिए नामित व्यक्ति या चुने जाने वाले केवल उस कार्यकाल हेतु नामित या निर्वाचित किये जाते हैं जिस शेष समय के लिए पद रिक्त था, जिस पद के लिए वह उस सदस्य की जगह लेता है।

परिषद की बैठकें

(1) परिषद, प्रत्येक वर्ष में, ऐसी तिथियों और अध्यक्ष द्वारा तय किए जाने वाले ऐसे घंटों में कम से कम दो बार मिलना चाहेगी और छह महीने दो लगातार बैठकों के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा।

(2) परिषद के अध्यक्ष, जब भी वह उचित सोचते हैं, और, परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई से कम नहीं के लिखित अनुरोध पर, और ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिनों के बाद की तारीख में, परिषद की एक विशेष बैठक बुलायी जानी चाहिये।

(3) परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई फोरम बनायेगा।

(4) परिषद इस तरह से और इस तरह की प्रक्रिया के अनुसार विनिर्देशन 8 के अनुसार कारोबार करना।

पुस्तकालय विभाग

(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, पुस्तकालयों का एक विभाग राज्य सरकार द्वारा पुस्तकालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाएगा और इसके अन्य अधिकारियों और नौकरियों के साथ, जैसा कि राज्य सरकार उचित लगता है।

(2) राज्य सरकार एक पूर्णकालिक अधिकारी नियुक्त करेगी जिसकी निर्धारित योग्यता पुस्तकालयों के निदेशक की है।

निदेशक के कार्य

- (1) राज्य सरकार के पर्यवेक्षण, दिशा और नियंत्रण के अधीन, निदेशक इस अधिनियम के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी प्रावधान की व्यापकता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, निदेशक—
 - (a) सार्वजनिक पुस्तकालयों और सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली के नियोजन, रखरखाव, संगठन और विकास के लिए जिम्मेदार होगा,
 - (b) सार्वजनिक पुस्तकालयों से संबंधित सभी मामलों के पर्यवेक्षक और प्रत्यक्ष निर्देश हेतु,
 - (c) सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिये, इस अधिनियम के प्रयोजनों हेतु,
 - (d) इस अधिनियम, सार्वजनिक पुस्तकालयों और राज्य, विभागीय और अन्य सार्वजनिक पुस्तकालय संघों के तहत किए गए नियमों के अनुसार, पुस्तकालय कोष से अनुदान सहायता के उद्देश्यों के लिए, अनुमोदन और अनुदान के लिये
 - (e) पुस्तकालय कोष के खातों को बनाए रखने और इसका उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिये,
 - (f) हर साल राज्य में प्रकाशित सभी पुस्तकों का एक ग्रंथसूची प्रकाशित करने के लिये,
 - (g) हर साल राज्य सरकार को प्रस्तुत करना कि इस अधिनियम के तहत सार्वजनिक पुस्तकालयों के काम,
 - (h) सार्वजनिक पुस्तकालयों में पुरानी और दुर्लभ पुस्तकों, पत्रिकाओं, पांडुलिपियों और शिक्षित मूल्य के अन्य दस्तावेजों को इकट्ठा और संधारण करने के लिये,
 - (i) उम्मीदवारों के लिए पुस्तकालय विज्ञान और आचरण परीक्षाओं में उम्मीदवारों को प्रशिक्षण देने के लिए कार्यक्रम का आयोजन मान्यता प्राप्त पुस्तकालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और
 - (j) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों द्वारा इस तरह की अन्य शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे अन्य कर्तव्यों का प्रदर्शन करने के लिये जो उन्हें दिए जा सकते हैं या लागू कर सकते हैं।

राज्य पुस्तकालय सेवा

- (1) राज्य सरकार एक महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय सेवा स्थापित करेगी और व्यक्तियों की नियुक्ति करेगी।
- (2) महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय सेवा में ऐसी कक्षाएं और पदों की श्रेणियां शामिल हैं, जैसा कि राज्य सरकार समय—समय पर निर्धारित करती है। उक्त सेवा के सभी सदस्य सरकारी कर्मचारी होंगे और उनकी भर्ती और सेवा की शर्तों को ऐसे नियमों द्वारा विनियमित किया जाएगा, जो समय—समय पर राज्य सरकार द्वारा किए जा सकते हैं।

(3) वेतन, भत्ते, ग्रैच्युइटी, पेंशन और अन्य पूँजी महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय सेवा के सदस्यों का, राज्य के समेकित निधि से भुगतान किया जाएगा।

सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना और रखरखाव

(1) राज्य सरकार पूरे राज्य के लिए एक राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापित कर सकती है, और प्रत्येक प्रभाग के लिए एक डिवीजनल लाइब्रेरी स्थापित कर सकती है।

(2) किसी भी स्थानीय क्षेत्र में, पुस्तकालय सेवा जनता के लिए प्रावधान किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, या सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के तहत पंजीकृत किसी भी समाज या बॉम्बे सार्वजनिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत किसी भी ट्रस्ट द्वारा या जहां राज्य सरकार का राय है कि किसी भी स्थानीय प्राधिकरण, समाज या ट्रस्ट प्रावधान के लिए तैयार नहीं है या अक्षम नहीं है।

किसी भी स्थानीय क्षेत्र के निदेशक की संतुष्टि के लिए जनता के लिए आईडीसी पुस्तकालय सेवा, राज्य सरकार उस क्षेत्र में जनता के उपयोग के लिए एक पुस्तकालय स्थापित कर सकती है: बशर्ते कि स्थानीय स्तर पर कोई भी अवसर दिए बिना कोई पुस्तकालय स्थापित नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण, समाज या, जैसा कि मामला हो सकता है, ट्रस्ट को कारण बताएं कि राज्य सरकार ने स्थानीय क्षेत्र में एक पुस्तकालय स्थापित क्यों नहीं किया जाना चाहिए।

(3) पुस्तकालयों के माध्यम से सरकार द्वारा इस खंड के तहत स्थापित सभी पुस्तकालयों को राज्य द्वारा बनाए रखना, संगठित और विकसित किया जाएगा।

सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य

सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्यों को परिषद की सलाह पर, निर्धारित किया जा सकता है।

(1) प्रत्येक जिले के लिए, राज्य सरकार एक जिला पुस्तकालय समिति की नियुक्ति करेगी।

(2) समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी होती है।

(a) समिति के लिए अध्यक्ष जिले में कार्य कर रहे जिला परिषद की शिक्षा समिति, जो समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(b) जिले की जिला पुस्तकालय एसोसिएशन के अध्यक्ष (यदि कोई हो)।

(c) अध्यक्ष के एक राज्य सरकार द्वारा नामित जिले के प्रत्येक ताल्लुका में कार्यरत मान्यताप्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालयों की प्रबंध समितियां।

(d) राज्य सरकार द्वारा नामांकित पांच व्यक्ति, जिनमें से एक निर्धारित लायब्रेरियन होगा और निर्धारित व्यक्तियों में दो पुस्तकालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होंगे।

(e) राज्य सरकार द्वारा नामित जिले में नगर पालिकाओं में एक राष्ट्रपतियों में से एक।

(f) जिला में नगरपालिका नगर निगम की सीमाओं के भीतर के क्षेत्र।

(४) शिक्षा अधिकारी जिला परिषद में कार्यरत जिला परिषद का सदस्य है, जो समिति के पदेन सचिव भी होंगे।

(३) राज्य सरकार मुम्बई के लिए पुस्तकालय समिति की नियुक्ति करेगी—

(a) समिति के अध्यक्ष मुम्बई के नगर निगम निगम की शिक्षा समिति का, जो समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे।

(b) राज्य सरकार द्वारा नामांकित पांच व्यक्ति, जिनमें से एक निर्धारित योग्यता रखने वाला मुम्बई में पुस्तकालय लाइब्रेरियन होगा और दो व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति होंगे।

(c) मुम्बई नगर निगम के समिति के लिए शिक्षा अधिकारी।

(d) शैक्षिक निरीक्षक, मुम्बई, जो समिति के पदेन सचिव भी होंगे।

समिति के सदस्यों के कार्यालय और भत्ते की अवधि

(१) समिति के सदस्यों की नामित होने तिथि से तीन साल की अवधि तक के लिए पद धारण किया जाएगा, जिस पर समिति की पहली बैठक उनके नामांकन के बाद आयोजित किया जाता है।

(२) समिति के सदस्यों को ऐसे प्रतिपूरक भत्ते और ऐसे निर्धारित दरों के अनुसार, निर्धारित किया जा सकता है।

समिति में आकस्मिक रिक्तियां

समिति के नामांकित सदस्य के कार्यालय में रिक्तियां, नामांकन से भरी जाएगी और रिक्ति को भरने के लिए मनोनीत व्यक्ति केवल शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा जिसके लिए वह जिस सदस्य का वह स्थान लेता है जिसे नामांकित किया गया था।

समिति का कार्य

(a) जिले में पुस्तकालय सेवा के विकास से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना या, जैसा कि मामला हो।

(b) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनता का निर्धारित कार्य पुस्तकालयों द्वारा उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से किया जाता है और।

(c) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करने के लिए, जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है। समिति द्वारा व्यवसाय के लेन-देन का तरीका। समिति ऐसे तरीके से व्यापार का संचालन करेगा और इस तरह की प्रक्रिया के अनुसार, निर्धारित किया जा सकता है।

पुस्तकालय निधि

(१) राज्य सरकार पुस्तकालय कोष नामक एक निधि का गठन करेगी।

(२) पुस्तकालय कोष में शामिल होंगे—

(a) राज्य सरकार द्वारा धारा 20 के तहत योगदान।

- (b) राज्य सरकार द्वारा धारा 21 के तहत दिए गए किसी भी विशेष अनुदान।
- (c) सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को दिया गया कोई भी अनुदान और।
- (d) सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास के लिए जनता द्वारा किए गए योगदान या उपहार।

पुस्तकालय निधि का आवेदन:

- (1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए लाइब्रेरी फंड में धन राज्य सरकार द्वारा उपयोग किया जाएगा।
- (2) उप—धारा (1) की सामान्यता के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, पुस्तकालय निधि के प्रयोग राज्य सरकार द्वारा उपयोग किए जा सकते हैं ताकि निम्नलिखित पर व्यय हो सके—
- (a) सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, रखरखाव और विकास।
- (b) परिषद और समिति के सदस्यों को देय प्रतिपूर्ति भत्ते।
- (c) पुस्तकालयों के निदेशक द्वारा प्रयोजन के लिए मान्यता प्राप्त सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय संघों के लिए अनुदान सहायता।

राज्य सरकार द्वारा योगदान

1. राज्य सरकार, इस तरफ से कानून द्वारा बनाई गई विनियोग के बाद, हर साल लाइब्रेरी कोष में योगदान देगा, जो कि पच्चीस लाख रुपए से कम नहीं होगा।
2. राज्य सरकार द्वारा विशेष अनुदान।
3. राज्य शासन लाइब्रेरी फंड को विशेष अनुदान दे सकता है।

सरकारी सार्वजनिक पुस्तकालयों के प्रयोजनों के लिए प्राप्त संपत्तियों का निपटारा:

1. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रयोजन के लिए अधिग्रहीत या रखे गए सभी संपत्ति, चल और अचल, राज्य सरकार में निहित होंगे। रिपोर्ट और रिटर्न प्रत्येक व्यक्ति जो सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रबंधन के प्रभारी है, ऐसी रिपोर्ट और रिटर्न प्रस्तुत करेगा और ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा जैसा कि निदेशक को समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है, निदेशक को या इस ओर से अधिकृत किसी व्यक्ति को।
2. सार्वजनिक पुस्तकालयों का निरीक्षण निदेशक या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों को पूरा करने के लिए स्वयं को संतुष्ट करने के उद्देश्य से किसी भी सार्वजनिक पुस्तकालय या किसी संस्था से जुड़े किसी भी संस्था का निरीक्षण करने की शक्ति होगी।
3. निर्देशक द्वारा वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना हर साल के अंत से छ: महीनों के भीतर, निदेशक उस वर्ष की सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा की गई प्रगति पर

एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा और राज्य सरकार को ऐसी सूचना और विवरण के साथ जमा करेगा, जो निर्धारित किया जा सकता है: बशर्ते कि, ऐसी कोई रिपोर्ट राज्य सरकार को तब तक नहीं जमा कर दी जाएगी जब तक परिषद द्वारा इसे अनुमोदित नहीं किया जाता है।

4. राज्य सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, और पूर्व प्रकाशन की स्थिति के अधीन हो सकती है, इस अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियम बना सकता है।
5. विशेष रूप से, और सामान्यता पूर्वाग्रह के बिना पूर्वगामी शक्ति, ऐसे नियम निम्नलिखित या सभी मामलों के लिए प्रदान कर सकते हैं, अर्थात्—
 - धारा 5 के उप-धारा (2) और धारा 14 के उप-धारा (2) के अंतर्गत, सदस्यों के लिए देय बदलेदार भत्ते परिषद और समितियों और दरों पर ऐसे भत्ते देय होंगे।
 - धारा 8 की उप-धारा (2) के तहत, समिति निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए आवश्यक योग्यता, जिसके अनुसार निदेशक सार्वजनिक पुस्तकालयों और राज्य, मंडल और अन्य सार्वजनिक पुस्तकालय को पहचान लेगा।
 - धारा 9 के उप-धारा (2) के खंड (i) के तहत, पुस्तकालय कोष से अनुदान सहायता के प्रयोजनों के लिए आर्य संघों, अन्य शक्तियों और कर्तव्यों जो निदेशक अभ्यास या प्रदर्शन कर सकते हैं।
 - धारा 10 के उप-धारा (2) के तहत, महाराष्ट्र राज्य पुस्तकालय सेवा के सदस्यों की सेवा की आवश्यकता और शर्तें।
 - धारा 12 के तहत, सार्वजनिक पुस्तकालयों के कार्य।
 - धारा 25 के तहत, राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी और विवरण। (3) इस धारा के तहत बनाए गए प्रत्येक नियम को जल्द से जल्द पेश किया जाएगा जैसा कि पहले किया गया है राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदन में तीस दिनों की कुल अवधि के लिए सत्र में, जो एक सत्र में हो सकता है या दो सत्रों में हो सकता है, और यदि सत्र की समाप्ति से पहले, जिसमें यह बहुत अधिक है या सत्र तुरंत बाद, दोनों सदनों नियम में कोई संशोधन करने में सहमत हैं या दोनों सदनों सहमत हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, और आधिकारिक राजपत्र में इस तरह के फैसले को सूचित करना चाहिए, नियम, ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से, केवल इस तरह के संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा कि मामला हो।

इसलिए यद्यपि कि कोई भी संशोधन या विरूपण उस नियम के तहत किए गए, पहले किए गए या छोड़े गए किसी भी चीज की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियम, 1967 की विशेषताएं

पुस्तकालय अधिनियम में राज्य पुस्तकालय परिषद का प्रावधान है। जिसका कार्य मुख्यतयः परामर्श देना है। इसके अलावा राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का उल्लेख नहीं है।

1. इस अधिनियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा पुस्तकालय निधि में धन प्राप्त होता है।
2. इस अधिनियम के अन्तर्गत सुयोग कर्मचारियों की नियुक्ति करने का प्रावधान है।
3. इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्य, केन्द्रीय पुस्तकालय का प्रावधान नहीं है।
4. इस अधिनियम में किसी तरह के कर का कोई प्रावधान नहीं है।

7.4.4 पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979

पब्लिक लाइब्रेरी दुनिया भर में शिक्षा, साक्षरता और विकास में वृद्धि के साथ उभर कर सामने आई। हर देश के सार्वजनिक पुस्तकालय का उसका अपना अलग इतिहास रहा है। सार्वजनिक पुस्तकालय आंदोलन का रूप भारत में पुस्तकालय प्रणाली के मूल्यांकन के साथ आया। सन् 1784 में सर विलियम जोन्स ने एक पुस्तकालय के साथ बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके प्रारंभिक संग्रह में टीपू सुल्तान की लाइब्रेरी का संग्रह शामिल था। सन् 1900 में कलकत्ता लाइब्रेरी ने अपने दरवाजे जनता के लिए खोल दिए थे। 31 जनवरी 1902 को इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम पारित किया गया और लॉर्ड कर्जन ने 1906 में शाही पुस्तकालय को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी में बदल दिया।

यह अधिनियम 5 अध्यायों में पूरे पश्चिम बंगाल तक प्रसारित है। अधिनियम में किसी भी प्रकार के कराधान/उपकर के लिए प्रावधान नहीं किया गया है, प्रत्येक लोकल लाइब्रेरी प्राधिकरण एक ऐसे निधि का रखरखाव करता है जिसमें सरकारी अनुदान के साथ-साथ अन्य स्रोतों से प्राप्त अंश जमा किए जाते हैं और पुस्तकालय सेवाओं के प्रबंधन, रखरखाव, सुधार और विकास के लिए निधियों से भुगतान किया जाता है। जन-शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवाओं के लिये पश्चिम बंगाल सरकार के प्रभारी मंत्री, लाइब्रेरी और सूचना सेवाओं के मामलों की देखरेख करते हैं। राज्य पुस्तकालय परिषद मुख्य सलाहकार समिति है जिसमें सरकार को लाइब्रेरी सेवाओं के संबंध में नीतियों और कार्यक्रमों पर सलाह दी जाती है। राज्यमंत्री प्रभारी सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं। पुस्तकालय सेवा निदेशालय अधिनियम लागू करता है। जन शिक्षा विस्तार और पुस्तकालय सेवा विभाग की देखरेख में लाइब्रेरी सेवाओं के निदेशक पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979 का संचालन करते हैं और इसके बाद में संशोधन किया जाता है। पुस्तकालय सेवा निदेशालय के माध्यम से विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा स्थापित या संधारित राज्य केन्द्रीय पुस्तकालय और अन्य सार्वजनिक पुस्तकालयों का भी प्रबंधन करता है और ऐसे पुस्तकालयों से संबंधित सभी मामलों को निर्देशित करता है। यह इस अधिनियम के तहत सभी लोकल लाइब्रेरी अधिकारियों के काम से संबंधित सभी मामलों को निर्देशित किया जाता है और प्रत्येक जिले के लिए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण दार्जिलिंग जिले को छोड़कर, अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करता है। दार्जिलिंग जिले के लिए दो अलग स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण बनाए गए हैं – एक दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद

(डीजीएचरी) और दूसरा सिलीगुड़ी महाकुमा परिषद क्षेत्र (एसएमपीए)। आम तौर पर, प्रत्येक जिले का जिला मजिस्ट्रेट उस जिले के स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है। यह सिलीगुड़ी महाकुमा परिषद क्षेत्र के लिए भी है हालांकि, दार्जिलिंग गोरखा पहाड़ी परिषद के प्रधान सचिव दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एसिया के स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण के अध्यक्ष होता है। लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी ऑफ कोलकाता के लिए, लाइब्रेरी सर्विसेज के निदेशक, पश्चिम बंगाल अध्यक्ष होता है, जिला पुस्तकालय अधिकारी जो लोकल लाइब्रेरी अथॉरिटी के पदेन सदस्य-सचिव के रूप में सरकारी अधिनियम द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और स्थानीय पुस्तकालय की ओर से कार्य करते हैं।

पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979 की मुख्य विशेषतायें

पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 1979 की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं —

- पुस्तकालय की स्थापना एवं संचालन के लिये राज्य सरकार अनुदान देगी।
- प्रत्येक स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण एक पुस्तकालय निधि स्थापित करेगा।
- अधिनियम में पुस्तकालय कर का प्रावधान नहीं है।
- जिला पुस्तकालय अधिकारी का प्रावधान है।
- जिला अधिकारी पुस्तकालय प्राधिकरण का अध्यक्ष है।
- राज्य पुस्तकालय विभाग का प्रावधान नहीं है।
- सरकार द्वारा पुस्तकालय निदेशक की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है।
- राज्य पुस्तकालय प्राधिकरण का प्रावधान नहीं किया गया है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत किस तरह के ग्रन्थालय स्थापित किये जायेंगे इसका कोई उल्लेख नहीं है।

7.4.5 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006

राज्य सरकार राज्य में पुस्तकालय सेवाओं के विनियमन, सुदृढ़ीकरण एवं विस्तार करने की व्यवस्था करने के लिये विगत दस वर्षों से अधिनियम बनाये जाने पर विचार कर रही थी। ऐसी कार्यवाही के लिये भारत सरकार तथा अन्य स्रोतों से अनुरोध किया जाता रहा है। किन्तु अतिरिक्त भार निहित होने के कारण इसे बनाया नहीं जा सका था। जबकि इसी बीच कई अन्य राज्यों में उक्त विषय पर अधिनियम लागू किया जा चुका था और पुस्तकालय अधिनियम को लागू किये जाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों से निरन्तर मांग की जा रही थी। अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना, रखरखाव, सुदृढ़ीकरण एवं विकास की व्यवस्था करने के लिये विधि बनाई जाय।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनियमन को कार्यान्वित करने के लिये तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 31 जुलाई, 2006 को उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश, 2006 (उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अध्यादेश संख्या 7, सन् 2006) प्रख्यापित किया गया। उपर्युक्त अध्यादेश को

प्रतिस्थापित करने के लिये यह उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, 2006 पारित किया गया।

अभ्यास प्रश्न –

1. उत्तर प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सन् ——में पारित हुआ था।
2. पश्चिम बंगाल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सन् ——में पारित हुआ था।
3. आन्ध्रप्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्टसन् ——में पारित हुआ था।
4. महाराष्ट्र लोक पुस्तकालय अधिनियमसन् ——में पारित हुआ था।
5. तमिलनाडु सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम सन् ——में पारित हुआ था।

7.5 सारांश

पुस्तकालय एक लोकतांत्रिक संस्था है। संस्था को सार्वजनिक करने के लिये विधान का होना आवश्यक है। विधान दायित्वों और बाध्यताओं को मूर्तरूप प्रदान करता है। पुस्तकालयों के नियमन और नियन्त्रण के लिये अनेक स्तरों पर कई प्रयास किये गये। 20 वीं सदी के मध्य तक, कई प्रांतों ने अपने पुस्तकालय संगठनों की स्थापना की थी। इन एसोसिएशनों ने मुद्रित सामग्री, बुलेटिन, पत्रिकाओं और अन्य संबंधित तरीकों के रूप में बहुत सारी जानकारी का प्रचार किया था। भारत में सन् 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सामान्य रूप से पुस्तकालयों में एक उल्लेखनीय और अभूतपूर्व विकास देखा गया है। स्वतंत्र भारत के बुद्धिजीवियों ने सामान्य रूप से विकास और देश भर में विशेष रूप से पुस्तकालयों के लिए उत्कृष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया। लॉर्ड कर्जन (1891) द्वारा स्थापित इप्पीरियल लाइब्रेरी को पुस्तकालय अधिनियम, 1948 द्वारा भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के रूप में उभारा गया था। 27 अक्टूबर 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया था। यह सार्वजनिक पुस्तकालयों के क्षेत्र में प्रमुख विकासों में से एक था।

यूनेस्को और भारत सरकार के संयुक्त तत्वावधान के तहत प्रथम यूनेस्को सार्वजनिक पुस्तकालय पायलट प्रोजेक्ट के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य पुस्तकालयों में आधुनिक तकनीकों का भारतीय स्थितियों के अनुसार अपनाया जाना था और एशिया के लिए एक मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में काम करना था। दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, सार्वजनिक पुस्तकालय में केंद्र सरकार की भागीदारी और देश के कुछ राज्यों में पब्लिक लाइब्रेरी कानून के लागू होने के मुख्य कारण था हालांकि भारत सरकार ने अपनी पंचवर्षीय योजना के तहत 1957 में पब्लिक लाइब्रेरी विकास के लिये वित्तीय आवंटन किया था। देश में सार्वजनिक पुस्तकालय विकास की स्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सिन्हा समिति को नियुक्त किया गया था। इस समिति ने स्टेट लाइब्रेरी नेटवर्क तैयार करने की सिफारिश की थी। रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें हैं: भारत के हर नागरिक के लिए पुस्तकालय सेवाओं की सुविधा का लाभ लेने हेतु मुक्त प्रवेश किया जाना चाहिए। जनता के लिये देश में राष्ट्रीय पुस्तकालय, राज्य पुस्तकालय, केन्द्रीय पुस्तकालय, जिला पुस्तकालय, ब्लॉक पुस्तकालय और पंचायत पुस्तकालय को सेवा के रूप में स्थापित किया जाना चाहिये, भारतीय पुस्तकालयों की समीक्षा करने के लिए एक केंद्रीय एजेंसी के रूप में सलाहकार परिषद का गठन किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को अपने राज्यों में

सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं के लिए जिम्मेदारी स्वीकार करना चाहिए और इसी प्रकार इसके सुझावों के आधार पर, सरकार एक मॉडल लोक पुस्तकालय बिल का मसौदा तैयार करने के लिए एक अन्य समिति नियुक्त करना चाहिये।

भारत में सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तकालय अधिनियमों की स्थिति अन्य देशों से बिल्कुल अलग है। सार्वजनिक पुस्तकालय संविधान की सातवीं सूची में पुस्तकालय राज्य का विषय है। अतः पुस्तकालय अधिनियम भी राज्य सरकार द्वारा पारित करने के उपरान्त ही अपने राज्य में लागू किया जा सकता है।

डॉ. एस. आर. रंगनाथन ने भारत में पुस्तकालय अधिनियम की आवश्यकता पर अधिक जोर दिया था। उनके प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत में पुस्तकालय अधिनियम सन् 1948 में मद्रास राज्य में लागू हो गया था। दूसरा अधिनियम हैदराबाद राज्य में सन् 1905 में पारित किया गया था लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की संस्तुतियों के बाद हैदराबाद राज्य के विभिन्न जिलों में सम्मिलित कर लिया गया था और राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया था। इसके बाद सन् 1960 में आन्ध्रप्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम लागू हुआ था।

इस इकाई में भारत के पांच राज्यों के सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की प्रमुख विशेषताओं एवं गतिविधियों की विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें से उल्लिखित प्रत्येक राज्य के अधिनियमों की अच्छाइयों एवं समस्याओं का बताया गया है।

7.6 शब्दावली

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| विधान | Legislation |
| विधेयक | Bill |
| कर | Cess |
| स्थानीय | Local |
| सार्वजनिक या लोक | Public |
| अधिनियम | Act |
| लोकल लाइब्रेरी प्राधिकरण | Local Library Authority |

7.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. 2006 2. 1979 3. 1960 4. 1967 5. 1948

7.8 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

- 1 गोस्वामी, सुरेन्द्र, पुस्तकालय सामग्री परिरक्षण एवं संरक्षण, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012।
- 2 मित्तल, आर. एल., पब्लिक लाइब्रेरी: एन इन्टरनेशनल सर्वे, नई दिल्ली, मेट्रोपालिटन, 1978।

- 3 राजत, आर. के., लाइब्रेरी लेगिसलेशन इन इन्डिया, नई दिल्ली, रिलायन्स पब्लिशिंग हाउस, 1986।
- 4 पाण्डा, बी. डी., हैण्डबुक ऑफ पब्लिक लाइब्रेरी सिस्टम. नई दिल्ली, अनमोल पब्लिकेशंस, 1993।
- 5 राजू, नरसिम्हा. लाइब्रेरी लेगिसलेशन इन इन्डिया: ऐन इन्ट्रोडक्शन'. इन सरदाना, जे. एल. लायब्रेरीज एण्ड इन्फार्मेशन स्टडीज इन रेट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रास्पेक्ट: ऐसेज इन आनर ऑफ प्रोफेसर डी. आर. कालिया, नई दिल्ली, : कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, 2002।
- 6 मालेशप्पा, टी. इम्पैक्ट ऑफ लाइब्रेरी लेगिसलेशन आन पब्लिक लायब्ररी सर्विसेस'. इन सरदाना, जे. एल. लायब्रेरीज एण्ड इन्फार्मेशन स्टडीज इन रेट्रोस्पेक्ट एण्ड प्रास्पेक्ट: ऐसेज इन आनर ऑफ प्रोफेसर डी. आर. कालिया, नई दिल्ली: कान्सेप्ट पब्लिशिंग कम्पनी, 2002।
- 7 http://shodhganga.inflibnet.ac.in/bitstream/10603/25020/19/19_appendix_2.pdf.
- 8 <http://www.latestlaws.in/wp-content/uploads/2015/11/Tamil-Nadu-Public-Libraries-Act-1948.pdf>
- 9 <https://dol.maharashtra.gov.in/WebFiles/Act,%201967.pdf>
- 10 http://wbpublishnet.gov.in/sites/default/files/sites/default/files/sites/default/files/uploads/pdf/man-rules_0.pdf

7.9 उपयोगी पुस्तकें

- 1 गोस्वामी, सुरेन्द्र, पुस्तकालय सामग्री परिरक्षण एवं संरक्षण, रावत प्रकाशन, नई दिल्ली, 2012।
- 2 राजत, आर. के., लाइब्रेरी लेगिसलेशन इन इन्डिया, न्यू डेल्ही, रिलायन्स पब्लिशिंग हाउस, 1986।
- 3 मित्तल, आर. एल., पब्लिक लाइब्रेरी: ऐन इन्टरनेशनल सर्व, न्यू डेल्ही, मेट्रोपालिटन, 1978।
- 4 गोपीनाथ, एम. ए., भारत वर्ष में ग्रन्थालय अधिनियम का इतिहास, ग्रन्थालय विज्ञान, भाग 13, अंक 1-2, 1982।

7.10 निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारत के किन किन राज्यों में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित किया जा चुका है। इनकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिये।
- 2 सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पर एक विस्तृत निबन्ध लिखिये।
- 3 पुस्तकालय अधिनियम के आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालिये।

**इकाई – 8 पुस्तकालयों के विकास में पुस्तकालय संघों की भूमिका : इफला,
- (आईएलए) आइसलिक के विशेष सन्दर्भ में**

- 8.1 प्रस्तावना
- 8.2 उद्देश्य
- 8.3 पुस्तकालयों के विकास में पुस्तकालय संघों की भूमिका
- 8.4 पुस्तकालय संघ के कार्य
- 8.5 पुस्तकालय संघ के प्रकार
- 8.6 पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न पुस्तकालय संघों की भूमिका
 - 8.6.1 इफला
 - 8.6.2 भारतीय पुस्तकालय संघ (आईएलए)
 - 8.6.3 आइजलिक
- 8.7 सारांश
- 8.8 शब्दावली
- 8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 8.10 सन्दर्भ ग्रन्थसूची
- 8.11 उपयोगी पुस्तकें
- 8.12 निबन्धात्मक प्रश्न

8.1 प्रस्तावना (Introduction)

पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में पुस्तकालय सेवाओं के समुन्नयन एवं समन्वय की दृष्टि से कई प्रकार के विकास कार्य किये जा रहे हैं। इस तरह के कार्यों को बढ़ावा देने के लिये कई संगठनों द्वारा स्थानीय स्तर, राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन एवं केन्द्र के रूप में कार्य किये जा रहे हैं। इनमें से कुछ शासकीय संस्थायें एवं कुछ व्यवसायिक संगठन कार्यरत हैं। इन संगठनों की गतिविधियों में सलाह एवं अनुदान देने वाली कुछ संस्थायें भी शामिल रहती हैं। आवश्यकतानुसार इन संगठनों/संघों में निरन्तर विकास के लिये परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिये इन संघों की भूमिका में निरन्तर वृद्धि होती जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संघों ने सूचना संसाधनों के लिये नेटवर्किंग, सहभागिता, निकाय उपागम एवं सहकारिता के विभिन्न आयामों पर जोर देना आरम्भ कर दिया है।

भारत में पुस्तकालय संगठनों ने पुस्तकालय विकास के लिए उपयोगी संदेशों और दिशानिर्देशों को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विचारों का आदान-प्रदान करने और सूचनाओं तक मुफ्त पहुंच को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पेशेवरों के लिए बैठक की जगह के रूप में संघों की भूमिका महत्वपूर्ण है। पुस्तकालय विकास में कई तरह की संरचनात्मक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लाइब्रेरी संघों द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सेवाओं के माध्यम से विभिन्न समस्याओं एवं कठिनाइयों के समाधान करने के प्रयास किये जाते हैं। इस तरह के संघों/संगठनों द्वारा सम्पूर्ण विषय के विकास या किसी विशिष्ट उप विषय के गुणात्मक और मात्रात्मक विकास पर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित की जाती है जो कि उन संस्थाओं के उद्देश्यों में निहित होते हैं।

संघ (Association) का तात्पर्य समान उद्देश्य वाले व्यक्तियों के समूह से होता है। भारत में पुस्तकालय संघों का निर्माण सन् 1933 से इण्डियन लाइब्रेरी एसोसियेशन (Indian Library Association) की स्थापना के साथ आरम्भ होता है। इसके उपरान्त विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालय संघों की स्थापना उनके अपने निहित उद्देश्यों को पूरा करने के लिये की गई। इस इकाई में हम अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय संघों की गतिविधियों की विस्तार से चर्चा करेंगे जिसमें विशेष रूप से इफला, आई. एल. एवं आइसलिंग शामिल हैं।

8.2 उद्देश्य- (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

- 1 पुस्तकालयों के विकास में पुस्तकालय संघों की भूमिका को समझ सकेंगे।
- 2 पुस्तकालयों के विकास में पुस्तकालय संघों की भूमिकाओं की रूपरेखा विकसित कर सकेंगे।

- 3 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय संघ की गतिविधियों की विस्तार से चर्चा कर सकेंगे ।
- 4 इफला की स्थापना, उद्देश्य, संगठन, कार्यक्रमों एवं प्रकाशन सम्बन्धी गतिविधियों से अवगत हो सकेंगे ।
- 5 राष्ट्रीय स्तर के पुस्तकालय संघों की गतिविधियों की विस्तार से चर्चा कर सकेंगे ।
- 6 राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न पुस्तकालय संघों जैसे आई. एल. ए. एवं आइजलिक से अवगत हो सकेंगे ।

8.3 पुस्तकालयों के विकास में पुस्तकालय संघों की भूमिका एवं उद्देश्य

समूह या संगठन द्वारा किसी विधा को विकसित करने के लिये सामूहिक एकता आवश्यक होती है क्योंकि उस विधा के लिये पर्याप्त रूप से समर्थन प्राप्त करना और उसे सशक्त बनाने के लिए संगठन के हित सर्वोपरि होते हैं। अतः संगठन की स्थापना के लिये पर्याप्त अनुशासन एवं प्रशासन की आवश्यकता होती है। अतः संघ का संचालन करने के लिये उसकी अपनी स्वतन्त्र नियमावली होती है जिसके तहत वे संचालित किये जाते हैं। जब कोई संघ पुस्तकालयों के विकास की विधाओं से जुड़ा होता है तो इस प्रकार के संघ पुस्तकालय संघ की श्रेणी में आते हैं उदाहरण के लिये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसियेशन, इण्डियन लाइब्रेरी एसोसियेशन, एफ. आई. डी., इफला, आइसलिक इत्यादि। पुस्तकालयों के सतत विकास में इन पुस्तकालय संघों की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। पुस्तकालय संघ के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- 1 पुस्तकालय व्यवसाय से जुड़े सदस्यों के लिये उनके हित से सम्बन्धित कार्य करना ।
- 2 पुस्तकालय विकास के लिये पुस्तकालय आन्दोलन एवं पुस्तकालय अधिनियम पारित करने हेतु प्रयास करना ।
- 3 पुस्तकालय व्यवसाय की सामाजिक उन्नति हेतु प्रयास कर उसके स्तर को ऊपर उठाना ।
- 4 पुस्तकालय कर्मचारियों के प्रशिक्षण में सुधार के लिये पुनश्चर्या पाठ्यक्रम (Refresher Course) एवं सतत शिक्षा कार्यक्रमों (Continuing Education Programmes) का प्रबन्ध करना ।
- 5 पुस्तकालय कर्मचारियों के लिये मजदूर संघ (Trade Union) के रूप में कार्य करना अर्थात् उनके वेतन, भत्तों इत्यादि में वृद्धि हेतु प्रयास करना ।
- 6 जनता में जागरूकता लाने के लिये 'विश्व पुस्तक दिवस' एवं 'पुस्तकालय सप्ताह' जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करना ।
- 7 पुस्तकालय सहयोग एवं पुस्तकालय स्रोतों की सहभागिता बढ़ाने के लिये प्रयास करना ।

8 विषय से जुड़े सम्मेलनों, संगोष्ठियों, सभाओं का आयोजन करना तथा पत्रिकाओं का प्रकाशन करना इत्यादि।

8.4 पुस्तकालय संघ के कार्य

पुस्तकालय कर्मचारियों को संगठित कर उन्हें एक प्लेटफार्म प्रदान करना, पुस्तकालय एवं उससे सम्बन्धित गतिविधियों को विभिन्न स्तरों पर प्रतिष्ठित स्थान प्रदान करना, पुस्तकालय आन्दोलनों को गति प्रदान करने में पुस्तकालय संघ महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। सार्वजनिक पुस्तकालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का सर्वे कर उचित परामर्श देने के लिये 'पुस्तकालय परामर्श समिति' (Advisory Committee for Libraries) की स्थापना भारत सरकार ने सन् 1957 में के. पी. सिन्हा की अध्यक्षता में की थी। समिति ने पुस्तकालय संघों के निम्नलिखित मुख्य कार्य बताये हैं –

- 1 पुस्तकालय संघ ग्रन्थालयाध्यक्षों में भाईचारा स्थापित करने का प्रयास करता है। वह जाति, नस्ल, रंग, महिला, पुरुष इत्यादि के भेदभाव को मिटाकर राष्ट्रीयता की भावना पैदा कर व्यवसाय को प्रोत्साहित करता है।
- 2 पुस्तकालय संघ ग्रन्थालयाध्यक्षों को आचार संहिता प्रदान करता है जिससे समाज में उनके सम्मान में वृद्धि होती है।
- 3 पुस्तकालय संघ ग्रन्थालयाध्यक्षों के प्रशिक्षण का स्तर बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं जिससे वे अपने कार्यों का सम्पादन अधिक योग्य एवं कुशल तरीके से करने में सक्षम हो पाते हैं और समाज की सर्वाधिक भलाई के लिये समर्थ होते हैं।
- 4 पुस्तकालय संघ एक व्यावसायिक संगठन (Trade Union) के रूप में ग्रन्थालयाध्यक्षों को बेहतर सेवा दशायें (Service Conditions) प्रदान करने के लिये प्रयासरत होते हैं।
- 5 जिस देश में पुस्तकालय संघ होते हैं वहां पर पुस्तकालय प्रसारण सेवाओं (Library Extension Services) के लिये कीर्तिमान स्थापित हैं।

श्यामसुन्दर अग्रवाल ने अपनी पुस्तक 'पुस्तकालय एवं समाज' में पुस्तकालय संघों के विभिन्न कार्यों का वर्णन किया है जिसमें से कुछ निम्नलिखित हैं –

- समस्त पुस्तकालय कर्मचारियों को संगठित करना एवं पुस्तकालय के हितों को संरक्षित करना,
- पुस्तकालय आन्दोलनों को गति प्रदान करना,
- पुस्तकालय कर्मचारियों की कार्य दशा में सुधार एवं उनके सामाजिक, आर्थिक तथा नैतिक स्तर को ऊपर उठाने के लिये भरसक प्रयास करना,
- सम्मेलन, परिसंवाद इत्यादि का आयोजन करके व्यावसायिक विषयों तथा कर्मचारियों की समस्याओं पर चर्चा करना और उनके सुधार के लिये सुझाव देना,
- अन्तरग्रन्थालयीन आदान–प्रदान (Inter-Library Loan)के लिये नियमों की रचना करना और उस दिशा में प्रयास करना।

- विशेष रूप से विशिष्ट ग्रन्थालयीनता (Special Librarianship), प्रलेखन (Documentation), ग्रन्थसूची (Bibliography) इत्यादि का निर्माण करना और प्रशिक्षण देना।
- संघ—सूचियां (Union Catalogues) तथा ग्रन्थ सूचियों का निर्माण करना, अनुवाद कार्य (Translation work) एवं प्रलेखन कार्य इत्यादि कार्य करना।
- पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाने और विभिन्न स्थानीय निकायों द्वारा उसके अपनाये जाने के सम्बन्ध में सक्रिय प्रयास करना।
- शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिये प्रलेखन एवं ग्रन्थसूचियों का निर्माण करना।
- व्यवसाय एवं व्यावसायिक व्यक्तियों के हितों के लिये सामयिक प्रकाशन को प्रकाशित करना।
- अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघों के बीच समन्वय स्थापित कर आपसी सहयोग बढ़ाना।

8.5 पुस्तकालय संघ के प्रकार

कार्य विशेष तथा भौगोलिक आधार पर पुस्तकालय संघों के प्रकारों का विभाजन किया जा सकता है। भौगोलिक आधार पर पुस्तकालय संघ विभिन्न प्रकार से विभाजित किये जा सकते हैं जैसे – अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ, राज्य स्तरीय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय संघ। जबकि विशेषताओं के आधार पर पुस्तकालय संघों का विभाजन कई तरह से किया जा सकता है जैसे कि विशिष्ट पुस्तकालय संघ, सहायक ग्रन्थालयियों का संघ, विशिष्ट ग्रन्थालयियों का संघ, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के शिक्षकों का संघ इत्यादि। इसके अलावा भी अन्य संघ जैसे संघों का संघ या संघों की शाखाओं को भी स्थापित किया जा सकता है।

भौगोलिक एवं विशिष्टता के आधार पर कुछ प्रमुख संघों के विवरण निम्नलिखित हैं:

- **अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ (International Library Associations)**

इन्टरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्फार्मेशन एण्ड डाक्यूमेन्टेशन (FID) एक अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ है। इस संघ का कार्यक्षेत्र किसी एक देश तक सीमित न होकर सम्पूर्ण विश्व में फैला हुआ है।

- **राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ (National Library Associations)**

झण्डियन लाइब्रेरी एसोसियेशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसियेशन, बिट्रेन लाइब्रेरी एसोसियेशन इत्यादि राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इस तरह के संघों के कार्यक्षेत्र उनके अपने देश तक सीमित होते हैं।

- **राज्य स्तरीय तथा क्षेत्रीय पुस्तकालय संघ (State level and Regional Library Associations)**

उत्तरप्रदेश लाइब्रेरी एसोसियेशन, मध्यप्रदेश लाइब्रेरी एसोसियेशन, राजस्थान लाइब्रेरी एसोसियेशन इत्यादि राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघ हैं। लखनऊ लाइब्रेरी एसोसियेशन, इन्दौर लाइब्रेरी एसोसियेशन इत्यादि क्षेत्रीय पुस्तकालय संघ हैं।

भारत में विशिष्टता के आधार पर इण्डियन पब्लिक लाइब्रेरी एसोसियेशन, आइसलिक राष्ट्रीय स्तर के संघ हैं। अमेरिका में स्पेशल लाइब्रेरी एसोसियेशन और ग्रेट ब्रिटेन में एसलिब इत्यादि तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्टरनेशनल फेडरेशन फॉर इन्फार्मेशन एण्ड डाक्यूमेन्टेशन (FID) विशिष्ट संघ हैं।

इसी प्रकार ग्रेट ब्रिटेन का एसोसियेशन ऑफ असिस्टेन्ट लाइब्रेरियन्स तथा एसोसियेशन ऑफ गर्वनेन्ट ऑफ इण्डिया (एगलिस) विशेष तरह के संघ हैं। इण्डियन एसोसियेशन ऑफ टीचर्स ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन साइन्स (आइटलिस) एक पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय के अध्यापकों का संघ है।

इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसियेशन एण्ड इन्स्टीट्यूट्स पुस्तकालय के संघों का संघ है। इसका मुख्य कार्य सदस्य पुस्तकालय संघों को उनकी गतिविधियों के संचालन में तकनीक उपलब्ध कराना है।

8.6 पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न पुस्तकालय संघों की भूमिका

पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न पुस्तकालय संघों की भूमिकायें अत्यधिक महत्वपूर्ण रही हैं, कुछ प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय संघों एवं राष्ट्रीय संघों का विवरण निम्नलिखित है।

8.6.1 इफला (International Federation of Library Associations):

इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एण्ड इन्स्टीट्यूशंस (इफला) एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो लाइब्रेरी और सूचना सेवाओं और उनके उपयोगकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करती है। यह पुस्तकालय और सूचना विज्ञान विषय के लिये वैश्विक मंच है।

अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ इफला (IFLA) की स्थापना एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में 30 सितंबर 1927 को यूके के एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में लाइब्रेरी एसोसिएशन की वार्षिक बैठक में हुई थी। इफला के पास दुनिया भर में 140 से अधिक देशों में 1,400 से अधिक सदस्य हैं। इफला 1971 में नीदरलैंड में पंजीकृत किया गया था। इसका प्रधान कार्यालय द हेग में नीदरलैंड में है।

उद्देश्य –

इफला एक स्वतंत्र, अंतर्राष्ट्रीय, गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है। इफला के उद्देश्य हैं :

- 1 पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के प्रावधान और वितरण के उच्च मानकों को बढ़ावा देना।
- 2 पुस्तकालय और सूचना सेवाओं के मूल्य की व्यापक समझ को प्रोत्साहित करना।
- 3 दुनिया भर के हमारे सदस्यों के हितों का प्रतिनिधित्व करना।

इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में इफला निम्नलिखित आधारभूत मूल्यों को अपनाती है:

सार्वभौम घोषणा के अनुच्छेद 19 में मानव अधिकारों की उल्लिखित जानकारी, विचारों और कल्पनाओं के कार्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्रता के सिद्धांतों का समर्थन करना।

लोगों, समुदायों और संगठनों को अपने सामाजिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक, लोकतांत्रिक और आर्थिक कल्याण के लिए जानकारी, विचारों और कल्पनाओं के कार्यों तक सार्वभौमिक और न्यायसंगत उपयोग की आवश्यकता होती है। यह दृढ़ विश्वास है कि उच्च गुणवत्ता वाले पुस्तकालयों और सूचना सेवाओं के वितरण में पहुंच सुनिश्चित करने में मदद मिलती है। नागरिकता, विकलांगता, जातीय मूल, लिंग, भौगोलिक स्थिति, भाषा, राजनीतिक दर्शन, जाति या धर्म के भेदभाव के बिना इफला सभी सदस्यों को शामिल करने और लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध रहता है।

सदस्यता

इफला के पास मतदान के दो मुख्य वर्ग हैं: एसोसिएशन के सदस्यों और संस्थागत सदस्य। लाइब्रेरी और सूचना विज्ञान के व्यापक क्षेत्र में लाइब्रेरी और सूचना पेशेवरों, संगठनों और शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों के संगठन, एसोसिएशन के सदस्यों के रूप में इफला में सभी का स्वागत है। व्यक्तिगत पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं तथा पुस्तकालय और सूचना क्षेत्र में सभी प्रकार के संगठनों के लिए संस्थागत सदस्यता तैयार की गई है। हमारे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संगठन के सदस्यों के रूप में शामिल हो सकते हैं।

राष्ट्रीय एसोसिएशन के सदस्यों, अंतर्राष्ट्रीय एसोसिएशन के सदस्यों और संस्थागत सदस्यों के चुनाव और बैठकों में मतदान अधिकार हैं। वे इफला के अध्यक्ष के पद के उम्मीदवारों को नामांकित करने के हकदार होते हैं। पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्तिगत चिकित्सक व्यक्तिगतरूप में शामिल हो सकते हैं। उनके पास मतदान अधिकार नहीं होता है, लेकिन व्यावसायिक कार्यक्रमों में योगदान करके, इफला के काम में अनूठा योगदान प्रदान कर सकते हैं।

संगठन

महासंघ की साधारण समिति में सदस्य संघों के नामजद सदस्य होते हैं तथा वह प्रतिवर्ष महासम्मेलन का आयोजन करता है। इस महासंघ के तीन प्रमुख भाग हैं:

(1) कार्यकारिणी समिति

इस समिति में एक अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष तथा एक कोषाध्यक्ष होता है जो परामर्शदात्री समिति के परामर्श से साधारण समिति द्वारा निर्वाचित किये जाते हैं।

(2) परामर्शदात्री समिति

इस समिति का मुख्य कार्य परामर्श देना होता है। इसमें कार्यकारिणी समिति के सदस्य, अध्ययन मण्डलों, समिति के अध्यक्ष तथा पूर्ण सदस्य होते हैं।

(3) अध्ययन मण्डल एवं उपमण्डल

महासंघ में अनेक अध्ययन मण्डल एवं उपमण्डल होते हैं। जैसे – सार्वजनिक पुस्तकालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय, विश्वविद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय पुस्तकालय, प्रशासकीय पुस्तकालय, बाल पुस्तकालय, चिकित्सा पुस्तकालय, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की अध्ययनशालायें अथवा अध्ययन मण्डल इत्यादि।

समितियाँ

महासंघ के अंतर्गत निम्नलिखित समितियाँ होती हैं। ग्रन्थसूची, सूचीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तक आदान–प्रदान, प्रकाशनों का अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विनिमय, सांख्यिकी तथा मानक निर्धारण, मशीनीकरण, सामयिक प्रकाशन, शासकीय प्रकाशन, पुस्तकालय भवन एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की अध्ययनशालायें, पुस्तकालयों के सिद्धान्त और अनुसंधान।

कार्यक्रम

- 1 पुस्तकालय सेवाओं के नियोजन एवं विकास हेतु परामर्श एवं सहायता प्रदान करना।
- 2 किसी देश की सरकार को उस राष्ट्र में पुस्तकालय विकास पर जोर देने के लिये प्रोत्साहित करना।
- 3 यूनेस्को जैसे संगठनों से प्राप्त सहायता को पुस्तकालयों एवं पुस्तकालय संगठनों के विकास की दृष्टि से व्यवहारिक परियोजनाओं में लगाना।
- 4 जिन देशों में पुस्तकालय संघ नहीं है ऐसे देशों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय की गतिविधियों में भाग लेने हेतु योग्य बनाना।
- 5 विकासशील देशों को महासंघ की गतिविधियों में अधिक भागीदारी के लिये प्रोत्साहित करना।
- 6 प्रत्येक क्षेत्र में महासंघ के सम्मेलनों को आयोजन करना।
- 7 सार्वभौमिक बिल्लियोग्राफिक नियन्त्रण
- 8 अन्तर्राष्ट्रीय मार्क
- 9 प्रकाशनों की सार्वभौमिक उपलब्धता
- 10 ट्रान्स बार्डर डेटा फ्लो
- 11 पुस्तकालय सामग्री का संरक्षण इत्यादि।

उपलब्धियाँ एवं परियोजनायें

- 1 अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक आदान–प्रदान की संभावनाओं को विकसित करने के प्रयास करना।
- 2 मध्य अवधि कार्यक्रम के अन्तर्गत पुस्तकालयों एवं पुस्तकालय पद्धति के व्यवस्थापन एवं नियोजन को प्रमुखता प्रदान करना।
- 3 पाठकों को साहित्य उपलब्ध कराना एवं पुस्तकालय विज्ञान के सिद्धान्तों में सामन्जस्य के लिये प्रयत्न करना।
- 4 पुस्तकालय शिक्षा के बुनियादी मुद्दों का निर्धारण करके एवं पुस्तकालय विज्ञान हेतु कम्प्यूटर अनुप्रयोगों के माध्यम से महत्वपूर्ण कार्यों को सम्पादन करना।
- 5 पुस्तकालय मशीनीकरण एवं स्वचालन को महत्व देना।

इफला के प्रकाशन

इफला द्वारा अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ प्रकाशित किये गये हैं। उनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं –

- इफला जर्नल लिबरी (वर्टार्टरी)
- इफला एनुअल
- इफला डायरेक्टरी
- स्टैण्डर्ड्स फॉर पब्लिक लाइब्रेरीज

कारपोरेट हेडिंग्स के राष्ट्रीय और बिल्लियोग्राफिक अभिलेखों में उपयोग इत्यादि कॉरपोरेट समर्थक

सूचना उद्योग में 25 से अधिक निगमों ने इफला के कॉरपोरेट समर्थक योजना के तहत इफला के साथ कामकाजी संबंध बना लिये हैं। वित्तीय और 'प्रकार' समर्थन के बदले में कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं जिनमें इफला के उत्पादों और सेवाओं को विश्वव्यापी सदस्यता के रूप में पेश करने के अवसर भी शामिल होते हैं।

इफला के अन्य निकायों के साथ सम्बन्ध

इफला ने समान हितों वाले कई अन्य निकायों के साथ अच्छे कामकाजी संबंध स्थापित किए हैं, जिसमें आपसी चिंता के मुद्दों पर जानकारी के नियमित आदान–प्रदान और विचारों के लिए अवसर प्रदान किया गया है। इफला के पास यूनिस्को के साथ औपचारिक एसोसिएट संबंध है, संयुक्त राष्ट्र के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा, अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद (आईसीएसयू) के साथ सहयोगी स्थिति और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्लूआईपीओ) और अंतर्राष्ट्रीय संगठन (मानवाधिकार) के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। 1999 में, इफला ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के साथ पर्यवेक्षक का दर्जा स्थापित किया था। बदले में, इफला ने अंतरराष्ट्रीय प्रकाशक संघ (आईपीए) सहित संबंधित क्षेत्रों में सक्रिय कई गैर–सरकारी संगठनों के लिए परामर्शदाता स्थिति की पेशकश की। इफला इंटरनेशनल काउंसिल ऑन आर्काइव्स (आईसीए), अंतरराष्ट्रीय परिषद संग्रहालय (आईसीओएम) और इंटरनेशनल काउंसिल ऑन स्मारक एंड साइट्स (आईसीएमओएस), ब्लू शील्ड इंटरनेशनल कमेटी (आईसीबीएस) का सदस्य है। आईसीबीएस का मिशन जानकारी इकट्ठा करना और प्रसार करना और उन स्थितियों में कार्यवाही के लिए समन्वय करना है जब सांस्कृतिक संपत्ति जोखिम में होती है।

विश्व पुस्तकालय और सूचना कांग्रेसः इफला जनरल सम्मेलन और विधानसभा

इफला सम्मेलन हर साल अगस्त या सितंबर के शुरुआत में एक अलग शहर में आयोजित किया जाता है। तीन हजार से अधिक प्रतिनिधि अनुभव विनिमय करने, व्यावसायिक मुद्दों पर बहस करने, सूचना उद्योग के नवीनतम उत्पादों को देखने आते हैं, इफला के व्यवसाय का संचालन करते हैं और मेजबान देश की संस्कृति का अनुभव करते हैं।

क्षेत्रीय बैठकें

पेशेवर बैठकों, सेमिनारों और कार्यशालाओं की एक श्रृंखला इफला के व्यावसायिक समूहों और रणनीतिक कार्यक्रमों द्वारा दुनिया भर में आयोजित किये जाते हैं। विधानसभा सदस्यों की महासभा, सर्वोच्च शासी निकाय होता है, जिसमें मतदान से सदस्यों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। यह अध्यक्ष और गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों का चुनाव करता है। विधानसभा द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों में इफला के प्रबंधकीय और व्यावसायिक दिशा के लिए गवर्निंग बोर्ड जिम्मेदार है।

इफला की गतिविधियों में भारत की सहभागिता

भारतीय पुस्तकालय संघ एवं कई अन्य भारतीय पुस्तकालय संगठन इफला के सदस्य हैं। इनके द्वारा विगत कई वर्षों से इफला की गतिविधियों में भाग लिया जा रहा है। भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा वर्ष 1995 में इफला रीजनल सेमिनार का आयोजन किया गया था।

8.6.2 भारतीय पुस्तकालय संघ (Indian Library Association)

विश्व के अधिकतर देशों में राष्ट्रीय पुस्तकालय संघों की स्थापना पहले की गयी जबकि राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों की स्थापना बाद में की गई। भारत में इसके विपरीत कुछ राज्य स्तरीय पुस्तकालय संघों का गठन भारतीय पुस्तकालय संघ के गठन से पूर्व हो गया था उदाहरण के तौर पर आन्ध्रप्रदेश पुस्तकालय संघ (1914), महाराष्ट्र पुस्तकालय संघ (1921), बंगाल पुस्तकालय संघ (1923), एवं पंजाब पुस्तकालय संघ (1929) में गठन किया गया था।

भारतीय पुस्तकालय संघ (इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशन) जिसे संक्षेप में आईएलए के नाम से जाना जाता है। भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण वर्ष 1933 है। इसी वर्ष 12 सितंबर, 1933 को समाज पंजीकरण अधिनियम (1860) के तहत भारतीय पुस्तकालय संघ का औपचारिक रूप से कलकत्ता में प्रथम अखिल भारतीय पुस्तकालय सम्मेलन में गठन किया गया था। भारतीय पुस्तकालय संघ की स्थापना के बाद से इसके सदस्यों और अन्य लोगों को कई तरह की सेवाएं और कार्यक्रम उपलब्ध करा रहा हैं, यह तकनीकी सहायता या सलाह प्रदान कर रहा है। भारतीय पुस्तकालय संघ के तीन घटक, अर्थात् परिषद, कार्यकारी समिति और अनुभागीय समितियां जो नीति बनाने और भारतीय पुस्तकालय संघ के कार्यक्रमों का निष्पादन करने के लिए जिम्मेदार हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ 7000 से अधिक की सदस्यता के साथ भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में सबसे बड़ा और प्रसिद्ध व्यावसायिक निकाय है। सन् 1933 से 1964 तक भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय अध्यक्ष के साथ साथ परिवर्तित होता रहा इसके उपरान्त इसका मुख्यालय स्थायी रूप से दिल्ली में स्थापित किया गया। भारतीय पुस्तकालय संघ का वर्तमान मुख्यालय दिल्ली में है।

भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय:

भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यालय 1933 से प्रारंभिक 12 वर्षों के लिए कलकत्ता में इंपीरियल लाइब्रेरी में स्थित था। इसे 1946 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और सितंबर 1953 तक दिल्ली विश्वविद्यालय में बना रहा। इसके बाद, वह कलकत्ता वापस

स्थानांतरित हो गया। अगस्त 1964 में, कार्यालय फिर से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के भवन में रखा गया। 24 मई 1970 को आयोजित एक असाधारण सामान्य निकाय बैठक में भारतीय पुस्तकालय संघ को स्थायी मुख्यालय दिल्ली के रूप में बनाने के लिए संविधान में बदलाव किया गया। अब एसोसिएशन का कार्यालय अपने स्वयं के एक कमरे में स्थित है जो कि उत्तर-दिल्ली में वाणिज्यिक भवन में स्थित फ्लैट है जिसे 1978 में वापस खरीदा गया था। इस कार्यालय को अंततः अप्रैल, 1982 में वर्तमान भवन में स्थानांतरित कर दिया गया था।

वर्तमान कार्यालय की इमारत किसी शैक्षणिक निकाय के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है। भारतीय पुस्तकालय संघ के लिए उपयुक्त जमीन के आवंटन हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिये एच.ई., दिल्ली के लेपिटनेंट गवर्नर, भारतीय पुस्तकालय संघ के पट्टे पर भूमि के एक टुकड़े के आवंटन हेतु अनुरोध के साथ 6 जून, 2016 को एक पत्र भेज दिया गया है।

भारतीय पुस्तकालय संघ के उद्देश्य

भारतीय पुस्तकालय संघ अपनी स्थापना के समय से ही संघ अपने व्यापक उद्देश्यों के साथ परिभाषित किया गया था। भारतीय पुस्तकालय संघ के संविधान में निम्नलिखित मुख्य उद्देश्यों का विवरण दिया गया हैं:

1. देश में पुस्तकालय आंदोलन को बढ़ावा देना।
2. पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के क्षेत्र में शिक्षा का विकास करना।
3. पुस्तकालय कर्मियों की स्थिति में सुधार लाना।
4. प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग प्रदान करना।
5. मानकों, मानदंडों, सेवाओं और दिशानिर्देशों को बढ़ावा देना, और।
6. पेशेवरों और सामग्री के प्रकाशन के लिए एक मंच प्रदान करना।
7. पुस्तकालयों, प्रलेखन केंद्रों की स्थापना और उनकी स्थापना और कार्य करने के लिए सहायता प्रदान करना।
8. भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून का प्रचार करना।

सन् 1935 में, दो और उद्देश्यों को निम्नानुसार जोड़ा गया था पहला, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान संवर्धन तथा दूसरा इसी तरह के उद्देश्यों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग प्रदान करना।

भारतीय पुस्तकालय संघ के संविधान में 1970 के संशोधन में चार और अधिक उद्देश्य शामिल हैं:

1. बुलेटिन, पत्रिकाओं, पुस्तकों आदि का प्रकाशन, जो भारतीय पुस्तकालय संघ की वस्तुओं की प्राप्ति के लिए जाते हैं।
2. पुस्तकालयों, दस्तावेजीकरण और सूचना केंद्रों की स्थापना करना और उनके कामकाज की सुविधा के लिए सहायता प्रदान करना।
3. भारत में उपयुक्त पुस्तकालय कानून के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना तथा।

4. उपरोक्त उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करने के लिए ऐसी सभी चीजों को उपलब्ध कराना।

भारतीय पुस्तकालय संघ के संविधान में 4 जनवरी 1987 के संशोधन में तीन और उद्देश्य शामिल किये गये हैं, अर्थात्

1. पेशेवर, तकनीकी और संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा के लिए सम्मेलनों और बैठकों द्वारा पुस्तकालय और सूचना कार्य में लगे या इच्छुक लोगों के लिए एक आम मंच प्रदान करना।
2. पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों का प्रत्यायन, तथा।
3. पुस्तकालय एवं सूचना प्रणाली और पुस्तकालय सेवाओं के प्रबंधन के लिए मानकों, मानदंडों, दिशानिर्देशों आदि के साथ-साथ संवर्धन करना।

भारतीय पुस्तकालय संघ की सदस्यता

भारतीय पुस्तकालय संघ की सदस्यता पुस्तकालय, पुस्तकालयाध्यक्षों तथा ग्रन्थों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं जैसे पाठक, प्रकाशक आदि सभी के लिये खुली होती है। भारतीय पुस्तकालय संघ की सदस्यता आठ प्रकार की है –

1. संरक्षक सदस्यता
2. मानद सदस्यता
3. विदेशी सदस्यता
4. आजीवन सदस्यता
5. साधारण सदस्यता
6. संस्थागत सदस्यता
7. पुस्तकालय संघ सदस्यता और
8. एसोसिएट सदस्यता

भारतीय पुस्तकालय संघ की सदस्य संख्या सन् 1933 में कुल 70 थी जो वर्ष 2001 तक 2600 हो गयी थी। वर्तमान में सभी श्रेणियों के सदस्यों को मिलाकर 7000 से अधिक हो गयी है जो भारत के सन्दर्भ में काफी कम है।

भारतीय पुस्तकालय संघ का गठन

भारतीय पुस्तकालय संघ का संविधान लिखित रूप में है। भारतीय पुस्तकालय संघ की कार्यकारिणी का चुनाव सामान्य सभा द्वारा डाक से भेजे गये मत पत्रों के माध्यम से किया जाता है। भारतीय पुस्तकालय संघ का कार्यकाल दो साल की अवधि का होता है। इसमें एक अध्यक्ष, 6 उपाध्यक्ष एवं बीस सदस्य होते हैं। भारतीय पुस्तकालय संघ की लगभग 11 विभागीय समितियां हैं, इन समितियों के सदस्य राज्य पुस्तकालय संघों के अध्यक्ष/प्रधान और एक प्रतिनिधि कार्यकारी परिषद के सदस्य होते हैं।

रोजमर्ग कार्यों के लिये संघ का अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, दो सचिव, जन सम्पर्क अधिकारी एवं तीन परिषद सदस्यों की एक कार्यकारिणी होती है। सामान्य सभा

की बैठक साल में एक बार सामान्यतया संघ के वार्षिक सम्मेलन के अवसर पर आयोजित की जाती है। सामान्य सभा भारतीय पुस्तकालय संघ के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा—जोखा का अनुमोदन करती है।

भारतीय पुस्तकालय संघ की गतिविधियाँ

भारतीय पुस्तकालय संघ ने सन् 1946 से 1953 तक रंगनाथन की अध्यक्षता के समय अनेक महत्वपूर्ण एवं प्रशंसनीय कार्य किये। रंगनाथन की अध्यक्षता के समय में साउथ एशिया के पुस्तकालयों में उपलब्ध विद्वत् सामयिकों की संघ सूची (Union Catalogue) का प्रकाशन किया गया था। संघ सूची के संकलन का कार्य सन् 1950 में किया गया था। 1952 में संघ सूची के प्रथम खण्ड का प्रकाशन भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा किया गया था। इसी प्रकार यूनेस्को द्वारा प्रदत्त परियोजनायें, एशियाई नामों का उपकल्पन एवं एशियाई सामयिक प्रकाशनों की निर्देशिका के निर्माण का कार्य भी सम्पन्न हुआ था।

भारतीय पुस्तकालय संघ के सम्मेलन

भारतीय पुस्तकालय संघ प्रति वर्ष वार्षिक सम्मेलन देश के विभिन्न शहरों में आयोजित करता रहता है। जिसमें हजारों की संख्या में सदस्यगण सहभागिता करते हैं। प्रत्येक सम्मेलन का एक विषय निर्धारित किया जाता है जिस पर विद्वत् आलेखों का वाचन किया जाता है तथा उन्हें प्रकाशित किया जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में अपने सदस्यों को नयी तकनीक एवं अनुसंधान गतिविधियों से अवगत कराने के लिये समय समय पर संगोष्ठियाँ, सम्मेलनों, कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा 1955 में इन्टरनेशनल कान्फ्रेंस ऑन रंगनाथन फिलोसफी विषय पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें विश्व के प्रमुख ग्रन्थालयीयों ने सहभागिता की थी। भारतीय पुस्तकालय संघ का 53वां वार्षिक सम्मेलन 2007 में हैदराबाद में आयोजित किया गया था। इसकी 54वां वार्षिक सम्मेलन 2008 में मुंबई में आयोजित किया गया था। इसके 55 वें वार्षिक सम्मेलन में बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी (बिमटेक), ग्रेटर नोएडा में 21–24 जनवरी, 2010 भारत में आयोजित किया गया था।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित समितियों में भी भारतीय पुस्तकालय संघ का प्रतिनिधित्व होता है। इन समितियों में महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों का संचालन तथा उनके भावी विकास पर विचार किया जाता है। भारतीय पुस्तकालय संघ सदस्यों की व्यवसायिक योग्यताओं की वृद्धि हेतु विभिन्न शोधवृत्तियाँ, पुरस्कारों एवं मेडल्स का प्रावधान करती है उदाहरण के लिये – पी.एन. कौला एवार्ड, अबूरी शियाली रिसर्च अवार्ड, डॉ. सी. डी. शर्मा एवार्ड इत्यादि। इसी प्रकार भारतीय पुस्तकालय संघ के वार्षिक सम्मेलन में वाचन किये गये सर्वश्रेष्ठ लेख को भी पुरस्कृत करता है।

भारतीय पुस्तकालय संघ की प्रकाशन गतिविधियाँ

भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा सन् 1938 में इण्डियन लाइब्रेरी डायरेक्टरी का प्रकाशन किया गया था जिसके संस्करण 1942 और 1951 में प्रकाशित किये गये थे। इसके द्वारा

लाइब्रेरी बुलेटिन का प्रकाशन 1942–46 के दौरान किया गया था। इसके द्वारा एबगिला नामक पत्रिका का प्रकाशन सन् 1949 में आरम्भ किया गया, जिसके तीन भाग एनल्स, बुलेटिन तथा पुस्तकालय थे जो 1953 में बन्द हो गयी थी। भारतीय पुस्तकालय संघ द्वारा सन् 1953 से निरन्तर 'आईएलए बुलेटिन' नामक त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जा रहा है। इसमें पुस्तकालय विज्ञान से सम्बन्धित लेखों का प्रकाशन किया जाता है। संघ अपने सदस्यों की गतिविधियों के प्रचार-प्रसार के लिये मासिक 'आईएलए न्यूजलेटर' का प्रकाशन भी कर रहा है। इसके अतिरिक्त सम्मेलनों की कार्यवाही एवं विद्वत आलेखों का प्रकाशन भी संघ द्वारा किया जाता है। भारतीय पुस्तकालय संघ सलाहकार के रूप में भी सेवायें प्रदान करता है। राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी के 3500 ग्रन्थों की तकनीकी प्रक्रिया का कार्य संघ के परामर्श से सम्पन्न किया गया।

भारतीय पुस्तकालय संघ के विकास हेतु सुझाव

भारतीय पुस्तकालय संघ का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिये जिससे यह जानकारी प्राप्त हो सके कि संघ उसके अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम हो पा रहा है या नहीं। यदि संघ अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसकी कमियों को दूर किया जाना चाहिये जिससे संघ वांछित परिणाम प्रदान कर सके। संघ के बेहतर प्रदर्शन हेतु कुछ सुझाव निम्नलिखित हैं –

1. उचित स्रोतों के माध्यम से भारतीय पुस्तकालय संघ के लिये ठोस वित्तीय आधार प्रदान करना।
2. भारतीय पुस्तकालय संघ के संविधान में उचित संशोधन के लिये प्रस्ताव लाना एवं पारित करना।
3. भारतीय पुस्तकालय संघ में गुटबन्दी, पक्षपातपूर्ण कार्यों का पूर्णतया बहिष्कार करना एवं सुदृढ़ प्रशासन की व्यवस्था करना।
4. भारतीय पुस्तकालय संघ में पूर्णकालिक पदों का समावेश करना।
5. भारतीय पुस्तकालय संघ के विकास हेतु भवन विस्तार के प्रयास करना।
6. देश में सभी राज्यों के लिये जिला स्तर पर भारतीय पुस्तकालय संघ की शाखायें स्थापित करना।
7. भारतीय पुस्तकालय संघ के सदस्यों की संख्या बढ़ाना
8. भारत के जिन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम नहीं हैं उन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित कराने हेतु प्रयास करना।
9. भारतीय पुस्तकालय संघ के प्रचार एवं जनसहयोग हेतु सतत प्रयास करना।

8.6.3 आइसलिक (IASLIC)

आइसलिक (IASLIC) का पूरा नाम 'दि इण्डियन एसोसियेशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड इन्फोर्मेशन सेन्टर्स' (The Indian Association of Special Libraries and Information Centres) है। यह भारत के विशिष्ट ग्रन्थालयीयों का संघ है। उन्नीसवीं सदी के अन्त में भारत में कई विशेष पुस्तकालयों का विकास किया गया था। बीसवीं सदी की शुरुआत से देश भर में इन पुस्तकालयों में बेहतर सहयोग के लिए ऐसे विशेष पुस्तकालयों के एक संगठन का विकास करने की आवश्यकता महसूस की गई थी। भारतीय पुस्तकालय संघ की एक शाखा

के रूप में एक विशेष पुस्तकालय संघ स्थापित करने के लिए सन् 1949 में एक प्रयास किया गया था लेकिन वह तत्काल अमल में नहीं आया था।

दूसरा प्रयास सन् 1955 में किया गया था। भारतीय सांख्यिकी संस्थान के श्री जे. साहा, मानव विज्ञान सर्वेक्षण के श्री ए. के. मुखर्जी और भारत के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के श्री जी.बी. घोष ने 18 जून, 1955 को बैठक बुलाई। भारत में बड़ी संख्या में पुस्तकालयों के लिए आमन्त्रण भेजा गया था। बैठक शनिवार, 25 जून को सायं 4 बजे, भारतीय संग्रहालय के लेक्चर थियेटर में आयोजित की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय व्याप्ति के जूलॉजिस्ट डॉ. एस. एल. होरा और भारत के जियोलॉजिकल सर्विसेज के तत्कालीन निदेशक इसकी सफलता के लिए बहुत जिम्मेदार थे। 25 जून 1955 की बैठक में पुस्तकालय और दस्तावेजीकरण कार्य करने वाले कई लोगों ने बैठक में भाग लिया था। मीटिंग के परिपत्र में विशेष रूप से उल्लिखित किया गया था कि हमारे देश में संग्रह, संगठन और प्रसार की जानकारी देने के लिए, विशेष पुस्तकालयों और अन्य शोध संगठनों की उपयोगिता और दक्षता को विकसित करने के लिए तथा अपने सदस्यों के पेशेवर कल्याण को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष पुस्तकालय संघ को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

इस बैठक से उत्पन्न उत्साह ने अंततः 3 सितंबर 1955 को डॉ एस. एल. होरा की अध्यक्षता में कोलकाता के भारतीय संग्रहालय के व्याख्याता हॉल में एक और बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में भारत के विशेष पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों (इण्डियन एसोसियेशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड इन्फार्मेशन सेन्टर्स) को औपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। डॉ एस. एल. होरा को पहला अध्यक्ष और श्री जे. साहा को आईजिलिक के पहला मानद महासचिव चुना गया था।

इककीसवीं सदी की शुरुआत के बाद से, पूरे देश में लाइब्रेरी पेशेवरों द्वारा सेमिनारों, सम्मेलनों में वार्षिक आम सभाओं की शुरुआत की। आईसलिक की गतिविधियों को शैक्षणिक पुस्तकालय, पब्लिक लाइब्रेरी, स्पेशल लाइब्रेरी, कॉर्पोरेट लाइब्रेरी, गवर्नमेंट लाइब्रेरी इत्यादि पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों के सभी क्षेत्रों में फैलाने की मांग की गयी। विभिन्न संगोष्ठियों और आईसलिक के सम्मेलनों में पुस्तकालय के प्रासंगिक मुद्दों और विषयों से सम्बन्धित चर्चाएं हुईं। व्यापक रूप से पेशेवर और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए और विभिन्न क्षेत्रों के भारत के पुस्तकालय पेशेवरों की मांग का सम्मान करने के लिए आईसलिक को विशेष लाइब्रेरियनशिप के भीतर खुद को सीमित करने के लिए मजबूर नहीं किया गया है, बल्कि इसकी गतिविधियों ने सभी संभव क्षेत्रों में विस्तारित किया गया है। इसके अलावा आईसलिक द्वारा भारत के सभी प्रकार के पुस्तकालय संघों के बीच समन्वय रखने के लिए एक अलग खंड बना दिया गया है, जैसे –भारत की लाइब्रेरी एसोसिएशन की संयुक्त परिषद।

भारतीय विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र (आईसलिक) की एसोसिएशन एक गैर-लाभकारी संस्था है जो भारत में स्थापित है जो भारत में विशेष पुस्तकालय के पूरे क्षेत्र में विकास का समर्थन करता है। आईसलिक ने अनुसंधान, अध्ययन और समन्वय का समर्थन किया है, अत्यावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संचालित करता है, सामान्य / विशेष बैठकों का आयोजन करता है, और पुस्तकालयों और सूचना सेवाओं और अन्य संबद्ध क्षेत्रों की वर्तमान समस्याओं पर वैकल्पिक वर्षों में सेमिनारों और सम्मेलनों का आयोजन किया जाता

है और विषयों के विषयों पर चर्चा के लिए थीम के रूप में चयन किया जाता है। यह पत्रिकाओं, मोनोग्राफ, मैनुअल, न्यूजलेटर्स, पेपर, कार्यवाही और रिपोर्ट प्रकाशित करता है।

मुख्यालय

आईसलिक का मुख्यालय पी –291, सीआईटी स्कीम नं. 6, कंकरागाची, कोलकाता –700 054, पश्चिम बंगाल है। कार्यालय स्वैच्छिक श्रमिकों द्वारा चलाया जाता है और रविवार, दूसरे शनिवार और राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर कार्यालय दोपहर 2 बजे से 9 बजे तक खुला रहता है।

सदस्यता

इंडियन एसोसिएशन ऑफ विशेष पुस्तकालय और सूचना केंद्र (आईसलिक) मुख्य रूप से दो प्रकार के सदस्यों से बना है, अर्थात् व्यक्तिगत और संस्थागत। आईसलिक के पास सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकालय सदस्य हैं जो पूरे भारत में संस्थागत सदस्यों के रूप में फैले हुए हैं, जबकि इस पेशे में से बहुत से लोग आजीवन या सामान्य सदस्य भी हैं। आईसलिक की सदस्यता का विवरण निम्नलिखित है।

1. मानद सदस्य

आईसलिक व्यक्ति या संस्थान को क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए मानद सदस्यता प्रदान करता है। निर्णय परिषद द्वारा लिया जाता है।

2. दाता सदस्य

आईसलिक व्यक्ति या संगठन को दाता सदस्यता प्रदान करता है जिसने आईसलिक को मजबूत या आईसलिक लाइब्रेरी के संग्रह में योगदान दिया है।

3. संस्थागत सदस्य

आईसलिक में संस्थागत सदस्यता का प्रावधान है।

4. व्यक्तिगत सदस्य

आईसलिकमें व्यक्तिगत सदस्यता का भी प्रावधान है।

आईसलिक का अभिप्राय और उद्देश्य

आईसलिक, विशेष पुस्तकालयों और सूचना केंद्रों के भारतीय संघ के लिए गैर-लाभदायक बनाने वाली राष्ट्रीय, व्यावसायिक संस्था के रूप में निम्नलिखित अभिप्राय के साथ स्थापित किया गया था –

1. राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर सामान्य और विशेष मीटिंग, सेमिनार, कार्यशालाएं और सम्मेलनों का आयोजन करना।
2. पत्रिकाओं, मोनोग्राफ, मैनुअल, न्यूजलेटर्स, पेपर, कार्यवाही और रिपोर्ट प्रकाशित करना।
3. अल्पावधि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम का आयोजन करना।

4. अनुसंधान और अध्ययन का समर्थन, सहयोग और समन्वय करना।
5. पुस्तकालय और सूचना व्यवसाय के हितों को बढ़ावा देने में अन्य भाईचारे निकायों के साथ सहयोग करना और ऐसी अन्य गतिविधियों को शुरू करना जो प्रासंगिक और इसकी वस्तुओं की प्राप्ति के लिए अनुकूल हों।

आईजलिक के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

1. योजनाबद्ध तरीके से साहित्य प्राप्ति, नियोजन और ज्ञान प्रसार करना।
2. पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं तथा प्रलेखन कार्यों में गुणात्मक सुधार लाना।
3. विशिष्ट पुस्तकालयों में पारस्परिक सहयोग में अभिवृद्धि करना।
4. विशिष्ट पुस्तकालयों, सूचना एवं प्रलेखन केन्द्रों, अनुसंधानकर्ताओं, विषय विशेषज्ञों तथा समान रुचि वाले व्यक्तियों और संस्थाओं के मध्य सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
5. विशिष्ट पुस्तकालय कर्मियों की तकनीकी दक्षता बढ़ाने के प्रयास करना और उनके हित के कार्य करना।
6. विशिष्ट पुस्तकालयित्व तथा प्रलेखन तकनीकों के मामले में सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना।
7. वैज्ञानिक, तकनीकी एवं सम्बन्धित विषय क्षेत्रों के विषयों के लिये सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना।
8. आईसलिक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिये अन्य सहायक कार्य करना।

आईसलिक का गठन

आईसलिक की साधारण सभा का गठन व्यक्तिगत और संस्थागत सदस्यों से मिलकर किया जाता है। साधारण सभा द्वारा 34 सदस्यी परिषद का गठन किया जाता है। जिसमें 14 पदाधिकारी और 20 सदस्य शामिल होते हैं। परिषद अपने सदस्यों में से कार्यकारिणी और वित्त समिति का गठन करता है। आईसलिक का सम्मेलन प्रति दूसरे वर्ष भारत के विभिन्न शहरों में आयोजित किया जाता है। इसमें पदाधिकारियों का चुनाव भी किया जाता है।

कुशल एवं प्रभावी सेवाओं के लिये आईसलिक को निम्नलिखित विभागों में बांटा गया है—

1. प्रलेखन विभाग
2. शिक्षा विभाग
3. प्रलेख पुनरुत्पादन तथा अनुवाद विभाग
4. प्रकाशन एवं प्रचार विभाग
5. पुस्तकालय एवं सूचना सेवा विभाग
6. पुस्तकालयों के मध्य सहयोग एवं समन्वय विभाग

आईसलिक के कार्य

आईजलिक द्वारा अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिये निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये जाते हैं।

1. मांगे जाने पर सूचना प्रदान करना।

2. पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं से सम्बन्धित समस्याओं पर प्राप्त आवेदनों पर परामर्श देना।
3. फोटोकापी एवं अनुवाद सेवा प्रदान करना।
4. अन्तः पुस्तकालय सहयोग एवं अन्तः पुस्तकालय ऋण को प्रोत्साहन देना। इसके लिये अन्तः पुस्तकालय ऋण संहिता भी तैयार की गयी है।
5. कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये अल्पकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम इत्यादि की समय-समय पर व्यवस्था करना।
6. आईसलिक के प्रकाशनों को प्रकाशित करना।
7. सम्मेलनों और संगोष्ठियों का आयोजन करना।
8. आईसलिक बुलेटिन में प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ आलेख को पुरस्कृत कर प्रोत्साहन देना।
9. सतत् शिक्षा के अन्तर्गत कार्यक्रमों की व्यवस्था करना।
10. पुस्तकालय व्यवसायियों के वेतनमानों, सेवा शर्तों और उनके सामाजिक स्तर में सुधार लाने का कार्य करना।
11. पुस्तकालय विज्ञान से सम्बन्धित साहित्य संग्रह के लिये पुस्तकालय की व्यवस्था करना।
12. अन्य पुस्तकालय संघों से सम्बन्ध स्थापित करना इत्यादि।

आईसलिक के प्रकाशन

आईसलिक निम्नलिखित प्रकाशन गतिविधियों में संलग्न है:

- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय के शोध आलेखों का प्रकाशन 'आईसलिक बुलेटिन' नामक त्रैमासिक पत्रिका में किया जाता है। आईसलिक के सभी सदस्यों को यह पत्रिका निःशुल्क प्रदान की जाती है।
- आईसलिकके सदस्यों को इसकी गतिविधियों से परिचित कराने के लिये एवं पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में नवीन शोध की जानकारी हेतु 'आईसलिक न्यूजलेटर' का मासिक प्रकाशन किया जाता है।
- भारत में प्रकाशित पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय के शोध आलेखों एवं प्रलेखों की त्रैमासिक सार पत्रिका 'इण्डियन लाइब्रेरी साइन्स एंड स्ट्रैक्ट्स' का प्रकाशन।
- डायरेक्टरी ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड रिसर्च लाइब्रेरीज का प्रथम एवं द्वितीय संस्करण का प्रकाशन (1995)।
- सम्मेलनों के अवसर पर विशिष्ट विषयों पर विद्वत् लेखों का प्रकाशन।
- पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय के कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थों एवं विनिबन्धों का प्रकाशन करना।

आईसलिक की पेशेवर स्थिति

जबकि एसोसिएशन लगातार सभी प्रकार की लाइब्रेरी में मानक सेवाओं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है, इसके दायरे में, पुस्तकालय कर्मियों के वेतन और व्यावसायिक स्थिति बढ़ाने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए जा रहे हैं। यह सभी प्रकार के सरकारी और

गैर-सरकारी संगठनों में पुस्तकालय और सूचना कर्मियों को एक साथ लाने का प्रयास करता है।

आम हितों के मामलों पर आपसी सहयोग और एकीकृत कार्यवाही लाने के लिए, आईसलिक ने विशेष रूप से राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों के भारत की लाइब्रेरी एसोसिएशन्स (JOCLAI) की स्थापना के विचार की चर्चा की। प्रत्येक आईसलिक और आईएलए के राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान लाइब्रेरी एसोसिएशन्स की संयुक्त बैठकों का आयोजन किया जाता है। इसने भारत में पुस्तकालय पेशे के लिए आचार संहिता तैयार की है।

आईसलिक का राजस्व

आईसलिक का राजस्व सदस्यता और प्रकाशनों की बिक्री से अधिकतर होता है। हालांकि, कुछ विशिष्ट परियोजनाओं के विरुद्ध विभिन्न वित्त पोषण निकायों से प्राप्त तदर्थ अनुदान सहायता प्राप्त की जाती है। अभी तक यह व्यावहारिक रूप से अपनी विभिन्न परियोजनाओं, प्रकाशनों और गतिविधियों के संपूर्ण वित्तीय भार को, सरकार या किसी अन्य संगठन से पर्याप्त और व्यवस्थित समिति के बिना अपने स्वयं के संसाधनों से वहन करता रहा है।

आईलिसक का मूल्यांकन

भारतीय पुस्तकालय संघ की तुलना में आईसलिक अधिक गतिशील संस्था है। यह संघ वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों, तकनीकिविदों तथा विद्वत् जनों को अद्यतन ज्ञान एवं सूचना प्रदान करने का सराहनीय कार्य कर रहा है। आईसलिक अन्य राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय संघों से सम्बन्ध बनाये हुये हैं। इसके साथ ही यह विशिष्ट पुस्तकालयों की सूचना सेवाओं तथा तकनीकों में शोध केन्द्र के रूप में भी कार्य कर रहा है। भारतीय पुस्तकालय संघों में मात्र आईसलिक ही है जो वैज्ञानिकों को अनुवाद सेवा भी प्रदान करता है।

अभ्यास प्रश्न

1. 'दि इण्डियन एसोसियेशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एण्ड इनफार्मेशन सेन्टर्स' का संक्षिप्त नाम क्या है।
2. इन्टरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एण्ड इन्स्टीट्यूशंस का संक्षिप्त नाम क्या है।
3. इण्डियन लाइब्रेरी एसोसिएशनका संक्षिप्त नाम ————— है।

8.7 सारांश

इस इकाई में पुस्तकालय संघ को समझाया गया है। विभिन्न पुस्तकालय संघों का विवरण देते हुये उनके उद्देश्यों कार्यों एवं विभिन्न गतिविधियों का वर्णन किया गया है। इफला, भारतीय पुस्तकालय संघ तथा आईसलिक जैसे संघों की विस्तार से चर्चा की गई है।

8.8 शब्दावली

| | |
|------------|---------------|
| प्रलेखन | Documentation |
| ग्रन्थसूची | Bibliography |
| संघ | Association |

8.9 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. आईजिलिक (IASLIC)
2. इफला (IFLA)
3. आई एल ए (ILA)

8.10 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

1. अग्रवाल, श्यामसुन्दर, पुस्तकालय तथा समाज, जयपुर, आरबीएसए, 1994।
2. सैनी, ओमप्रकाश, पुस्तकालय तथा समाज, आगरा, वाई. के.पब्लिशर्स, 1999।
3. शर्मा, पाण्डे एस. कौ., पुस्तकालय तथा समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995।
4. व्यास, एस. डी., पुस्तकालय एवं समाज, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1992।
5. <https://iaslic.wordpress.com/about/>
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Indian_Association_of_Special_Libraries_and_Information_Centres
7. <https://www.ifla.org/>
8. <http://www.ilaindia.net/>

8.11 उपयोगी पुस्तकें

1. अग्रवाल, श्यामसुन्दर, पुस्तकालय तथा समाज, जयपुर, आरबीएसए, 1994।
2. सैनी, ओमप्रकाश, पुस्तकालय तथा समाज, आगरा, वाई. के.पब्लिशर्स, 1999।
3. शर्मा, पाण्डे एस. कौ., पुस्तकालय तथा समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995।
4. व्यास, एस. डी., पुस्तकालय एवं समाज, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1992।

8.12 निबन्धात्मक प्रश्न

1. पुस्तकालय संघ से आप क्या समझते हो किसी एक राष्ट्रीय पुस्तकालय संघ की विस्तार से चर्चा कीजिये।
2. इफला की स्थापना के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिये।
3. इफला के संगठन एवं गतिविधयों की विस्तार से चर्चा कीजिये।
4. आईसलिक पर एक लेख लिखिये।
5. भारतीय पुस्तकालय संघ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।

इकाई : 9 –पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न भारतीय संस्थानों का योगदान: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजाराममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, निस्केयर एवं नॉसडॉक

- 9.1 प्रस्तावना
- 9.2 उद्देश्य
- 9.3 पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न भारतीय संस्थानों का योगदान
- 9.4 विभिन्न भारतीय संस्थानों : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजाराममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, निस्केयर एवं नॉसडॉक
 - 9.4.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
 - 9.4.2 राजाराममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन
 - 9.4.3 निस्केयर
 - 9.4.4 नॉसडॉक
- 9.5 सारांश
- 9.6 शब्दावली
- 9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 9.8 सन्दर्भ ग्रन्थसूची
- 9.9 उपयोगी पुस्तकें
- 9.10 निबन्धात्मक प्रश्न

9.1 प्रस्तावना (Introduction)

पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के उन्नयन, समन्वय एवं विकास में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों संगठन/संस्थायें कार्यरत हैं। इनमें से कुछ संगठन एजेन्सी के रूप में तथा कुछ स्वैच्छिक आधार पर कार्य करते हैं। यद्यपि संस्थाओं या संगठनों का निर्माण व्यक्तियों से होता है फिर भी संगठन व्यक्तियों से ऊपर होते हैं, क्योंकि संगठन के उद्देश्य सामूहिक होते हैं। संगठन का संचालन अनुशासनात्मक ढंग से नियमानुसार किया जाता है। संगठन की गतिविधियां नियमों पर आधारित होती हैं और उनकी गतिविधियों के संचालन में किसी व्यक्ति की जावाबदेही सुनिश्चित की जाती है। पुस्तकालय एक संवर्द्धनशील सामाजिक संस्था है अतः पुस्तकालयों के विकास में संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। कुछ प्रमुख भारतीय संगठनों का विवरण इस इकाई में दिया जा रहा है।

9.2 उद्देश्य- (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

- पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न भारतीय संगठनों/संस्थानों के योगदान को समझ सकेंगे।
- विभिन्न भारतीय संस्थानों जैसे – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजाराममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, निस्केयर एवं नॉसडॉक से परिचित हो सकेंगे।
- विभिन्न भारतीय संस्थानों का योगदान की रूपरेखा विकसित कर सकेंगे।
- पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न भारतीय संस्थानों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से अवगत हो सकेंगे।

9.3 पुस्तकालयों के विकास में विभिन्न भारतीय संस्थानों का योगदान

भारतीय इतिहास में प्राचीन भारत से आधुनिक भारत तक, उच्च शिक्षा में भारत हमेशा से एक प्रमुख स्थान पर रहा है। प्राचीन काल में, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमसिला विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रसिद्ध केन्द्र थे, जो न केवल पूरे भारत देश में, बल्कि कोरिया, चीन, बर्मा (अब म्यांमार), सिलोन (अब श्रीलंका), तिब्बत और नेपाल तक विस्तारित थे। आज भी भारत दुनिया के सबसे बड़े उच्च शिक्षा प्रणालियों में से एक का प्रबन्धन करता है।

माउन्टस्टुअर्ट एलफिंस्टोन ने 1823 की बैठक से उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें स्कूलों की स्थापना की आवश्यकता पर जोर दिया गया था। बाद में, लॉर्ड मैकाले ने 1835 में, देश के मूल निवासियों को अंग्रेजी शिक्षा के प्रयासों की वकालत की थी। सन् 1854 में सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसे 'भारत में अंग्रेजी शिक्षा का

मैग्ना कार्टा' के रूप में जाना जाता है, सर चार्ल्स वुड ने प्राथमिक विद्यालय से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा के लिये उचित रूप से तैयार की गई योजना बनाने की सिफारिश की थी। उसने स्वदेशी शिक्षा को प्रोत्साहित करने और शिक्षा की एक सुसंगत नीति तैयार करने की योजना बनाई। इसके बाद, कलकत्ता, बॉम्बे (अब मुंबई) और मद्रास विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित किए गए थे, उसके बाद 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने विश्वविद्यालय बनाया था। शिक्षा, संस्कृति, खेल और संबद्ध क्षेत्रों के क्षेत्र में जानकारी और सहयोग साझा करके, विश्वविद्यालय की गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए इंटर विश्वविद्याल को सन् 1925 में स्थापित किया गया था।

भारत में शिक्षा की राष्ट्रीय प्रणाली तैयार करने का पहला प्रयास वर्ष 1944 में किया गया था। इसमें विश्वविद्यालय अनुदान समिति के गठन की सिफारिश की गयी थी, जिसे सन् 1945 में अलीगढ़, बनारस, दिल्ली के तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के काम की देखरेख में बनाया गया था। समिति को उन सभी मौजूदा विश्वविद्यालयों से निपटने की जिम्मेदारी सन् 1947 में सौंपी गई थी।

यूजीसी को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी के बाद तैयार किया गया है जो ब्रिटिश सरकार की एक सलाहकार समिति थी और ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के बीच अनुदान धन के वितरण पर सलाह प्रदान करती थी।

पुस्तकालयों के विकास में भारतीय संगठनों की भूमिका सराहनीय रही है। भारत में स्थानीय, क्षेत्रीय, प्रादेशिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों छोटे बड़े संगठन अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करते आ रहे हैं। इन संगठनों में शासकीय संस्थायें, अशासकीय या निजी संस्थायें, स्वायत्त संस्थायें, स्वैच्छिक संस्थायें, अनुदान प्राप्त संस्थायें, गेर-लाभ वाली संस्थायें इत्यादि समिलित होती हैं। इन संगठनों के भौगोलिक क्षेत्र, गतिविधियां एवं कार्यक्षेत्र नियमानुसार परिभाषित किये जाते हैं जो उनकी विशिष्टता को दर्शाते हैं। यूनेस्को, इफला, एफ.आई.डी., मेडलार्स, एग्रीस इत्यादि अन्तर्राष्ट्रीय संस्थायें संचालित हो रही हैं। राष्ट्रीय स्तर पर आई.ए.ए., आईजलिक, इन्फिलबनेट, इन्सडॉक, नासडॉक, निस्केयर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजाराममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन इत्यादि अनेकों संस्थायें पुस्तकालयों की विभिन्न गतिविधियों को संचालित कर रही हैं।

9.4 कुछ प्रमुख भारतीय संस्थान : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजाराममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, निस्केयर एवं नॉसडॉक

पुस्तकालयों के विकास में प्रतिष्ठित सक्रिय भारतीय संगठनों की संख्या बहुत अधिक नहीं है। लेकिन विभिन्न स्तरों पर विशेषताओं के आधार पर कुछ संगठनों ने अपना महत्वपूर्ण स्थान निर्मित किया है। इनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजाराममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, निस्केयर एवं नॉसडॉक का वर्णन यहां इस इकाई में किया गया है।

9.4.1 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना, स्वतंत्रता के तुरंत बाद सन् 1948 में हुई थी। वर्तमान और भविष्य की जरूरतों एवं देश की आकांक्षाओं के अनुरूप भारतीय विश्वविद्यालय की शिक्षा के बारे में सुधार एवं विस्तार के लिये सुझाव देने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया जिसमें यह सिफारिश की गई थी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी को यूनाइटेड किंगडम के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के सामान्य मॉडल पर प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में से एक पूर्णकालिक अध्यक्ष की नियुक्ति एवं अन्य सदस्यों के साथ पुनर्गठन किया जाना चाहिए।

केंद्र सरकार ने सन् 1952 में फैसला किया कि सार्वजनिक निधियों से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा के संस्थानों को अनुदान के आवंटन से संबंधित सभी मामलों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भेजा जा सकता है। नतीजतन, 28 दिसंबर 1953 को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग (यूजीसी) का उद्घाटन औपचारिक रूप से श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा किया गया।

हालांकि, यूजीसी को औपचारिक रूप से भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों के समन्वय, निर्धारण और रखरखाव के लिए केवल सन् 1956 में ही भारत सरकार के सांविधिक निकाय के रूप में स्थापित किया गया था। पूरे देश में प्रभावी क्षेत्रवार कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, यूजीसी ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बैंगलुरु में छह क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना करके अपने कार्यों को विकेंद्रीकृत किया है। यूजीसी का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है।

यूजीसी का गठन पहली बार 1945 में अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के तीन केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के कामकाज की देखरेख में किया गया था। इसकी जिम्मेदारी 1947 में सभी भारतीय विश्वविद्यालयों को कवर करने के लिए बढ़ा दी गई थी। नवंबर 1956 में भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के पारित होने पर यूजीसी एक वैधानिक निकाय बन गया।

भारतीय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक सांविधिक निकाय है। भारतीय केंद्रीय सरकार द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956, के अनुसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत इसे स्थापित किया गया है, और उच्च शिक्षा के समन्वय, निर्धारण और मानकों के रखरखाव की जिम्मेदारी इस पर है। यह भारत में विश्वविद्यालयों को मान्यता प्रदान करता है, और ऐसे मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को धन का वितरण विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने के लिये करता है।

इतिहास

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को यूनाइटेड किंगडम की यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी की तरह पुनर्निर्माण के लिए एक सिफारिश सन् 1949 में की गई थी। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन द्वारा इस सिफारिश की अनुसंशा सन् 1948–1949 में की गई थी, जिसे एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में स्थापित किया गया था। भारत सरकार ने सन् 1952 में फैसला लिया कि विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों का अनुदान यूजीसी द्वारा नियन्त्रित किया जाना चाहिए। इसके बाद, 28 दिसंबर 1953 को मौलाना अबुल कलाम आजाद, शिक्षा मंत्री, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग भारतीय संसद द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के पारित होने पर एक वैधानिक निकाय नवम्बर 1956 में बन गया था। सन् 1994 और 1995 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी और बैंगलुरु में छह क्षेत्रीय केंद्रों की स्थापना करके अपने कार्यों को विकेंद्रीकृत किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर स्थित है।

व्यावसायिक परिषद

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, काउन्सिल फॉर साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च (सी.एस.आई.आर.) के साथ, वर्तमान में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नेट (NET) आयोजित करता है। इसने स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर पर जुलाई 2009 के बाद से शिक्षण के लिए अनिवार्य योग्यता नेट का प्रावधान किया है। हालांकि, अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये पीएचडी वाले छात्रों को कुछ छूट दिये जाने का प्रावधान किया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में विश्वविद्यालयों के ऊपर उच्च शिक्षा के लिए प्रत्यायन को पन्द्रह स्वायत्त वैधानिक संस्थानों के द्वारा देखरेख किया जाता है:

1. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई)
2. दूरस्थ शिक्षा परिषद (डीईसी)
3. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर)
4. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई)
5. सेरामपुर कॉलेज (बीटीएसएससी) के सीनेट के धार्मिक शिक्षा बोर्ड
6. नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (एनसीटीई)
7. भारतीय पुनर्वास परिषद (आरसीआई)
8. भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई)
9. भारतीय फार्सी परिषद (पीसीआई)
10. भारतीय नर्सिंग काउंसिल (आईएनसी)
11. डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया (डीसीआई)

12. होम्योपैथी की केंद्रीय परिषद (सीसीएच)
13. भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (सीसीआईएम)
14. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास परिषद (एनसीआरआई)
15. उच्च शिक्षा राज्य परिषद (एसईएई)
16. आर्किटेक्चर की परिषद
17. भारतीय पशु चिकित्सा परिषद (वीसीआई)

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उद्देश्य:

1. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य उद्देश्य उच्च शिक्षा का संवर्धन एवं समन्वय करना।
2. विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षा तथा अनुसंधान के स्तर का निर्धारण तथा अनुरक्षण करना।
3. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राज्य एवं केन्द्र सरकारों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है।
4. उच्च शिक्षा के विकास हेतु अन्तर्राष्ट्रीय मानकों का निर्धारण एवं परिचालन करता है।

पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान की गतिविधियों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को योगदान:

भारतीय विश्वविद्यालयों की शीर्षस्थ संस्था होने के कारण यह आयोग विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के विकास से सीधा सम्बन्ध रखता है। पुस्तकालय सेवाओं के उन्नयन हेतु समय-समय पर इस आयोग द्वारा समितियों का गठन किया जाता है। इस क्षेत्र की कुछ चयनित गतिविधियां निम्नलिखित हैं।

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालय हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान करना।
2. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय के पाठ्यक्रमों के विकास हेतु समिति का गठन करना।
3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों का गठन करना।
4. इन्फिलबनेट की स्थापना करना।
5. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण करना।
6. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालयों की समीक्षा हेतु समितियों का गठन करना।

1. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालय हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान करना:

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, राज्य विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय के समकक्ष संस्थाओं, शासकीय महाविद्यालयों एवं मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों तथा उच्च शिक्षा के विभिन्न केन्द्रों के

पुस्तकालयों की सेवाओं के उन्नयन हेतु भवन निर्माण, फर्नीचर, पाठ्यसामग्री एवं अनुसंधान सामग्रियों के लिये आर्थिक अनुदान प्रदान करता है। महाविद्यालयों में ग्रन्थ बैंकों की स्थापना हेतु भी आर्थिक सहयोग प्रदान करता है।

2. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय के पाठ्यक्रमों के विकास हेतु समिति का गठन करना:

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान के पाठ्यक्रमों को अद्यतन करने एवं उसमें एकरूपता लाने हेतु सन् 1990 में पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन किया गया था। इस समिति ने प्रवेश नीति, प्रवेश परीक्षा, विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या, अध्ययन, अध्ययन सहायक सामग्री, शिक्षण माध्यम इत्यादि विचारणीय बिन्दु रखे गये थे। विभागों की स्थापना हेतु न्यूनतम स्थान, कार्यालय एवं कार्य शालाओं की स्थापना, शैक्षिक एवं अशैक्षिक कर्मचारियों की संख्या इत्यादि कुछ अन्य विषय थे जिस पर समिति ने अपने सुझाव दिये थे।

3. राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों का गठन करना:

विभिन्न विशिष्टीकृत विषयों एवं क्षेत्रों में अध्ययनरत् अनुसंधानकर्ताओं एवं अध्यापकों को अपने क्षेत्रों में सूचना प्राप्ति में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इण्डियन इन्स्टीट्यूट ऑफ साइन्स, बंगलौर तथा समाजविज्ञान एवं मानविकी के लिये महाराजा सियाजी राव विश्वविद्यालय, बड़ोदा और एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय, मुम्बई में राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों की स्थापना की गयी थी।

4. इन्प्रिलबनेट की स्थापना करना:

इन्फार्मेशन एण्ड लाइब्रेरी नेटवर्क (इन्प्रिलबनेट) का गठन सन् 1988 में किया गया था। इन्प्रिलबनेट का मुख्य अहमदाबाद में है। इन्प्रिलबनेट की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विश्वविद्यालयों, मानव विश्वविद्यालयों, राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं (इण्डियन काउन्सिल ऑफ सोशल साइन्स रिसर्च, इण्डियन काउन्सिल ऑफ फिलॉसिफिकल रिसर्च, इण्डियन काउन्सिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इण्डियन काउन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इण्डियन काउन्सिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, काउन्सिल फॉर साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च इत्यादि), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय सूचना केन्द्रों, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों के मध्य सूचना नेटवर्क के रूप में कार्य करता है। यह विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को कम्प्यूटरीकरण हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करता है। इन्प्रिलबनेट अपने न्यूजलेटर का प्रकाशन सूचनाओं के प्रचार प्रसार हेतु करता है।

5. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालयों का आधुनिकीकरण करना:

विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को आधुनिकीकरण हेतु तथा पुस्तकालय सेवाओं एवं पुस्तकालय कार्यप्रणाली में तीव्रता लाने के लिये कम्प्यूटरीकरण करना आवश्यक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों एवं स्वतन्त्रता से पूर्व स्थापित विश्वविद्यालयों को आर्थिक अनुदान प्रदान किया जा रहा है जिससे वे अपनी सेवाओं का विस्तार कर सकें और इन्फिलबनेट के कार्यक्रमों से जुड़े रहें। इस अनुदान राशि का प्रयोग निम्नलिखित प्रयोजन हेतु निर्धारित किया गया है।

1. कम्प्यूटर्स, प्रिन्टर्स एवं सॉफ्टवेयर्स इत्यादि के क्रय करने हेतु।
2. फर्नीचर्स, विद्युतीकरण एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के लिये।
3. सूचना प्रौद्योगिकी के वैज्ञानिकों एवं कम्प्यूटर प्रोग्रामर की नियुक्ति करने हेतु।
4. पत्र-पत्रिकाओं, जर्नल्स, ग्रन्थों एवं दृश्य-श्रव्य सामग्रियों के क्रय हेतु।
5. कर्मचारियों का प्रशिक्षण करने के लिये।
6. डेटा प्रविष्टि हेतु।

6. विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालयों की समीक्षा हेतु समितियों का गठन करना:

विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों को आधुनिकीकरण हेतु प्रदान की गयी अनुदान राशि के उपयोग का उचित मूल्यांकन करने के लिये एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया गया है। विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के पुस्तकालयों का बेहतर संचालन करने के लिये समीक्षा का प्रावधान किया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रकाशन

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रकाशनों का प्रकाशन किया जाता है। जिसमें से यूनीवर्सिटी न्यूज़ नामक साप्ताहिक पत्रिका का नियमित प्रकाशन किया जा रहा है। प्रकाशनों की अधिक जानकारी के लिये <https://www.ugc.ac.in/page/Other-Publications.aspx> को देखें।

दिसंबर 2015 में भारत सरकार ने यूजीसी के तहत रैंकिंग फ्रेमवर्क के एक राष्ट्रीय संस्थान का गठन किया जो अप्रैल 2016 तक सभी शैक्षणिक संस्थानों को रैंक करेगा। यूजीसी ने 2016–2017 से शुरू होने वाले अकादमिक सत्र से ऑनलाइन प्रवेश प्रणाली स्थापित करने के लिए भारत के सभी विश्वविद्यालयों को सुझाव दिया है।

9.4.2 राजाराममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन—(आरआरआरएलएफ):

राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास (राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन) एक केंद्रीय स्वायत्त संगठन है जिसे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त

पोषित किया जाता है। इसका गठन देश के महान शिक्षा प्रेमी एवं समाज सुधारक राजा राममोहन राय की स्मृति में 1972 में किया गया था। राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, पश्चिम बंगाल के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1961 के तहत पंजीकृत है। भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक पुस्तकालय सेवाओं और प्रणालियों का समर्थन करने और देश में सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस स्थापित किया गया।

राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन को सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था का फाउण्डेशन कहा जाता है। इसमें भारत सरकार द्वारा प्रख्यात शिक्षाविदों, पुस्तकालयीयों, प्रशासकों और वरिष्ठ अधिकारियों के बीच 22 सदस्यों का नामांकन किया जाता है। भारत सरकार के संस्कृति विभाग के मंत्री, या उनके द्वारा नामांकित व्यक्ति राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन का अध्यक्ष होता है। प्रोफेसर ब्रिज किशोर शर्मा राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन का गठन

भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मन्त्रालय के संस्कृति विभाग के मंत्री, या उनका प्रतिनिधि राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन का अध्यक्ष होता है। न्यास की कार्यकारिणी समिति का गठन अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। जिसमें चार प्रसिद्ध पुस्तकालयाध्यक्षों अथवा पुस्तकालय वैज्ञानिकों को मनोनीत किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें भारतीय पुस्तकालय संघ एवं नेशनल बुक ट्रस्ट को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। प्रशासनिक समिति इस न्यास की एक महत्वपूर्ण समिति है। इस न्यास के कार्यालय में अन्य महत्वपूर्ण अधिकारीगण जैसे – पूर्णकालिक निदेशक, क्षेत्र अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी एवं लेखा अधिकारी हैं।

राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन के उद्देश्य

राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- 1 भारत में राज्य सरकार के सहयोग से सार्वजनिक पुस्तकालयों की योजना बनाकर पुस्तकालय आन्दोलन को गति प्रदान करना तथा राज्य सरकारों द्वारा गठित राज्य पुस्तकालय नियोजन समिति के माध्यम से अनुदान प्रदान करना।
- 2 देश की राज्य सरकारों को उनके अपने राज्य में पुस्तकालय अधिनियम पारित करने हेतु प्रेरित करना।
- 3 राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति के निर्धारण एवं उसे केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जाने के लिये प्रयास करना।
- 4 देश के पुस्तकालय आन्दोलनों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों का संचालन करना।

- 5 ग्रामीणों एवं नवसाक्षरों में अध्ययन की प्रवृत्ति को विकसित करने के लिये प्रयत्न करना।
- 6 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में नवीन अनुसंधान को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय पुस्तकालयों, राज्य केन्द्रीय पुस्तकालयों एवं जिला पुस्तकालयों इत्यादि के लिये राष्ट्रीय पुस्तकालय तन्त्र स्थापित कर अन्तः पुस्तकालय आदान-प्रदान को बढ़ावा देना। देश में पुस्तकालय विकास और उनके अनुप्रयोगों में अभिवृद्धि हेतु प्रयास करना।

राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन की गतिविधियां

राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास अपने प्रमुख उद्देश्यों को पूरा करने के लिये निम्नलिखित गतिविधियों का संचालन करता है।

सार्वजनिक पुस्तकालय अनुदान योजना

सार्वजनिक पुस्तकालयों के विकास हेतु कई योजनायें चलाई जा रही हैं। आर्थिक अनुदान की योजना के अन्तर्गत समकक्ष सहायता तथा पूर्ण सहायता प्रदान करने का प्रावधान होता है।

समकक्ष सहायता योजना (Protecting Grant)

समकक्ष सहायता योजना के अन्तर्गत राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास पचास प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान करता है। तथा शेष पचास प्रतिशत अनुदान राज्य सरकार द्वारा प्रदान करने का प्रावधान रहता है। इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियों हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है:

- 1 ग्रन्थों एवं श्रव्य-दृश्य सामग्री क्रय हेतु सहायता करना।
- 2 ग्रामीण ग्रन्थ चयन केन्द्रों की स्थापना करना तथा चल पुस्तकालय सेवा के संचालन हेतु सहायता प्रदान करना।
- 3 ग्रन्थ संचय तथा ग्रन्थ प्रदर्शन के लिये सहायता प्रदान करना।
- 4 कार्यशालाओं, सम्मेलनों, संगोष्ठियों इत्यादि के लिये आयोजन करना तथा ग्रन्थ प्रदर्शनियों के लिये सहायता करना।
- 5 जिला स्तर के निचले स्तर के पुस्तकालयों के भवन विस्तार हेतु सहायता करना।
- 6 जिला तथा राज्य-केन्द्रीय पुस्तकालयों को टेलीविजन एवं वीडियो कैसेट रिकार्ड क्रय हेतु सहायता करना।

पूर्ण सहायता

राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास द्वारा पूर्ण या शत प्रतिशत सहायता निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन हेतु प्रदान की जाती है।

- 1 केन्द्रीय क्रय कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रय किये गये ग्रन्थों को राज्य केन्द्रीय एवं जिला स्तरीय पुस्तकालयों में वितरण करना।
- 2 केन्द्रीय संपोषित पुस्तकालयों जैसे नेहरू युवा केन्द्रों के पुस्तकालय को सहायता प्रदान करना।
- 3 बाल पुस्तकालय या सार्वजनिक पुस्तकालयों में बाल विभाग प्रारम्भ करने के लिये सहायता प्रदान करना।
- 4 अन्य स्वैच्छिक संस्थाओं जैसे बाल भवनों इत्यादि को सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित एवं संचालित करने हेतु सहायता प्रदान करना।

पुस्तकालय संघों को अनुदान प्रदान करना

राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास द्वारा समय-समय पर राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय सम्मेलनों, संगोष्ठियों एवं कार्यशालाओं इत्यादि के आयोजन हेतु पुस्तकालय संघों को अनुदान प्रदान करने में सहायता करता है।

पुस्तकालय अधिनियम के लिये सहयोग

राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास अपने स्थापना काल से ही विभिन्न राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम पारित करने हेतु निरन्तर प्रयासरत रहा है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति में योगदान

राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास द्वारा 1981 में गठित कार्यकारी समूह ने राष्ट्रीय पुस्तकालय नीति का प्रारूप 1983 में तैयार किया था। इस प्रारूप के आधार पर भारत सरकार के संस्कृति विभाग ने ड्राफ्ट पॉलिसी स्टेटमेन्ट जारी कर प्रोफेसर डी. पी. चट्टोपाध्याय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने अपनी अनुसंशाखें 1986 में प्रस्तुत की थीं। शासन द्वारा समिति की इन अनुसंशाखों पर विचार करने के लिये अधिकृत समिति का गठन किया गया जिसके द्वारा देश के प्रमुख पुस्तकालयों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों से विचार विमर्श कर अपना प्रतिवेदन 'नेशनल पॉलिसी ऑफ लाइब्रेरी एण्ड इन्फार्मेशन सिस्टम : ए प्रजेन्टेशन' प्रस्तुत किया। इस प्रकार यह न्यास पुस्तकालयों की प्रगति के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहता है।

राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास की प्रकाशन गतिविधियाँ

- 1 राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास द्वारा संचालित कार्यक्रमों के प्रचार प्रसार हेतु एक प्रकाशन 'बुक फॉर मिलियंस एट देयर डोर स्टेप' का प्रकाशन किया जा रहा है।
- 2 राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास द्वारा 1984-85 में व्याख्यानमाला के अन्तर्गत देश के प्रमुख ग्रन्थालयियों तथा पुस्तकालय वैज्ञानिकों द्वारा प्रदत्त व्याख्यानों का

संग्रह 'इण्डियन लाइब्रेरीजःद्रेन्ड्स एण्ड परस्पेक्टिव' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशन किया जा रहा है।

- 3 न्यास द्वारा डायरेक्टरी ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज इन इण्डिया का प्रकाशन भी किया गया है।
- 4 पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान विषय के शोध आलेखों के प्रकाशन हेतु 'ग्रन्थाना' नामक पत्रिका का भी प्रकाशन किया जाता है।
- 5 न्यास द्वारा अपनी गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु त्रैमासिक न्यूज़लेटर भी प्रकाशित किया जाता है।

9.4.3 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज –(National Institute of Science Communication and Information Resources)

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज (The National Institute of Science Communication and Information Resources) का संक्षिप्त नाम निस्केयर (NISCAIR) है। 30 सितम्बर 2002 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन (निस्कॉम) और भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेखन केन्द्र (इन्सडॉक) के विलय के साथ निस्केयर (एनआईएससीएआईआर) अस्तित्व में आया। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के दोनों प्रमुख संस्थान निस्कॉम और इन्सडाक, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सूचनाओं के प्रचार-प्रसार और प्रलेखन के लिए समर्पित थे।

निस्कॉम पिछले कई दशकों से अस्तित्व में रहा था। पहले वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद की दो प्रकाशन इकाइयों के रूप में थीं, जिन्हें बाद में प्रकाशन विभाग बनाकर उसमें विलय कर दिया गया था, बाद में इसे प्रकाशन और सूचना निदेशालय और 1996 में निस्कॉम के रूप में बदल दिया गया था। इन वर्षों में, निस्कॉम ने अनुसंधान और लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं, विश्वकोषीय प्रकाशनों, मोनोग्राफ, किताबों और सूचना सेवाओं से जुड़े अपने कई उत्पादों के माध्यम से शोधकर्ताओं, छात्रों, उद्यमियों, उद्योगपतियों, कृषक, नीति योजनाकार और आम आदमी के लिये भी अपनी गतिविधियों में विविधता प्रदान की।

इन्सडॉक 1952 में अस्तित्व में आया और यह वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना और प्रलेखन सेवाएं जैसे कि सारकरण और अनुक्रमणीकरण, डेटाबेसों के डिजाइन और विकास, अनुवाद, पुस्तकालय स्वचालन, अंतर्राष्ट्रीय सूचना स्रोतों, मानव संसाधन विकास, परामर्श सेवाएं प्रदान करने में आधुनिक पुस्तकालय-सह-सूचना केन्द्रों की स्थापना करने में प्रदान करने में संलग्न था। इन्सडॉक नेशनल साइंस लाइब्रेरी और सार्क डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का मेजबान भी था।

निस्केयर के गठन के साथ, सभी उपरोक्त बहुआयामी गतिविधियों को एक साथ जोड़ दिया गया है, जिससे निस्केयर आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे का उपयोग करके

और अधिक प्रभावी तरीके से समाज की सेवा करने और विज्ञान संचार के क्षेत्र में नए उद्यमों को विकसित करने में सक्षम बना हुआ है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में फायदा देने के लिये पारम्परिक और आधुनिक तरीकों के मिश्रण के माध्यम से निस्केयर वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचना प्रबंधन प्रणाली और सेवाओं के व्यापक रूप से प्रसार और सूचना एकत्रीकरण / संग्रहण, प्रकाशन और प्रसारण करता है।

निस्केयर भारत में सन् 2002 में स्थापित एक सूचना विज्ञान संस्थान है जो 14, सत्संग विहार, नई दिल्ली, भारत में स्थित है। परिणामस्वरूप राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय अपने कार्यों को संचालित करने के लिए, उपयोगकर्ताओं को सेवाएं प्रदान करने के लिये, उपयोगकर्ताओं के लिए अच्छे माहौल और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिये निरन्तर प्रयास करते रहते हैं।

निस्केयर के उद्देश्य

1. देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में वर्तमान और पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों पर सभी सूचना संसाधनों का प्रमुख संरक्षक बनने के लिए, और सबसे उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का उपयोग करके, सभी स्तरों पर विभिन्न घटकों के लिए विज्ञान में संचार को बढ़ावा देना।
2. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान पत्रिकाओं के रूप में वैज्ञानिक समुदाय के बीच संचार के औपचारिक संबंध प्रदान करना।
3. विज्ञान और प्रौद्योगिकी की जानकारी आम जनता में, विशेष रूप से स्कूल के छात्रों के बीच विज्ञान में रुचि पैदा करने के लिये विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रसारित करना।
4. देश के पौधे, पशु और खनिज संपदाओं पर जानकारी एकत्र करना, संगठित करना और प्रसार करना।
5. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को विज्ञान संचार और आधुनिक पुस्तकालयों के संदर्भ के साथ उपयोग करना।
6. प्रासंगिक और सटीक जानकारी को समय पर पहुंच प्रदान करके आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और वाणिज्यिक विकास को आगे बढ़ाने में सहायताकर्ता के रूप में कार्य करना।
7. पुस्तकालय, दस्तावेजीकरण, विज्ञान संचार एवं सूचना विज्ञान के क्षेत्र में और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सूचना प्रबंधन प्रणालियों और सेवाओं में मानव संसाधन का विकास करना।
8. निस्केयर के समान उद्देश्य और लक्ष्य वाले अंतरराष्ट्रीय संस्थानों और संगठनों के साथ सहयोग करना।

-
9. निस्केयर के मिशन वक्तव्य के अनुरूप किसी भी अन्य गतिविधि को संचालित करना।

राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय –(National Science Library)

इन्सडॉक में स्थापित राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय भारतीय वैज्ञानिक साहित्य का उचित संग्रह कर रहा है। भारत के वैज्ञानिक पुस्तकालयों में उपलब्ध सन्दर्भ स्रोतों के पूरक के रूप में यह केन्द्र विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र के सन्दर्भ स्रोतों के संकलन का कार्य कर रहा है। इस समय राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय में विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े प्रलेखों की संख्या 2,51,000 से भी अधिक है जिसमें जर्नल्स के बाउण्ड वाल्यूम्स (Bound Volumes of Journals), विनिबंधों(Monographs), प्रतिवेदनों(Reports), थीसिस/डिजर्टेशंस (Theses/dissertations), मानकों(Standards), पेटेण्ट्स(Patents) इत्यादि को शामिल किया गया है।

राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की संग्रहण नीति में विज्ञान एवं तकनीक समुदाय से जुड़े लोगों के लिये भारतीय विज्ञान एवं तकनीकी प्रकाशनों (Indian S & T Publications), विदेशी भाषा के शब्दकोशों (Foreign Language Dictionaries), पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान (Library and Information Science), सूचना एवं संचार तकनीक (Information & Communication Technology), कम्प्यूटर साइंस (Computer Science), कान्फ्रेन्स प्रोसीडिंग्स (Conference Proceedings), तकनीकी प्रतिवेदनों (Technical Reports) तथा अन्य प्रासांगिक स्रोतों का संग्रह करना है तथा अनुसंधान एवं विकास के सन्दर्भ स्रोतों को संग्रह निर्माण के लिये जोर देना है।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (काउन्सिल फॉर साइन्टिफिक एण्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्च) ने राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय (नेशनल साइंस लाइब्रेरी) की स्थापना का निर्णय जून 1963 में लिया था। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय को राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला (National Physical Laboratory) की इमारत से शुरू किया गया था। कुछ सालों के बाद इसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के क्लब बिल्डिंग में स्थानांतरित कर दिया गया और वहां से सन् 1983 में राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की अपनी वर्तमान इमारत में स्थानान्तरित किया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय के भवन क्षेत्रफल लगभग 3.5 एकड़ है, जिस पर चार मंजिला केंद्रीय वातानुकूलित इमारत का निर्माण किया गया था। राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय का मुख्यालय सत्संग विहार मार्ग, नई दिल्ली 110067 है।

राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय की सेवाएं

- 1 रीडर्स के लिये सेवाएँ प्रदान करना।
- 2 तकनीकी प्रश्न सेवाएँ प्रदान करना।

- 3 प्रतिलिपि सेवाएँ प्रदान करना।
- 4 इंटर लाइब्रेरी ऋण सेवाएँ प्रदान करना।
- 5 ई-जर्नल प्रवेश
- 6 राष्ट्रीय विज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी
- 7 पारम्परिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी
- 8 मुक्त पहुंच सेवाएँ प्रदान करना।

निस्केयर की सामान्य सेवाएं

- 1 ई-प्रकाशन के कार्य करना।
- 2 संपादन कार्य करना।
- 3 अनुक्रमणीकरण (इंडेक्सिंग) कार्य करना।
- 4 प्रिंट और उत्पादन के कार्य करना।
- 5 पौधों की टैक्सोनॉमिकल पहचान करना।
- 6 कच्चे पौधे—आधारित उत्पादों की पहचान करना।
- 7 सामग्री, एब्सट्रैक्ट्स और फोटोकॉपी सेवा (सीएपीएस) प्रदान करना।
- 8 सीएसआईआर नॉलेज गेटवे के रूप में कार्य करना।
- 9 दस्तावेज कॉपी आपूर्ति सेवाएँ प्रदान करना।
- 10 साहित्य खोज सेवाएँ प्रदान करना।
- 11 विज्ञान संचार, डिजिटल पुस्तकालय, सूचना प्रौद्योगिकी और पुस्तकालय ऑटोमेशन आदि में लघु अवधि के पाठ्यक्रम का संचालन करना।
- 12 अनुवाद सेवा प्रदान करना।
- 13 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन करना।

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद – निस्केयर द्वारा 18 पत्रिकाओं और 3 लोकप्रिय विज्ञान पत्रिकाओं (साइन्स रिपोर्टर के हिंदी और उर्दू संस्करण) को प्रकाशित किया जाता है। निस्केयर की ऑनलाइन सामग्रियों की रिपॉजिटरी वेबसाइट से मुक्त पहुंच के रूप में उपलब्ध है।

सूचना विज्ञान में एसोसिएटशिप

यह संस्थान का प्रमुख पाठ्यक्रम है इस पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पूर्व छात्रों को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा कर रहे हैं।

इण्डियन नेशनल सेन्टर फॉर आईएसएसएन

इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड सीरियल नम्बर (International Standard Serial Number) का संक्षिप्त नाम आईएसएसएन है। जर्नल्स, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़लेटर्स, डायरेक्टरीज, ईयरबुक्स, एनुअल रिपोर्ट्स एवं मोनोग्राफ्स श्रृंखला इत्यादि के लिये इन्टरनेशनल स्टैण्डर्ड सीरियल

नम्बर (ISSN) को विश्व स्तर पर सांकेतिक पहचान के लिये पब्लिशर्स, सप्लायर्स, लाइब्रेरीज़, इन्फार्मेशन सर्विसेस, बार कोडिंग सिस्टम, यूनियन कैटलॉग इत्यादि द्वारा उपयोग में लाया जाता है। इसका लाभ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर धारावाहिक प्रकाशनों का प्रचार-प्रसार एवं मान्यता प्राप्त करने में मिलता है और यह स्वतः इन्टरनेशनल सीरियल्स डायरेक्टरी डेटाबेस में शामिल हो जाता है।

भारत में राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तकालय, निस्केयर, नई दिल्ली में भारतीय आईएसएसएन केन्द्र है। यह विश्व स्तर के 89 राष्ट्रीय केन्द्रों के नेटवर्क में से एक है। भारत में प्रकाशित होने वाले धारावाहिक प्रकाशनों के लिये ISSNs, के निर्धारण की जवाबदेही निस्केयर की होती है। अभी तक प्रकाशित होने वाले धारावाहिक प्रकाशनों के 22,384 ISSNs, निर्धारित किये जा चुके हैं। इस केन्द्र की जवाबदेही आईएसएसएन के विश्व स्तरीय डेटाबेस के लिये भारतीय अभिलेखों के रखरखाव में योगदान दिया जाता है। यह सन् 1986 से प्रकाशित सीरियल्स के आईएसएसएन का निर्धारण कर रहा है इससे पूर्व यह कार्य इन्सडॉक द्वारा किया जाता था। पेरिस में अन्तर्राष्ट्रीय डेटाबेस में बिल्योग्राफिक जानकारी अपलोड करके आवधिक प्रकाशनों के पंजीकरण द्वारा आईएसएसएन का निर्धारण किया जा सकता है।

9.4.4 राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नॉसडॉक)

भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएसएसआर) की एक घटक इकाई, राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नॉसडॉक) की स्थापना 1 अक्टूबर, 1969 में हुई थी। 13 जनवरी, 1988 से इसका नाम 'राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केन्द्र' (नॉसडॉक) कर दिया गया। इस केन्द्र का उद्देश्य सामाजिक विज्ञान के शोधकर्ताओं को पुस्तकालय और सूचना सेवाएं प्रदान करना है।

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र के कार्य

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र का पहला कार्य भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत सामाजिक शोध ग्रन्थों एवं भारतीय समस्याओं से सम्बन्धित विदेशी शोध ग्रन्थों का संकलन करना है। दूसरा मुख्य कार्य भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की वित्तीय सहायता से किये गये शोध कार्यों के प्रतिवेदनों को उपलब्ध कराना है। तीसरा प्रमुख कार्य भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की वित्तीय सहायता से आयोजित संगोष्ठियों, सम्मेलनों, संभाषणों इत्यादि के कार्यकारी लेखों का संकलन कर बुद्धजीवियों के उपयोग हेतु उपलब्ध कराना है। इन कार्यों के अलावा यह निम्नलिखित कार्यों को भी सम्पादित करता है।

1. पुस्तकालय और संदर्भ सेवा
2. पुस्तकालय संग्रह
3. पुस्तकालय सदस्यता

- 3.1 सरकारी सदस्य
- 3.2 परामर्श सदस्यों
- 3.3 उधार लेने वाले सदस्य
- 4. पाठकों के लिए सुविधाएं और सेवाएं
- 5. इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से संदर्भ पर ग्रन्थसूची
- 6. साहित्यिक खोज सेवा
- 7. ऑनलाइन डेटाबेस
- 8. शोध प्रबंधों का अधिग्रहण
- 9. दस्तावेज वितरण/अंतर-पुस्तकालय ऋण
- 10. रिप्रोग्राफी सेवा
- 11. नॉसडॉक डेटाबेस प्रकाशन
- 12. वर्तमान जागरूकता सेवा
- 13. अध्ययन अनुदान योजना
- 14. ग्रंथ सूची और प्रलेखन परियोजनाओं के लिए अनुदान
- 15. सतत शिक्षा कार्यक्रम
- 16. दस्तावेजों का संरक्षण: माइक्रोफिल्मिंग
- 17. लाइब्रेरी ऑटोमेशन
 - 17.1 कैटलॉग रिकॉर्ड्स के रेट्रो रूपांतरण
 - 17.2 पुस्तकालय ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर
 - 17.3 यूनीमार्क (Unimarc)
- 18. इन्टरनेट सुविधा
- 19. इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भारतीय सामाजिक विज्ञान साहित्य
- 20. शोध प्रबंध संग्रह का डिजिटाइजेशन
- 21. आईसीएसएसआर बिक्री और वितरण इकाई

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र के उद्देश्य

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

1. सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध एवं सन्दर्भ सामग्री का संकलन करना।
2. अनुसंधानकर्ताओं के अनुरोध पर नाम मात्र के मूल्य पर सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में विशिष्ट ग्रन्थसूची का संकलन करना एवं मांगें जाने पर नियमानुसार उपलब्ध कराना।
3. सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में शोध सूचना शृंखला के अन्तर्गत विभिन्न ग्रन्थसूचियों का प्रकाशन करना एवं पाठकों को उपलब्ध कराना।
4. सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं को उनके विषय से सम्बन्धित महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान करना।

5. सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में अनुकृतीकरण आधार सामग्री एवं छायांकन सेवायें प्रदान करना।
6. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रलेखन संस्थाओं को भारतीय सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रकाशित पत्रिकाओं की प्रलेखन सम्बन्धी सूचनायें सम्प्रेषित करना।
7. अनुसंधानकर्ताओं को भारत के विभिन्न पुस्तकालयों से उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित सामग्री संकलित करने के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना।
8. सामाजिक विज्ञान संस्थाओं को प्रलेखन एवं सूचना केन्द्र स्थापित करने हेतु अधिक सहायता प्रदान करना।

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र की प्रकाशन गतिविधियां

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र द्वारा शोध श्रृंखला के माध्यम से निम्नलिखित प्रकाशनों को प्रकाशित किया गया है।

1. यूनियन लिस्ट ऑफ सोशल साइंस पीरियॉडिकल्स
2. यूनियन केटालॉग ऑफ सोशल साइंस सीरियल्स
3. यूनियन केटॉलॉग ऑफ न्यूज़पेपर्स इन डेलही लाइब्रेरीज
4. डायरेक्टरी ऑफ सोशल साइंस रिसर्च इन्स्टीट्यूशन्स एण्ड डायरेक्टरी ऑफ प्रोफेशनल आर्गनाइजेशन्स इन इन्डिया
5. महात्मा गांधी बिल्योग्राफी
6. रेट्रोस्पेक्टिव क्यूमुलेटिव इन्डेक्स ऑफ इण्डियन सोशल साइंस पीरियाडिकल्स
7. एरिया स्टडीज़ बिल्योग्राफी
8. लैंग्वेज बिल्योग्राफीज़।

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र के प्रकाशित अनुक्रमिक

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र द्वारा निम्नलिखित पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जा रहा है:

1. सोशल साइंस रिसर्च इन्डेक्स
2. एक्यूजीशन अपडेट
3. बिल्योग्राफी रिप्रिन्ट
4. बिल्योग्राफी ऑन टेप
5. कान्फ्रेन्स एलट
6. पेजिंग पीरियाडिकल्स
7. सामाजिक विज्ञान समाचार (हिन्दी)
8. एपीनेस न्यूज़लेटर
9. इण्डियन डायरी ऑफ इवेन्ट्स
10. नासडॉक डाकेट्स

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र का पुस्तकालय और संदर्भ सेवा

राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र का पुस्तकालय और संदर्भ सेवा राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र का स्वयं का पुस्तकालय है। जिसमें ग्रंथ सूची, विश्वकोष, डॉक्टोरल शोध, शोध परियोजना रिपोर्ट के अलावा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान पद्धतियों, कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी, शोध सर्वेक्षण और सभी सामाजिक विज्ञान विषयों के संदर्भ स्रोतों पर पुस्तकों का इस पुस्तकालय में उत्कृष्ट संग्रह है। यह संग्रह आईसीएसएसआर प्रकाशनों और सामाजिक विज्ञान, न्यूजलेटर्स और संगठनों की वार्षिक रिपोर्टों में अन्य सारणीकरण और अनुक्रमित पत्रिकाओं सहित भारतीय/विदेशी पत्रिकाओं के पत्रिकाओं के बाउंड संस्करणों द्वारा संवर्धित किया गया है। सरकारी रिपोर्ट/धारावाहिक और संस्थागत प्रकाशन भी शामिल किए गए हैं। नासडॉक के पुस्तकालय का विवरण इस प्रकार है।

नासडॉक के पुस्तकालय में 5,400 डॉक्टरेट थीसिस, 3700 अनुसंधान परियोजना रिपोर्ट (आईसीएसएसआर द्वारा वित्त पोषित), 12,000 आवधिक संस्करणों की संख्या, 13,600 पुस्तकें, 900 मौजूदा भारतीय/विदेशी पत्रिकाओं का संग्रह है।

पुस्तकालय सदस्यता

आईसीएसएसआर—नासडॉक के पुस्तकालय की सदस्यता निम्न पाठकों के लिए खुली होती है:

1. **आधिकारिक सदस्य** —इसमें आईसीएसएसआर परिषद के सदस्य/आईसीएसएसआर सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी और आईसीएसएसआर के पेशेवर कर्मचारी (जैसे अनुसंधान सहायक/दस्तावेजी सहयोगी और आधिकारिक सदस्य) शामिल हैं।
2. **संस्थागत सदस्यता—सामाजिक अनुसंधान के लिए संगठनों, कॉर्पोरेट और सार्वजनिक/निजी निकायों हेतु सदस्यता का प्रावधान है।**
3. **परामर्श सदस्यता** — परामर्शदाता सदस्य शिक्षाविदों, अनुसंधान विद्वानों, छात्रों और आम जनता के सदस्य हैं।
4. **उधार लेने वाले सदस्य**— लाइब्रेरी के सदस्यों के रूप में पंजीकृत होने वाले सामाजिक वैज्ञानिक, शिक्षाविदों, छात्रों और सामान्य पाठकों के लिए उधार सुविधा बढ़ा दी जाती है।

पाठकों के लिए सुविधाएं और सेवाएं

लाइब्रेरी सदस्यों/पाठकों के उपयोग के लिए ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग (ओपेक) का प्रावधान किया गया है ताकि वे पुस्तकालय की पुस्तकों, पीएच.डी. शोध, अनुसंधान रिपोर्ट और पत्रिकाओं को विषय/लेखक या कीवर्ड आधारित खोज से पुस्तकालय में उपलब्ध सूचना स्रोतों की जानकारी प्राप्त कर सकें। लाइब्रेरी के सदस्य ऑनलाइन ग्रंथ सूची के साथ—साथ संदर्भों की खोज करने के लिए डेटाबेस का उपयोग करके सन्दर्भ

अनुक्रमणीकरण एवं सार के रूप में प्राप्त कर सकते हैं: उदाहरण के लिये इकोनलिट, एरिक, लिसा (LISA) सोशियोलॉजिकल एब्सट्रैक्ट्स, एवं सोशल सर्विस एब्सट्रैक्ट्स इत्यादि। नासडॉक में सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में संदर्भ प्रश्नों को ई-मेल, टेलीफोन, फैक्स, व्यक्तिगत रूप से या डाक पत्राचार के माध्यम से विद्वानों को जवाब दिया जाता है। विद्वानों को एक अन्तर-पुस्तकालय ऋण सेवा के माध्यम से सहायता प्रदान की जाती है।

मांग पर ग्रंथसूची

बिल्लियोग्रॉफी ऑन डिमांड एक सहायता सेवा है जो नासडॉक द्वारा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान समुदाय को प्रदान की जाती है। आम तौर पर, इस भुगतान सेवा के लिए अनुरोध शहरों और छोटे शहरों में रहने वाले विद्वानों से प्राप्त होते हैं जहां लाइब्रेरी और प्रलेखन सेवाएं गंभीर रूप से सीमित होती हैं। ग्रंथ सूची अर्थात् प्रकाशित पुस्तकों एक सूची, और अप्रकाशित पीएचडी एवं शोध प्रतिवेदनों के उपयोग के लिए शुल्क सेवा प्रदान करने का प्रावधान है।

इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों से साहित्य खोज सेवा

नासडॉक में सीडी-रोम ऑन-लाइन-आधारित सूचना स्रोतों का एक संग्रह है इन्हें साहित्य/संदर्भ खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें से कुछ सबसे अधिक इस्तेमाल किये जाने वाले सीडी-रॉम/ऑन-लाइन डाटाबेस नासडॉक में उपलब्ध हैं: डिस्क पर इकोनलिट, इन्टरनेशनल, पालिटिकल साइन्स आब्सट्रैक्ट्स, पोपलाइन, साइकलिट, सोशियोलॉजिकल आब्सट्रैक्ट्स, साइकइनफो, आईएसआईएस सीडी-रॉम डेटाबेस सेवा उपयोग के लिए सशुल्क उपलब्ध हैं।

अप्रकाशित पीएचडी का संकलन या थीसिस अधिग्रहण नीति

नासडॉक में अप्रकाशित पीएचडी प्राप्त करने का प्रावधान है। सन् 2003 के बाद से भारतीय विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत सामाजिक विज्ञान में किये गये शोधों के लिये नासडॉक ने अपनी थीसिस अधिग्रहण नीति को संशोधित किया गया है। पीएच.डी. थीसिस की एक प्रति के लिए भुगतान करने का निर्णय लिया गया था।

दस्तावेज वितरण / अन्तर-पुस्तकालय ऋण

दस्तावेज वितरण सेवा एक इंटरलाइब्रेरी ऋण के माध्यम से या पत्रिकाओं में प्रकाशित फोटोकॉपी के पेपर द्वारा प्रदान की जाती है। नासडॉक ने शोध पुस्तकालयों की मांगों को पूरा करने के लिए अन्य पुस्तकालयों से पुस्तकों, पत्रिकाओं, रिपोर्टों आदि की खरीद करता है। नासडॉक डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के सदस्य के रूप में अपनी वेबसाइट के माध्यम

से डेलनेट द्वारा आयोजित डेटाबेस तक पहुंच सकते हैं। नासडॉक पुस्तकालयों के माध्यम से डीएलएनईटी के माध्यम से अंतर पुस्तकालय ऋण पर दस्तावेज प्राप्त कर सकता है।

पुर्नरचना सेवा

फोटोकॉपी नासडॉक संग्रह से और अपने स्वयं के नेटवर्क से प्रदान की जाती है, अगर दस्तावेज परिसर में उपलब्ध नहीं है।

नासडॉक डाटाबेस प्रकाशन

नासडॉक डाटाबेस बनाने और सूचना का पता लगाने के लिये निम्न उपकरण शामिल करता है: लाइब्रेरी डेटाबेस, निर्देशिका, इंडेक्स, यूनियन कैटलॉग, ग्रंथसूची, भारतीय सामाजिक विज्ञान पत्रिकाओं के लिए एनोटेटेड इंडेक्स, बिब्लियोग्राफिक डाटा बैंक (1) बिब्लियोग्राफिक डाटा बैंक (2) कॉन्फ्रेंस अलर्ट, भारत में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थानों की निर्देशिका इत्यादि।

सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकों के साथ पुस्तकालय एवं सूचना विशेषज्ञ और सामाजिक वैज्ञानिक के माध्यम से नासडॉक देश के विभिन्न हिस्सों में अपने सतत शिक्षा कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण कार्यशालाओं, सेमिनारों और व्याख्यान का आयोजन करता है।

दस्तावेजों का संरक्षण: माइक्रोफिल्मिंग

नासडॉक ने अपने पीएचडी की थीसिस के लिये माइक्रोफिल्मिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। शोध प्रबंध संग्रह वर्ष 2003–2004, 2004–2005 और 2005–2006 के दौरान 1500 थीसिस को तीन चरणों में माइक्रोफिल्मिंग किया गया है। नासडॉक में पीएच.डी. के माइक्रोफिल्म/माइक्रोफिस का संग्रह है। भारतीय और विदेशी पत्रिकाओं में से कुछ आर्थिक कार्य पत्र, केंद्रीय कैटलॉग, सरकारी प्रकाशन और दुर्लभ प्रकाशनों को ग्राउंड फ्लोर पर रीडिंग रूम में माइक्रोफिल्म सेवन में शोधकर्ताओं हेतु परामर्श के लिए उपलब्ध है।

लाइब्रेरी स्वचालन

पुस्तकालय की सूची डेटाबेस एक एजेंसी की मदद से मशीन पठनीय या इलेक्ट्रॉनिक रूप में परिवर्तित किया गया है। कुल 6000 कैटलॉग रिकॉर्ड्स यूनीमार्क का उपयोग करके परिवर्तित किये गए हैं, ताकि यह डेटा अन्य पुस्तकालयों के साथ आदान–प्रदान किया जा सके। आरएफआईडी टेक्नोलॉजी रीडियो फ्रीक्वेंसी पहचान तकनीक को किताबों और सदस्यों के इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए पेश किया गया है। लाइब्रेरी में सदस्यों को पुस्तकों/पत्रिकाओं को जारी करने में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रौद्योगिकी को रोकता है। आरएफआईडी में इस्तेमाल घटकों में इलेक्ट्रॉनिक चिप्स होते हैं, जो किताबों पर चिपकाए जाते हैं। लिबसिस सॉफ्टवेयर का उपयोग लाइब्रेरी स्वचालन के लिए किया जा

रहा है। यह लैन में काम करता है। पैकेज में इस्तेमाल होने वाले मॉड्यूल हैं: अधिग्रहण (पुस्तकों की खरीद), कैटलॉग (दस्तावेजों की व्यवस्था), सीरियल नियंत्रण (पत्रिकाओं से संबंधित), परिसंचालन (सदस्यता रिकॉर्ड और पुस्तकों मुद्रे और रिटर्न), अनुच्छेद इंडेक्सिंग (पत्रिकाओं में प्रकाशित लेखों का डेटाबेस)। पुस्तकालय के अधिकारियों और विद्वानों को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। इलेक्ट्रॉनिक संचार के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है, सदस्यता लेने वाले ऑनलाइन डेटाबेस और अन्य इंटरनेट संसाधनों से जानकारी प्राप्त करने और सूचना पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है।

अभ्यास प्रश्न

1. भारत में आईएसएसएन प्रदान करने वाली संस्था ————— है।
2. राष्ट्रीय सामाजिक विज्ञान प्रलेखन केंद्र (नासडाक) की स्थापना ————— में हुई थी।
3. राजा राममोहन राय पुस्तकालय न्यास एक ————— संगठन है।
4. सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच, जिसे 'भारत में अंग्रेजी शिक्षा का ———' के रूप में जाना जाता है।

9.5 सारांश

पुस्तकालय एक संवर्द्धनशील सामाजिक संस्था है अतः पुस्तकालयों के विकास में संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। पुस्तकालय एवं सूचना सेवाओं के उन्नयन, समन्वय एवं विकास में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों संगठन/संस्थायें कार्यरत हैं। भारत में विभिन्न स्तरों पर विशेषताओं के आधार पर कुछ संगठनों ने अपना महत्वपूर्ण स्थान निर्मित किया है। इनमें से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, राजाराममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन, निस्केयर एवं नॉसडॉक का वर्णन यहां इकाई में किया गया है।

9.6 शब्दावली

| | |
|---------------|-------------|
| न्यास | Foundation |
| आयोग | Commission |
| विश्वविद्यालय | University |
| सारकरण | Abstracting |
| अनुक्रमणीकरण | Indexing |
| डेटाबेस | Database |

9.7 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. निस्केयर
2. 1 अक्टूबर, 1969
3. केंद्रीय स्वायत्त
4. मैग्ना कार्टा

9.8 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

- 1 सैनी, ओमप्रकाश, पुस्तकालय तथा समाज, आगरा, वाई. के. पब्लिशर्स, 1999 |
- 2 शर्मा, पाण्डे एस. के., पुस्तकालय तथा समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995 |
- 3 <http://www.niscair.res.in/aboutus/about.asp?a=topframe.htm&b=leftcon.asp&c=introduction.htm>
- 4 http://www.icssr.org/doc_intro.htm
- 5 <https://ugc.ac.in/>
- 6 <http://www.rrrlf.nic.in/index.asp>

9.9 उपयोगी पुस्तकें

- 1 अग्रवाल, श्यामसुन्दर, पुस्तकालय तथा समाज, जयपुर, आरबीएसए, 1994 |
- 2 सैनी, ओमप्रकाश, पुस्तकालय तथा समाज, आगरा, वाई. के. पब्लिशर्स, 1999 |
- 3 शर्मा, पाण्डे एस. के., पुस्तकालय तथा समाज, नई दिल्ली, ग्रन्थ अकादमी, 1995 |
- 4 व्यास, एस. डी., पुस्तकालय एवं समाज, जयपुर, पंचशील प्रकाशन, 1992 |

9.10 निबन्धात्मक प्रश्न

1. पुस्तकालयों के विकास में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के योगदान का वर्णन कीजिये।
2. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
 1. राजाराममोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन
 2. निस्केयर
 3. नॉसडॉक
3. भारतीय पुस्तकालयों के विकास में राजाराममोहन राय पुस्तकालय न्यास के योगदान का वर्णन कीजिये।
4. निम्नलिखित में से किसी एक पर टिप्पणी लिखिये।
 1. राजाराममोहन राय पुस्तकालय न्यास
 2. भारतीय सन्दर्भ में पुस्तकालयों के विकास में निस्केयर की भूमिका

खण्ड- 4

पुस्तकालय सहभागीकरण एवं विस्तार कार्य

इकाई (UNIT) –10 पुस्तकालय सहभागीकरण: अवधारणा, आवश्यकता एवं स्वरूप (Library Cooperation: Concept, Need and Forms)

- 10.1 प्रस्तावना
- 10.2 उद्देश्य
- 10.3 पुस्तकालय सहभागीकरण की अवधारणा
- 10.4 पुस्तकालय सहभागीकरण के उद्देश्य
- 10.5 पुस्तकालय सहभागीकरण हेतु पूर्व अपेक्षित अनिवार्यतायें
- 10.6 पुस्तकालय सहभागीकरण के लाभ
- 10.7 पुस्तकालय सहभागीकरण में बाधायें
- 10.8 पुस्तकालय सहभागीकरण के स्तर
- 10.9 पुस्तकालय सहभागीकरण की आवश्यकता
- 10.10 पुस्तकालय सहभागीकरण के स्वरूप
- 10.11 संसाधन सहभागिता के अन्तर्गत संचालित होने वाली प्रमुख गतिविधियां
 - 10.11.1 सहकारी ग्रन्थ भण्डारण
 - 10.11.2 सहकारी अर्जन
 - 10.11.3 केन्द्रीयकृत अर्जन
 - 10.11.4 सहकारी सूचीकरण
 - 10.11.5 पाठ्य—सामग्री का अन्तरपुस्तकालयीन निक्षेप तथा विनिमय
 - 10.11.6 अन्तरपुस्तकालयीन पाठक पत्रक उपयोग
 - 10.11.7 पुस्तकालय कार्मिकों, संसाधनों का विनिमय एवं सहभागीकरण
 - 10.11.8 पुस्तकालय प्रचार — प्रसार में सहभागीकरण की उपयोगिता
 - 10.11.9 अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान के उपकरण
 - 10.11.10 अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान गतिविधियां
 - 10.11.11 अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान हेतु पूर्व अपेक्षित अनिवार्यतायें
 - 10.11.12 अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान की आवश्यकता
- 10.12 पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण एवं नेटवर्क
- 10.13 कम्प्यूटराइज्ड लाइब्रेरी नेटवर्क्स
- 10.14 अभ्यास प्रश्न
- 10.15 सारांश
- 10.16 शब्दावली
- 10.17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 10.18 सन्दर्भ ग्रन्थसूची
- 10.19 उपयोगी पुस्तकें
- 10.20 निबन्धात्मक प्रश्न

10.1 प्रस्तावना (Introduction)

किसी भी ग्रन्थालय में किसी न किसी कारण से पूर्णता का सदैव अभाव रहता है। किसी न किसी प्रकार की कमी ग्रन्थालय में अवश्य रहती है। हम जानते हैं कि समस्त संसार में ऐसा कोई भी पुस्तकालय नहीं है जो ज्ञान के सभी उपलब्ध स्रोतों का संग्रह करने में सक्षम हो। पुस्तकालय का उचित प्रबन्धन करने हेतु उत्तम कर्मचारियों एवं पर्याप्त संसाधनों को जुटाना निश्चित ही एक कठिन कार्य है। पाठकों की मांग और आवश्यकतानुसार किसी अन्य पुस्तकालय से उपयोगी एवं उपादेय समस्त उपकरणों एवं संसाधनों को जुटाने का प्रयास करने के कारण एक विचारधारा का जन्म हुआ जिसे पुस्तकालय सहभागिता के नाम से जाना जाता है। किसी एक ग्रन्थालय का आवश्यकतानुसार किसी अन्य ग्रन्थालय पर निर्भर होना एवं एक दूसरे के संसाधनों का उपयोग करना संसाधन साझेदारी कहलाता है। ग्रन्थालय संसाधन साझेदारी अनेक कारणों से हो सकती है जैसे – पुस्तकालय में उपलब्ध सीमित संसाधन एवं प्रकाशित सामग्रियों की असीमित संख्या।

पुस्तकालय सेवा के क्षेत्र में पुस्तकालय सहभागिता की अवधारणा का उदय पुस्तकालय आन्दोलन के साथ हुआ था। पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की आवश्यकता ‘ज्ञान विस्फोट’ और उपयोगकर्ताओं की मांगों में विभिन्नताओं के कारण हुई। यह सर्वथा स्पष्ट है कि कोई भी पुस्तकालय सम्पूर्ण प्रकाशित पाठ्य सामग्री का संग्रह नहीं कर सकता है जिससे वह अपने समस्त उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने में सक्षम हो सके। इस्टरक्वेस्ट, आर. टी. के अनुसार ‘सहयोग ग्रन्थालयीनता में इतना गुंथा हुआ है कि प्रायः सहकारी प्रयासों के सम्बन्ध में निर्णय पुस्तकालय सेवा के आधारभूत सिद्धान्तों के सम्बन्ध में निर्णय हो जाते हैं। वास्तव में इस समस्या का निदान संसाधन सहभागीकरण द्वारा सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करके ही सम्भव है।

10.2 उद्देश्य- (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

- पुस्तकालय सहभागीकरण की अवधारणा को समझ सकेंगे।
- पुस्तकालय सहभागीकरण की आवश्यकता को जान सकेंगे।
- पुस्तकालय सहभागीकरण के विभिन्न स्वरूपों से अवगत हो सकेंगे।

10.3 पुस्तकालय सहभागीकरण की अवधारणा

पुस्तकालय सहभागिता का तात्पर्य सहभागी ग्रन्थालयों द्वारा अपने समस्त संसाधनों का उपयोग आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे ग्रन्थालय को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को ही पुस्तकालय सहभागीकरण या संसाधन साझेदारी कहा जाता है। इसमें कोई भी ग्रन्थालय

उन संसाधनों को जुटाने का प्रयास करता है जो पाठकों के लिये आवश्यक है लेकिन पुस्तकालय में किसी कारण वश उपलब्ध नहीं हैं अतः पाठक की मांग को पूरा करने के लिये किसी अन्य पुस्तकालय के सहयोग से पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने में दोनों ग्रन्थालयों की सहभागिता होती है।

पुस्तकालय सेवा के क्षेत्र में पुस्तकालय सहभागीकरण कोई नया शब्द नहीं हैं। इसका मूल मन्त्र 'एक के लिये सब और सब के लिये एक है'। इससे पहले इसे पुस्तकालय सहयोग या पुस्तकालय सहकारिता के नाम से जाना जाता रहा है। जिसका तात्पर्य यह है कि आपसी सहयोग से अर्थात् मिलजुलकर पुस्तकालय संसाधनों का उपयोग करना।

10.4 पुस्तकालय सहभागीकरण के उद्देश्य

- 1 प्रकाशनों की असीमित संख्या।
- 2 पुस्तकालय के सीमित संसाधनों का असीमित उपयोग।
- 3 संसाधनों की उपलब्धता में सुधार।
- 4 उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पुस्तकालयों की क्षमता और प्रभावशीलता में अभिवृद्धि करना।
- 5 संसाधनों तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होकर उनकी पहुंच में वृद्धि करना।
- 6 प्रलेखों की कीमतों में निरन्तर अभिवृद्धि होना।
- 7 पाठकों की अभिरुचि में विभिन्नतायें होना।
- 8 उपयोक्ता की आकस्मिक।
- 9 स्थान की कमी।

10.5 पुस्तकालय सहभागीकरण हेतु पूर्व अपेक्षित अनिवार्यतायें

पुस्तकालय में किसी भी योजना को मूर्तरूप प्रदान करने के लिये पुस्तकालय सहभागीकरण आवश्यक होता है। पुस्तकालय संसाधन के सहभागीकरण की सफलता के लिये पूर्व अपेक्षित अनिवार्यतायें निम्नलिखित हो सकती हैं –

- 1 विभिन्न पुस्तकालयों के प्राधिकारियों को इस तथ्य पर सहमत होना चाहिये कि वे अपने संसाधनों को अन्य पुस्तकालयों के उपयोगकर्ताओं को उपयोग करने की सुविधा प्रदान करने में तत्पर रहें।
- 2 संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता, प्रशासकीय क्षमता और संचार क्षमताओं पर पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की प्रभावशीलता निर्भर रहती है।
- 3 प्रत्येक सम्मिलित होने वाले पुस्तकालय को नेटवर्क के प्रति अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होना चाहिये एवं अपनी जवाबदेही का वहन करने के लिये तत्पर रहना चाहिये।

- 4 समर्त शामिल होने वाले पुस्तकालयों को लचीला और प्रायोगात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की किसी भी योजना की सफलता में सम्मिलित होने वाले पुस्तकालयों के आपसी सहयोग हेतु प्रबल इच्छाशक्ति होना चाहिये। संसाधनों की पर्याप्त उपलब्धता, प्रशासकीय क्षमता और संचार क्षमता इस कार्यक्रम की सफलता के लिये अति आवश्यक हैं।

10.6 पुस्तकालय सहभागीकरण के लाभ

पुस्तकालय सहभागीकरण से निम्नलिखित मुख्य लाभ होते हैं –

- 1 मितव्ययिता,
- 2 उपयोकर्ताओं की सन्तुष्टि तथा
- 3 सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग

विभिन्न पुस्तकालयों का अपने सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग करते हुए अधिकांश उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने में सफल सिद्ध हो जाते हैं। जी. जेफरसन के अनुसार 'सहयोग सीमित संसाधनों की अशक्तता को हल्का करने, प्रणालियों तथा कार्यकलापों को समन्वित करने मानकीकरण द्वारा जनता को प्रदत्त सेवाओं को संचालित करने में एकरूपता लाने में सहायक है'।

10.7 पुस्तकालय सहभागीकरण में बाधायें

पुस्तकालय संसाधन के सहभागीकरण में निम्नलिखित मुख्य बाधायें हो सकती हैं –

1. अपर्याप्त पुस्तकालय संग्रह अथवा पाठकों के लिये वांछित पाठ्य सामग्री का अभाव।
2. अपर्याप्त धन।
3. जटिल पुस्तकालय प्रक्रियायें।
4. सुयोग्य और समुचित प्रशिक्षित कर्मियों का अभाव।
5. ग्रन्थालयीयों में पाठ्य सामग्री के संरक्षक होने की भावना।
6. पुस्तकालयीयों द्वारा अपनी स्थानीय स्वायत्ता को खो देने की आशंका।
7. विशाल पुस्तकालयों पर अधिक कार्यभार पड़ जाने की आशंका।
8. पुस्तकालयों में दूरी की समस्या
9. संचार माध्यमों का सक्षम न होना।
10. पुस्तकालय प्राधिकरण द्वारा समर्थन का अभाव।
11. पुस्तकालय सहभागीकरण योजना के क्रियान्वयन के लिये नेतृत्व का अभाव इत्यादि।

10.8 पुस्तकालय सहभागीकरण के विभिन्न स्तर

1. स्थानीय स्तर
2. क्षेत्रीय स्तर
3. राष्ट्रीय स्तर
4. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर

10.9 पुस्तकालय सहभागीकरण की आवश्यकता

पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है अतः ज्ञान के संचार के अभाव में सामाजिक विकास होना काफी मुश्किल होता है। ज्ञान का संचार निष्पक्ष और अबाध रूप से करने के लिये आपसी एवं सामाजिक सहयोग आवश्यक है। डॉ. एस. आर. रंगनाथन के अनुसार 'ग्रन्थ सर्वथा हैं' एवं 'प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पाठ्य सामग्री प्राप्त हो', इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पुस्तकालयों में पारस्परिक सहयोग अथवा संसाधनों का सहभागीकरण आवश्यक हो जाता है।

साहित्य विस्फोट के कारण ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में तीव्रता से विकास हुआ है जिसके परिणामस्वरूप विशिष्टीकरण के युग का आरम्भ हुआ है। अनुसंधान के क्षेत्र में भाषाओं और भौगोलिक सीमाओं ने अपना अस्तित्व खो दिया है। उपयोगकर्ताओं द्वारा नवीन एवं विशिष्ट जानकारियों की मांग बढ़ती जा रही है। इस प्रकार की स्थिति निर्मित होने के कारण पुस्तकालय के संसाधनों के सहभागीकरण की आवश्यकता स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है।

अधिकतर पुस्तकालयों में संसाधनों, वित, स्थान एवं कार्मिकों की संख्या में समुचित सामन्जस्य नहीं हो पाता है, क्योंकि कोई भी पुस्तकालय कितना ही सम्पन्न हो लेकिन संसाधनों की कमी सदैव बनी रहती है अर्थात् विश्व स्तर पर प्रकाशित सम्पूर्ण ज्ञान का संग्रह किसी एक पुस्तकालय के लिये संभव नहीं है। कभी—कभी पुस्तकालय संसाधनों का वर्गीकरण, सूचीकरण इत्यादि प्रक्रियाओं को उचित समय पर कार्मिकों के अभाव में नहीं कर पाते हैं जिससे पाठक को इसका लाभ नहीं मिल पाता है। अतः ऐसी समर्याओं को हल करने के लिये भी पुस्तकालय सहयोग आवश्यक हो जाता है।

10.10 पुस्तकालय सहभागीकरण के स्वरूप

सामान्यतया अन्तर पुस्तकालयीन आदान—प्रदान प्रक्रिया को पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण या पुस्तकालय सहयोग का समानार्थी माना जाता है। वास्तव में यह एक व्यापक दृष्टिकोण है, इसे प्रमुख प्रारूपों में निम्नानुसार विभाजित किया जा सकता है।

1. प्रलेखात्मक संसाधनों का सहभागीकरण के अन्तर्गत निम्नलिखित गतिविधियां संचालित होती हैं —

- (A) सहकारी ग्रन्थ भण्डारण।
- (B) सहकारी एवं केन्द्रीयकृत ग्रन्थार्जन।
- (C) सहकारी प्रस्तुतीकरण अर्थात् वर्गीकरण, सूचीकरण इत्यादि।
- (D) पाठ्य—सामग्री का अन्तरपुस्तकालयीन निक्षेप तथा विनिमय।
- (E) अन्तरपुस्तकालयीन पाठक पत्रक उपयोग।
- (F) अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान गतिविधियां।
- (G) प्रलेखीय और बिल्योग्राफिकल अभिलेखों को नियन्त्रित करने के लिये कम्प्यूटराइज्ड निकाय को विकसित करना।
- (H) नेटवर्क्स का विकास करना।
2. पुस्तकालय कार्मिक संसाधनों का विनिमय एवं सहभागीकरण।
 3. पुस्तकालय प्रचार—प्रसार में सहभागिता करना।

10.11 संसाधन सहभागिता के अन्तर्गत संचालित होने वाली प्रमुख गतिविधियां

पुस्तकालय संसाधन सहभागिता के अन्तर्गत संचालित होने वाली प्रमुख गतिविधियां निम्नलिखित हैं

10.11.1 सहकारी ग्रन्थ भण्डारण (Cooperative Storage)

संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ग्रेट ब्रिटेन में सहकारी भण्डारण की इस योजना को पुस्तकालयों में अपनाया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालयों में कुछ प्रमुख योजनायें संचालित हो रही हैं। सन् 1949 में सेन्टर फॉर रिसर्च लाइब्रेरीज की स्थापना दि मिडवेस्ट इन्टर लाइब्रेरी सेन्टर के नाम से की गयी। इसके अलावा दो अन्य पुस्तकालय न्यू इंग्लैण्ड डिपॉजिटरी लाइब्रेरी इन बोस्टन एरिया तथा हैम्पशायर इन्टर लाइब्रेरी सेन्टर एट एम्हरस्ट संचालित हो रहे हैं।

भारत सरकार द्वारा संस्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति ने अपने प्रतिवेदन में जीर्ण—शीर्ण और अनुपयोगी पाठ्यसामग्री के संरक्षण हेतु प्रत्येक राज्य में एक केन्द्र स्थापित करने का सुझाव दिया था, जिसे पुस्तक खत्ती अथवा पुस्तक आगार का नाम दिया गया।

सहकारी ग्रन्थ भण्डारण की अवधारणा का उद्देश्य कम से कम व्यय पर भण्डारण करना है। जी. जेफर्सन के अनुसार 'सहकारी ग्रन्थार्जन का पूरक अर्थात् कुछ पुस्तकालयों द्वारा सामग्री का युक्तिसंगत अर्जन करना सहकारी भण्डारण है'। यह दोनों इतने अधिक सन्निकट होते हैं कि इनको पृथक करना कठिन होता है। सभी पुस्तकालयों में सामान्यतौर पर कुछ पाठ्यसामग्री कुछ समय पश्चात् उन पुस्तकालयों के पाठकों द्वारा उपयोग नहीं की जाती है। कुछ सामग्री अप्रचलित या अमान्य हो जाती है, इस तरह की सामग्रियां पुस्तकालय में व्यर्थ स्थान घेरती हैं अतः पुस्तकालयों से इस तरह की पाठ्य सामग्री को निरसन करने की सलाह दी जाती है। यदि इस तरह की पाठ्य सामग्री को पूर्णतया नष्ट कर दिया जाये तो आगामी पीढ़ियों या कुछ विशिष्ट पाठकों के लिये इसे उपलब्ध नहीं

कराया जा सकेगा, इसीलिये एक ऐसा केन्द्रीयकृत भण्डारण स्थापित किया जाना चाहिये जहां विभिन्न पुस्तकालय इस तरह की पाठ्य सामग्री भेज सके।

10.11.2 सहकारी अर्जन (Cooperative Acquisition)

इस प्रकार के कार्यक्रमों में पुस्तकालयों द्वारा आपस में अनुबन्ध तैयार किया जाता है कि प्रत्येक ग्रन्थालय किसी निश्चित विषय अथवा विषयों में विशिष्ट संसाधनों का अर्जन करता है। इसके द्वारा समस्त ग्रन्थालय अर्जित विशिष्ट संसाधनों का उपयोग करने में सामूहिक रूप से सफल होते हैं। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थानीय पुस्तकालयों में से कोई एक पुस्तकालय 'विशिष्ट विषय पर पाठ्य सामग्री' का संग्रह करता है तथा दूसरा पुस्तकालय किसी अन्य 'विशिष्ट विषय पर पाठ्य सामग्री' का संग्रह करता है। इस प्रकार से दोनों पुस्तकालयों के उपयोगकर्ताओं द्वारा दो अलग—अलग 'विशिष्ट विषयों पर अर्जित पाठ्य सामग्रियों' का उपयोग सहभागिता के माध्यम से किया जा सकता है। इसी प्रकार अन्य कीमती सामग्रियों का अर्जन एवं उपयोग किया जा सकता है। पाठ्य सामग्री के अर्जन के सम्बन्ध में विभिन्न पुस्तकालयों के मध्य अनुबन्ध स्थापित करके पुस्तकालय में उपलब्ध सीमित संसाधनों के द्वारा भी पाठकों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।

इस तरह की योजनाओं को भारत के अलावा भी अन्य देशों में अपनाया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन इत्यादि ने इस योजना का आरम्भ किया था लेकिन कुछ वर्षों के उपरान्त इसका उपयोग करना बन्द हो गया था।

सहकारी ग्रन्थार्जन की योजना के लिये भारत सरकार द्वारा संस्थापित पुस्तकालय परामर्शदात्री समिति ने अपना प्रतिवेदन सन् 1959 में प्रस्तुत किया था लेकिन भारत में इस तरह के कार्यक्रमों को अधिक महत्व नहीं मिला। महानगरों एवं जिला स्तर या राज्यीय स्तर पर पुस्तकालयों द्वारा सहकारी ग्रन्थार्जन की योजना को अपनाया जा सकता है।

10.11.3 केन्द्रीयकृत अर्जन (Centralized Acquisition)

इस प्रकार की गतिविधि का संचालन एक केन्द्रीय पुस्तकालय के माध्यम से किया जाता है जिसमें अन्य पुस्तकालय केन्द्रीय पुस्तकालय की शाखाओं के रूप में संचालित होते हैं। इस तरह के तन्त्र में केन्द्रीय पुस्तकालय द्वारा ग्रन्थार्जन करके धन, श्रम और समय की पर्याप्त बचत की जा सकती है। भारत में दिल्ली पल्लिक लाइब्रेरी केन्द्रीय पुस्तकालय के रूप में संचालित होती है और उसके शाखा पुस्तकालय केन्द्रीय पुस्तकालय के अर्जित संसाधनों का उपयोग कर इस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे हैं।

10.11.4 सहकारी सूचीकरण

सहकारी सूचीकरण से तात्पर्य दो या अधिक स्वतन्त्र पुस्तकालयों द्वारा पारस्परिक लाभ के लिये सूची उत्पादन के कार्य में सहभागिता करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा विश्व के

अन्य देशों में सहकारी सूचीकरण और केन्द्रीयकृत सूचीकरण की कई योजनायें संचालित हो रही हैं। ग्रेट ब्रिटेन और यूरोप के अन्य देशों में प्रकाशन में सूचीकरण एवं मार्क परियोजनायें संचालित हो रही हैं। इनमें से कुछ मुख्य निम्नलिखित हैं:

- 1 लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस द्वारा प्रस्तुत सूचीपत्रक
- 2 एच. डब्ल्यू. विल्सन द्वारा प्रस्तुत सूचीपत्रक
- 3 मार्क परियोजना (MARC Project)
- 4 प्रकाशन में सूचीकरण (Cataloguing-in-Publication)
- 5 स्रोत पर सूचीकरण (Cataloguing-in-Source)

एच. ए. शार्प के अनुसार 'जब अनेक पुस्तकालय एक केन्द्रीय सूचीकरण विभाग की स्थापना एवं अनुरक्षण के व्यय अथवा कार्य में हाथ बंटाते हैं और केन्द्रीय सूचीकरण विभाग द्वारा सूचीकृत पुस्तकों की प्रविष्टियां निर्मित करने का कार्य से मुक्त होकर जो लाभ होता है उसका भोग करते हैं तो सहकारी सूचीकरण का सरल स्वरूप तब विद्यमान हुआ कहा जा सकता है'।

भारत में इस तरह की कोई भी योजना संचालित नहीं हो रही है। रंगनाथन ने इस दिशा में सन् 1950 में प्रयास अवश्य किये थे। विभिन्न पुस्तकालयों के पारस्परिक सहयोग से संघ सूची (Union Catalogue) का संकलन किया जा सकता है जो संसाधन सहभागीकरण के लिये एक आवश्यक एवं उपयोगी उपकरण है।

10.11.5 पाठ्य—सामग्री का अन्तर्पुस्तकालयीन निष्केप तथा विनिमय।

पुस्तकालयों में कुछ पाठ्य सामग्री इस तरह की आ जाती है जिसका उपयोग पुस्तकालय में उपयोगकर्ताओं द्वारा नहीं हो पाता है। ऐसी पाठ्य सामग्री को किसी ऐसे पुस्तकालय में भेज दिया जाये जहां उसका उपयोग होने की सम्भावना हो एवं पुस्तकालय विज्ञान के समस्त सूत्रों को सन्तुष्ट किया जा सके। इस प्रकार की गतिविधियों से किसी भी पुस्तकालय को कोई हानि नहीं होती है। अतः निष्केप और विनिमय द्वारा पारस्परिक सहयोग में बृद्धि होकर पाठ्य सामग्री के उपयोग की सम्भावनायें बढ़ती हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पुस्तकालयों में इस तरह की गतिविधियां संचालित हो रही हैं।

10.11.6 अन्तर्पुस्तकालयीन पाठक पत्रक उपयोग।

कुछ पुस्तकालयों ने प्रवासी पाठकों को उनके स्थानीय पुस्तकालयों द्वारा प्रदत्त पाठक पत्रकों पर पुस्तक इश्यू की सुविधा प्रदान करके पाठकों की सेवा करने और पुस्तकालय सहयोग में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस तरह की सेवा एवं सहयोग द्वारा उपयोगकर्ताओं को यात्राकाल में पठन—पाठन की सुविधायें प्राप्त हो जाती हैं।

10.11.7 पुस्तकालय कार्मिकों, संसाधनों का विनिमय एवं सहभागीकरण

पुस्तकालय कार्मिकों की कार्यक्षमता में अभिवृद्धि करना, उनके मध्य आपसी सहयोग एवं भाईचारे की भावना विकसित करना, समांगता में परिवर्तन लाने और उनके दृष्टिकोण में व्यापकता लाने के लिये अन्तरपुस्तकालयीन पुस्तकालय कार्मिकों का विनिमय भी ग्रन्थालयों के सुचारू रूप से संचालन में सहायक सिद्ध होता है। विशेषकर जहां संसाधनों की कमी है वहां इस तरह के सहभागीकरण की आवश्यकता अधिक होती है।

पुस्तकालय कार्मिकों का विनिमय निश्चित ही एक व्यय साध्य कार्यक्रम है। पुस्तकालय कार्मिकों के स्थानान्तरण में असुविधायें होना स्वाभाविक है लेकिन यह परिवर्तन विकास के लिये द्वार भी खोलता है। कार्य एवं परिस्थितियों में बदलाव से कुछ असुविधायें हो सकती हैं लेकिन पुस्तकालय तन्त्र में गुणात्मक सुधार होता है।

10.11.8 पुस्तकालय प्रचार – प्रसार में सहभागीकरण की उपयोगिता

आजकल प्रचार – प्रसार लगभग अधिकांश गतिविधियों के लिये महत्वपूर्ण एवं आवश्यक उपकरण माने जाने लगे हैं। पुस्तकालयों में भी प्रचार – प्रसार के महत्व को आवश्यक माना जा रहा है। यही कारण है कि पुस्तकालय विपणन जैसी विधियों को पुस्तकालय में स्थान दिया जा रहा है। पुस्तकालय प्रचार – प्रसार की रणनीतियां दो प्रकार से कार्य कर सकती हैं पहली व्यक्तिगत और दूसरी सामूहिक। सामूहिक प्रचार – प्रसार में विभिन्न पुस्तकालय आपसी सहयोग के माध्यम से व्यापक स्तर पर प्रचार – प्रसार कर सकते हैं। इस रणनीति के तहत प्रत्येक पुस्तकालय का खर्च भी कम से कम होगा।

10.11.9 अन्तरपुस्तकालयीन आदान–प्रदान के उपकरण

ग्रन्थ–सन्दर्भ सूचियां, संघ सूचियां, अनुक्रमणीकरण इत्यादि अन्तरपुस्तकालयीन आदान–प्रदान के उपकरण माने जाते हैं। अन्तरपुस्तकालयीन आदान–प्रदान के संचालन हेतु इस तरह के उपकरणों का निर्माण करना आवश्यक है। इन उपकरणों के माध्यम से विभिन्न पुस्तकालयों में वांछित पाठ्यसामग्री के स्थान का निर्धारण किया जाता है। सामान्यतौर पर इन उपकरणों का निर्माण भी सहकारिता के आधार पर किया जाता है। कुछ प्रमुख उपकरणों के विवरण निम्नलिखित हैं :

- 1 अन्तरपुस्तकालयीन आदान–प्रदान के लिये ग्रन्थ–सन्दर्भ सूचियों की आवश्यकता होती है क्योंकि ग्रन्थ–सन्दर्भ सूचियां पुस्तकालय में उपलब्ध ग्रन्थों के बारे में जानकारी प्रदान करती हैं। इन ग्रन्थ–सन्दर्भ सूचियों को उनके गुणों के आधार पर राष्ट्रीय, क्षेत्रीय या किसी विशिष्टता के आधार पर नामकरण किया जा सकता है जैसे कि भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थसूची (Indian National Bibliography), ब्रिटिश राष्ट्रीय ग्रन्थसूची (British National Bibliography) इत्यादि ।

2 अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान कार्यक्रम की सफलता संघ सूचियों की उपलब्धता पर निर्भर होती है। संघ सूचियां परिपूर्ण, सर्वव्यापी और विश्वसनीय होना चाहिये। इसके लिये पुस्तकालयों के नेटवर्क का गठन किया जाता है। कुछ पुस्तकालय अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान पर बहुत अधिक आश्रित होते हैं और ग्रन्थ अर्जन के लिये अपनी जवाबदेही का निर्वहन अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। जिसके कारण कभी कभी वांछित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। संघ सूची का तात्पर्य किसी क्षेत्र में विभिन्न पुस्तकालयों के पुस्तकों की सम्मिलित सूची है। संघ सूची का निर्माण भी सहकारिता के आधार पर ही किया जाता है। डॉ. एस. आर. रंगनाथन ने संघ सूची की परिभाषा निम्नानुसार की है –

- दो या दो से अधिक पुस्तकालयों के ग्रन्थों की सूची जिनमें उन समस्त पुस्तकालयों के नाम दिये गये हों जहां उन ग्रन्थों की प्रतियां प्राप्त की जा सके।
- एक संघ सूची में सभी तरह की पाठ्य सामग्री शामिल की जा सकती है अथवा एक प्रकार की पाठ्य सामग्री तक सीमित किया जा सकता है।

10.11.10 अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान गतिविधियां

विभिन्न पुस्तकालयों में संसाधन सहभागीकरण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण, उपयोगी और व्यवहारिक स्वरूप अन्तर पुस्तकालयीन आदान—प्रदान माना जाता है। यहां तक कि अन्तर पुस्तकालयीन आदान—प्रदान को पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण का पर्याय भी माना जाता है। अन्तर पुस्तकालयीन आदान—प्रदान से तात्पर्य यह है कि विभिन्न पुस्तकालयों द्वारा उपयोगकर्ताओं के उपयोग के लिये आपस में ग्रन्थों का आदान—प्रदान करना। अब पुस्तकालय तन्त्र स्थापित करने पर जोर दिया जाता है। पुस्तकालय तन्त्र से तात्पर्य पुस्तकालयों का नेटवर्क जिसमें विभिन्न पुस्तकालय परस्पर सम्बद्ध रहते हैं न कि अलग—अलग।

10.11.11 अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान हेतु पूर्व अपेक्षित अनिवार्यताये (Prerequisite for Inter Library Loan)

अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान हेतु विभिन्न पुस्तकालयों की परस्पर सहमति आवश्यक है। भारत में इस प्रकार की सहमति का सर्वथा अभाव पाया जाता है। पुस्तकालयों द्वारा सामान्यतः कीमती और अप्राप्य ग्रन्थों को अपने पुस्तकालय से बाहर भेजने के लिये सहमत नहीं होते हैं। इस तरह की स्थितियां निर्मित होने पर छायाप्रति या माइक्रोफिल्म भेजने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान हेतु सर्वमान्य नियमों के निर्माण की दूसरी आवश्यकता है। इन नियमों के द्वारा अन्तरपुस्तकालयीन आदान—प्रदान हेतु दोनों के लिये पुस्तकालयों के उत्तरदायित्व और कर्तव्य सुनिश्चित होते हैं। उदाहरण के तौर पर पुस्तक भेजने एवं वापस मंगाने के लिये डाक व्यय कौन सा पुस्तकालय वहन करेगा। पुस्तक की सुरक्षा के लिये किसका उत्तरदायित्व होगा? इत्यादि। भारतीय पुस्तकालय संघ एवं आइसलिक द्वारा

इस तरह के नियमों का निर्माण किया जाता है। सरकार द्वारा अन्तर्रपुस्तकालयीन आदान-प्रदान हेतु पर्याप्त सुविधायें प्रदान करना चाहिये। उदाहरण के लिये – डाक व्यय में रियायत देना।

पुस्तकालय में पर्याप्त कर्मचारियों की नियुक्ति करना चाहिये एवं छायाप्रति एवं माइक्रोफिल्म निर्माण के लिये आवश्यक उपकरणों का प्रबन्ध करना चाहिये।

संघ प्रसूची की व्यवस्था करना चाहिये जिससे पुस्तक का विवरण मिलने के साथ साथ यह जानकारी प्राप्त हो सके कि वांछित पाठ्य सामग्री किस पुस्तकालय में उपलब्ध है।

10.11.12 अन्तर्रपुस्तकालयीन आदान-प्रदान की आवश्यकता

सीमित संसाधनों, पाठ्य सामग्रियों का सर्वाधिक उपयोग तथा उपयोगकर्ताओं की मांग को पूर्णतः सन्तुष्ट करने का प्रयास अन्तर्रपुस्तकालयीन आदान-प्रदान की आवश्यकताओं को जन्म देता है। पुस्तकों या प्रलेखों की दुर्लभता एवं अप्राप्यता भी अन्तर्रपुस्तकालयीन आदान-प्रदान की प्रक्रिया के लिये आवश्यक कारण हो सकते हैं। इसीलिये अन्तर्रपुस्तकालयीन आदान-प्रदान की आवश्यकता वैज्ञानिक, तकनीकी एवं अनुसंधान पुस्तकालयों में सर्वाधिक होती है।

10.12 पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण एवं नेटवर्क

भारत में संसाधन सहभागीकरण के लिये क्षेत्रीय समूहों के गठन का प्रावधान किया गया है। इस तरह के क्षेत्रीय सहकारी समूह का गठन सन् 1963 में चण्डीगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और काश्मीर के विश्वविद्यालयों के पुस्तकालयों में ग्रन्थालयीयों द्वारा किया गया है। महाराष्ट्र के मुम्बई शहर में इस तरह का एक संघ ‘बॉम्बे साइन्टिफिक लाइब्रेरियन्स एसोसियेशन’ के नाम से संचालित हो रहा है। इन्सडॉक द्वारा वैज्ञानिक आनुक्रमिक प्रकाशनों की संघ सूचियों का संकलन किया गया है।

नासडॉक द्वारा इन्टर लाइब्रेरी रिसोर्स सेन्टर की स्थापना सन् 1973 में की गई थी। इसे आईसीएसएसआर एवं जेएनयू के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। नासडॉक द्वारा समाज विज्ञान के क्षेत्र में सामयिक प्रकाशनों की संघ सूचियों का संकलन किया गया है।

भारत में नेटवर्क का उद्देश्य संसाधनों का सहभागीकरण है। स्थानीय नेटवर्क एवं व्यापक नेटवर्क के माध्यम से संसाधनों के सहभागीकरण हेतु भारत में निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उदाहरण के लिये भारत में स्थापित इण्डोनेट (INDONET), निकनेट (National Informatics Network- NICNET), अरनेट (Education and Research Community Network -ERNET), सरनेट (Science and Industry Research Network -SIRNET),

इन्फिलबनेट (Information and Library Network-INFLIBNET), डेलनेट (Delhi Library Network-DELNET) इत्यादि।

इसके अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को, इफला, एफ. आई. डी. इत्यादि संगठनों द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। यूनीवर्सल एवलेबिलिटी ऑफ पब्लिकेशन्स इफला का एक ऐसा ही कार्यक्रम है।

10.13 कम्प्यूटराइज्ड लाइब्रेरी नेटवर्क्स

पुस्तकालय के स्वचालीकरण एवं नेटवर्किंग ने संसाधन सहभागीकरण योजनाओं को एक नई दिशा प्रदान की है क्योंकि कोई भी मेनप्रोम कम्प्यूटर अधिक से अधिक संख्या में पुस्तकालयों को आपस में पारस्परिक रूप से जोड़ सकता है। एक बार कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूरा हो जाने के बाद कोई भी पुस्तकालय दूसरे पुस्तकालय में उपलब्ध जानकारी प्राप्त कर सकता है इससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि ग्रन्थ निधानियों पर उपलब्ध है या नहीं। इससे प्रलेखों से जुड़ी समस्त जानकारियां ज्ञात हो जाती हैं। प्रलेखीय और बिल्योग्राफिकल अभिलेखों को नियन्त्रित करने के लिये कम्प्यूटराइज्ड निकाय को विकसित करने की आवश्यकता होती है। अतः सहभागीकरण हेतु कम्प्यूटराइज्ड लाइब्रेरी नेटवर्क्स का होना आवश्यक है।

विभिन्न पुस्तकालयों के मध्य कम्प्यूटरीकृत नेटवर्क की स्थापना हेतु स्टार नेटवर्क टेक्नालॉजी अधिक उपादेय होती है। बिना कम्प्यूटरीकरण के भी पुस्तकालय इस नेटवर्क व्यवस्था में कार्य कर सकते हैं। स्टार नेटवर्क की अतिरिक्त संसाधन साझेदारी हेतु वितरित नेटवर्क व्यवस्था भी उपयोगी हो सकती है।

एलेन केन्ट ने पुस्तकालयों के मध्य साझेदारी को प्रोत्साहन प्रदान करने हेतु कम्प्यूटर नेटवर्क की एक नवीन व्यवस्था की संरचना प्रस्तुत की थी जिसे उन्होंने स्कीमा (Schema) नाम दिया था। इसमें दो या अधिक ग्रन्थालय शामिल हो सकते हैं जिनमें दो अलग-अलग कम्प्यूटर टर्मिनल होते हैं। एक उपयोगकर्ताओं के लिये तथा दूसरा ग्रन्थालयीयों के लिये। इस प्रकार के नेटवर्क में संघ प्रसूची डेटाबेस के रूप में तैयार की जाती है तथा कोई भी उपयोक्ता इस डेटाबेस का उपयोग कर सकता है।

10.14 अभ्यास प्रश्न

1. सामान्यतया अन्तर पुस्तकालयीन आदान-प्रदान प्रक्रिया को पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण या पुस्तकालय सहयोग का —————— माना जाता है।
2. इन्फार्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क का संक्षिप्त नाम —————— है।
3. जी. जेफर्सन के अनुसार 'सहकारी ग्रन्थार्जन' का पूरक अर्थात् कुछ पुस्तकालयों द्वारा सामग्री का युक्तिसंगत अर्जन करना —————— है।
4. —————— के अनुसार 'सहकारी ग्रन्थार्जन' का पूरक अर्थात् कुछ पुस्तकालयों द्वारा सामग्री का युक्तिसंगत अर्जन करना सहकारी भण्डारण है।

10.15 सारांश

ग्रन्थालयीनता के इतिहास और व्यवहार में पुस्तकालय सहयोग एक नई अवधारणा नहीं है। इस इकाई में पुस्तकालय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में अन्तर-पुस्तकालय ऋण सेवा, दस्तावेजों की फोटोकॉपी और सामग्री के आदान-प्रदान पर चर्चा की गयी है। संचार नेटवर्क की कमी के कारण और अपर्याप्त सामग्री भी ग्रन्थालय सहयोग की समस्याएं के लिये उजागर किये गये हैं। विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में सहयोग के स्तर में सुधार की आवश्यकता है।

संसाधन सहभागीकरण के अनेक स्वरूपों का वर्णन इस इकाई में किया गया है। संसाधन सहभागीकरण की अत्याधुनिक अवधारणा पुस्तकालयों की नेटवर्किंग पर आधारित है। किसी भी पुस्तकालय के लिये सहकारी कार्यक्रम सफल बनाने हेतु उसमें शामिल होने वाले सभी पुस्तकालयों के हित निहित होना चाहिये। इस तरह की योजनायें काफी हद तक पुस्तकालयाध्यक्षों के सहयोग करने की इच्छा पर निर्भर रहती हैं। अतः इस तरह के कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिये पुस्तकालयाध्यक्षों में योजना के लिये रूचि, कौशल तथा अद्यतन ज्ञान का होना आवश्यक है।

पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के लिये पुस्तकालय विज्ञान के अधिकांश सूत्रों की सन्तुष्टि होना अति आवश्यक है, उदाहरण के लिये पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र जैसे – प्रत्येक पाठक को उसकी वांछित पाठ्य सामग्री मिले तथा प्रत्येक ग्रन्थ को उसका अभीष्ट पाठक मिले, ग्रन्थ उपयोग के लिये हैं इत्यादि।

सहकारी संग्रहण विकास सहयोग के सबसे पुराने रूपों में से एक है, इसमें पुस्तकालयों के बीच उद्देश्य काफी स्पष्ट होते हैं। राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन सहभागीकरण के लिये अनेक योजनायें संचालित हो रही हैं। भारत में सर्वाधिक व्यापक और उल्लेखनीय योजनाओं का संचालन इन्पिलबनेट के माध्यम से किया जा रहा है। कन्सोसिया के माध्यम से अनुसंधान संगठनों, विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में नवीनतम आवधिक प्रकाशनों एवं रिसर्च जर्नल्स को उपलब्ध कराने की योजना इस दिशा में एक सार्थक पहल है।

10.16 शब्दावली

| | |
|-----------------|------------------|
| सहभागिता | Participation |
| सहयोग | Cooperation |
| संसाधन साझेदारी | Resource Sharing |
| निरसन | Weeding |
| पुस्तक खत्ती | Book Bin |
| पुस्तक आगार | Book Reservoir |
| निक्षेप | Deposit |

| | |
|---------------|--------------|
| विनिमय | Exchange |
| समांगता | Monotony |
| पुस्तक निर्गम | Book Issue |
| अप्राप्य | Out of Print |

10.17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. समानार्थी या पर्याय
2. इन्फिलबनेट
3. सहकारी भण्डारण
4. जी. जेफर्सन

10.18 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

- 1 अग्रवाल, श्यामसुन्दर, पुस्तकालय तथा समाज, जयपुर, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, 1994।
- 2 केन्ट, ऐलेन, एडिटर, रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरीज, 1974।
- 3 कृष्ण कुमार, लाइब्रेरी आर्गनाइजेशन, 1993।

10.19 उपयोगी पुस्तकें

- 1 अग्रवाल, श्यामसुन्दर, पुस्तकालय तथा समाज, जयपुर, आर.बी.एस.ए. पब्लिशर्स, 1994।
- 2 केन्ट, ऐलेन, एडिटर, रिसोर्स शेयरिंग इन लाइब्रेरीज, 1974।
- 3 कृष्ण कुमार, लाइब्रेरी आर्गनाइजेशन, 1993।
- 4 महाजन, एस. जी. रिसोर्स शेयरिंग एण्ड नेटवर्किंग ऑफ लाइब्रेरीज इन इण्डिया: यूनीवर्सिटी न्यूज 30(35), 1992।

10.20 निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 भारतीय सन्दर्भ में पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण नेटवर्क की विस्तार से चर्चा करें।
- 2 पुस्तकालयों में संसाधन साझेदारी की आवश्यकता क्यों होती है? समझाइये।
- 3 पुस्तकालयों में संसाधन साझेदारी के लिये पूर्व अपेक्षायें क्या हैं? समझाइये।
- 4 पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण से आप क्या समझते हो? भारत के सन्दर्भ में इसकी आवश्यकता और उपयोगिता का वर्णन कीजिये।
- 5 पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण की अवधारणा समझाइये।
- 6 पुस्तकालय संसाधन सहभागीकरण के विभिन्न स्वरूपों की चर्चा कीजिये।
- 7 विभिन्न स्तरों पर पुस्तकालय किस प्रकार से अपने संसाधनों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

इकाई (UNIT) –11 पुस्तकालय विस्तार कार्य (Library Extension Work)

- 11.1 प्रस्तावना
- 11.2 उद्देश्य
- 11.3 पुस्तकालय विस्तार कार्य की परिभाषा
- 11.3 पुस्तकालय विस्तार कार्य
- 11.4 पुस्तकालय विस्तार कार्य की आवश्यकता
- 11.5 पुस्तकालय विस्तार कार्य के सिद्धान्त
- 11.6 पुस्तकालय विस्तार कार्य के कारक
 - 11.6.1 नागरिकों के अधिकार
 - 11.6.2 संभावित पाठकों की सीमाएं
 - 11.6.3 डॉ. रंगनाथन के दूसरे तथा तीसरे नियमों की मांग
 - 11.6.4 पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है
- 11.7 पुस्तकालय विस्तार कार्य के उद्देश्य
- 11.8 पुस्तकालय विस्तार कार्य के स्वरूप
 - 11.8.1 आन्तरिक विस्तार सेवा
 - 11.8.2 बाहरी विस्तार सेवा
- 11.9 पुस्तकालय विस्तार कार्य के कार्यक्रम/प्रोग्राम
 - 11.9.1 शाखा/ब्रांच पुस्तकालय
 - 11.9.2 चल पुस्तकालय
 - 11.9.3 डाक एवं टेलीफोन द्वारा पुस्तकालय सेवा
 - 11.9.4 पुस्तक प्रदर्शनियां लगाना
 - 11.9.5 नाटक, फ़िल्म
 - 11.9.6 अन्य
- 11.10 नवीन तकनीक एवं पुस्तकालय विस्तार कार्य
- 11.11 भारत में पुस्तकालय विस्तार कार्य
- 11.12 पुस्तकालय विस्तार कार्य की समस्याएं
- 11.13 अभ्यास प्रश्न
- 11.14 सारांश
- 11.15 शब्दावली
- 11.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
- 11.17 सन्दर्भ ग्रन्थसूची
- 11.18 उपयोगी पुस्तकें
- 11.19 निबन्धात्मक प्रश्न

11.1 प्रस्तावना (Introduction)

पुस्तकालय विस्तार कार्य का संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैण्ड में किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य दुर्गम स्थानों पर पाद्य सामग्री पहुंचाना अर्थात् जिस जगह से पाठक पुस्तकालय आने में सक्षम न हों। पुस्तकालय विस्तार कार्य को पुस्तकालय प्रसार कार्य या पुस्तकालय प्रसारण कार्य भी कहते हैं। विस्तार कार्य का सम्पादन अनेक सार्वजनिक विभागों में भी किया जाता है। जब यह प्रसारण कार्य पुस्तकालय में पाठकों के लिये किया जाता है तो इसे पुस्तकालय प्रसार सेवाओं की संज्ञा प्रदान की जाती है। वर्तमान समय में कई संस्थाओं, संगठनों के कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, बैंक, पोस्ट-आफिस इत्यादि में विस्तार कार्य आवश्यक हो गये हैं। वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के कारण विस्तार कार्य किसी भी संस्था के लिये अनिवार्यता बन गये हैं। आज के युग में कम्प्यूटर तकनीकों का उपयोग करते हुये अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम जानकारी प्राप्त करने के लिये अद्यतन रहना जरूरी है जो पुस्तकालय विस्तार कार्य के अभाव में कठिन है।

पुस्तकालयाध्यक्षों के प्रयासों से अलग-अलग प्रकार के पुस्तकालयों में विस्तार कार्य का सम्पादन किया गया जिसके परिणामस्वरूप पुस्तकालयों की प्रसारण सेवाओं का विकास हुआ है। इन सेवाओं के संचालन का आरम्भ इंग्लैण्ड और अमेरिका के पुस्तकालयों से हुआ है। इन देशों ने पुस्तकालय प्रसारण सेवा को ग्रामीण क्षेत्रों में भी घर-घर तक पहुंचाने का प्रयास किया है। भारत में भी यह अवधारणा तेजी से विकसित हुई। भारत में इस तरह के विस्तार कार्यों का संचालन पंजाब में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय और धारवाड़ में कर्नाटक विश्वविद्यालय द्वारा प्रसारण सेवा प्रदान करके किया जाता है। पुस्तकालयों में विस्तार कार्य के लिए विशेष विभाग भी स्थापित किए गए हैं ताकि सुदूर अंचलों तक पुस्तकालय की समुचित पाद्यसामग्री को वांछित पाठक तक पहुंचाया जा सके।

11.2 उद्देश्य- (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

- 1 पुस्तकालय विस्तार कार्य की परिभाषा एवं उसके अर्थ को समझ सकेंगे।
- 2 पुस्तकालय विस्तार कार्य के सिद्धान्त की रूपरेखा विकसित कर सकेंगे।
- 3 पुस्तकालय विस्तार कार्य की नवीन तकनीक से अवगत हो सकेंगे।
- 4 पुस्तकालय विस्तार कार्य के विभिन्न कारकों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- 5 पुस्तकालय विस्तार कार्य के विभिन्न प्रारूपों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

11.3 पुस्तकालय विस्तार कार्य की परिभाषा

पुस्तकालय विस्तार कार्य पुस्तकालय की पुस्तकें, पढ़ने योग्य सामग्री और सूचना संसाधनों को उन पाठकों तक पहुंचाने का तरीका है, जो दुर्गम स्थानों में रहते हैं अथवा वे पाठक जो पुस्तकालय के आसपास होते हैं परन्तु किसी कारणवश पुस्तकालय का उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में पुस्तकालय के उपयोग में अभिवृद्धि का तरीका है।

पुस्तकालय विस्तार कार्य वह क्रियाएं हैं जिनके द्वारा पाठकों की संख्या एवं पुस्तकालय कार्यों में बढ़ोतरी होती है। एल. आर. मेकॉलविन (L.R. McColvin) के अनुसार, 'पुस्तकालय द्वारा पाठ्य सामग्री व सेवाएं ऐसे व्यक्तियों एवं संगठनों को प्रदान करना जो कि सामान्यतया पुस्तकालय की सेवाओं के अन्तर्गत नहीं आते हैं', इसके अतिरिक्त पुस्तकालय विस्तार कार्य में सभी ऐसी कोशिशें हैं जिनके द्वारा कार्य का अधिक से अधिक विस्तार होता है और पुस्तकालय लोगों तक पहुंचाता है।

जानकारी के अभाव में किसी भी व्यक्ति या संस्था का विकास सम्भव नहीं है। पुस्तकालय का विकास तभी हो सकता है जब पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री का अधिकतम उपयोग हो। सूचना पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार होता है और पढ़ाई करना जन्मसिद्ध अधिकार है। इस तथ्य के महेनजर पुस्तकालय में विस्तार कार्य आवश्यक हो जाता है।

11.4 पुस्तकालय विस्तार कार्य की आवश्यकता

पुस्तकालय विस्तार कार्य का मुख्य उद्देश्य पुस्तकालय प्रसारण सेवा उन लोगों को प्रदान की जाए जिनको केन्द्रीय पुस्तकालय तक पहुंचने में कठिनाइयां आती हैं। ग्रामीण, जेल कैदी, रोगी एवं दुर्गम स्थानों पर रहने वाले पाठकों को भी पाठ्य सामग्री की आवश्यकता होती है लेकिन पहुंच के अभाव में वे पाठ्य सामग्री का उपयोग नहीं कर पाते हैं। डॉ. रंगनाथन के पुस्तकालय विज्ञान के पांच सूत्रों में से एक कि 'प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले' को सन्तुष्ट करने के लिये पुस्तकालय को पाठक के पास जाना ही होगा। शिक्षा एवं सूचना सेवाएं यदि पहुंच से दूर हों तो उनका प्रयोग या तो बहुत कम होता है या नहीं हो पाता है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक मानव को पुस्तक पढ़ने और सूचना लेने का अधिकार है। पुस्तकालय के सिद्धान्तों की यह महत्वपूर्ण मांग होती है। इसलिए पाठकों के इन मानवीय और आर्थिक पक्षों की ओर देखते हुए, प्रसारण कार्य की, प्रत्येक प्रकार के पुस्तकालयों में (जैसे कि शैक्षणिक, सार्वजनिक एवं विद्यालय में) आवश्यकता है। परन्तु यह कार्य अधिकतर सार्वजनिक पुस्तकालय में ही होता है।

11.5 पुस्तकालय विस्तार कार्य के सिद्धान्त

पुस्तकालय प्रसारण कार्य की योजना बनाने से पूर्व एल. आर. मेकॉलविन के सिद्धान्तों को ध्यान रखना आवश्यक है—

1. प्रत्येक पुस्तकालय सेवा केन्द्र में पुस्तकों और अन्य पाठ्य सामग्री का उचित संग्रह हो।
2. पाठकों की निजी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष पठन सामग्री प्रदान करनी चाहिए।
3. इस क्षेत्र में ऐसे कर्मचारी भर्ती किये जाने चाहिए जो योग्य, कुशल एवं विद्वान हों और जिनका झुकाव लोक सेवा की तरफ हो।
4. प्रत्येक पाठक को प्रत्येक पुस्तकालय सेवा केन्द्र में आवश्यक सूचना एवं सेवा प्रदान करनी चाहिए और मौजूदा सेवा को सुयोग्य बनाने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए।
5. सभी प्रकारों के पुस्तकालयों में तकनीकी और पाठक सेवा उचित प्रकार की होनी चाहिए।

11.6 पुस्तकालय विस्तार कार्य के कारक

पुस्तकालय में प्रसारण कार्य की आवश्यकता को अनेक घटक निर्धारित करते हैं। इनमें से कुछ निम्नलिखित हैं—

- 1 नागरिकों के अधिकार
- 2 संभावित पाठकों की सीमाएं
- 3 डॉ. रंगनाथन के दूसरे तथा तीसरे नियमों की मांग
- 4 पुस्तकालय एक सामाजिक केन्द्र/संस्था है

1. नागरिकों के अधिकार

सार्वजनिक पुस्तकालयों को अनुदान अथवा लोक वित्त अन्य रूपों से प्राप्त होता है जो पुस्तकों की खरीद, कर्मचारियों का वेतन, पुस्तकालय का अनुरक्षण इत्यादि में व्यय किया जाता है। इसलिए डॉ. रंगनाथन ने सार्वजनिक पुस्तकालय को समाज के लिए समाज द्वारा चलाई जाने वाली सामाजिक संस्था कहा है। प्रत्येक नागरिक का यह अधिकार है कि वह सूचना तथा पाठ्य सामग्री पुस्तकालय से ले सके। यदि कुछ कारणवश कुछ नागरिक पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते हैं तो पुस्तकालय का यह नैतिक धर्म है कि वह अपनी सेवाओं को उन तक पहुंचाए।

2. संभावित पाठकों की सीमाएं

कुछ या अनेक नागरिक किसी कारणवश पुस्तकालयों तक नहीं पहुंच पाते और पाठक नहीं बन सकते। ऐसे लोगों/संभावित पाठकों को संपर्क और प्रचार क्रियाओं द्वारा पाठक बनाया जा सकता है। कुछ पाठकों की अन्य मुश्किलें होती हैं जिसके कारण वे पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाते, जैसे — स्त्रियां, वृद्ध, रोगी, नेत्रहीन, अपंग कैदी। समाज का यह ऐसा वर्ग

है जो चाहते हुए भी पुस्तकालय तक नहीं पहुंच पाता, इसलिए प्रसारण सेवा की सहायता से पुस्तकालय को लोगों के घरों तक लेकर जाना आवश्यक है।

3. दूसरे और तीसरे नियमों की मांग

पुस्तकालय विज्ञान के प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, यह नारा दूसरे नियम का है। यह कहा जाता है कि पुस्तकों मनुष्य की सर्वोत्तम मित्र है। इसलिए हर एक आदमी को ऐसे मित्रों की आवश्यकता है। प्रसार सेवा यह काम बखूबी कर सकती है। पुस्तकों की सार्थकता तभी होती है जब, उनको पाठक मिलें। तीसरे नियम का कथन है कि "प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले"। पुस्तकों पाठक तक स्वयं नहीं पहुंच सकती हैं। इसलिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिस द्वारा पुस्तकों को उन तक पहुंचाया जा सके। प्रसारण सेवा द्वारा पुस्तकों को पाठकों के पास लाया जा सकता है।

4. पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है

पुस्तकालय एक सामाजिक संस्था है। सार्वजनिक पुस्तकालय समाज को मनोरंजक तथा ज्ञान वर्धक साहित्य उपलब्ध करवाता है तथा कई प्रसार सेवाओं/कार्यों द्वारा समाज की बौद्धिक, साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से अपने आपको जोड़े रखता है। इसलिए यह विकसित और विकासशील देशों में अपने आपको समाज का अभिन्न अंग बना चुका है।

11.7 पुस्तकालय विस्तार कार्य के उद्देश्य

किसी भी पुस्तकालय में विस्तार सेवा निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए चलाई जाती है—

1. पुस्तकों एवं सूचना को लोगों तक पहुंचाना।
2. पुस्तकालय को सामाजिक केन्द्र बनाना।
3. उन नागरिकों अथवा सम्भावित पाठकों को सूचना एवं पाठ्य सामग्री देना जो पुस्तकालय सेवा का प्रयोग नहीं करते या पुस्तकालय आने में असमर्थ हैं तथा उन्हें पुस्तकालय की ओर आकर्षित करना।
4. उन नागरिकों को पुस्तकालय के विषय में बताना जो उसका पूरा प्रयोग नहीं करते हों और जिनको पुस्तकालय की सभी गतिविधियों का ज्ञान न हो।
5. पाठकों को पुस्तकालय साधनों व विषय में सूचना देना।
6. पाठकों को उन सभी सुविधाओं के विषय में जानकारी देना जो पुस्तकालय प्रदान कर रहे हैं जैसे कि –
 - (i) पाठक सलाह सेवा
 - (ii) प्रदर्शनियां
 - (iii) पुस्तक सूचियां

- (iv) साक्षरता, नवसाक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा तथा शिक्षा को बढ़ाने में सहायता करना।
- (v) पुस्तक पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना।
- (vi) स्थानीय सरकारों को पुस्तकालय से सम्बन्धित क्रियाओं को चलाने में सहायता देना।

11.8 पुस्तकालय विस्तार कार्य के प्रारूप

पुस्तकालय विस्तार कार्य के मुख्य प्रारूप दो हैं –

(i) आन्तरिक पुस्तकालय विस्तार कार्य

इस कार्य में पुस्तकालय के साधारण काम का विस्तार करना होता है। पुस्तकों की व्यवस्था और संदर्भ सेवा की उपलब्धि इत्यादि और अन्य सम्बन्धित सेवाओं जैसे – भाषण, फ़िल्में, पुस्तक प्रदर्शनियां, बच्चों एवं बूढ़ों के लिए संगीत और नाटक क्रियाएं आदि आन्तरिक विस्तार कार्य के घेरे में आती हैं।

महाविद्यालय, विद्यालय, संस्थाएं तथा सरकार पुस्तकालय क्षेत्र विकास के लिए प्रसारण प्रोग्राम चुन सकती है। जैसा कर्नाटक विश्वविद्यालय ने कुछ गांवों के पुस्तकालय को सेवा देने के लिए अपनाया है। ऐसे ही सार्वजनिक पुस्तकालय अपने नजदीक के स्कूल और कॉलेज पुस्तकालय के लिए विस्तार सेवाओं का काम कर सकते हैं। संस्थाएं और सरकारें भी इसमें योगदान दे सकती हैं, तभी भारत का साक्षरता का सपना पूरा हो सकता है। साक्षरता की सार्थकता पाठ्य सामग्री को घर-घर पहुंचाना है और विस्तार सेवा इसमें अहम भूमिका निभा सकती है।

(ii) बाह्यपुस्तकालय विस्तार कार्य

पुस्तकालय की बाहरी विस्तार कार्य का अर्थ है कि पुस्तकालय की सेवा को दुर्गम स्थानों पर पहुंचा कर समाज के सदस्यों को पाठ्य सामग्री देना। देश के प्रत्येक नागरिक तक पुस्तकालय सेवा पहुंचाने के लिए संगठित पुस्तकालय सेवा की आवश्यकता है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर, शहरों तथा गांवों में पुस्तकालय होने चाहिए। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय एवं सूचना नीति इसकी वकालत करता है।

पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत राजीव गांधी फाउंडेशन द्वारा गांवों में ग्रामीण पुस्तकालय खोलने का विचार किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण निवासियों को सुलभता से पुस्तकें प्राप्त हो सकें और इससे उनकी साक्षरता में वृद्धि हो सके।

11.9 पुस्तकालय विस्तार कार्य के कार्यक्रम/प्रोग्राम

11.9.1 शाखा/ब्रांच पुस्तकालय

सार्वजनिक और अन्य प्रकार के पुस्तकालयों की शाखाओं के माध्यम से लोगों के पास सेवाएं पहुंचायी जा सकती हैं। कुछ स्थानों पर सेवा केन्द्र खोले जा सकते हैं। प्रमुख पुस्तकालय केन्द्र बिन्दु होता है। 25 से 50 हजार या अधिक जनसंख्या के लिए शाखा पुस्तकालय खोला जाता है। शाखा/उपशाखा पुस्तकालय एक या अधिक हो सकते हैं या आवश्यकता अनुसार उनका नेटवर्क हो सकता है। इसके कई लाभ हैं। पुस्तकालय सेवा लोगों को नजदीक मिल जाती है जिससे उनका उपयोग अच्छा होता है। पुस्तकों के तकनीकी कार्य मुख्य पुस्तकालय में किए जा सकते हैं। पुस्तकालय सेवा को चलाने के लिए कुछ कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। विशेष वर्ग के पाठक जैसे महिलाएं एवं बच्चे, अस्पताल, जेल, फैक्ट्री, मिलिट्री छावनी के लिए सेवा केन्द्र खोले जा सकते हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय तथा विशेष पुस्तकालय आवश्यकता अनुसार और पाठकों की सुविधा के लिए प्रसार पुस्तकालय सेवाएं देते हैं।

11.9.2 चल पुस्तकालय

पुस्तकालय विस्तार सेवा उन स्थानों पर पहुंचाना भी आवश्यक है, जहां शाखा/ब्रांच पुस्तकालय खोलने की आशा न हो। ऐसे स्थानों पर पुस्तकालय सेवा चल पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध करवाई जा सकती है। यह विधि सबसे प्रभावशाली है। इस प्रकार कम खर्च द्वारा उत्तम पुस्तकालय सेवा दी जा सकती है। चल पुस्तकालय साइकिल, रिक्शा, ट्रैक्टर, ट्रॉली, गाड़ी, मोटर, तांगे, खच्चर एवं अश्वों, नौका इत्यादि की सहायता से चलाए जाते हैं, जिनमें पुस्तकों भरकर अलग—अलग क्षेत्रों और इलाकों में भेजी जाती हैं कई जगह विशेष वैन भी बनवाई जाती है। यह पुस्तकालय सार दिन घूमता रहता है और रात को अपने स्थान पर वापस पहुंचता है। चल पुस्तकालयों का समय एवं स्थान पहले से निश्चित किया जाता है। ये पुस्तकें लेन—देन के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी देते हैं।

11.9.3 डाक एवं टेलीफोन द्वारा पुस्तकालय सेवा

विस्तार सेवा, दुर्गम स्थानों में रहने वाले नागरिक एवं ग्रामीण जनसंख्या के लिए भी दी जाती है, उनका पुस्तकालयों से सम्पर्क करवा कर पुस्तकों एवं अन्य सूचना सम्बन्धी प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। भारत में भी डाक एवं टेलीफोन सेवा उपलब्ध है। इसलिए पुस्तकालय विस्तार सेवा इनके उचित प्रयोग से सफल बनाई जा सकती है। अमेरिका तथा कई देशों में नेत्रहीनों, अपंग, महिलाओं और कई वर्गों के लिए ऐसी विस्तार सेवाएं दी जाती हैं। पुस्तक, पाठ्य सामग्री या संदर्भ सेवा टेलीफोन द्वारा ली जा सकती है।

11.9.4 पुस्तक प्रदर्शनियां लगाना

पुस्तकालय समय—समय पर पुस्तक प्रदर्शनियां लगाते हैं। इन क्रियाओं के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग आवश्यक है। नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन किसी विषय विशेष घटना,

किसी विशेष व्यक्ति या त्यौहार से सम्बन्धित पुस्तकों का प्रदर्शन आदि को सम्मुख रख कर पुस्तक प्रदर्शनियां लगाकर विस्तार सेवा के प्रोग्राम चलाए जाते हैं।

11.9.5 नाटक, फ़िल्म

नाटकों एवं फ़िल्मों इत्यादि के प्रदर्शन भी पुस्तकालय की पाठ्य सामग्री को इसके पाठकों तक पहुँचाने में योगदान देते हैं।

11.9.6 अन्य

डॉ. एस. आर. रंगानाथन ने अपने तीसरे नियम में विस्तार सेवा विधियां इस प्रकार बताई हैं—

1. अनपढ़ को पढ़ाना।
2. पुस्तक का स्थानीय या लोगों की भाषा में अनुवाद करवाना।
3. अध्ययन गोष्ठी।
4. बुद्धिजीवी समूह केन्द्र।
5. पुस्तकालयों में पुस्तकालय के विषय में भाषण या वार्तालाप करवाना।
6. कहानी पाठ।
7. उत्सव तथा मेले।
8. संगीत इत्यादि।

11.10 नवीन तकनीक एवं पुस्तकालय विस्तार कार्य

कम्प्यूटर तथा नेटवर्क ने घरों एवं पुस्तकालयों में अपना स्थान बना लिया है। इसलिए सुलभता से जानकारी प्राप्त हो जाती है। सुयोग्य संचार प्रणाली तक इन्टरनेट निश्चयपूर्वक पुरानी विस्तार सेवा को प्रभावित कर रहे हैं। ऑन लाइन पुस्तकालय सूची की सहायक से अत्यधिक पाठक पुस्तकालय सेवाओं को घरों में बैठकर प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि द्वारा पूर्ण पुस्तकालय दुर्गम स्थानों पर प्रयोग में ला सकते हैं। इन्टरनेट द्वारा दुनिया भर में सूचना प्राप्त की जा रही है। पुस्तकालय विस्तार सेवा इस नई विकसित सूचना प्रणाली द्वारा अत्यधिक लाभ दे रही है।

11.11 भारत में पुस्तकालय विस्तार कार्य

भारत में कई सार्वजनिक पुस्तकालय विधेयकों में विस्तार कार्य करने का प्रावधान है जैसे शाखा पुस्तकालय, ग्राम पुस्तकालय, पुस्तक डिपाजिट्री, पुस्तक केन्द्र, सर्किल पुस्तकालय, चल पुस्तकालय घर सेवा, नेहरु युवक संघ पुस्तकालय, जेल अस्पताल आदि पुस्तकालय सेवा।

बुक डिपोजिट केन्द्र 1,000 से 5,000 जनसंख्या के लिए हैं। स्कूल या ऐसी अन्य जगह पर पुस्तकें रखी जाती हैं। जेल, अस्पताल आदि में भी ये हो सकते हैं। एक कर्मचारी की कुछ समय के लिए नियुक्ति की जाती है जो पुस्तकालय सेवा देता है।

दिल्ली सार्वजनिक पुस्तकालय एक पुस्तकालय निकाय है। इसमें एक प्रमुख पुस्तकालय, एक जोनल पुस्तकालय, 3 शाखा, 23 उपशाखा, 67 चल और कई अन्य पुस्तकालय प्रसारण सेवा दे रहे हैं।

राजा राम मोहन राय पुस्तकालय फाउंडेशन तथा कई अन्य संस्थाएं भी पुस्तकालय प्रसारण सेवा को प्रोत्साहन दे रही हैं।

कुछ विश्वविद्यालय पुस्तकालय क्षेत्रीय विकास के लिए प्रोग्रामों का चयन कर सकते हैं, जैसे राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय समीपर्वी क्षेत्रों के बच्चों की पुस्तकालय आवश्यकताओं को पूर्ण करता था। कर्नाटक विश्वविद्यालय पुस्तकालय द्वारा गांवों में पुस्तकालय सेवा प्रदान की जाती थी। इस प्रकार सार्वजनिक पुस्तकालय, समीपर्वी विद्यालय और महाविद्यालय पुस्तकालयों के लिए विस्तार सेवा का कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक गांव में पुस्तकालय सेवा पहुंचाने के लिए नए कार्यक्रम निर्धारित किए जा रहे हैं।

11.12 पुस्तकालय विस्तार कार्यकी समस्याएं

पुस्तकालय प्रसार कार्य अनेक पुस्तकालयों का अंग माना गया है। परन्तु इसकी कुछ वित्तीय समस्याएं भी होती हैं, जिसके कारण पूर्ण सूचना सेवा प्रदान करना कठिन हो जाता है। यदि केन्द्रीय पुस्तकालय सेवा के मुकाबले प्रसार सेवा की तुलना की जाए तो प्रसार सेवा अधिक महंगी पड़ती है क्योंकि शाखा पुस्तकालय पर व्यय किया धन केन्द्र पुस्तकालय सेवा के ऊपर प्रभाव डालता है। परन्तु फिर भी इन समस्याओं की अपेक्षा 'प्रसार सेवा' एक सुयोग्य पुस्तकालय और सूचना सेवा का महत्वपूर्ण अंग है। भारत सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीतियां जैसे सर्व साक्षरता अभियान को सम्पूर्ण करने के लिए पुस्तकालय विस्तार सेवा प्रभावित भूमिका अदा करेगी।

11.13 अभ्यास प्रश्न

1. एल. आर. मकॉलविन के अनुसार, पुस्तकालय विस्तार कार्य के द्वारा पाठकों की संख्या एवं पुस्तकालय कार्यों में ————— होती है।
2. प्रमुख पुस्तकालयों के अभाव में लोगों तक पुस्तकें व सूचना सेवाएं पहुंचाने के प्रयत्न को ————— कहा जाता है।
3. पुस्तकालय प्रसारण सेवा के प्रमुख दो रूप ————— हैं।

11.14 सारांश

पुस्तकालय प्रसारण सेवा, पुस्तक व सूचना सेवाएं उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न है जो प्रमुख पुस्तकालय नहीं पहुंच सकते हैं। इसके कुछ सिद्धान्त एवं कारक हैं। प्रसारण सेवा के प्रमुख दो रूप हैं : आन्तरिक तथा बाह्य, जो शाखा, उपशाखा, चल आदि पुस्तकालय द्वारा दी जाती है। इसके अन्तर्गत कई कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं भारत में भी कई पुस्तकालय यह सेवा दे रहे हैं। ऑन लाइन पुस्तकालय सूची, इन्टरनेट, डिजीटल फुल टेक्स्ट पुस्तकों, पत्रिकाओं आदि ने इसका स्वरूप बदल दिया है परन्तु इसकी कुछ समस्याएं भी हैं।

11.15 शब्दावली

| | |
|---------|-------------|
| विस्तार | Extension |
| निकाय | System |
| आन्तरिक | Internal |
| बाह्य | Exterior |
| सीमायें | Limitations |
| ओपेक | OPAC |

11.16 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. बढ़ोतारी या अभिवृद्धि
2. पुस्तकालय प्रसारण सेवा
3. आन्तरिक तथा बाह्य

11.17 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

- 1 अग्रवाल, एस. एस. ग्रन्थालय प्रबन्ध के मूल तत्व. जयपुर: राज पब्लिशिंग हाऊस, 2004।
- 2 पाठक, प्रीति. पुस्तकालय के सिद्धान्त. नई दिल्ली: महावीर एण्ड संस, 2007।
- 3 सिंह, आर. सी. इत्यादि. पुस्तकालय प्रशासन:सिद्धान्त एवं व्यवहार. नई दिल्ली, श्री पब्लिशिंग हाऊस, 1990।
- 4 शर्मा, वी. के. एवं डी. वी. सिंह. शैक्षणिक पुस्तकालय प्रणाली. आगरा: वाई. के. पब्लिशर्स, 2006।
- 5 त्रिपाठी, एम. इत्यादि. ग्रन्थालय प्रबन्ध , आगरा: वाई. के पब्लिशर्स, 1999।
- 6 नवलाणी, किशनी, सिंह, कर्म एवं त्रिखा, सुधा, पुस्तकालय प्रबन्ध, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2010, 296–303 पु।

11.18 उपयोगी पुस्तकें

- 1 अग्रवाल, एस. एस. ग्रन्थालय प्रबन्ध के मूल तत्व. जयपुर: राज पब्लिशिंग हाऊस, 2004।
- 2 पाठक, प्रीति. पुस्तकालय के सिद्धान्त. नई दिल्ली: महावीर एण्ड संस, 2007।
- 3 सिंह, आर. सी. इत्यादि. पुस्तकालय प्रशासनःसिद्धान्त एवं व्यवहार. नई दिल्ली, श्री पब्लिशिंग हाऊस, 1990।
- 4 शर्मा, वी. के. एवं डी. वी. सिंह. शैक्षणिक पुस्तकालय प्रणाली. आगरा: वाई. के. पब्लिशर्स, 2006।
- 5 त्रिपाठी, एम. इत्यादि. ग्रन्थालय प्रबन्ध, आगरा: वाई. के पब्लिशर्स, 1999।
- 6 नवलाणी, किशनी, सिंह, कर्म एवं त्रिखा, सुधा, पुस्तकालय प्रबन्ध, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर, 2010, 296—303 पृ।

11.19 निबन्धात्मक प्रश्न

- 1 पुस्तकालय विस्तार कार्य से आपका क्या आशय है? समझाइये।
- 2 भारत में पुस्तकालय विस्तार कार्य की आवश्यकता क्यों है?
- 3 पुस्तकालय विस्तार कार्य के सिद्धान्तों का वर्णन कीजिये।

इकाई (UNIT) –12 बौद्धिक सम्पदा अधिकार एवं सेंसरशिप (Intellectual Property Right and Censorship)

- 12.1 प्रस्तावना
- 12.2 उद्देश्य
- 12.3 बौद्धिक सम्पदा
- 12.4 बौद्धिक सम्पदा अधिकार
- 12.5 बौद्धिक संपदा का प्रचार और संरक्षण की आवश्यकता
- 12.6 बौद्धिक संपदा अधिकार एवं औसत व्यक्ति
- 12.7 भारत में कॉपीराइट
- 12.8. पेटेंट
 - 12.8.1 पेटेंट की आवश्यकता
 - 12.8.2 पेटेंट संरक्षण
 - 12.8.3 पेटेंट मालिकों के अधिकार
 - 12.8.4 भारत में पेटेंट
- 12.9 बौद्धिक संपदा अधिकार एवं पुस्तकालय
 - 12.9.1 बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सॉफ्टवेयर
- 12.10 सेंसरशिप
- 12.11 सेंसरशिप के प्रकार
 - 12.11.1 क्रिएटिव सेंसरशिप
 - 12.11.2 स्व सेंसरशिप
 - 12.11.3 पुस्तक सेंसरशिप
 - 12.11.4 फ़िल्म सेंसरशिप
 - 12.11.5 रंग सेंसरशिप
 - 12.11.6 संगीत सेंसरशिप
 - 12.11.7 मैप्स (नक्शा) सेंसरशिप
 - 12.11.8 छवियाँ सेंसरशिप
 - 12.11.9 इन्टरनेट सेंसरशिप
- 12.12 अभ्यास प्रश्न
- 12.13 सारांश
- 12.14 शब्दावली
- 12.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

12.16 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

12.17 उपयोगी पुस्तकें

12.18 निबन्धात्मक प्रश्न

12.1 प्रस्तावना (Introduction)

किसी भी देश, समाज या व्यक्ति विशेष के लिये ज्ञान सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मूल्यवान है। आज का युग ज्ञान का युग, वर्तमान समाज ज्ञान समाज के नाम से जाना जाने लगा है। बौद्धिक संपदा किसी अन्य संपदा या संपत्ति के समान है। दुनिया में अनेकों सम्पदायें विद्यमान हैं परन्तु मुख्य रूप से भौतिक एवं बौद्धिक सम्पदाओं की चर्चा की जाती है। आज भौतिक संपदा की तरह ही बौद्धिक संपदा को भी व्यवहार में लाया जा रहा है। बौद्धिक संपदा के स्वरूपों जैसे – पेटेंट, ड्रेडमार्क, औद्योगिक अभिकल्पन, इन्टीग्रेटेड सर्किट के ले-आऊट, भौगोलिक पहचान के लिये विश्व व्यापार होता है। अब कापीराइट नियम केवल सृजनात्मक कार्यों की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि उन पर आधारित व्यवसायों, फ़िल्म, संगीतों, प्रकाशनों इत्यादि के लिये भी मुख्य आधार बन चुके हैं। वर्तमान समय में व्यावसायिक गोपनीयता की सुरक्षा का महत्व भी बढ़ता जा रहा है। इस इकाई में बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं सेन्सरशिप के बारे में चर्चा की गई है।

12.2 उद्देश्य- (Objectives)

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात् आप इस योग्य हो जायेंगे कि –

- 1 बौद्धिक सम्पदा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- 2 बौद्धिक सम्पदा अधिकार के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- 3 सेंसरशिप की रूपरेखा विकसित कर सकेंगे।
- 4 बौद्धिक सम्पदा अधिकार के विभिन्न भागों से अवगत हो सकेंगे।

12.3 बौद्धिक संपदा –(Intellectual Property)

सृष्टि की उत्पत्ति के साथ साथ मनुष्य को तरह-तरह का ज्ञान प्राप्त होने लगा। सभ्यता के विकास के साथ ही ज्ञान का निरन्तर विकास होता गया। इन सभ्यताओं से सर्वाधिक ज्ञान भारत में उत्पन्न हुआ लेकिन यहां पर ज्ञान को ईश्वरीय कृपा से जोड़ दिया गया तथा इसे निःशुल्क वितरित किया जाने लगा। ज्ञान की पहचान को संरक्षित करने के लिये जागरूकता की कमी रही, लेकिन समय के साथ-साथ इसमें परिवर्तन आया और इसके संरक्षण के प्रयास किये जाने लगे। मुख्य रूप से संपदाओं को दो प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया। जिन्हें भौतिक संपदा और बौद्धिक संपदा की संज्ञा प्रदान की गई।

भौतिक संपदा

इस तरह की संपदाओं में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की संपदाओं का समावेश किया जाता है। ये संपदायें भौतिक रूप से स्पष्ट दिखाई देती हैं। इनकी विशेषताओं को सामान्य दृष्टि से आसानीपूर्वक देखा जा सकता है और उनका मूल्यांकन भी सरलता से किया जा सकता है।

बौद्धिक संपदा

बौद्धिक सम्पदा मूलतया मानव निर्मित संपदा होती है जो भौतिक रूप से पूर्णतया या अधिकांशतः अदृश्य होती है। इसे देखने, समझने और मूल्यांकन करने के लिये विशेष बौद्धिक दृष्टि की आवश्यकता होती है। बौद्धिक सम्पदा साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्यों से सम्बन्धित हो सकती है। यह कलाकारों द्वारा प्रस्तुत हो सकती है, प्रसारित हो सकती है। विभिन्न क्षेत्रों में की जाने वाली वैज्ञानिक खोजें, आविष्कार, औद्योगिक अभिकल्पन, ट्रेडमार्क, सेवा-चिन्ह, व्यावसायिक नाम, प्रतीक इत्यादि सभी बौद्धिक सम्पदा के दायरे में आते हैं।

अध्ययन और व्यवहार की दृष्टि से बौद्धिक सम्पदा को प्रमुख रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी आजकल एक अन्य प्रकार की बौद्धिक सम्पदा भी उपयोग की जाती हैं जिसे गोपनीयता की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान समय में इसका उपयोग अधिकता से किया जा रहा है।

उद्योग सम्बन्धी बौद्धिक संपदायें

इस प्रकार की बौद्धिक संपदायें उपयोग और व्यवहार में अधिक उपयोगी साबित होती हैं। इनके अन्तर्गत निम्नलिखित घटक आते हैं –

1. तकनीकी समस्याओं के समाधान, उपयोगी मॉडल इत्यादि जो पेटेन्ट के रूप में पंजीकृत किये जाते हैं।
2. उत्पाद और सेवाओं के ट्रेडमार्क।
3. औद्योगिक अभिकल्पन और औद्योगिक उत्पादों या दस्तकारी के बाह्य रूप।
4. भौगोलिक पहचान जो किसी उत्पाद के मूल को दर्शाता हो जैसे – बंगाली मिठाई, बनारसी पान, देहरादून चावल इत्यादि।
5. एकीकृत सर्किटों के ले-आउट डिजायन, जो आजकल बहु उपयोगी हैं।

सृजन सम्बन्धी बौद्धिक संपदायें

इस प्रकार की बौद्धिक संपदाओं के अन्तर्गत वह ज्ञान आता है जो साहित्य, संगीत, कला, फोटोग्राफी अथवा श्रव्य-दृश्य सम्बन्धी होता है। आधुनिक युग में कम्प्यूटर प्रोग्राम, साफ्टवेयर, मल्टीमीडिया प्रस्तुति इत्यादि का महत्व अधिक तेजी से बढ़ रहा है।

मरिटिष्ट आविष्कार, साहित्यिक, कलात्मक और कई अन्य तरह के रचनात्मक कार्य करता है। बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के लिये इसे दो श्रेणियों पेटेंट्स और कॉपीराइट्स में विभाजित गया है। औद्योगिक संपत्ति एवं वाणिज्य में उपयोग किए जाने वाले प्रतीकों, नाम और छवियों को, आविष्कार, औद्योगिक डिजाइन और भौगोलिक संकेतों इत्यादि को ट्रेडमार्क में शामिल किया गया है और साहित्यिक कार्यों (जैसे उपन्यास, कविताएं और नाटकों), फिल्मों, संगीत, कलात्मक कार्यों (उदाहरण – चित्र, चित्रकारी, फोटो और मूर्तियां) और वास्तुशिल्प डिजाइन इत्यादि को कॉपीराइट में शामिल गया है। कॉपीराइट से सम्बन्धित अधिकारों में कलाकारों को उनके प्रदर्शन, रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफ के निर्माता, और प्रसारण कार्य इत्यादि को शामिल किया गया है।

12.4 बौद्धिक संपदा अधिकार –(Intellectual Property Right)

बौद्धिक संपदा अधिकार किसी अन्य संपत्ति पर अधिकार के समान है। वे रचनाकारों या मालिकों को उनके स्वयं के काम या सृजनात्मक कार्यों में निवेश से लाभ के लिए पेटेंट, ट्रेडमार्क या कॉपीराइट की अनुमति देते हैं। इन अधिकारों को मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 27 में उल्लिखित किया गया है, जो वैज्ञानिक, साहित्यिक या कलात्मक प्रस्तुतियों के लेखकों के नैतिक और भौतिक हितों के संरक्षण से लाभ के अधिकार प्रदान करता है। बौद्धिक संपदा के महत्व को पहले औद्योगिक संपत्ति संरक्षण (1883) के लिए पेरिस कन्वेशन और साहित्य और कलात्मक कार्यों (1886) के संरक्षण के लिए बर्न कन्वेशन में मान्यता दी गई थी। दोनों संधियों का प्रबंधन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा किया जाता है।

किसी सम्पदा का अधिकार या किसी कंपनी द्वारा कम से कम किसी विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा की चिंता किए बिना अपनी योजनाओं, विचारों या अन्य अमूर्त संपत्तियों का उपयोग करने के लिए एक अधिकार। इन अधिकारों में कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, और व्यापार रहस्य शामिल हो सकते हैं।

कम से कम एक विशिष्ट अवधि के लिए प्रतिस्पर्धा की चिंता किए बिना किसी व्यक्ति या किसी कंपनी द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं, विचारों या अन्य अमूर्त संपत्तियों का उपयोग करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त करने का अधिकार। इन अधिकारों में कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, और व्यापार रहस्य शामिल हो सकते हैं। बौद्धिक संपदा के लिए तर्क यह है कि नवाचार को इस डर के बिना प्रोत्साहित करना है कि एक प्रतियोगी इस विचार को चुरा लेगा/या इसके लिए क्रेडिट लेगा। इन अधिकारों को मुकदमा के माध्यम से एक अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार व्यक्तियों की रचनाओं पर उनके दिमागी उपयोग के लिये दिए गए अधिकार हैं। वे आम तौर पर निर्माता को एक निश्चित समय के लिए उसकी/उसके सृजन के उपयोग पर एक विशेष अधिकार देते हैं।

बौद्धिक संपदा अधिकारों को सामान्यतः दो मुख्य क्षेत्रों में बांटा गया है:

(i) कॉपीराइट और कॉपीराइट से सम्बन्धित अधिकार

साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लेखकों के अधिकार हेतु कॉपीराइट (जैसे कि किताबें और अन्य लेखन, संगीत रचनाएं, पेटिंग, मूर्तिकला, कंप्यूटर प्रोग्राम और फिल्मों), लेखकों की मृत्यु के बाद 50 वर्षों की न्यूनतम अवधि के लिए कॉपीराइट नियम द्वारा संरक्षित किये गये हैं। कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों के संरक्षण का मुख्य उद्देश्य सामाजिकता को प्रोत्साहित करना और रचनात्मक काम को पुरस्कृत करना है।

इसके अलावा कॉपीराइट और सम्बन्धित अधिकारों के माध्यम से कलाकारों के अधिकार सुरक्षित होते हैं (उदाहरण— अभिनेताओं, गायकों और संगीतकारों के फोटोग्राफ्स, ध्वनि रिकॉर्डिंग), फिल्मों के निर्माता और प्रसारण संगठन के कॉपीराइट्स।

(ii) औद्योगिक संपत्तिसे सम्बन्धित अधिकार

औद्योगिक संपत्ति उपयोगी रूप से दो मुख्य क्षेत्रों में विभाजित की जा सकती है:

विशेष रूप से किसी एक क्षेत्र के विशिष्ट लक्षणों की सुरक्षा (जो कि अन्य उपक्रमों से किसी एक उपक्रम की वस्तुओं या सेवाओं को अलग—थलग करता है) और भौगोलिक संकेतों की सुरक्षा को ट्रेडमार्क के रूप में उपयोग किया जा सकता है (एक ऐसी जगह में उत्पन्न होता है जहां एक विशिष्ट विशेषता होती है इसकी भौगोलिक मूल के लिए अनिवार्य रूप से इसका श्रेय अच्छा होता है)।

उचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ता सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विशिष्ट लक्षणों के संरक्षण का उद्देश्य विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के बीच सूचित विकल्प बनाने के लिए सक्षम बनाता है। सुरक्षा अनिश्चित काल तक समाप्त हो सकती है, बशर्ते संकेत प्रश्न में विशिष्ट होना जारी है। अन्य प्रकार की औद्योगिक संपत्ति मुख्य रूप से नवाचार, डिजाइन और प्रौद्योगिकी के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए संरक्षित है। इस श्रेणी के अन्तर्गत आविष्कार (पेटेंट द्वारा संरक्षित), औद्योगिक डिजाइन और व्यापार रहस्यों को शामिल किया जाता है। सामाजिकता का उद्देश्य नई प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश के परिणामों के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, इस प्रकार अनुसंधान और विकास गतिविधियों को प्रोत्साहन दे रहा है।

एक कार्यशील बौद्धिक संपदा व्यवस्था को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, संयुक्त उपक्रम और लाइसेंस के रूप में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सुविधा भी मिलनी चाहिए।

आमतौर पर एक परिमित अवधि (पेटेंट के मामले में आमतौर पर 20 वर्ष) के लिए सुरक्षा दी जाती है। हालांकि बौद्धिक संपदा संरक्षण के बुनियादी सामाजिक उद्देश्यों के रूप में ऊपर उल्लेखित किया गया है, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि दिए गए अनन्य अधिकार आम तौर पर कई सीमाओं और अपवादों के अधीन हैं, जिसका लक्ष्य संतुलन को ठीक करना है जिसे सही धारकों और उपयोगकर्ताओं के हितों में वैध के बीच पाया जाना चाहिए।

12.5 बौद्धिक संपदा का प्रचार और संरक्षण की आवश्यकता

बौद्धिक संपदाओं के प्रचार और संरक्षण देने की आवश्यकता के कई आकर्षक कारण हैं।

1. सबसे पहले, मानवता की प्रगति और भलाई के लिये प्रौद्योगिकी विकसित करने की क्षमता और संस्कृति के क्षेत्र में नए कार्यों को करने में।
2. दूसरा, नई रचनाओं की कानूनी सुरक्षा, आगे नवाचार के लिए अतिरिक्त संसाधनों की प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करने में।
3. तीसरा, बौद्धिक संपदा की पदोन्नति और संरक्षण आर्थिक विकास को गति देता है, नई नौकरियां और उद्योग बनाता है, और जीवन की गुणवत्ता और जीवन आनंद को बढ़ाता है।

एक कुशल और न्यायसंगत बौद्धिक संपदा प्रणाली सभी देशों को आर्थिक विकास और सामाजिक और सांस्कृतिक कल्याण के लिए उत्प्रेरक के रूप में बौद्धिक संपदा की क्षमता को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। बौद्धिक संपदा प्रणाली, अविष्कारों के हितों और जनता के हितों के बीच एक संतुलन बनाये रखने में मदद करती है, जिससे सभी के लाभ के लिए एक ऐसा वातावरण प्रदान किया जा सकता है जिसमें रचनात्मकता और आविष्कारों को बढ़ावा मिल सकता है।

12.6 बौद्धिक संपदा अधिकार एवं औसत व्यक्ति

बौद्धिक संपदा अधिकारों को रचनात्मकता और मानवीय प्रयासों का इनाम, जो मानव जाति की प्रगति को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिये—करोड़ों की लागत से बनने वाली फिल्में, रिकॉर्डिंग, प्रकाशन और सॉफ्टवेयर उद्योग इत्यादि। दुनिया भर में करोड़ों लोगों को खुशी दिलाते हैं जो कॉपीराइट सुरक्षा के बिना मौजूद नहीं हो सकते। उपभोक्ताओं के लिए बेहतर और अधिक कुशल उत्पादों का उत्पादन जारी रखने के लिये शोधकर्ताओं और अन्वेषकों को पुरस्कारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है जिसे पेटेंट सिस्टम के बिना प्रोत्साहित नहीं किया जा सकेगा। अंतरराष्ट्रीय ट्रेडमार्क संरक्षण और प्रवर्तन तंत्र के बिना, उपभोक्ताओं के

पास भरोसेमंद, जबरन और पायरेसी को हतोत्साहित करने के लिए, उत्पादों या सेवाओं को आत्मविश्वास से खरीदने का कोई मतलब नहीं रहेगा।

12.7 भारत में कॉपीराइट

कॉपीराइट एक प्रकार का बौद्धिक संपदा अधिकार है। भारत में प्राचीनकाल से ही साहित्य रचना का कार्य होता आ रहा है। प्रारम्भ में लोग अपनी रचनाओं के साथ अपना नाम नहीं देते थे। यही कारण है कि अनेक भारतीय कवियों के जन्मकाल एवं उनकी कृतियों के बारे में कोई प्रमाणिक जानकारियां प्राप्त नहीं हो सकी। ऐसी स्थिति में उनके अपने कृतित्व से लाभ कमाना तो दूर उनके वंशज उनके कृतित्व के बारे में जानते तक नहीं है। यदि उनके वंशजों को उनके कृतित्व की जानकारी होती तो वे उसे संरक्षित कर पाते। उदाहरण के लिये सूरदास ने लगभग सवा लाख पदों की रचना की थी, परन्तु आज केवल 10,000 पद ही उपलब्ध हैं।

अंग्रजों द्वारा निर्मित कॉपीराइट कानून 1911 कुछ संशोधनों के साथ भारत में सन् 1914 में लागू हो गया था। स्वतन्त्रता के बाद से तकनीकी विकास की प्रक्रिया ने जोर पकड़ा और दूरसंचार, प्रसारण, फिल्मों, छपाई इत्यादि के क्षेत्रों में नवीन तकनीकों का प्रादुर्भाव हुआ। सन् 1956 में ब्रिटिश कापीराइट कानून 1956 पारित हो चुका था। भारत में इस कानून के अधिकांश भाग को स्वीकार कर लिया गया और ये नये कानून के रूप में 21 जनवरी, 1958 से लागू कर दिया गया।

प्रौद्योगिकी के विकास ने पूरे विश्व को कॉपीराइट के बारे में चिन्तन करने के लिये मजबूर किया और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मेलन किये गये जिसकी संस्तुतियों को भारत ने माना। इधर वीडियो इत्यादि की नकल तेजी से होने लगी, उसको रोकने तथा दोषियों को दण्डित करने हेतु तरह तरह के कानून बनाये गये। 1992 में इस कानून में संसोधन किया गया और सृजनकर्ता को अपने जीवनकाल के बाद 60 वर्षों तक का एकाधिकार मिल गया। इस तरह लेखक के मरने के बाद 60 वर्षों तक उसके उत्तराधिकारी कॉपीराइट का इस्तेमाल करने लगे।

समय के साथ इसके विस्तार की आवश्यकताओं को महसूस किया जाने लगा। नये नियमों के अनुसार अनेक प्रकार के सृजनात्मक कार्यों जैसे अभिनय, गायन तथा कम्प्यूटर के अनुप्रयोगों के माध्यम से किये गये कार्यों को भी कॉपीराइट के दायरे में लाया गया।

स्वतन्त्रता के उपरान्त देश में अनुसंधान के लिये विस्तृत योजना तैयार की गयी और यह प्रयास किया गया कि होने वाले शोध से स्थानीय उद्योग को सहयोग दिया जाये। सन् 1958 की विज्ञान नीति में आर्थिक व राजनीतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का आन्तरिक विकास करने पर जोर दिया गया। इसके बाद में आयातित प्रौद्योगिकी के अनुकूलन एवं खपाने पर भी जोर दिया गया। जहां तक बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का सवाल था, यह मूलतः ब्रिटिश ढांचे पर ही आधारित रहा। आरम्भिक दौर में हमारी राष्ट्रीय आवश्यकतायें भिन्न थीं। जब विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई और भारत उसका सदस्य बना तब तक प्राथमिकतायें पूरी तरह से बदल चुकी थीं। अब प्रति वर्ष पेटेन्ट आवेदनों की संख्या बढ़ने लगी और पेटेन्टों के विरोध, जब्ती, मुकदमों, लाइसेन्सों की संख्या भी बढ़ने लगी। परन्तु अब पेटेन्ट व्यवस्था पर फिर से सोचने का आवश्यकता है साथ ही आम जनता को इस बारे में अधिकाधिक जागृत करने की आवश्यकता है।

12.8. पेटेंट

एक पेटेंट एक अनन्य अधिकार है जिसे एक आविष्कार – एक उत्पाद या प्रक्रिया जो कुछ करने का एक नया तरीका प्रदान करता है, या जो एक समस्या के लिए एक नया तकनीकी समाधान प्रदान करता है। यह पेटेंट मालिकों को उनके आविष्कारों के लिए संरक्षण प्रदान करता है। एक सीमित अवधि आमतौर पर 20 वर्ष के लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है।

12.8.1 पेटेंट की आवश्यकता

पेटेंट व्यक्तियों को उनकी रचनात्मकता को पहचानने और उनके विपणन योग्य आविष्कारों के लिए सामग्री पुरस्कार की संभावना प्रदान करके प्रोत्साहन प्रदान करता है। ये प्रोत्साहन नवाचार को प्रोत्साहित करता है, जो बदले में मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है।

12.8.2 पेटेंट संरक्षण

पेटेंट संरक्षण का मतलब है कि पेटेंट मालिक की सहमति के बिना एक आविष्कार व्यावसायिक रूप से बना, उपयोग, वितरित या बेचा नहीं जा सकता। पेटेंट के अधिकार आमतौर पर अदालतों में लागू होते हैं, जो ज्यादातर प्रणालियों में, पेटेंट उल्लंघन को रोकने के अधिकार को पकड़ते हैं। इसके विपरीत, एक न्यायालय एक तीसरी पार्टी द्वारा एक सफल चुनौती पर पेटेंट को अमान्य घोषित कर सकता है।

12.8.3 पेटेंट मालिकों के अधिकार

एक पेटेंट के मालिक को यह तय करने का अधिकार होता है कि उस अवधि के लिए पेटेंट के आविष्कार का उपयोग कौन–कौन कर सकता है – या नहीं, जिसके दौरान यह

सुरक्षित है। पेटेंट मालिकों, परस्पर सहमत शर्तों पर अपने आविष्कारों का उपयोग करने के लिए अन्य पार्टीयों को अनुमति या लाइसेंस दे सकते हैं। मालिक भी किसी अन्य व्यक्ति को अपना आविष्कार अधिकार बेच सकते हैं, जो तब पेटेंट के नए मालिक बन जाते हैं। एक बार पेटेंट की समाप्ति के बाद, सुरक्षा समाप्त हो जाती है और आविष्कार सार्वजनिक डोमेन में प्रवेश करता है इसे पेटेंट बनने के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है कि मालिक को अब आविष्कार के अनन्य अधिकार नहीं मिल रहे हैं, और यह दूसरों के द्वारा व्यावसायिक शोषण के लिए उपलब्ध हो जाता है।

रोजमर्ग के जीवन में पेटेंट भी भूमिका निभाते हैं। पेटेंट आविष्कार ने चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग (एमआरआई) और आईफोन, इलेक्ट्रिक प्रकाश (एडीसन द्वारा पेटेंट) और सिलाई मशीन (हॉव एंड सिंगर द्वारा पेटेंट) इत्यादि ने मानव जीवन के हर पहलू को व्यापक किया है। सभी पेटेंट मालिक दुनिया भर में तकनीकी ज्ञान के कुल शरीर को समृद्ध करने के लिए अपने आविष्कारों पर सार्वजनिक रूप से जानकारी का खुलासा करने के लिए बाध्य हैं। सार्वजनिक ज्ञान का यह सदाबहार निकाय आगे की रचनात्मकता और नवीनता को बढ़ावा देता है। इसलिए पेटेंट अपने मालिकों के लिए न केवल सुरक्षा प्रदान करते हैं बल्कि शोधकर्ताओं और अन्वेषकों की अगली पीढ़ियों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी और प्रेरणा भी प्रदान करते हैं।

12.8.4 भारत में पेटेंट

प्राचीनकाल में ज्ञान के एकाधिकार पर कल्पना का अभाव रहा था। ज्ञान पर एकाधिकार रखने एवं उस पर लाभ कमाने का विचार ब्रिटेन से भारत आया। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिये अंग्रेज सरकार ने भारत में अनेक संगठनों की स्थापना की जैसे— जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, ट्रिगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इण्डिया इत्यादि। इसके पश्चात् पश्चिमी प्रभाव से युक्त विज्ञान शिक्षा का आरम्भ भारत में किया गया।

इसी क्रम में भारतीय पेटेन्ट कानून सन् 1856 में बना जो 1852 के ब्रिटिश पेटेन्ट कानून पर आधारित था। इसके अनुसार अन्वेषकों को उनके आविष्कार के आधार पर निर्माण करने का एकाधिकार 14 वर्षों के लिये दिया जाने लगा। सन् 1859 में थोड़ा सा बदलाव किया गया तथा अन्वेषकों को पेटेन्ट आवेदन की तिथि से 14 वर्षों के लिये निर्माण विक्रय इत्यादि का एकाधिकार दे दिया गया। इसके साथ ही इस विषय पर चिन्तन की प्रक्रिया का आरम्भ हुआ और 1872 में पेटेन्ट एवं डिजायन सुरक्षा कानून तथा 1883 में आविष्कार सुरक्षा कानून बना, जिन्हें 1888 में विलय कर आविष्कार एवं डिजायन कानून बनाया गया। सन् 1911 में भारतीय पेटेन्ट एवं डिजायन कानून बना। सन् 1947 के बाद से इस विषय पर नये तरीकों से चिन्तन किया गया।

न्यायमूर्ति अयंगर ने सन् 1959 में इस विषय पर अपना प्रतिवेदन दिया। परिणामतः संसद में पेटेन्ट विधेयक सन् 1963 में रखा गया। नया पेटेन्ट कानून सन् 1970 में बना लेकिन 20 अप्रैल, 1972 से भारत में लागू किया गया। वैश्विक उदारीकरण की प्रक्रिया का आरम्भ होने से पुनः इस दिशा में चिन्तन किया जाने लगा। सामान्य पेटेन्ट की तरह डिजायन पर एकाधिकार के लिये कानूनों का चलन जारी रहा। डिजायन पर एकाधिकार मुख्यतः वस्त्रों की डिजायन की सुरक्षा के लिये दिया जाता था जो बाद में विभिन्न प्रकार के आभूषणों एवं वस्तुओं की डिजाइनों के निर्माताओं के हितों की सुरक्षा के लिये दिया जाने लगा।

12.9 बौद्धिक संपदा अधिकार एवं पुस्तकालय

बौद्धिक संपदा अधिकार एक कठिन मुद्दा है। अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसियेशन की आचार संहिता के बाकी हिस्सों में से ज्यादातर इस बात के बारे में बताया गया है। 'कॉपीराइट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों की पहुंच पुस्तकालयों तक प्रतिबंधित होनी चाहिए या नहीं' यह कथन पुस्तकालय के सन्दर्भ में अत्यधिक विचारणीय रहा है। विद्वानों ने इसके पक्ष और विपक्ष में अपने अपने तर्क दिये हैं। कतिपय लोगों का मानना है कि आवश्यकतानुसार कभी—कभी सूचना के इस प्रवाह पर प्रतिबन्ध प्रदान कर सकते हैं।

सूचना सार्वजनिक संपत्ति है और किसी को भी इसका उपयोग करना चाहिए। पुस्तकालयों ने खुली लाइसेंसिंग, मुफ्त सॉफ्टवेयर, नए प्रकाशनों के वितरण में सक्रिय रुचि दिखायी है जो सूचना निर्माता के अधिकारों का सम्मान करते हुए विचारों को अधिक व्यापक पहुंच प्रदान करते हैं।

12.9.1 बौद्धिक संपदा अधिकार एवं सॉफ्टवेयर

डेविड डोरमैन ने दावा किया कि सूचना के लिये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पुस्तकालय आंदोलन के विचारों के समान है। अभी तक सॉफ्टवेयर पेटेन्ट कानून के दायरे से बाहर था, केवल कॉपीराइट कानून के अनुसार इसे सुरक्षा प्राप्त थी। क्योंकि पेटेन्ट कानून का आधार यह है कि केवल विचार या खोज पेटेन्ट योग्य नहीं हैं परन्तु यदि इसका उपयोग तकनीकी हो जाता है तो यह पेटेन्ट योग्य हो जाता है। अतः सॉफ्टवेयर को पेटेन्ट कानून के अन्तर्गत लाने के प्रयास निरन्तर होते रहे। वस्तुतः सॉफ्टवेयर का उपयोग हार्डवेयर के संचालन हेतु किया जाता है। अतः पेटेन्ट के दायरे में आ जाते हैं।

अब सॉफ्टवेयर की सुरक्षा पेटेन्ट कानून के द्वारा उपलब्ध है हालांकि सॉफ्टवेयर को कॉपीराइट कानून के अन्तर्गत अभी तक सुरक्षा दी जा रही है। पश्चिमी देशों विशेषकर अमेरिका में सॉफ्टवेयर को उदारता से पेटेन्ट दे दिया जाता है। जिन मामलों में भारत जैसे देशों में पेटेन्ट नहीं मिल पाता, उन्हें अमेरिका में पेटेन्ट मिल जाता है।

पुस्तकालय के सन्दर्भ में सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिये यह सवाल उठता है कि अगर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की सुरक्षा के लिये दुनिया में कोई उल्लंघन करता है, तो उसके

लिए भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ? उन लोगों के निहितार्थ क्या हैं जो मुफ्त जानकारी और पहुंच का समर्थन करते हैं?

12.10 सेंसरशिप

प्रकाशन या पत्राचार या नाटकीय प्रदर्शन के कुछ हिस्सों को हटा देने की प्रक्रिया सेंसरशिप है। सेंसर करने के लिए किसी नाटकीय प्रदर्शन, प्रकाशन या पत्राचार की समीक्षा करना होती है। सेंसरशिप में प्रेक्षक या प्रेक्षकों द्वारा किसी नाटकीय प्रदर्शन, प्रकाशन या पत्राचार से अस्वीकार्य शब्दों या ग्राफिक छवियों जैसी चीजों को रखने या हटाने की प्रक्रिया में विचार या अभिमत दिये जाते हैं। सेंसरशिप स्वयं के रूप में भी ऐसी चीज है, जिससे आप कुछ चीजें बोलने से बचना चाहते हैं।

परिभाषा —भाषण, सार्वजनिक संचार, या अन्य जानकारी का दमन सेंसरशिप है जिसे सरकार, मीडिया आउटलेट्स, प्राधिकारियों या अन्य समूहों या संस्थानों के निर्धारण के अनुसार आपत्तिजनक, हानिकारक, संवेदनशील, राजनीतिक रूप से गलत या असुविधाजनक माना जा सकता है।

(Censorship is the suppression of speech, public communication, or other information that may be considered objectionable, harmful, sensitive, politically incorrect or inconvenient as determined by governments, media outlets, authorities or other groups or institutions)

सेंसरशिप में सरकार, निजी संगठन और व्यक्ति संलग्न हो सकते हैं जब कोई लेखक या अन्य निर्माता अपने स्वयं के काम या भाषण के सेंसरशिप में संलग्न होता है, तो इसे स्वयं सेंसरशिप के रूप में जाना जाता है सेंसरशिप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हो सकती है, इस मामले में इसे नरम सेंसरशिप कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार की मीडिया में होता है जिसमें भाषण, किताबें, संगीत, फ़िल्म और अन्य कला, प्रेस, रेडियो, टेलीविजन और विभिन्न प्रकार के नेटवर्क के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सहित अश्लीलता, बाल अश्लीलता और नफरत और बदनामी को रोकने के लिए, राजनैतिक या धार्मिक विचारों को बढ़ावा देने या प्रतिबंधित करने, और बच्चों या अन्य कमज़ोर समूहों की रक्षा करने के लिए नफरत करने वाला भाषण।

प्रकार, स्थान और सामग्री के आधार पर प्रत्यक्ष सेंसरशिप कानूनी हो सकती है। कई देश कानून द्वारा सेंसर विरोधी के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं, परन्तु इनमें से कोई सुरक्षा नियम और अक्सर परस्पर विरोधी अधिकारों को संतुलित करने की

आवश्यकता का दावा करता है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या और सेंसर नहीं किया जा सकता था। स्वयं सेंसरशिप के खिलाफ कोई कानून नहीं हैं।

12.11 सेंसरशिप के प्रकार

सेंसरशिप कई प्रकारकी होती है, इनमें से कुछ प्रमुख सेन्सरशिप निम्नलिखित हैं।

12.11.1 क्रिएटिव सेंसरशिप

कुछ सेंसर रचनात्मकता को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सेंसर ग्रंथ को फिर से लिखे जाते हैं।

12.11.2 स्वयं सेंसरशिप

स्वयं—सेंसरशिप एक ही ब्लॉग, पुस्तक, फ़िल्म या मीडिया के अन्य रूपों को सेंसर करने या वर्गीकृत करने का कार्य है। यह दूसरों के संवेदनशीलता या वरीयताओं या वास्तविक या बिना दबाव के बिना डर के या सम्मान से किसी विशिष्ट पार्टी या प्राधिकरण की संस्था द्वारा किया जाता है। स्वयं—सेंसरशिप फ़िल्म—निर्माताओं, फ़िल्म—निर्देशकों, प्रकाशकों, समाचार—एंकरों, पत्रकारों, संगीतकारों और अन्य प्रकार के लेखकों द्वारा अक्सर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वाले व्यक्तियों द्वारा किया जाता है।

12.11.3 पुस्तक सेंसरशिप

राष्ट्रीय या उप—राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक सेंसरशिप लागू की जा सकती है और उनके अवरोधन के लिए कानूनी दंड दिया जा सकता है। स्थानीय, सामुदायिक स्तर पर पुस्तकों को भी चुनौती दी जा सकती है नतीजतन, किताबों को स्कूलों या पुस्तकालयों से हटाया जा सकता है, हालांकि इन प्रतिबंधों को उस क्षेत्र के बाहर विस्तारित नहीं किया जाता है।

12.11.4 फ़िल्म सेंसरशिप

पोर्नोग्राफी और अश्लीलता के सामान्य औचित्य के अलावा, कुछ ऐतिहासिक फ़िल्मों को ऐतिहासिक या कलात्मक मूल्य के बावजूद जातीय रुढ़िबद्धता या जातीय अपराध से बचने के लिए नस्लीय व्यवहार या राजनीतिक शुद्धता के कारण सेंसर किया जाता है। विभिन्न देशों द्वारा फ़िल्म सेंसरशिप को विभिन्न डिग्री में किया जाता है। उदाहरण के लिए—चीन द्वारा फ़िल्म बाजार में आधिकारिक वितरण के लिए केवल एक साल में 34 विदेशी फ़िल्मों की मंजूरी दी जाती है।

12.11.5 रंगसेंसरशिप

1980 के दशक में इजरायल कानून द्वारा इन चार रंगों का उपयोग करने वाले आर्टवर्क पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। 1980 में इजरायल के कानून ने फ़िलीस्तीन ध्वज के चार रंगों से बना प्रतिबंधित कलाकृति को मना किया था और फ़िलीस्तीनियों को ऐसी कलाकृति

प्रदर्शित करने के लिए या उसी प्रकार के कटा हुआ खरबूजे के लिए भी गिरफ्तार किया गया था।

12.11.6 संगीत सेंसरशिप

संगीत सेंसरशिप राज्यों, धर्मों, शैक्षणिक व्यवस्था, परिवारों, खुदरा विक्रेताओं और पैरवी समूहों द्वारा लागू की गई है और ज्यादातर मामलों में वे अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का उल्लंघन करते हैं।

12.11.7 मैप्स (नक्शा) सेंसरशिप

नक्शा सेंसरशिप अक्सर सैन्य उद्देश्यों के लिए नियोजित किया जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल पूर्वी जर्मनी में किया गया था, विशेष रूप से पश्चिमी जर्मनी को सीमा के पास के क्षेत्रों के लिए ताकि पालकी के प्रयासों को और अधिक कठिन बना दिया जा सके। मानचित्रों के सेंसरशिप को गूगल मानचित्र द्वारा भी लागू किया जाता है, जहां कुछ क्षेत्रों को धूसर या काला कर दिया जाता है।

12.11.8 छवियाँ सेंसरशिप

ब्रिटिश फोटोग्राफर और विजुअल कलाकार ग्राहम ओवेन्डेन की फोटो और पेंटिंग को 2015 में 'असभ्य' होने के लिए लंदन के मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा नष्ट करने का आदेश दिया गया था।

12.11.9 इंटरनेट सेंसरशिप

इंटरनेट सेंसरशिप इंटरनेट पर प्रकाशन या सूचनाओं तक पहुंच के लिये नियन्त्रण या दमन है। यह सरकारों द्वारा या निजी संगठनों द्वारा या तो सरकार के आदेश पर या अपनी स्वयं की पहल पर किया जा सकता है। व्यक्तियों और संगठन स्वयं की सेंसरशिप में स्वयं या धमकी और डर के कारण संलग्न हो सकते हैं।

इंटरनेट सेंसरशिप के साथ जुड़े मुद्दे अधिक परंपरागत मीडिया के ऑफलाइन सेंसरशिप के समान हैं। एक अंतर यह है कि ऑनलाइन राष्ट्रीय सीमाएं अधिक पारगम्य हैं: एक देश के निवासियों जो कुछ जानकारी पर प्रतिबंध लगाते हैं उन्हें देश के बाहर होस्ट किए गए वेबसाइटों पर पा सकते हैं। इस प्रकार सेंसर को सूचनाओं तक पहुंच को रोकने के लिए काम करना चाहिए, भले ही वेबसाइटों पर शारीरिक या कानूनी नियंत्रण की कमी हो। इसके बदले में तकनीकी सेंसरशिप विधियों के उपयोग की आवश्यकता होती है जो इंटरनेट के लिए अद्वितीय हैं।

जब तक सेंसर के सभी इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों जैसे उत्तर कोरिया या क्यूबा पर कुल नियंत्रण नहीं होता है तब तक इंटरनेट की अंतर्निहित वितरित तकनीक के कारण सूचना की पूर्ण सेंसरशिप बहुत मुश्किल या असंभव है।

12.12 अभ्यास प्रश्न

1. हम बौद्धिक संपदा अधिकारों को पहचानते हैं और उनका ————— करते हैं।
2. बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के लिये इसे दो श्रेणियों ————— में विभाजित गया है।
3. साहित्यिक और कलात्मक कार्यों के लेखकों के अधिकार हेतु कॉपीराइट, लेखकों की मृत्यु के बाद ————— की न्यूनतम अवधि के लिए कॉपीराइट नियम द्वारा संरक्षित किये गये हैं।
4. नया पेटेन्ट कानून ————— से भारत में लागू किया गया।

12.13 सारांश

बौद्धिक संपदा अधिकार के संचालन में विश्व व्यापार संगठन की भूमिका महत्वपूर्ण है। संसार के अनेक देशों के बीच व्यापार के वैशिवक नियमों के साथ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) काम करता है। इसका मुख्य कार्य यह सुनिश्चित करना है कि व्यापार आसानी से, पूर्वानुमानित और स्वतंत्र रूप से यथासंभव चलता रहे। इस इकाई में बौद्धिक संपदा, बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं सेन्सरशिप के बारे में चर्चा की गई है।

12.14 शब्दावली

| | |
|-----------|--------------|
| बौद्धिक | Intellectual |
| सम्पदा | Property |
| अधिकार | Right |
| सेन्सरशिप | Censorship |

12.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. सम्मान
2. पेटेंट्स और कॉपीराइट्स
3. 50 वर्षों
4. 20 अप्रैल, 1972

12.16 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

- 1 <http://www.businessdictionary.com/definition/intellectual&property&rights.html>
- 2 रंगनाथन, एस. आर., दि फाइव लाज़ ऑफ लाइब्रेरी साइन्स, बाम्बे, एसिया पब्लिशिंग हाउस, 1963।

- 3 माशेलकर, रघुनाथ अनंत, नई पेटेंट व्यवस्था और भारत, नई दिल्ली, सामयिक प्रकाशन, 2006।
- 4 डेबरॉय, बिबेक (सम्पा.), इन्टीलेक्चुअल प्राप्टी राइट्स, नई दिल्ली, बी. आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, 1998।

12.17 उपयोगी पुस्तकें

- 1 माशेलकर, रघुनाथ अनंत, नई पेटेंट व्यवस्था और भारत, नई दिल्ली, सामयिक प्रकाशन, 2006।
- 2 डेबरॉय, बिबेक (सम्पा.), इन्टीलेक्चुअल प्राप्टी राइट्स, नई दिल्ली, बी. आर. पब्लिशिंग कारपोरेशन, 1998।

12.18 निबन्धात्मक प्रश्न

1. बौद्धिक संपदा अधिकारों से एक औसत व्यक्ति को लाभ किस तरह से मिल सकता है?
2. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में बौद्धिक संपदा का उल्लंघन क्यों किया जाता है?
3. पेटेंट क्या है?
4. पेटेंट मालिकों के अधिकार क्या हैं?
5. पेटेंट किस तरह की सुरक्षा करता है?



उत्तराखण्ड मुक्त विश्विद्यालय
तीनपानी बाईपास रोड, ट्रान्सपोर्ट नगर,
हल्द्वानी -२६३१३९

**फ़ोन नं.: 5946 -261122, 261123
टॉल फ्री नं.: 18001804025**

**Fax No.- 05946-264232, E-mail-info@uou.ac.in
<http://uou.ac.in>**